



The Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972

Act No. 24 of 1973

Keywords:

Agricultural Produce, Contract Farming, Market, Petty Trader

Amendments appended: 10 of 2020, 12 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

छज़ीसगढ़
कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972
(1973 का अधिनियम सं. 24)
THE CHHATTISGARH
KRISHI UPAJ MANDI ADHINIYAM, 1972
(ACT NO. 24 OF 1973)

[राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 1973 को प्राप्त हुई; अनुमति “छज़ीसगढ़ राजपत्र” असाधारण) में दिनांक 27 अप्रैल, 1973 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

छज़ीसगढ़ राज्य में कृषि-उपज के क्रय-विक्रय का अधिक अच्छा विनियम करने के लिए तथा कृषि उपज संबंधी मण्डियों की स्थापना एवं उनके उचित प्रशासन के लिए उपबंध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में छज़ीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

(Received the assent of the President on the 18th April, 1973; assent first published in the Chhattisgarh Gazette (Extraordinary), dated the 27th April, 1973.)

An Act to provide for the better regulation of buying and selling of agricultural produce and the establishment and proper administration of markets for agricultural produce in the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Twenty-Third year of the Republic of India as follows:-

आदेश

- (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधि का अनुकूलन आदेश, 2000 है।**
- (दो) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन को सङ्पूर्ण छज़ीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।
- इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर, यथा संशोधित विधियाँ छज़ीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्य प्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, छज़ीसगढ़ राज्य में एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द **“मध्य प्रदेश”** जहाँ कहीं भी आया हो **“छज़ीसगढ़”** स्थापित किया जाए।
- इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सङ्मिलित करते हुए) छज़ीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची	
अनुक्रमांक	अधिनियम का नाम
(1)	(2)

1. मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972
[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20.12.2000 पृष्ठ 77-78 पर प्रकाशित]

अध्याय 1.

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम **छत्तीसगढ़ कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1972** कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(3) यह ऐसी दिनांक को प्रवृज्ज होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ— (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) **“कृषि-उपज”** से अभिप्रेत है कृषि, उद्यान-कृषि, पशु-पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या वन संबंधी समस्त उत्पादन¹ [***] जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

CHAPTER I.

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the **Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.**

(2) It extends to whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) **“agricultural produce”** means all produce¹ [***] of agriculture, horticulture, animal husbandry, apiculture, pisciculture or forest as specified in this Schedule;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 8-2-1990 से) विलोपित।

¹[(ख) “कृषक” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति एवं उसका परिवार जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित हो और जो अपने स्वयं के लिए—

- (i) अपने स्वयं के श्रम द्वारा; या
- (ii) अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम द्वारा; या
- (iii) अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य के, जो कि ऊपर उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर, जो कि नकद या वस्तु के रूप में देय हो किन्तु फसल के अंश के रूप में देय न हो, रखे गये नौकरों द्वारा;

खेती करता हो, किन्तु उसके अन्तर्गत कृषि-उपज का कोई व्यापारी, आढ़तियाँ, प्रसंस्करणकर्त्ता (प्रोसेसर), दलाल, तुलैया या हज्माल नहीं आता है भले ही ऐसा व्यापारी आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्त्ता, दलाल, तुलैया या हज्माल कृषि-उपज के उत्पादन में भी लगा हुआ हो;

“(ख ख)— “परिवार” से अभिप्रेत है व्यक्ति तथा उसका/उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो एवं उसके बच्चों, पिता,माता, बहन एवं भाई, जो उस पर आश्रित हो तथा उसके साथ निवास कर रहे हों”,

¹[(b) “agriculturist” means a person whose source of livelihood is wholly dependent on agricultural produce and who cultivates land on one’s own account,—

- (i) by one’s own labour ; or
- (ii) by the labour of the either spouse ; or
- (iii) under the personal supervision of oneself or any member of one’s family referred to in subclause (ii) above by hired labour or by servants on wages payable in cash or kind but not as corp share ;

but does not Include a trader, commission agent, processor, broker, weighmen, or hammad of agricultural produce although such trader, commission agent, processor, broker weighmen or hammad may also be engaged in the production of agricultural produce;]

(bb) “Family” means a person and his/ her, wife or husband, as the case may be, and his/ her children, father, mother, sister, and brothers, dependent on and residing with him.”

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1985 द्वारा (दिनांक 12-6-1985 से) प्रतिस्थापित।
2. छ.ग.अधिनियम क्र. 22 सन् 2011 द्वारा (दिनांक 10-10-2011 से) प्रतिस्थापित।

- (ग) “**बोर्ड**” से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड;
- (घ) “**उपविधियों**” से अभिप्रेत है धारा 80 के अधीन बनाई गई उपविधियाँ;
- ¹[(घघ) “**कलेक्टर**” से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर और उसके अन्तर्गत अपर कलेक्टर आता है।
- (ङ) “**अभिकर्त्ता**” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोजिता की ओर से तथा प्रत्येक संव्यवहार में अन्तर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के प्रतिफल स्वरूप कृषि-उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और सञ्चय अनुक्रम में उसे नियोजिता को परिदत्त करता है या जो ³[मण्डी क्षेत्र के भीतर से या मण्डी क्षेत्र के बाहर से] विक्रय के लिए भेजी गई कृषि-उपज को प्राप्त करता है तथा अपनी अभिरक्षा में लेता है, मण्डी-क्षेत्र में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके लिए भुगतानों का संग्रहण करता है और अपने नियोजिता को विक्रय आगम भेजता है;
- (डङ) विलोपित***
- ¹[(डङङ) “**संविदा खेती**” से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी।
- ¹[(डङङङ) “**संविदा खेती करार**” से अभिप्रेत है; संविदा खेती हेतु संविदा खेती क्रेता एवं संविदा खेती उत्पादक के मध्य हुआ करार।
- (c) “**Board**” means the Chhattisgarh state Agricultural Marketing Board established under this Act ;
- (d) “**Bye-laws**” means the bye-laws made under Section 80;
- ¹[(dd) “**Collector**” means the Collector of the District and includes an Additional Collector;]
- (e) “**Agent**” means a person who on behalf of his principal and in consideration of a percentage upon the amount involved in such transaction buys agricultural produce and makes payment in cash, keeps it in his custody and delivers it to the principal in due course or who receives and takes in his custody agricultural produce sent for sale ³ [within the market area or from outside the market area, sells the same in the market area and collects payment therefor from the buyer and remits the sale proceeds to his principal :
- (ee) Omitted***
- ¹[(eee) “**Contract farming**” means farming of agricultural produce on contract basis by a person on his land under a written agreement with another person to the effect that his farm produce should be purchased at a rate specified in the agreement.
- ¹[(eeee) “**Contract farming agreement**” means the agreement made for contract farming between contract farming buyer and contract farming producer.

1. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, छ.ग. राजपत्र असाधारण दिनांक 10-2-2006 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹[(डडडडड) “संविदा खेती उत्पादक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूमि पर किसी संविदा खेती के लिखित करार के अधीन कृषि उपज उत्पादित करता है।

¹[(डडडडडड) “संविदा खेती क्रेता” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति कर्जपनी या भागीदारी फर्म जो संविदा खेती के किसी लिखित करार के अधीन कृषि उपज को संविदा खेती उत्पादक से क्रय करता है।

²[(डडडडडडड) “किसान उत्पादक संगठन” से अभिप्रेत है, ऐसा संगठन जिसका गठन शेयर धारक किसान उत्पादकों द्वारा कृषि गतिविधियों के लिए किया गया हो और जो कंपनी अधिनियम, 2013 (क्र.18 सन् 2013) के अधीन पंजीकृत निगमित निकाय/कंपनी हो, तथा प्राथमिक पैदावार के कारोबार संबंधी गतिविधियों के लेनदेन में संलग्न हो एवं जो किसान उत्पादकों के लाभ के लिए कार्य करता हो तथा इसके लाभ का हिस्सा, किसान उत्पादकों के बीच बांटा जाता हो और शेष राशि, इसके शेयर पूंजी अथवा आरक्षित निधि में निवेश की जाती हो,”

[(च) “प्रबंध संचालक” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक और वह आयुक्त, मण्डी, छत्तीसगढ़ भी होगा;]

(छ) “मण्डी” से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी;

(eeeeee) “Contract farming producer” means a person obtaining agricultural produce on his land under a written agreement of contract farming.

(eeeeeee) “Contract farming buyer” means a person, company or partnership firm who purchases agricultural produces from contract farming producer under a written agreement of contract farming.

²[(eeeeeeee) “Farmer Producer Organization” means an organization which is built up by the share holder farmer producers for the purpose of agricultural activities and is a body corporate/ companies registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) and engaged in trading related activities of the transaction of primary produce and works for the benefit of the farmer producer and part of its benefit be divided among the farmer producers and remaining amount be invested in its share capital or reserve fund. ”

[(f) “Managing Director” means the Managing Director of the Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board appointed under this Act and he shall also be the Commissioner Mandi Chhattisgarh;]

(g) “Market” means a market established under section 4 ;

1. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, छ.ग. राजपत्र असाधारण दिनांक 10-2-2006 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा प्रतिस्थापित। अन्तःस्थापित।

- (ज) “मण्डी-क्षेत्र” से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मण्डी स्थापित की गई हो;
- (झ) “मण्डी समिति” से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति;
- (ञ) “मण्डी कृत्यकारी” के अन्तर्गत आता है दलाल, आढ़तिया, निर्यातक, ओटने वाला, आयातक, दबाने वाला (प्रेसर), प्रसंस्करणकर्त्ता, स्टॉकिस्ट, व्यापारी, तुलैया, भाण्डागारिक, हज्जमाल, सर्वेक्षक, तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे नियमों या उपविधियों के अधीन मंडी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाय;
- (ट) “मूल मण्डी” से किसी मण्डी-प्रांगण के संबंध में, अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन मूल मण्डी (मार्केट प्रापर) घोषित किया गया हो;
- ¹(ठ) “मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण” से किसी मंडी क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान, जिसे धारा 5 की उप-धारा (2) के ज़ेड (क) के अधीन मंडी प्रांगण विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप-मंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण घोषित किया गया हो।
- ²[स्पष्टीकरण— अभिव्यक्ति “उपमण्डी प्रांगण” के अन्तर्गत “हाट बाजार” आते हैं;]
- ¹[(ड) “अधिसूचित कृषि-उपज” से किसी मण्डी के संबंध में अभिप्रेत है समस्त ऐसी उपज जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो;]
- ²[(ड-1) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित
- (h) “market area” means the area for which a market is established under section 4 :
- (i) “market committee” means a committee constituted under section 11;
- (j) “market functionary” includes a broker, a commission agent, an exporter, a ginner, an Importer, a presser, a processor, a stockist, a trader, weighman, warehouseman, hammal, surveyor and such other person as may be declared under the rules or the bye-laws to be a market functionary :
- (k) “market proper” in relation to a market yard means an area declared to be a market proper under clause (b) of sub-section (2) of section 5;
- ¹(1) “market yard or special produce market yard, or sub market yard or farmemers/ consumers sub market yard” in relation to a market area means a specified place declared to be a market yard or special produce market yard or sub-market yard of farmers / consumer sub market yard under clause (a) of sub-section (2) of section 5 ;]
- ²[Explanation ; The expression “sub-market yard” shall include “haat bazars”];]
- 1[(m) “notified agricultural produce” in relation to a market means all such produce specified in the Schedule:]
- 2[(m-1) “Other Backward Classes” means the other Backward Classes of Citizens as specified by the State

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

अधिसूचना क्रमांक एफ-85 पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों का अन्य पिछड़ा वर्ग;]

¹[(डड) “छोटा व्यापारी” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि-उपज दस फीवंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि उपज चार फीवंटल से अधिक न रखता हो; परन्तु वह किसी भी एक दिन में चार फीवंटल धान्य से या दो फीवंटल तिलहनों, दालों तथा तन्तु फसलों से अधिक का क्रय नहीं करेगा;]

²[(डडड) “प्रसंस्करण” से अभिप्रेत है चूर्ण करना, पेरना, छिलका उतारना, भूसी निकालना, अर्धोष्ण करना, ओटना, दबाना, सुखाना या कोई अन्य अभिक्रिया जो किसी कृषि-उपज या उसके उत्पादन पर उसके अन्तिम उपभोग के पूर्व की जाती हो;

(डडडड) “प्रसंस्करणकर्त्ता” से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषि उपज का प्रसंस्करण शारीरिक श्रम से या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो;]

³[(डडडडड) “अनुसूचित जातियों” और “अनुसूचित जनजातियों” का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) और (25) में दिया गया है;]

(डडड) “विनिर्माण” से अभिप्रेत है, कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण को उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी दूसरी वस्तु से बदलना जिससे उसे नया एवं विभिन्न स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण या संयोजन/संज्ञिश्रण प्राप्त होता है।

(डडडडडडड) “विनिर्माता” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो कृषि उपज से विनिर्माण शारीरिक या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो।

Government vide Notification No. F. 85-XXV-4-84. dated the 26th December. 1984 as amended from time to time;]

¹[(mm) “petty trader” means a person who does not hold more than ten quintals of various kinds of notified agricultural produce or four quintals of any single notified agricultural produce in stock at a time :

Provided that he shall not purchase more than four quintals of cereals or two quintals of oilseeds, pulses and fibre crops, in a day:]

²[(mmm) “processing” means powdering, crushing, decorticating, husking, parboiling, ginning, pressing, curing or any other treatment to which an agricultural produce or its product is subjected to before final consumption ;

(mmmm) “processor” means a person who processes agricultural produce by manual or mechanical means;]

³[(mmmmm) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall carry the same meaning as assigned to them under clause (24) and (25) respectively of Articles 366 of the Constitution of India;]

(mmmmmm) “Manufacture” means conversion of original look, size, shape and properties of the agricultural produce into other product having new and different look, shape and the properties or mixture/combination thereof for the commercial purpose.”

(mmmmmmm) “Manufacture” means a person who manufacture from a agriculture produce by manual or mechanical means.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

- (ढ) [***;]
- (ण) “सचिव” से अभिप्रेत है किसी मण्डी समिति का सचिव;
- (त) “व्यापारी” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यापारी जो अपने कारबार के प्रशामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय या विक्रय करता है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यापारी है जो कृषि-उपज के प्रसंस्करण में लगा हो किन्तु उसके अन्तर्गत इस उपधारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कृषक नहीं है।
- ¹[(थ) “निजी मण्डी प्रांगण/ निजी उपमण्डी प्रांगण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण से” से अभिप्रेत है मण्डी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रांगण से भिन्न ऐसा स्थान, जहां अधोसंरचना का विकास ऐसे व्यक्ति/ संगठन/ किसान उत्पादक संगठन द्वारा किया गया हो, जिसे इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए पंजीयन प्राप्त हो;]¹
- ¹[(द) “पंजीकृत व्यक्ति/ संस्था” से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति/ संगठन, जो निजी मण्डी प्रांगण/ निजी उपमण्डी प्रांगण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना हेतु मण्डी बोर्ड में पंजीकृत हो,]¹
- ¹[(ध) “टर्मिनल मार्केट कांज़्प्लेक्स” से अभिप्रेत है उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु ऐसा परिसर (कांज़्प्लेक्स),
- (न) [***;]
- (o) “Secretary” means the secretary of a Market Committee;
- (p) “Trader” means a person who in his normal course of business buys or sells any notified agricultural produce, and includes a person engaged in processing of agricultural produce, but does not include an agriculturist as defined in clause (b) of this sub-section.
- ¹[(q) “Private market yard/ private sub-market yard/ private farmer consumer yard” means such place other than the yards notified by the State Government in the market area, where infrastructure has been developed by a person/ organization/ farmer producer organization for marketing of notified agricultural produce holding a registration for this purpose under this Act;]¹
- ¹[(r) “Registered Person/ Organization” means a person/ organization, who is registered in Mandi Board for establishment of private market yard/ private sub market yard/ private farmer consumer yard;]¹
- ¹[(s) “Terminal Market Complex” means a complex which is developed and operated by private enterprises/ body corporate/ companies registered under the Companies Act,

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा प्रतिस्थापित।

जो कंपनी अधिनियम, 2013 (क्र. 18 सन् 2013) के अधीन पंजीकृत निजी उद्यम (इंटरप्राईजेस)/ निगमित निकाय / कंपनी द्वारा विकसित एवं संचालित हो तथा जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में सज्यक् रूप से चयनित हो।

(2) यदि यह प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कृषक है, या नहीं, तो उस जिले के कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा जिसमें कि ऐसा व्यक्ति कृषि-उपज की पैदावार या वृद्धि में लगा हो।

अध्याय 2

मण्डियों की स्थापना

3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना— (1) किसी ऐसे क्षेत्र में के, जिसके कि लिए मण्डी का स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी कृषि-उपज की पैदावार करने वालों द्वारा किये गये अज्ञावेदन पर या अन्यथा, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति में जो कि विहित की जाय, ¹[कृषि-उपज के क्रय-विक्रय का ऐसे क्षेत्र में विनियमन करने के लिए], जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में यह कथित होगा कि किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा जो कि राज्य

2013 (No. 18 of 2013) and duly selected by the State Government in a prescribed manner for the marketing of horticulture produces.

(2) If a question arises whether any person is an agriculturist or not for the purpose of this Act, the decision of the Collector of the district in which such person is engaged in the production or growth of agricultural produce shall be final.

CHAPTER II.

Establishment of Markets

3. Notification of intention on regulating marketing of notified agricultural produce in specified area : (1) Upon a representation made by local authority or by the growers of any agricultural produce within the area for which a market is proposed to be established or otherwise, the State Government may, by notification, and in such other manner as may be prescribed, declare its intention to establish a market ¹[for regulating the purchase and sale of agricultural produce in such area] as may be specified in the notification.

(2) A notification under sub-section (1) shall state that any objection or suggestion which may be received by the State

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

सरकार को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी कालावधि का, जो एक मास से कम न हो, भीतर प्राप्त हो।

4. मण्डी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियम— धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् और ऐसी आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् राज्य सरकार, अन्य अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ¹ [अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि-उपज के संबंध में मण्डी स्थापित कर सकेगी] ²[और इस प्रकार स्थापित की गई मण्डी ऐसे नाम से जानी जायेगी जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।]

Government within a period of not less than one month to be specified in the notification shall be considered by the State Government.

4. Establishment of market and of regulation of marketing of notified agricultural produce therein :

After the expiry of the period specified in the notification issued under section 3 and after considering such objections and suggestions, as may be received before such expiry and making such inquiry, if any, as may be necessary, the State Government may, by another notification, establish a market for the area specified In the notification under section 3 or any portion thereof for the purpose of this Act ¹[in respect of the agricultural produce specified in the Schedule] ²[and the market so established shall be known by the name as may be specified in that notification.]

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

5. मंडी-प्रांगण तथा मूल मंडी-

(1) (क) प्रत्येक मंडी क्षेत्र में—

(एक) एक मंडी-प्रांगण होगा; और

¹[(एक - क) विशेष वस्तु के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकेंगे।

¹[(दो) एक से अधिक उपमंडी प्रांगण हो सकेंगे।]
(ख) प्रत्येक मंडी-प्रांगण या ¹[उपमंडी-प्रांगण] के लिए एक मूल मंडी होगी।

²[(तीन) व्यक्ति/संगठन/ किसान उत्पादक संगठन, जो मण्डी बोर्ड/ मण्डी समिति से पंजीकृत हो, के द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक निजी मंडी प्रांगण/ निजी उप- मण्डी प्रांगण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण, मंडी क्षेत्र के लिए हो सकेंगे:]²

²[(चार) एक या एक से अधिक टर्जिनल मार्केट कांप्लेक्स हो सकेंगे।]²

(2) राज्य सरकार, धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, यथाशास्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा—

¹[(क) किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसके अन्तर्गत मण्डी-क्षेत्र में की कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, यथास्थिति मंडी-प्रांगण तथा उपमंडी-प्रांगण ¹["या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण" तथा "या किसान/उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण"]¹ घोषित करेगी]; और

(ख) ¹[यथास्थिति ऐसे मंडी-प्रांगण तथा उपमण्डी-प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण तथा या किसान/ उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण के संबंध में, मंडी क्षेत्र में के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करेगी।]¹

5. Market yard and market proper:

(1) (a) In every market area.-

(i) there shall be a market yard; and

¹[(i-a) there may be one or more yards for special produce.

¹[(ii) there may be more than one sub-market yard;]

(b) for every market yard or ¹[sub-market yard] there shall be a market proper.

²[(iii) There may be one or more than one private market/ yard private sub-market yard/ private farmer consumer yard for market area, managed by a person/ organization/ farmer producer organization which registered with Mandi Board/ Mandi Samiti;]²

²[(iv) There may be one or more than one Terminal Market Complex.]²

(2) The State Government shall, as soon as may be, after the Issue of notification under Section 4, by notification,—

¹[a) declare any specified place including any structure, enclosure, open place or locality in the market area to be a market yard or sub-market ¹["or special produce market yards" and "or farmer/consumer sub- market yards"]¹ as the case may be;] and

(b) ¹[declare in relation to such market yard "or special produce market yards" and "or farmer/ consumer sub - market yards" as case may be any specified area in the market area to be a market proper.]¹

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तःस्थापित।

6. अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण— धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर,—

- (क) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मंडी-क्षेत्र में के किसी स्थान का किसी अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिए न तो निर्माण करेगा, न उसकी स्थापना करेगा, न उसको चालू रखेगा और न उसको उपयोग में लायेगा या न उसका निर्माण किये जाने, न उसकी स्थापना की जाने, न उसको चालू रखे जाने और न उसको उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा ही देगा;
- (ख) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय—
- (एक) मंडी क्षेत्र में के किसी स्थान को अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोग में नहीं लायेगा; या
- (दो) मंडी-क्षेत्र में मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा;
- परन्तु इसमें कोई भी बात—

- (क) ऐसी कृषि उपज के विक्रय या क्रय को—
- ¹[(एक) जिसका कि उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो और ऐसा विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उसे अपने स्वयं घरेलू उपभोग के लिए खरीदता हो, एक बार में चार क्विंटल से अनधिक परिमाण में किया जाता हो;]
- (दो) जो सिर पर रखकर लाई गई हो;
- ¹[(तीन) जिसका क्रय या विक्रय किसी छोटे व्यापारी²[***] द्वारा किया जाता हो;]

6. Control of marketing of notified agricultural produce : On the establishment of market under section 4,—

- (a) no local authority shall, notwithstanding anything contained in any enactment for the time being in force, set up, establish, continue or use or allow to be set up, established, continued or used any place in the market area for the marketing of any notified agricultural produce;
- (b) no person shall, except In accordance with the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder,—
- (i) use any place in the market area for the marketing of the notified agricultural produce:
- or
- (ii) operate in the market area as a market functionary :

Provided that nothing herein shall apply to—

- (a) The sale or purchase of such agricultural produce—
- ¹[(i) the producer whereof is himself its seller and such sale is made in quantity not exceeding four quintals at a time to a person who purchases it for his domestic consumption;]
- (ii) which is brought by head loads;
- ¹[(iii) which is purchased or sold by a petty trader ²[***];]

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

¹[(चार) ***]

²[(पाँच) जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से, छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु व्यापार निगम से या किसी अन्य ऐसे अधिकरण या संस्था से किया जाता हो जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।]

³[(ख) समर्थन मूल्य में कृषि उपज क्रय करने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेन्सी को, विहित स्थानों से अथवा किसी सहकारी सोसाइटी से, कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, ऐसी कृषि उपज के उसे किये गये अन्तरण, को लागू नहीं होगी:]³

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी-क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन दी गई हो।

अध्याय 3.

मण्डी समितियों का गठन

7. मण्डी समिति की स्थापना तथा उसका

निगमन- (1) प्रत्येक मण्डी-क्षेत्र के लिए एक

¹[(iv) ***]

²[(v) which is purchased by an authorised fair price shop dealer from the Food Corporation of India, the Chhattisgarh State Commodities Trading Corporation or any other agency or Institution authorised by the State Government for distribution of essential commodities through the public Distribution System.]

³[(b) the transfer of such agricultural produce to a agency authorized by the State Government for the purchase of agricultural produce in support price from prescribed places or a co-operative society for the purpose securing an advance therefrom:]³

Provided further that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, withdraw the exemption under sub-clause (2) of clause (a) of the preceding proviso in respect of such market area as may be specified in the notification.

CHAPTER III.

Constitution of Market Committees

7. Establishment of Market Committee and its Incorporation. (1) For every market area, there shall be a

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

3. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तःस्थापित।

मण्डी समिति होगी जिसकी अधिकारिता सङ्पूर्ण मण्डी-क्षेत्र पर होगी।

(2) ¹[प्रत्येक मण्डी समिति उस नाम से, जो कि ऐसी मण्डी के लिए धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, एक निगमित निकाय होगी] उसका शाश्वत उज्जराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और ऐसे निर्बन्धनों के, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये जायें अध्यधीन रहते हुए, वह संविदा करने के लिए तथा किसी भी सङ्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिए सक्षम होगी—

परन्तु कोई भी स्थावर सङ्पत्ति संचालक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय के द्वारा, पट्टे के द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

(3) तत्समय प्रवृज्ज किसी भी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मण्डी समिति समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझी जायेगी।

Market Committee having jurisdiction over the entire market area.

(2) ¹[Every Market Committee shall be a body corporate by the name specified In the notification under section 4]. It shall have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall subject to such restrictions as are imposed by or under this Act, be competent to contract and to acquire, hold, lease, sell or otherwise transfer any property and to do all other things necessary for the purposes of this Act :

Provided that no immovable property shall be acquired, transferred by way of sale, lease or otherwise without the prior permission of the Managing Director in writing.

(3) Notwithstanding anything contained in any enactment for the time being in force, every Market Committee shall, for all purposes, be deemed to be a local authority.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 71-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

8. स्थानीय प्राधिकारी की सज्पत्ति का मण्डी समिति में निहित होना.— (1) मण्डी समिति किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे अपनी कोई ऐसी भूमि या भवन, जो मण्डी-प्रांगण के भीतर स्थित हो और जो मण्डी की स्थापना के अव्यवहित पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मण्डी के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता था, अन्तरित कर दे और स्थानीय प्राधिकारी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के एक मास के भीतर यथास्थिति भूमि या भवन को, ऐसे निबंधनों पर, जिनका कि उनके बीच करार हो जाय, मण्डी समिति को अन्तरित कर देगा।

(2) जहां स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी तथा मण्डी समिति के बीच उक्त उपधारा के अधीन कोई करार न हो पाये, वहाँ मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित भूमि या भवन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समिति में निहित हो जायेगा और स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे प्रतिकर का संदाय कर दिया जायेगा जैसा कि कलेक्टर द्वारा उपधारा (5) के अधीन अवधारित किया जाय :

परन्तु किसी स्थानीय प्राधिकारी को कोई प्रतिकर किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में देय नहीं होगा जो ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के गठन से संबंधित अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के आधार पर इसमें निहित हुआ था किन्तु ऐसे निहित होने के लिए किसी भी रकम का संदाय नहीं किया गया था:

परन्तु यह और भी कि कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी पक्षकार, ऐसे आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन मण्डी समिति में निहित होने वाली भूमि या भवन का क़ज़ा ऐसे निहित होने से सात दिन की कालावधि के भीतर परिदज़ कर देगा और पूर्वोक्त

8. Vesting of property of local authority in market committee.— (1) The market committee may require a local authority to transfer to it any land or building to transfer to it any land or building belonging to the local authority which is situated within the market yard and which immediately before yard and which immediately before the establishment of the market was being used by the local authority for the purposes of the market, and the local authority shall, within one month of the receipt of the requisition, transfer the land or building as the case may be, to the market committee on such terms as may be agreed upon between them.

(2) Where within a period of thirty days from the date of receipt of requisition by the local authority under sub-section (1) no agreement is reached between the local authority and the market committee under the said sub-section, the land or building required by the market committee shall vest in the market committee for the purposes of this Act and the local authority shall be paid such compensation as may be determined by the Collector under sub-section (5):

Provided that no compensation shall be payable to a local authority in respect of any land or building which had vested in it by virtue of the provisions contained in the enactment relating to the constitution of such local authority without payment of any amount whatsoever for such vesting ;

Provided further that any party aggrieved by the order of the Collector may, within thirty days from the date of such order, appeal to the State Government.

(3) The local authority shall deliver possession of the land or building vesting in the market committee under sub-section

कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के ऐसा करने में चूक होने पर, कलेक्टर उस भूमि या उस भवन का कब्जा ले लेगा और उसे मण्डी समिति को परिदत्त करावेगा।

(4) राज्य सरकार का आदेश तथा उस आदेश के अधीन रहते हुए उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(5) कलेक्टर भूमि या भवन के लिए प्रतिकर की रकम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा-

(एक) वार्षिक भाटक जिस पर उस भवन को वर्ष प्रति वर्ष भाड़े पर दिये जाने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती हो;

(दो) भवन की दशा;

¹[(तीन) ऐसी भूमि के अर्जन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकर की रकम और उस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य; और

(चार) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस भूमि पर परिनिर्मित किए गये किसी भवन की या भूमि पर निष्पादित किये गये किसी अन्य कार्य की लागत या उसका वर्तमान बाजार मूल्य।]

(6) उपधारा (5) के अधीन नियत किये गये प्रतिकर का, मण्डी समिति के विकल्प पर, एक मुश्त राशि में या दस से अनधिक इतनी समान वार्षिक किस्तों में, जितनी कि कलेक्टर नियत करे, संदाय किया जा सकेगा। जहाँ प्रतिकर का संदाय किस्तों में किया जाय, वहाँ उस पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ज़्यादा लगेगा जो किस्त के साथ देय होगा।

(2) within a period of seven days from such vesting and on failure of the local authority to do so, within the period aforesaid, the Collector shall take possession of the land or building and cause it to be delivered to the market committee.

(4) The order of the State Government and subject to that order, the order of the Collector under sub-section (2) shall be final and binding on both the parties.

(5) The collector shall fix the amount of compensation for the land or building having regard to-

(i) the annual rent for which the building might reasonably be expected to be let from year to year.

(ii) the condition of building :

¹[(iii) the amount of compensation paid by the local authority for the acquisition of such land and the present market value of the land; and

(iv) the cost or the present market value of any building erected or other work executed on the land by local authority.]

(6) The compensation fixed under sub-section (5) may, at the option of the market committee, be paid in lump sum or in such number of equal annual installments not exceeding ten as the Collector may fix. Where the compensation is paid in installments, it shall carry interest at the rate of six percent, per annum which shall be payable along with the installment.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

9. बोर्ड या मण्डी समिति के लिए भूमि

का अर्जन- (1) जब मण्डी क्षेत्र के भीतर की कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और बोर्ड या मण्डी समिति उसे करार द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो, तब राज्य सरकार, यथास्थिति बोर्ड या मण्डी समिति के निवेदन पर, ऐसी भूमि को लैण्ड एक्विजीशन एक्ट, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के उपबन्धों के अधीन अर्जित करने की कार्यवाही कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किये गये प्रतिकर का तथा किन्हीं अन्य प्रभारों का, जो कि उस अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत किये गये हों, मण्डी समिति द्वारा संदाय किया जाने पर, वह भूमि यथास्थिति बोर्ड या मण्डी समिति में निहित हो जायेगी।

(2) बोर्ड या मण्डी समिति, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी ऐसी भूमि को अन्तरित नहीं करेगी, जो उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या मण्डी समिति के लिए अर्जित की जा चुकी हो और उसमें निहित हो या ऐसी भूमि को उस प्रयोजन से, जिसके लिए वह अर्जित की गई हो, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं करेगी।

¹[(3) छत्तीसगढ़ लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में, जहाँ तक कि वे भूमि के व्यपवर्तन, कृषि से किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो जाने के परिमामस्वरूप भू-राजस्व के पुनरीक्षण तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों से संबंधित है, अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जो मण्डी समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अर्जित की गई हो या जो अन्तरण

द्वारा, क्रय द्वारा, दान

9. Acquisition of land for Board or market committee-

(1) When any land within the market area is required for the purposes of this Act and the Board or the market committee is unable to acquire it by agreement the State Government may, at the request of the Board or the market committee, as the case may be, proceed to acquire, as the case may be, proceed to acquire such land under the provision of the Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894) and on the payment of the compensation awarded under that Act, by the market committee and of any other charges Incurred and of any other charges Incurred by the State Government in connection with the acquisition, the land shall vest in the Board or the market committee, as the case may be.

(2) The Board or the market committee shall not, without the previous sanction of the State Government, transfer any land which has been acquired for and vests in the Board or the market committee under sub-section (1) or divert such land to a purpose other than the purpose for which it has been acquired.

¹[(3) Nothing contained in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), and rules made thereunder in so far as they relate to diversion of land, revision of land revenue consequent on the change in the use of land from agriculture to any other purpose and other matters Incidental thereto shall apply to land acquired by the market committee under sub-section (1) or acquired by transfer, purchase, gift or otherwise and use for the purpose of establishment

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

द्वारा या अन्यथा अर्जित की गई हो और किसी मंडी प्रांगण या किसी उपमण्डी-प्रांगण की स्थापना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई हो;

परन्तु मण्डी-प्रांगण, उपमण्डी-प्रांगण के लिए या बोर्ड के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये गये परिसरों के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वे यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की सीमाओं से सङ्गमिलित हैं।]

10. प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति— (1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मण्डी प्रथम बार स्थापित की जाती है, तो प्रबंध संचालक आदेश द्वारा, ¹[पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए]¹ किसी व्यक्ति को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। भारसाधक अधिकारी प्रबंध संचालक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलज्जित होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई

of a market yard or a submarket yard;

Provided that the premises used for market yard, sub market yard or for the purpose of the Board shall not be deemed to be Included in the limits of the Municipal Corporation, Municipal Council, Notified Area. Gram Panchayat or a Special Area Development Authority, as the case may be.]

10. Appointment of Officer in charge pending constitution of first Market Committee- (1) When a market is established for the first time under this Act, the Managing Director shall, by an order appoint a person to be the Officer in Charge ¹[for a period not exceeding five years]¹. The Officer-In-Charge shall, subject to the control of the “Managing Director” exercise all the powers and perform all the duties of the Market Committee under this Act :

Provided that in the event of death, resignation, leave or suspension of the Officer-in-charge a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तःस्थापित।

है और ऐसी रिक्त प्रबंध संचालक द्वारा यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक, कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

परन्तु यह और भी यदि मण्डी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व हो जाता है, तो ऐसा भारसाधक अधिकारी, नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सञ्मेलन के लिए नियत की गयी तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय, प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किए जाए, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी उस उपधारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पदधारण किए रहेगा, जो कि नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सञ्मेलन के लिए ¹[धारा 13 की उपधारा (1)] के अधीन नियत की गई है]

soon as may be, by appointment of a person thereto by the managing Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as an Officer-In-Charge :

Provided further that if the Market Committee is constituted before the expiration of the period aforesaid the Officer-in-Charge shall cease to hold office on the date appointed for the first general meeting of the newly constituted Market Committee.

(2) Any Officer-in-Charge appointed under sub-section (1) may at any time be removed by the Managing Director who shall have power to appoint another person In his place.

(3) Any person appointed Officer in-Charge under sub-section (1) shall receive from the Market Committee Fund for his services such pay and allowances as may be fixed by the Managing Director.

(4) The Officer-in Charge appointed under sub-section (1) shall, notwithstanding the expiration of his term there under, continue to hold office or function till the date appointed for the first general meeting under ¹[Sub-section (1) of Section 13] of the newly constituted Market Committee.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

¹[11. मण्डी समिति का गठन— (1)

मण्डी समिति में निम्नलिखित होंगे—

- (क) धारा 12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष;
- (ख) कृषकों के दस प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएँ रखते हों जैसी कि विहित की जाएँ, जो किसी मण्डी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हों।

स्पष्टीकरण— ²[इस खण्ड में अभिव्यक्त

“कृषकों के प्रतिनिधि” के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नहीं आएगा यदि उसका कोई नातेदार अर्थात् पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र तथा पुत्री, जो कि उसके साथ निवास कर रहे हो तथा उस पर आश्रित हो, राज्य में किसी भी मण्डी समिति से व्यापारी के रूप में पंजीयन धारित करते हो,]²

- (ग) व्यापारियों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएँ रखता हो जैसी कि विहित की जाएँ, जो उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जो इस अधिनियम के अधीन व्यापारियों के रूप में या प्रसंस्करण कारखानों के स्वामियों या अधिभोगियों के रूप में मण्डी समिति के लगातार दो वर्षों की कालावधि से पंजीयन धारण किए हों;

¹[11. Constitution of Market Committee- (1) A Market Committee shall consist of-

- (a) the Chairman elected under Section 12.
- (b) ten representative of agriculturists possessing such qualifications as may be prescribed chosen by direct election from the constituencies of a market area in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder :

“Explanation” - ²[The expression “representatives of agriculturist” in this clause shall not include an agriculturists of the market area, if any of his/ her relatives e.g husband, wife, father, mother, brother, sister, son and daughter who are residing with and dependent on him/ her holds a trader’s registration from any of the market committee in the State.]²

- (c) one representative of traders possessing such qualifications as may be prescribed, elected by and from amongst the persons holding licence from the market committee for a period of two successive years as traders or owners or occupiers of processing factories under this Act :

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु किसी ऐसी मण्डी समिति के मामले में, जो धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित की गई हो ऐसी मण्डी समिति से पंजीयन धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी:

¹[परन्तु यह भी कि व्यापारियों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, ऐसे पद को धारण करने के लिए निरर्हित हो जायेगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो:

परन्तु यह भी कि व्यापारियों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसकी पूर्व में एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव, 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या अधिक संतान का जन्म होता है, तो वह निरर्हित नहीं होगा।]¹

परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मण्डी समिति का मतदाता नहीं होगा;

परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति तभी मतदाता होगा, जबकि—

(एक) उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(दो) वह मण्डी समिति का व्यतिक्रमी नहीं हो।

स्पष्टीकरण— अभिव्यक्त “व्यतिक्रमी” में ऐसा व्यक्ति भी आता है जिसने छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा वसूल किए जाने वाले निराश्रित शुल्क के भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो।

(घ) राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है;

परन्तु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ एक से अधिक मण्डी समितियाँ विद्यमान हैं, वहाँ ऐसा सदस्य इस संबंध में अपना विकल्प देगा कि वह ऐसी मण्डी

Provided that in the case of Market Committee established for the first time under Section 10, the qualifying period of holding licence from such market committee shall be six months:

¹[Provided also that any elected representative of trader shall become disqualified to hold such office if he is having more than two living offsprings, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter:

Provided also that any elected representative of trader who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified.]¹

Provided also that no person shall be a voter of more than one Market Committee at a time :

Provided also that no person shall be a voter unless—

(i) he has completed the age of 18 years.

(ii) he has not a defaulter of the Market Committee.

Explanation : The expression “defaulter” shall include a person who has defaulted in the payment of Nirashrit Shulk recoverable by the Market Committee in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970):

(d) Such member of the State Legislative Assembly and House of the People in whose constituency at least fifty percent of population resides in rural areas that is outside the local limits of a Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat:

Provided that in a constituency where more than one market committee exists the member shall have to give his option,

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अतः स्थापित।

समितियों में से किस मण्डी समिति में सदस्य होना चाहता है :

परन्तु यह और कि राज्य की विधान सभा का सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की अन्य समस्त मंडी समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।

(ड) ऐसे मण्डी क्षेत्र में कृत्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

परन्तु यदि ऐसे मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक सोसाइटियाँ कृत्य कर रही हैं तो ऐसा सदस्य ऐसी सोसाइटियों की प्रबंधकारिणी समितियों के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि इस खण्ड में की कोई भी बात लागू नहीं होगी यदि किसी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के उपबंधों के अधीन अतिष्ठित कर दी गई है।

(च) राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) मण्डी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैया तथा हज्मालों का एक प्रतिनिधि जो मण्डी समिति से पंजीयन धारण करता हो जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो ऐसे बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(झ) जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;

before the election, one of the Market Committees in which he wishes to become a member :

Provided further that the member of the State Legislative Assembly shall be a special invitee in all other market committee in his constituency

(e) One representative of the co-operative Marketing Society functioning in the market area who shall be elected by the managing committee of such society :

Provided that if more than one such society functions in the market area, such member shall be elected by all the members of the managing committees of such societies :

Provided further that nothing in this clause shall apply if the managing committee of any society stands superseded under the provisions of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961):

(f) An Officer of the Agriculture Department of the State Government to be nominated by the Collector;

(g) One representative of the weighmen and hammals operating in the marketing area holding licence from the Market Committee to be nominated by the Chairman ;

(h) One representative of the District Central Co-operative Bank who shall either be the Chairman of such Bank or such other member of the Managing Committee thereof, as may be nominated by the Chairman of such Bank;

(i) One representative of the District Land Development Bank who shall either be the Chairman of such Bank or such other member of the managing committee thereof, as may be nominated by the Chairman of such of Bank;

- (ज) मण्डी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।
- परंतु जिला मुज्यालयों में स्थित मण्डी समितियों में ऐसा प्रतिनिधि, केवल जिला पंचायतों के सदस्यों में से ही नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (ख) उपधारा (क) के अधीन समस्त सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा, सिवाय ऐसे सदस्यों के, जो खण्ड (च) के अधीन नाम निर्दिष्ट किए गये हों और ऐसे सदस्यो, जो उपधारा (क) के खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विशेष आमंत्रित सदस्य हों।
- (फ) राज्य सरकार मतदाता-सूची को तैयार करने के लिए तथा निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बना सकेगी।
- (ब) यदि उपधारा (क) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन निर्वाचक मण्डल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने में असफल रहता है तो कलेक्टर यथास्थिति कृषकों या व्यापारियों का प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करेगा।
- (५) सदस्यों का प्रत्येक निर्वाचन तथा नाम निर्देशन कलेक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।
- (j) One representative of the Gram Panchayat or Janpad Panchayat or Zila Panchayat falls within the jurisdiction of the market area nominated by the Chairperson of the Zila Panchayat :
- Provided that in market committee situated in the District headquarters the representative shall be nominated from amongst the members of the Zila Panchayat only.
- (2) All members under sub-section (1) shall have a right to vote except the member nominated under clause (f) and the special invitees under the second proviso to clause (d) of sub-section (1).
- (3) The State Government may make rules for the preparation of voter's list and conduct of elections.
- (4) If the electorate under clause (b) or (c) of sub-section (1) fails to elect a representative, the Collector shall nominate the representative of the agriculturists or traders, as the case may be.
- (5) Every election and nomination of a member shall be notified by the Collector in the official gazette.

¹[11-क. मण्डी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण.- (क) कलेक्टर स्थानीय समाचार-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी क्षेत्र को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी कि उस क्षेत्र में से चुने जाने वाले कृषकों के प्रतिनिधियों की संख्या हो।

(ख) प्रत्येक मण्डी समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस मण्डी समिति में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथा साध्य वही होगा जो उस मण्डी समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे स्थानों का आवंटन विहित रीति में किया जाएगा।

(फ) जहाँ किसी मण्डी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की कुल संख्या पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम है वहाँ स्थानों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(ब) उपधारा (ख) तथा (फ) के अधीन आरक्षित किए गये स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(५) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के

¹[11-A. Division of market area for constituencies and reservation of seats.- (1) The Collector shall by notification in the local Newspapeer divide a market area into as many numbers of constituencies equal to the number of the representatives of the agriculturists to be chosen from that area.

(2) Seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in every market committee and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled in that Market Committee as the population of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in that Market area bears to the total population of that area and such seats shall be allotted to the constituencies in the prescribed manner.

(3) Where the total number of seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a market area is fifty percent or less than fifty percent, twenty five percent of total number of seats shall be reserved for Other Backward Classes.

(4) Not less than one third of the total number of seats reserved under sub sections (2) and (3) shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be.

(5) Not less than one third (including the number of seats reserved of seats reserved for women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Back

लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कलेक्टर द्वारा विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।]

¹[11-ख. मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हताएँ.- (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति -

- (क) ²[जिसका नाम राजस्व/वनग्राम के भू अभिलेखों में भूमि स्वामी पट्टा/पट्टेदार के रूप में प्रविष्ट हो और जो कम से कम आधा एकड़ भूमि में कृषि कार्य करता हो।]²
 - (ख) जो मण्डी क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता है ;
 - (ग) जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है ; और
 - (घ) जिसका नाम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची में सज्जित है,
- कृषकों के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-²[शब्द भूमि स्वामी का वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिए समनुदेशित है तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 क्रमांक 2 सन् 2007 के साथ उक्त के अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन स्वत्व धारक सज्जित है।]²

(2) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जबकि -

- (क) उसका नाम मण्डी क्षेत्र की मतदाता सूची में सज्जित है ;
- (ख) वह कृषक है ;
- (ग) वह इस प्रकार निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा निरर्हित नहीं किया गया है ;

ward Classes) of the total number of seats shall be reserved for women and such seats shall be allotted by the Collector to different constituencies in the prescribed manner.

¹[11-B. Qualification to vote and to be a representative of agriculturists.- (1) Every person -

- (a) ²[whose name is entered as Bhumiswami / Lease or Patta in the revenue/ forest village land records and possesses at least half acre of land being used for agriculture activity.]²
- (b) who ordinarily resides in the market area :
- (c) who has completed the age of 18 years ; and
- (d) whose name is included in the voter's list prepared under the provisions of this Act and the rules made thereunder : ;

shall be qualified to vote at the election of a representative of agriculturists :

Provided that no person shall be eligible to vote in more than one constituency.

Explanation. - ²[The word "Bhumiswami" shall the same meaning as assigned to it in the Chhattisgarh land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and shall include title holder under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) along with Rules framed there under."]²

(2) No person shall be qualified to be elected as a representative of agriculturists unless -

- (a) his name is included in the list of voters of the market area :
- (b) he is as agriculturists :
- (c) he is otherwise not disqualified for being so elected.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए निरहित होगा यदि वह पंचायत राज अधिनियम, 1953 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 के अधीन किसी पंचायत के पदधारी होने के लिए निरहित है।

(4) कोई भी व्यक्ति यथास्थिति एक से अधिक मण्डी समिति या निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।

¹[12. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन. - (क) अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा जो कृषकों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित हैं, विहित रीति में चुना जाएगा;

परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह धारा 36 - ख की उपधारा (ख) और (घ) के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित न हो।

(ख) अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो कि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा मण्डी समितियों के लिए विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

(घ) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान उन मण्डी समितियों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं हैं प्रबंध संचालक द्वारा विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

(3) A person shall be disqualified for being a representative of agriculturist if he is disqualified for being an office bearer of a Panchayat under Section 36 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

(4) No person shall be eligible for election from more than one market committee or constituency as the case may be.]

¹[12. Election of Chairman and Vice-Chairman.- (1) The Chairman shall be chosen by direct election by the persons qualified to vote for the election of representatives of the agriculturists and traders in the prescribed manner :

Provided that no person shall be eligible for election as Chairman unless he is qualified to be elected under sub-section (2) and (3) of section 11-B.

(2) The offices of the Chairman shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the number of offices so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the State as the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the States bears to the total population of the State and these offices shall be allotted, by the Managing Director to the Market Committees in the prescribed manner.

(3) Twenty five percent of the total number of offices of chairman shall be reserved for Other Backward Classes and such seats shall be allotted in the prescribed manner by the Managing Director, to such Market Committees, which are not reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

(ब) उपधारा (ख) तथा (फ) के अधीन आरक्षित किए गये अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(५) राज्य में अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा भिन्न भिन्न मण्डी समितियों के लिए विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

(६) कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) यदि कोई मण्डी क्षेत्र, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो उस पद को भरने के लिए नई निर्वाचन कार्यवाहियाँ छह मास के भीतर प्रारंभ की जाएंगी :

परंतु मण्डी समिति के गठन की आगे और कार्यवाही अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान नहीं रोकी जाएगी :

परंतु यह और भी इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(८) मण्डी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा षष्ठी उपधारा (क) के अधीन बुलाए गये मण्डी समिति के प्रथम सत्रिमेलन में मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उन्हीं में से विहित रीति में निर्वाचित किया जाएगा;

परंतु यदि मण्डी समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों

(4) Not less than one third of the total number of officers of Chairman reserved under sub-sections (2) and (3) shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be.

(5) Not less than one third (including the number of offices) reserved for women belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes of the total number of offices of Chairman in the State shall be reserved for women and such offices shall be allotted by the Managing Director to different Market Committees in the prescribed Manner.

(6) No Person shall be eligible to contest election simultaneously for office of the Chairman and member.

(7) If any market area fails to elect a Chairman fresh election proceedings shall be initiated to fill the office within six months:

Provided that further proceedings for constituting the market committee shall not be stayed pending the election of Chairman :

Provided further the pending the election of Chairman under this sub-section the Vice-Chairman shall discharge all the functions of the Chairman.

(8) There shall be a Vice-Chairman of the Market Committee who shall be elected by and from amongst the elected member thereof in the first meeting of the market Committee convened under sub-section (1) of Section 13 in the prescribed manner :

Provided that if the Chairman of the Market Committee does not belong to

का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कृषक न हो।

(-) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन कलेक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।]

¹[12-क. अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना.- (क) जहाँ कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि किसी मण्डी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है या किसी मण्डी समिति की निधियों तथा संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाना या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहाँ कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर वह मण्डी समिति कृत्य कर रही हो, मण्डी समिति के अभिलेखों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करने तथा कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ख) उपधारा (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी भी ऐसे स्थान में, जहाँ कि ऐसे अभिलेख तथा संपत्ति रखी हुई हो या जहाँ कि उनका रखा जाना संभाव्य हो,

Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes, the Vice Chairman shall be elected from amongst the elected members belonging to such castes, tribes or classes :

Provided further that no person shall be eligible for election as Vice-Chairman unless he is an agriculturist.

(9) Every election of Chairman and Vice-Chairman shall be notified in the official gazette by the Collector.]

¹[12-A. Taking possession of record and property. (1) Where the Collector is satisfied that the books and records of a market committee are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a market committee are likely to be misappropriated or misspelled, the Collector or the person authorised by him may apply to the Executive Magistrate jurisdiction the market committee is functioning for seizing and taking possession of the record and property of the market committee.

(2) On receipt of the application under sub-section (1), the Magistrate may authorise any police officer not below the rank of Sub-Inspector to enter and search any place where the records and property are kept or are likely to be kept and to seize them and hand over possession there

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

प्रवेश करे तथा उसकी तलाशी ले और उनका अभिग्रहण करके उनका कज्जा यथास्थिति कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये व्यक्ति को सौंप दें।]

¹[13. प्रथम सज़िमलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग-पत्र और उनके पद में रिक्ति.- (क) मण्डी समिति का प्रथम सज़िमलन अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन के परिणामों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा।

(2) मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मण्डी समिति के प्रथम सज़िमलन की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे;

²["परंतु यदि मण्डी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर, नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मण्डी समिति की अवधि में वृद्धि ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए छः माह की कालावधि के लिए दो बार में अर्थात् एक वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी और यदि नई मण्डी समिति का गठन इस बढाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो, यह समझा जायेगा कि यह विघटित हो गई है, और ऐसी दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे।]²

(फ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय कलेक्टर को लिखित में संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र कलेक्टर द्वारा उसके स्वीकार किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(ब) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, पंचायत या किसी सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन) के रूप में निर्वाचित है, यदि वह मण्डी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है, या इसके विपरीत निर्वाचित अर्थात् मण्डी समिति में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उक्त निकायों का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता हो, तो वह लिखित में एक सूचना द्वारा, जिस पर

of to the Collectoer or the person authorised by him, as the case may be.]

¹[13. First meeting, terms or officer, resignation by Chairman, Vice - Chairman or Member and vacancy in their Office.- (1) The first meeting of the Market Committee shall be convened by the Collector within one month from the date of publication of result of election of Chairman and members in the official gazette.

(2) The Chairman, Vice Chairman and members of the Market Committee shall hold office for a period of five years from the date of first meeting of the Market Committee :

²[Provided that if on the expiry of the term of the Market Committee, a new Market Committee is not constituted the Market Committee shall be deemed to have been dissolved and in such an event the provisions of Section 57 shall apply.]²

(3) The Chairman, Vice Chairman or a member may resign his office at any time in writing addressed to the Collector and such resignation shall be effective from the date of its acceptance by the Collector.

(4) Any person who is elected as a Chairperson or Vice Chairperson of a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Panchayat, Panchayat or Co-operative Society is elected as Chaiperson or Vice Chairperson of the Market Committee or Vice Versa may, notice in writing signed by him and delivered to the prescribed authority withing thirty days from the date, or the latter of the dates, on which he is elected, inti-

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

उसके हस्ताक्षर होंगे और जो विहित प्राधिकारी को ऐसी तारीख के या ऐसी तारीखों में से पश्चात्पूर्वी तारीख के, जिसको कि वह उस रूप में से निर्वाचित हुआ है, तीस दिन के भीतर परिदत्त की जाएगी, यह प्रज्ञापित करेगा कि वह किस पद को धारण करना चाहता है और तदुपरि ऐसे अन्य निकाय में, जहाँ पद धारण नहीं करना चाहता है, वहाँ उसका स्थान रिक्त हो जाएगा और पूर्व कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना देने में व्युत्क्रम करने पर, उस कालावधि के समाप्त होने पर, मण्डी समिति में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(५) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने या उसको हटाये जाने या उपाधारा (ब) के अधीन रिक्त हो जाने या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्त हो गई है और ऐसी रिक्त इस अधिनियम के तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा छह मास के भीतर भरी जाएगी और इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्युक्ति अपने पूर्ववर्ती की अवधि के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा :

परंतु यदि ऐसे पद की शेष कालावधि छह मास से कम है तो ऐसी रिक्त नहीं भरी जाएगी।

(६) अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने या उसको हटा दिये जाने या अन्यथा अध्यक्ष के पद में रिक्त हो जाने की दशा में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा क की उपधारा (क) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का ऐसा सदस्य, जिसे कलेक्टर नियुक्त करे, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन तब तक करेगा जब तक कि अध्यक्ष समयक् रूप से निर्वाचित नहीं हो जाता।]

mate in which of the office he wishes to serve, and thereupon, his seat in the body in which he does not wish to serve shall become vacant and in default of such intimation within the aforesaid period, his seat in the Market Committee shall, as the expiration of that period become vacant.

(5) In the event of death, resignation or removal of the Chairman, Vice Chairman or a Member before the expiry of his term or on the occurrence of a vacancy under sub-section (4), or otherwise, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled within six months by election in accordance with the provisions of the Act and the rules and a person so elected or nominated shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor :

Provided that if the remaining term of the office is less than six month, such vacancy shall not be filled in.

(6) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or removal or otherwise the Vice Chairman and if the office of the Vice Chairman is also vacant then notwithstanding anything contained in this Act, such member of the Market Committee who is elected under clause (b) of Sub - section (1), of Section 11, as the Collector may appoint shall exercise powers and perform the functions of the Chairman till the Chairman is dully elected.]

1[14. ***]

अध्याय 4**मण्डी समिति के काम-काज का संचालन और उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य**

¹[15. मण्डी समिति के सञ्मिलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति - मण्डी समिति के सञ्मिलन की प्रक्रिया तथा उसकी गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय]]

क. अध्यक्ष मण्डी समिति के सञ्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.- अध्यक्ष, और यदि वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष मण्डी समिति के प्रत्येक सञ्मिलन की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी सञ्मिलन में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों, तो सञ्मिलन में उपस्थित सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे कि सञ्मिलन द्वारा चुना जाय, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा।

कख. मण्डी समिति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य.- (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए मण्डी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों को मण्डी क्षेत्र में कार्यान्वित करे;

(ख) अधिसूचित कृषि-उपज का उसमें (मण्डी क्षेत्र में) विपणन करने के लिए ऐसी सुविधाओं का प्रबंध करना जैसा कि ^१[प्रबंध संचालक] समय-समय पर निर्देश दे;

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना, जो कि मण्डी के अधीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण के संबंध में या अधिसूचित कृषि-उपज का मण्डी क्षेत्र में किसी स्थान पर विपणन करने का विनियमन करने के लिए तथा

1 [14. ***]

CHAPTER IV**Conduct of Business and Powers and Duties of Market Committee**

²[15. Procedure and quorum of meeting of market committee.- The procedure of meeting of market committee and quorum thereof shall be such as may be prescribed.]

16. Chairman to preside over meetings of market committee. - The Chairman and if he is absent, the Vice Chairman shall preside over every meeting of the market committee and if at any meeting both the Chairman and the Vice-Chairman are absent, such one of the members present in the meeting as may be chosen by the meeting may act as Chairman.

17. Powers and duties of market committee. (1) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of a market committee -

(a) to implement the provisions of this Act, the rules and the bye-laws made thereunder in the market area ;

(b) to provide such facilities for marketing of notified agricultural produce therein as the ³[Managing Director] may, from time to time direct;

(c) to do such other acts as may be necessary in relation to the superintendence, direction and control of market or for regulating marketing of notified agricultural produce in any place in the market area, and for

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) विलोपित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

पूर्वोक्त विषयों से संबंधित प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों और वह उस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किये जाये।

(ख) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डी समिति -

- (एक) मण्डी प्रांगणों तथा उपमण्डी प्रांगणों का सन्निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबंध करेगी और मण्डी क्षेत्र में हाट बाजारों के विकास का प्रोन्नयन करेगी।
- (दो) मण्डी प्रांगण में कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करेगी;
- (दो - 1)²[मण्डी प्रांगण/ फल एवं सब्जी उप-मण्डी/ विशेषवस्तु मण्डी / उप-मण्डी प्रांगण में, राज्य शासन द्वारा यथा अधिसूचित पी.पी.पी. रीति के अंतर्गत, कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगी]²
- (तीन) ¹[मण्डी कृत्यकारियों का पंजीयन मंजूर करेगी या मंजूर करने से इंकार करेगी और ऐसी पंजीयन को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी;]¹
- (चार) मण्डी कृत्यकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करेगी;
- (पाँच) मण्डी-प्रांगणों में व्यापार आरंभ करने, बंद करने तथा निलंबित करने का विनियमन करेगी;
- (छः) पंजीयन की शर्तों को प्रवर्तित करेगी;
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित विक्रयों का करार करने, उसके कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन या रद्दकरण का, अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन से संबंधित तौल, परिदान, भुगतान तथा समस्त अन्य विषयों का विनियमन करेगी;
- (आठ) ऐसे समस्त विवादों को, जो कि अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित किसी भी

purposes connected with the matters aforesaid, and for that purpose may exercise such powers and discharge such functions as may be provided by or under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions a market committee shall -

- (i) construct, maintain and manage the market yards and sub-market yards and promote development of Hat Bazars in the market area ;
- (ii) provide the necessary facilities for the marketing of agricultural produce in the market yard;
- (ii-1) ²[Provided necessary facilities for marketing of agricultural produce in the market yard/ fruit and vegetable sub - yard/ special produce market/ sub- yard, under P.P.P. mode as notified by the State Government.]²
- (iii) ¹[grant or refuse registration to the market functionaries and renew, suspend or cancel such registration;]¹
- (iv) supervise the conduct of the market functionaries;
- (v) regulate the opening, closing and suspending of trading in the market yards:
- (vi) enforce the conditions of the registration;
- (vii) regulate the making, carrying, out and enforcement or cancellation of agreement of sales, the weighing, delivery, payment and all other matters relating to the marketing of notified agricultural produce ;
- (viii) provide for the settlement of all disputes between the seller and the buyer arising out of any kind of

1. छ. ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अतःस्थापित।

प्रकार के संव्यवहार से विक्रेता तथा क्रेता के बीच उद्भूत हुए हों, तय करने के लिए तथा उससे अनुषङ्गित समस्त मामलों के लिए उपबन्ध करेगी;	transaction connected with the marketing of notified agricultural produce and all matters ancillary thereto;
(नौ) अधिसूचित कृषि-उपज के उत्पादन, विक्रय, भंडारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों तथा संचालन के संबंध में जानकारी संग्रहीत करेगी तथा उसे बनाये रखेगी और ऐसी जानकारी को प्रबंध संचालक द्वारा निदेशित किये गये अनुसार प्रसारित करेगी;	(ix) collect and maintain information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of notified agricultural produce and disseminate such information as directed by the Director;
(दस) माल के अपमिश्रण को रोकने के लिए तथा अधिसूचित कृषि-उपज के श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के संप्रवर्तन के लिए समस्त संभव कार्यवाही करेगी;	(x) take all possible steps to prevent adulteration of goods and promote grading and standardization of the notified agricultural produce;
(ग्यारह) मण्डी में स्थिरता बनाये रखने की दृष्टि से—	(xi) with a view to maintain stability in the market,
(क) यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित उपाय करेगी कि व्यापारी अपनी सामर्थ्य के परे, कृषि-उपज का क्रय न करें तथा उपज का व्ययन करने में विक्रेताओं को होने वाली जोखिम न रहे; और	(a) take suitable measure to ensure that traders do not buy agricultural produce beyond their capacity and avoid risk to the sellers in disposing of the produce; and
(ख) क्रेताओं की हैसियत के अनुसार नगद या बैंक गारन्टी के रूप में आवश्यक प्रतिभूति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही पंजीयन मंजूर करेगी;	(b) grant registration only after obtaining necessary security in cash as bank guarantee according to the capacity of the buyers;
(बारह) फीस तथा अन्य शोध्य प्रभारों से संबंधित समस्त धन, जिसे प्राप्त करने के लिए मण्डी समिति प्राधिकृत है, उद्गृहीत करेगी तथा वसूल करेगी;	(xii) levy and recover all moneys related to fees and other charges due, which the market committee is authorised to receive;
(तेरह) (क) यह सुनिश्चित करेगी कि मण्डी प्रांगण में या मूल मण्डी में हुए संव्यवहारों के संबंध में भुगतान विक्रेता को उसी दिन किया जाय, और इसमें व्यतिक्रम होने पर प्रश्नगत कृषि-उपज को तथा संबंधित व्यापार की अन्य सत्पत्ति को अभिगृहीत करेगी तथा उसके पुनः विक्रय के लिए व्यवस्था करेगी और	(xiii) (a) ensure payment in respect of transactions which take place in the market yard or market proper to be made on the same day to the seller, and in default to seize the agricultural produce in question along with other property of the person concerned and to arrange for

- हानि होने की दशा में, उस हानि को तथा हानि, यदि कोई हो, की मूल क्रेता से वसूली करने के संबंधी प्रभारों को मूल क्रेता से वसूल करेगी और कृषि-उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को करायेगी;
ख - ¹[विलोपित]¹
- (चौदह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संज्ञा में अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित करेगी;
- (पन्द्रह) मण्डी प्रांगण में व्यक्तियों के प्रवेश तथा गाड़ियों के यातायात का विनियमन करेगी;
- (सोलह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों का अतिक्रमण करने के लिए व्यक्तियों को अभियोजित करेगी और यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अपराधों का शमन करेगी;
- (सत्रह) अपने कर्जव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के प्रयोजन से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को अर्जित करेगी, धारण करेगी तथा उसका व्ययन करेगी;
- (अठारह) कोई वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन-पत्र या माध्यस्थम् संस्थित करेगी या उसमें प्रतिरक्षा करेगी और ऐसे वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन-पत्र या माध्यस्थम् में समझौता करेगी;
- (उन्नीस) मण्डी-प्रांगण में किये गये संव्यवहारों के संबंध में माल के तौलने या उसके परिवहन के लिए तुलैयों तथा हज्मालों का बारी-बारी से नियोजन करने की व्यवस्था करेगी; परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात उन हज्मालों के नियोजित किये जाने के लिए लागू नहीं होगी जो
- re-sale thereof and in the event of loss, to recover the same from the original buyer together with charges for recovery of the loss, if any, from the original buyer and effect payment of the price of the agricultural produce to the seller;
B - ¹[Omitted]¹
- (xiv) employ the necessary number of officers and servants for the efficient implementation of the provisions of this Act, and the rules and the bye-laws made thereunder;
- (xv) regulate the entry of persons and vehicular traffic into the market yard;
- (xvi) prosecute persons for violating the provisions of this Act, and the rules and the bye-laws made thereunder and to compound such offences if necessary;
- (xvii) acquire, hold and dispose of any movable or immovable property for the purpose of efficiently carrying out its duties;
- (xviii) institute or defend any suit, action, proceeding, application or arbitration and compromise such suit, action, proceeding, application or arbitration;'
- (xix) make arrangements for employing by rotation, weighmen and hammals for weighing and transporting of goods in respect of transactions held in the market yard:
- Provided that nothing in this clause shall apply for employing hammals by

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा विलोपित

कि व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण से अपने गोदामों तक अपने माल के परिवहन के लिए नियोजित किये जायें।

(3) ¹[प्रबंध संचालक] की पूर्व मंजूरी से, मण्डी समिति, अपने विवेकानुसार निम्नलिखित कर्जव्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी—

²[(एक) इस हेतु से कि कृषि उपज के परिवहन तथा भण्डारकरण में सुविधा हो या इस प्रयोजन से कि मण्डी प्रांगण का विकास हो, मण्डी क्षेत्र में सड़कों या गोदामों के सन्निर्माण के लिए ³[बोर्ड या राज्य सरकार को लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग या उपक्रम को या प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किए गये किसी अन्य अधिकरण को अनुदान देना या अग्रिम निधि देना;]

⁴[(दो) विक्रय हेतु उर्वरक, नाशक-जीवमार (पेस्टीसाइड्स), कीटनाशक (इन्सेक्ट-साइड्स), उन्नत-बीज, कृषि संबंधी उपस्करों और आधानों (इनपुट्स) का स्टॉक बनाए रखना।]

(तीन) कृषकों को, कृषि-उपज का स्टॉक रखने के लिए ¹[भंडारकरण सुविधाएँ] भाटक पर देने की व्यवस्था करना।

⁵[(चार) उन गौशालाओं के, जिन्हें कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो, अनुरक्षण के लिये अनुदान देना।]

(4) पूर्व में वर्णित कर्जव्यों के अतिरिक्त मण्डी समिति निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी रहेगी,—
(एक) अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों पर उचित अंकुश बनाये रखना;

(दो) मण्डी समिति की निधि पर भारित किये जा सकने वाले समस्त कार्यों का समुचित निष्पादन;

(तीन) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं की और अपनी उपविधियों की एक-एक प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिए अपने कार्यालय में रखना; और

traders for transporting their goods from the market yard to their godowns.

(3) With the prior sanction of the ¹[Managing Director] the market committee may, at its discretion, undertake the following duties:

²[(i) to give grant or advance funds to ³[the Board, the Public Works Department or any other Department or undertaking of the State Government] or any other agency authorised by the Managing Director for the construction of roads or godowns in the market area to facilitate transportation and storage of agricultural produce or for the purpose of development of the market yard;]

⁴[(ii) maintain stocks of fertilizer, pesticides, improved seeds, agricultural equipments inputs for sale.

(iii) to provide on rent ¹[storage facilities] for stocking of agricultural produce to agriculturists.

⁵[(iv) to give grant for maintenance of the "Goshala", recognised by the State Government.]

(4) In addition to the duties aforementioned the market committee shall also be responsible for-

(i) the maintenance of proper checks on all receipts and payment by its officers;

(ii) the proper execution of all works chargeable to the market committee fund;

(iii) keeping a copy of this Act and of the rules and notifications issued thereunder and of its bye-laws, open to inspection free of charge at its office; and

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

5. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

(चार) सांसर्गिक पशु रोग फैलने की रोकथाम के लिए निवारक उपायों की व्यवस्था करना।

(5) मण्डी समिति किसी ऐसी भी निदेश को कार्यान्वित करेगी जिसे कि राज्य सरकार मण्डी-प्रांगण में युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए समय-समय पर जारी करे।

(6) यदि मण्डी समिति, उपधारा (5) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का युक्तियुक्त समय के भीतर अनुपालन करने में चूक करे, तो राज्य सरकार को, मण्डी समिति के खर्चे पर ऐसे निदेश को प्रवर्तन करने के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(7) यदि कोई मण्डी समिति, किसी भी ऐसी राशि का, जिसकी कि रकम उपधारा (5) के अधीन जारी किये गये किन्हीं निदेशों के आधार पर नियत की गई हो या देय हो गई हो भुगतान करने में व्यतिक्रम करे, तो राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में मण्डी समिति की निधि का अतिशेष हो, यह निदेश देते हुए एक आदेश दे सकेगी कि वह ऐसा भुगतान या तो पूर्व रूप से या ऐसे भाग में, जो ऐसी निधि में संभव हो, करे।

(8) मण्डी समिति ऐसी समस्त जानकारी देगी जिसकी कि कलेक्टर या प्रबंध संचालक या इनमें से किसी के भी द्वारा सज्जक रूप से प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा हो।

18. उप-समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन—ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्वधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जायें, मण्डी समिति, अपने कर्जव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्जव्य या कृत्य के पालन या किसी विषय पर रिपोर्ट देने या राय देने के लिए उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी जिसमें उसका एक या एक से अधिक सदस्य होंगे और उनमें से किसी भी ऐसी उप-समिति को अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी जैसी कि आवश्यक हों।

19. मण्डी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति—

¹[(1) प्रत्येक मण्डी समिति—

(एक) अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर; और

(iv) arranging for preventive measures against spread of contagious cattle disease.

(5) The market committee shall carry out any direction which the State Government may issue from time to time for providing reasonable facilities in the market yard.

(6) If a market committee fails to comply within a reasonable time with any direction issued under sub-section (5), the State Government shall have all the powers necessary for the enforcement of such direction at the cost of market committee.

(7) If a market committee makes default in payment of any sum the amount whereof is fixed or has become payable by virtue of any directions under sub-section (5), the State Government may make an order directing the person having the custody of the balance of the market committee fund to make such payment either in whole or in such part as is possible from such fund.

(8) The market committee shall furnish all information which the Collector or the Director or the Officers duly authorised by either of them may require.

18. Appointment of subcommittees and delegation of powers.— Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the market committee may appoint sub-committees consisting of one or more of its members for the performance of any of its duties or functions for reporting or giving opinion on any matter and may delegate to any such sub committee such of its powers as may be necessary.

19. Power to levy market fee.-

¹[(1) Every Market committee shall levy market fee—

(i) on the sale of notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into the market area; and

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

(दो) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो और प्रसंस्करण³[तथा विनिर्माण]³ में उपयोग के लिए लाई गई हो,

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम पचास पैसे की दर के और अधिकतम दो रुपये की दर के अध्यक्षीन रहते हुए, नियत की जाए, विहित रीति में मण्डी फीस का उद्ग्रहण करेगी :

परन्तु उस मण्डी समिति को छोड़कर, जिसके मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज, यथास्थिति, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या प्रसंस्करण हेतु लायी गयी हो, कोई मण्डी समिति ऐसी मण्डी फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगी]

(2) मण्डी-फीस अधिसूचित कृषि-उपज के क्रेता द्वारा संदेय होगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जायेगी:

परन्तु जहाँ किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रेता पहचाना न जा सके, वहाँ समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने कि उपज को बेचा हो या जो उपज को मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाया हो :

परन्तु यह और कि मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने की दशा में मण्डी फीस विक्रेता द्वारा संग्रहीत की जायेगी तथा संदज्ञ की जायेगी।]

⁴[विलोपित]

¹[परन्तु यह भी कि, वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए या प्रसंस्करण के लिए मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि-उपज पर मण्डी फीस, यथास्थिति, क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा, उस दशा में मण्डी समिति के कार्यालय में ²[चौदह] दिन के भीतर जमा की जाएगी, यदि क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया है]

(ii) on the notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into the market areas and used for processing ³[and manufacturing.]³

at such rates as may be fixed by the State Government from time to time subject to a minimum rate of fifty paise and a maximum of two rupees for every one hundred rupees of the price in the manner prescribed:

Provided that no Market Committee other than the one in whose market area the notified agricultural produce is brought for sale or processing by an agriculturist or trader, as the case may be, for the first time shall levy such market fee].

(2) The market fees shall be payable by the buyer of the notified agricultural produce and shall not be deducted from the price payable to the seller:

Provided that where the buyer of a notified agricultural produce cannot be identified, all the fees shall be payable by the person who may have sold or brought the produce for sale in the market area:

Provided further that in case of commercial transaction between traders in the market area, the market fees shall be collected and paid by the seller]:

⁴[Omitted]

¹[Provided also that for the Agricultural produce brought in the market area for commercial transaction or for processing the market fee shall be deposited by the buyer or processor, as the case may be, in the market committee office within ²[fourteen] days if the buyer or processor has not submitted the permit issued under sub-section (6) of Section 19].

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1996 से) अन्तःस्थापित।

3. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा अन्तःस्थापित।

4. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा विलोपित।

³[(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मण्डी फीस किसी अधिसूचित कृषि-उपज पर—

(एक) राज्य में के एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में; या
(दो) उसी मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक बार, उस दशा में उद्गृहीत नहीं की जाएगी जब कि उसका पुनर्विक्रय—

(क) ऊपर (एक) की दशा में, उस मण्डी क्षेत्र से, जिसमें वह यथास्थिति किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय हेतु लाई गई थी या क्रय की गई थी या बेची गई थी तथा उस पर उस मण्डी क्षेत्र में फीस लग चुकी है, भिन्न मण्डी क्षेत्र में; या

(ख) ऊपर (दो) की दशा में, उस मण्डी क्षेत्र में— व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक-संव्यवहारों के अनुक्रम में या उपभोक्ताओं को किया जाता है, बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, इस प्रभाव की सूचना दे दी गई हो कि इस प्रकार पुनः बेची जा रही उस अधिसूचित कृषि-उपज पर राज्य के अन्य मण्डी क्षेत्र में फीस पहले ही लग चुकी है।]

⁴[(4) यदि यह पाया जाए कि कोई अधिसूचित कृषि-उपज ऐसी उपज पर देय मण्डी फीस के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत की गई है, पुनः बेच दी गई है तो मण्डी फीस, यथास्थिति, प्रसंस्कृत उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पाँच गुने के हिसाब से उद्गृहीत तथा वसूल की जायेगी।]

³[(3) The market fees referred to in sub-section (1) shall not be levied on any notified agricultural produce—

(i) in more than one market area, in the State; or

(ii) more than once in the same market area, if it is resold,—

(a) in the case of (i) in the market other than the one in which it was brought for sale or bought or sold by an agriculturist or trader, as the case may be, for the first time and has suffered fee therein; or

(b) in the case of (ii), in the same market area,

In the course of commercial transaction between the traders or to consumers subject to furnishing of declaration, in such form as may be prescribed by the person concerned to the effect that the notified agricultural produce being so resold has already suffered fee in the other market area of the State.]

⁴[(4) If any notified agricultural produce is found to have been processed, resold or sold out of yard without payment of market fee payable on such produce the market fee shall be levied and recovered on five times the market value of the processed produce or value of the agricultural produce as the case may be].

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1998 द्वारा (दिनांक 9-6-1998 से) प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 8-2-1990 से) प्रतिस्थापित।
4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

(5) मण्डी कृत्यकारी, जिन्हें कि मण्डी समिति, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट करे विक्रय तथा क्रय ¹[या प्रसंस्करण]¹ से संबंधित लेखे ऐसे प्ररूपों में रखेंगे तथा मण्डी समिति को ऐसी नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेंगे जैसे कि विहित की जाये।

²[(6) कोई जी अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्रसंस्कृत किया गया कोई उत्पादन ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, जारी किए गये अनुज्ञा-पत्र के अनुसार ही ³[मण्डी प्रांगण, मूल मण्डी या मण्डी क्षेत्र से बाहर हटाया जाएगा,]³ अन्यथा नहीं :

परन्तु प्रसंस्कृत माल को हटाने के लिए अनुज्ञप्त प्रसंस्करणकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, मण्डी समिति के द्वारा विशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता के लिए नियत सीमा के भीतर अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकेगा।

(7) मण्डी समिति, मण्डी-प्रांगण में प्रवेश करने वाली उन गाड़ियों पर, जो कि भाड़े पर चलती हों, ऐसी दर से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रवेश-फीस का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगी।

(8) मण्डी समिति, मण्डी प्रांगण, तथा विशेष वस्तु मंडी प्रांगण तथा उप-मंडी प्रांगण में वाहन के लिए प्रवेश शुल्क एवं विभिन्न सेवाएँ जैसे— सुरक्षा, प्रकाश, प्रांगण में स्वच्छता तथा रख-रखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए, ऐसी दर से, जैसा की उप-विधि में विनिर्दिष्ट किया जाये, उप-मंडी प्रांगण के ³[क्रेता/विक्रेता]³ से शुल्क का उद्ग्रहण (लेवी) तथा संग्रहण कर सकेगी।

(5) The market functionaries, as the Market Committee may by bye- laws specify, shall maintain account relating to sale and purchase ¹[or processing]¹ in such forms and submit to the Market Committee such periodical returns as may be prescribed.

²[(6) No notified agricultural produce or any produce processed therefrom shall be removed out of the ³[market yard, market proper or the market area]³ except in the accordance with a permit issued in such manner and in such form as may be prescribed by the Board:

Provided that for the removal of processed goods the licensed processor or his authorised representative may issue the permit within the limit fixed for the particular processor by the market committee.]

(7) The Market Committee may levy and collect entrance fee on vehicles, plying on hire, which may enter into market yard at such rate as may be specified in the bye-laws.

(8) The market committee may levy and collect entrance fees for vehicle and services viz, security, electrification, sanitation and maintenance of yard and other facilities provided in the market yard and special produce market yard and sub-market yard from ³[purchasers/sellers]³ of sub-market yards at such rate as may be specified in the bye-laws.”

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 27-7-1997 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1998 द्वारा स्थापित।

प. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹[19-क. ***]

²[19-ख. मण्डी फीस के भुगतान में

व्यतिक्रम—(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मण्डी फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, उसका भुगतान मण्डी समिति को अधिसूचित कृषि-उपज के क्रय करने के या उसे प्रसंस्करण के लिए मण्डी क्षेत्र में आयात करने के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिक्रम होने पर वह मण्डी फीस तथा उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ज़्यादा का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन मण्डी फीस तथा ज़्यादा का भुगतान एक मास के भीतर करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उस मण्डी क्षेत्र में या किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में आगे का संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ज़्यादा सहित मण्डी फीस भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञाति रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगी।]

20. लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियाँ—(1) ¹[मण्डी समिति का सचिव

या राज्य सरकार या बोर्ड का कोई भी अधिकारी या सेवक], जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी भी किस्म की अधिसूचित कृषि-उपज का कारोबार करता हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष ऐसे लेखे तथा अन्य दस्तावेजें पेश करे और कोई ऐसी जानकारी दे जो ऐसी कृषि-उपज के स्टॉक या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कृषि-उपज के क्रय, विक्रय तथा परिदान से संबंधित हो, तथा कोई ऐसी अन्य जानकारी भी दे जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मण्डी-फीस के संदाय से संबंधित हो।

(2) किसी अधिसूचित कृषि-उपज के कारबार के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा बनाये रखे गये समस्त लेखे तथा रजिस्टर और ऐसी कृषि-उपज के स्टॉकों से संबंधित या ऐसी कृषि-उपज के क्रयों, विक्रयों तथा परिदानों से संबंधित दस्तावेजों, जो

¹[19-A. ***]

²[19-B. Default in payment of mar-

ket fee.—(1) Any person liable to pay market fee under this Act shall pay the same to the market committee within fourteen days of the purchase of the notified Agricultural produce or its import into the market area for processing and in default he shall be liable to pay the market fee together with the interest at the rate of twenty four percent per annum.

(2) If the person liable to pay the market fee and the interest under sub-section (1) fails to pay the same within one month, such person shall not be allowed to enter into further transactions in that market area or any other market area and the market fee with interest shall be recovered as arrears of land revenue and the licence of such person shall be liable to cancelled.

20. Power to order production of accounts and powers of entry, inspection and seizure. (1) ¹[The

Secretary of the market committee or any officer or servant of the State Government or the Board] empowered by the State Government in this behalf may for purposes of this Act, require any person carrying on business in any kind of notified agricultural produce to produce before him the accounts and other documents and to furnish any information relating to the stocks of such agricultural produce, or purchase, sale and delivery of such agricultural produce by such person and also to furnish any other information relating to payment of the market fees by such person.

(2) all accounts and registers maintained by any person in the ordinary course of business in any notified agricultural produce and documents relating to the stocks of such agricultural produce or purchases, sales and deliveries

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 8-2-1990 से) विलोपित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1998 द्वारा (दिनांक 9-6-1998 से) प्रतिस्थापित।

उसके कच्चे में हो और ऐसे व्यक्ति के कार्यालय, स्थापनाएं, गोदाम, जलयान या गाड़ियाँ बोर्ड या मण्डी समिति के ऐसे अधिकारियों या सेवकों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये जायें, निरीक्षित की जाने/किये जाने के लिए समस्त व्यक्तिगत समयों पर खुली रहेंगी/खुले रहेंगे।

(3) यदि किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन अपने द्वारा शोध्य किसी मण्डी-फीस के भुगतान का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने मण्डी-क्षेत्र में प्रवृत्त इस अधिनियम या नियमों के या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के उल्लंघन में किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय किया है, तो वह लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे व्यक्ति के ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों, जैसे कि आवश्यक हों, अभिगृहित कर सकेगा तथा उनके लिए एक रसीद देगा और उन्हें तब तक रखे रहेगा जब तक कि वे उनकी परीक्षा के लिए या अभियोजन के लिए आवश्यक हों।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए ऐसा अधिकारी या सेवक किसी भी कारबार के स्थान, भाण्डागार, कार्यालय, स्थापना, गोदाम जलयान या गाड़ी में जिसके कि संबंध में ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनमें ऐसा व्यक्ति अपने कारबार के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों या अपने कारबार से संबंध रखने वाले अधिसूचित कृषि-उपज के स्टॉक रखता है या तत्समय रखे हैं, प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथाशक्य उपधारा (4) अधिन तलाशी को लागू होंगे।

of such agricultural produce in his possession and the offices, establishments, godowns, vessels or vehicles of such person shall be open to inspection at all reasonable times by such officers and servants of the Board or the market committee as may be authorised by the State Government in this behalf.

(3) If any such officer or servant has reason to suspect that any person is attempting to evade the payment of any market fee due from him under section 19 or that any person has purchased any notified agricultural produce in contravention of any of the provisions of this Act or the rules, or the bye-laws in force in the market areas, he may for reasons to be recorded in writing, seize such accounts, registers or documents of such person as may be necessary, and shall grant a receipt for the same and shall retain the same only so long as may be necessary for examination thereof or for a prosecution.

(4) For purposes of sub-section (2) or sub-section (3) such officer or servant may enter or search any place of business, warehouse, office, establishment, godown, vessel or vehicle where such officer or servant has reason to believe that such person keeps or for the time being kept accounts, registers or documents of his business, or stock of notified agricultural produce relating to his business.

(5) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (No. 5 of 1898), shall, so far as maybe, apply to a search under sub-section (4).

(6) जहाँ कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों किसी स्थान से अभिगृहीत की जायें और उनमें ऐसी प्रविष्टियाँ हों जो परिमाण, भावों (कुटेशन्स), दरों, धन की प्राप्ति या भुगतान या माल के विक्रय या क्रय के प्रति निर्देश करती हों, वहाँ ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों, उन्हें साबित करने के लिए साक्षी के उपसंज्ञात हुए बिना ही, साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और ऐसी प्रविष्टियाँ उन मामलों में, संव्यवहारों तथा लेखाओं की, जिनका कि उनमें अभिलिखित होना तात्पर्यित है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी।

¹[21 सर्वोच्चम विवेकानुसार फीस का निर्धारण— (1) प्रत्येक व्यापारी, प्रसंस्कारणकर्त्ता या आदृतियाँ, जो अधिसूचित कृषि उपज का कारबार कर रहा है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व विज्ञीय वर्ष के दौरान अधिसूचित कृषि उपज के उसके द्वारा या उसके माध्यम से किए गये क्रय-विक्रय का एक विवरण सचिव को विहित रीति में प्रस्तुत करेगा।

(2) सचिव की कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको सूचना के संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर मण्डी समिति को अपील कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अपनी स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार को दिए गये आवेदन पर, उस विवरण को, जो सचिव के द्वारा सत्यापित किया गया है, ²[सत्यापन की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के भीतर पुनः सत्यापित कर सकेगा]² और ऐसा अधिकारी इस प्रयोजन के लिए धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन लेखे प्रस्तुत करने या जानकारी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसे लेखे प्रस्तुत

(6) Where any books of account or other documents are seized from any place and there are entries therein making reference to quantity, quotations, rates, receipt or payment of money or sale or purchase of goods, such books of account or other documents shall be admitted in evidence without witness having to appear to prove the same, and such entries shall be prima facie evidence of matters, transactions and accounts purported to be therein recorded.

¹[21. Best judgment assessment of fee.- (1) Every Trader, Processor or Commission Agent carrying on business of notified agricultural produce shall before the 30th April, every year submit to the Secretary a statement of purchase or sale of notified agricultural produce by or through him, in the prescribed manner, during the previous financial year ending on the 31 st March.

(2) Any person aggrieved by the proceeding of the Secretary, may within 30 days from the date of communication of notice to him, appeal to the Market Committee.

(3) The State Government or any officer authorised by the State Government or the Board may, on its or his own motion or on an application made to the State Government; ²[reverify the statement verified by the Secretary, within four years from the date of verification]² and for this purpose such officer shall exercise the powers under Section 20,

(4) If any person required to produce Accounts or furnish information under sub-section (1) of Section 20 fails to produce such accounts or to furnish

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

ख छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।

करने या जानकारी देने में असफल रहता है या जानते हुए अपूर्ण या असत्य लेख या जानकारी देता है या जिसने अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय तथा परिदान के उचित लेख नहीं रखे हैं तो सचिव, विहित रीति में ऐसे व्यक्ति पर धारा 19 के अधीन उद्गृहीत की जाने वाली फीस का निर्धारण करेगा।

(5) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा सशक्त किये गये अधिकारी द्वारा किया गया पुनः सत्यापन या पुनः निर्धारण अन्तिम होगा।]

22. मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति—¹ [सचिव को, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो मण्डी समिति इस संबंध में दे], मण्डी प्रांगण में के किसी खुले स्थान में हुए किसी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने की व्यय उस व्यक्ति द्वारा चुकाये जायेंगे, जिसने कि उक्त अतिक्रमण पारित किया है, और वे उसी रीति में वसूल किये जायेंगे जिस रीति में कि मण्डी समिति को शोध्य कोई भी राशि धारा 61 के अधीन वसूली के योग्य होती है।

¹[23. गाड़ियों को रोकने की शक्ति—

(1) किसी भी समय जबकि,—

- (एक) बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे बोर्ड द्वारा किसी मण्डी-क्षेत्र में, इस निमित्त सशक्त किया गया हो; या
- (दो) संबंधित मण्डी-क्षेत्र में की ²[राज्य मंडी बोर्ड सेवा] के किसी सदस्य द्वारा;

information or knowingly furnishes incomplete or incorrect accounts or information or has not maintained proper accounts of the purchases, sales and delivery of the notified agricultural produce, the Secretary shall in the prescribed manner assess such person for fees levied under Section 19.

(5) The reverification of reassessment made by the officers of the State Government or the Board empowered shall be final].

22. Power to remove encroach-

ment in market yard.-¹ [Subject to such directions as the market committee may give in this behalf, the secretary] shall have power to remove any encroachment in any open space in the market yard and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said encroachment and shall be recovered in the same manner as a sum due to market committee recoverable under section 61.

¹[23. Power to stop vehicles.-(1)

At any time when so required,—

- (i) by any officer or servant of the Board so empowered by the Board in this behalf in any market area, or
- (ii) by any member of the ²[State Mandi Board service] in the market area concerned; or

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-6-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

(तीन) मण्डी समिति के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे मण्डी समिति द्वारा संबंधित मण्डी क्षेत्र में इस संबंध में सशक्त किया गया हो, ऐसी अपेक्षा की जाय तो यथास्थिति किसी भी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का चालक या उसका भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति ऐसी गाड़ी जलयान या अन्य वाहन को रोक देगा और उसे उतने समय तक खड़ा रखेगा जो कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे व्यक्तियों को ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में की अन्तर्वस्तुओं की परीक्षा करने देगा और ले जाई जा रही अधिसूचित कृषि-उपज से संबंधित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा और अपना नाम और पता तथा उस गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन के स्वामी का नाम और पता और ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में ले जाई जा रही अधिसूचित कृषि-उपज के स्वामी का नाम और पता देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सशक्त किये गये व्यक्तियों को किसी ऐसी अधिसूचित कृषि-उपज को, जो किसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में मण्डी-क्षेत्र के भीतर लाई गई है या मण्डी-क्षेत्र से बाहर ले जाई गई है या जिसका मण्डी-क्षेत्र से बाहर ले जाया जाना प्रस्तावित है, अभिगृहित करने की शक्ति होगी, यदि ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी उपज के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी फीस या अन्य रकम का या विक्रेता को संदेय मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन सशक्त किये गये किसी व्यक्ति के पास यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन उससे शोध्य किसी मण्डी फीस के भुगतान से बचने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने किसी

(iii) by any officer or servant of the market committee empowered by the market committee in this behalf in the market area concerned, the driver or any other person incharge of any vehicle, vessel or other conveyance shall stop the vehicle, vessel or other conveyance, as the case may be, and keep it stationery as long as may reasonably be necessary and allow such persons to examine the contents in the vehicle, vessel or other conveyance and inspect all records relating to the notified agricultural produce carried, and give his name, address and name and address of the owner of the notified agricultural produce carried in such vehicle, vessel or other conveyance.

(2) Persons empowered under sub-section (1) shall have power to seize any notified agricultural produce brought into or taken out or proposed to be taken out of the market area in any vehicle, vessel or other conveyance, if such person has reason to believe that any fee or other amount due under this act or the value payable to the seller in respect of such produce has not been paid.

(3) If any person empowered under sub-section (1) has reason to suspect that any person is attempting to evade the payment of any market fee due from him under section 19 or that any person has

अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय या भंडारण इस अधिनियम के या नियमों के या मण्डी-क्षेत्र में प्रवृत्त उपविधियों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के उल्लंघन में किया है, तो वह किसी भी ऐसे कारबार के स्थान, भाण्डागार, कार्यालय, स्थापन या गोदाम में, जिसके बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसे कि उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है, यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति वहाँ अधिसूचित कृषि-उपज का स्टॉक रखता है या ऐसे व्यक्ति ने अधिसूचित कृषि-उपज का स्टॉक तत्समय रख रखा है, प्रवेश कर सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा :

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 100, 457, 458 और 459 के उपबन्ध उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और सज्पज्ञि के अभिग्रहण के संबंध में लागू होते हैं। ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल की जाएगी।]

24. उधार लेने की शक्ति—¹[कोई मण्डी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धन प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से बोर्ड से या किसी बैंक से या किसी अन्य लोक विज्ञीय संस्था से उधार ले सकेगी और धारा 38 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस प्रकार उधार लिये गये धन को लागू नहीं होगी।]

25. संविदाएँ करने की रीति—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए स्थावर सज्पज्ञि में के हित के क्रय, विक्रय, पट्टे, बंधक या अन्य अन्तरण के लिए या स्थावर सज्पज्ञि में के हित के अर्जन के लिए मण्डी समिति की ओर से कोई जी।

purchased or stored any notified agricultural produce in contravention of any of the provisions of this Act or the rules or the bye-laws in force in the market areas, he may enter or search any place of business, warehouse, office, establishment or godown where the person empowered under sub-section (1) has reason to believe that such person keeps or has for the time being kept stock of notified agricultural produce:

(4) The provisions of section, 100, 457, 458 and 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall, apply to entry search and seizure under sub-sections (1), (2) and (3) as they apply in relation to the entry search and seizure of property by police officer. Such seizure shall forthwith be reported by the person aforesaid to a Magistrate having jurisdiction to try the offence under this Act.]

24. Power to borrow.-¹[A market committee may, with the previous sanction of the Director, borrow money from the Board or Bank or any other public financial institution, required for carrying out the purposes of this Act and nothing contained in sub-section (2) of section 38 shall apply to the money so borrowed]

25. Mode of making contracts.-(1) Subject to the provisions of this Act, no contract or agreement on behalf of the market committee for the purchase, sale, lease, mortgage or other transfer of, or acquisition of, interest in immovable

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

संविदा या करार मण्डी समिति की मंजूरी से ही निष्पादित किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय,—

(क) मण्डी समिति का सचिव ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके कि बारे में वह संविदा या करार करने के लिए मण्डी समिति के संकल्प द्वारा साधारणतया या विशेषतः प्राधिकृत किया गया हो, मंडी समिति की ओर से संविदा या करार निष्पादित कर सकेगा जहाँ कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य ¹[एक हजार] रुपये से अधिक न हो;

(ख) मण्डी समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मण्डी समिति की ओर से संविदा या करार संयुक्त रूप से निष्पादित कर सकेंगे जहाँ कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य ¹[पाँच हजार] रुपये से अधिक न हो;

(ग) खण्ड (क) तथा (ज) में निर्दिष्ट किये मामलों से भिन्न किसी मामले में, मण्डी समिति की ओर से कोई संविदा या करार मण्डी समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा उसके एक अन्य सदस्य, जो कि संविदा या करार करने के लिए मण्डी समिति के संकल्प द्वारा साधारणतः या विशेषतः प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

(3) मण्डी समिति द्वारा की गई प्रत्येक संविदा लिखित में होगी तथा वह मण्डी समिति की ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जो कि उपधारा (2) के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किये गये हों।

(4) उपधारा (1), (2) या (3) में उपबन्धित किये गये अनुसार निष्पादित की गई संविदा से भिन्न कोई भी संविदा वैध या मंडी समिति पर आबद्धकर

property shall be executed on behalf of the market committee except with the sanction of the market committee.

(2) Save as provided in sub-section(1),—

(a) the Secretary of the market committee may execute contract or agreement on behalf of the market committee where the amount or value of such contract or agreement does not exceed rupees ¹[one thousand] regarding matters in respect of which he is generally or specially authorised to do so by a resolution of the market committee;

(b) The Chairman and the Secretary of the market committee, may jointly execute contract or agreement on behalf of the market committee where the amount or value of such contract or agreement does not exceed rupees ¹[five thousand];

(c) in any case other than those referred to in clauses (a) and (b), a contract or agreement on behalf of the market committee shall be executed by the Chairman, the Secretary, and one other member of the market committee, who shall have been generally or specially authorised by a resolution of the market committee to do so.

(3) Every contract entered into by the market committee shall be in writing and shall be signed on behalf of the market committee by the person or person authorised to do so under sub-section (2).

(4) No contract other a contract executed as provided in sub-section (1), (2) or (3) shall be valid or binding on the

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

नहीं होगी।

(5) (क) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980 (क्रमांक 16 सन् 1908) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मण्डी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य या अधिकारी या सचिव के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपनी पदीय हैसियत में अपने द्वारा निष्पादित की गई किसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण-कार्यालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उप-संजात हो या उस अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित किये गये अनुसार हस्ताक्षर करे।

(ख) जहां कोई लिखत इस प्रकार निष्पादित की गई हो, वहां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसे कि ऐसी लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की गई हो, यदि वह उचित समझे, ऐसे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सचिव को यह निर्दिष्ट करेगा कि वह उस लिखत के बारे में जानकारी दे और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके (लिखत के) निष्पादन के बारे में अपना समाधान हो जाने पर लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(6) जहाँ कोई संविदा या करार किसी मण्डी समिति की ओर से किया हो, वहाँ मण्डी समिति या सचिव उस तथ्य की रिपोर्ट मण्डी समिति को उसके उस सञ्मेलन में देगा जो ऐसी संविदा या करार के किये जाने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् बुलाया गया हो तथा किया गया हो।

market committee.

(5) (a) Notwithstanding anything contained in the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), it shall not be necessary for the Chairman or any member or officer or secretary of a market committee to appear in person or by agent at any registration office in any proceeding connected with the registration of any instrument executed by him in his official capacity or to sign as provided in section 58 of that Act.

(b) Where any instruments is so executed, the Registration Officer to whom such instrument is presented for registration may, if he thinks fit, refer to such Chairman, member, officer or secretary for furnishing information respecting the same and shall, on being satisfied of the execution thereof, register the instrument.

(6) Where a contract or agreement is entered into on behalf of a market committee, the Secretary of the market committee shall report the fact to the market committee at its meeting convened and held immediately following the date of entering into of such contract or agreement.

¹[अध्याय 4- क.

बजट]

25- क. बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना.—

²[(1) प्रबंध संचालक, मण्डी समितियों को ऐसे मानकों पर जैसे कि विहित किया जाएँ, या तो क, ख, ग या घ प्रवर्ग में वर्गीकृत करेगा। समस्त मंडी समितियाँ आगामी वर्ष के लिए, आय तथा व्यय का अपना बजट, बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के पूर्व तैयार करेंगी एवं उसे पारित करेंगी :

परन्तु “क” तथा “ख” प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत मण्डी समितियों का बजट प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया जायेगा।]

(2) यदि मंजूर किये गये बजट में किसी मद पर व्यय करने के लिए कोई प्रावधान न हो तो जब तक कि किसी अन्य शीर्ष की बचत में से पुनर्विनियोग द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हो, उस पद पर किसी मण्डी समिति द्वारा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जायेगा।

(3) मण्डी समिति उस वर्ष के दौरान, जिसके कि लिए कोई बजट मंजूर किया जा चुका हो, किसी भी समय, पुनरीक्षित या पूरक बजट उसी रीति में पारित करवा सकेगी तथा मंजूर करवा सकेगी मानों कि वह मूल बजट हो।

³[(4) मण्डी समिति उपधारा (6) में निर्दिष्ट स्थायी निधि से भिन्न अपनी निधि में से सन्निर्माण संकर्मों की मंजूरी दे सकेगी और ऐसे कार्य का निष्पादन मण्डी समिति द्वारा अनुमोदित नक्शे तथा डिजाइन के आधार पर ऐसी रीति में करा सकेगी, जैसी बोर्ड द्वारा विहित की जाए।

(5) सन्निर्माण संकर्मों के निष्पादन के लिए बोर्ड या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग को या

¹[CHAPTER IV-A.

Budget]

25-A. Preparation and sanction of budget.—

²[(1) The Managing director shall classify the market committee in either A,B,C, or D categories on the standard as may be prescribed. All the Market Committees shall prepare and pass their budget of income and expenditure for the ensuing year before first April every year in accordance with the guidelines prescribed by the Board:

Provided that budgets of market committees classified as A and B categories shall be passed by the Managing Director.]

(2) No expenditure shall be incurred by a market committee on any item, if there is no provision in the sanctioned budget therefor, unless it can be met by re-appropriation from saving under any other head.

(3) A market committee may at any time during the year for which any budget has been sanctioned cause a revised or supplementary budget to be passed and sanctioned in the same manner as if it were an original budget.

³[(4) The market committee may sanction and cause to undertake execution of construction works out of its fund other than the permanent fund referred to in sub-section (6) on the basis of the plans and designs approved by the market committee, in such manner as may be prescribed by the Board.

(5) The construction works may be entrusted for execution to the Board or

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1998 द्वारा (दिनांक 9-6-1998 से) प्रतिस्थापित।

उपक्रम को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, सौंपा जा सकेगा।]

¹[(6) मण्डी समिति, अपनी सकल प्राप्तियों के, जिनमें पंजीयन फीस और मण्डी फीस समाविष्ट है, बीस प्रतिशत की दर से रकम स्थायी निधि में जमा करने हेतु प्रावधान अपने बजट में करेगी। स्थायी निधि में से कोई भी व्यय, प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन से या उसके द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार ही उपगत किया जाएगा अन्यथा नहीं। इस निधि में से या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित अधिशेष रकम में से कोई भी व्यय धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बजट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।]

अध्याय 5.

²[राज्य मण्डी बोर्ड सेवा]

²[26. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा का गठन.—

(1) बोर्ड तथा मण्डी समितियों के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रबन्ध करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसे राज्य मण्डी बोर्ड सेवा कहा जायेगा।

(2) बोर्ड, राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्यों की भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी वेतन, कार्यकारी भत्ता, उधार, पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), वार्षिकी (एन्युटी), अनुकृपा निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, हटाये जाने, आचरण, विभागीय जाँच, दण्ड अपील तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाएगा।

(3) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो मण्डी समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं, दिये जाने के लिए अपेक्षित वेतन, भत्ते, उपदान तथा अन्य संदाय मण्डी समिति निधि पर भार होंगे।

any Department or undertaking of the State Government authorised by the State Government for this purpose].

¹[(6) The market committee shall make provision in its budget for crediting the amount into the permanent fund at the rate of twenty percent, of its gross receipt comprising of registration fee and market fee. No expenditure from the permanent fund shall be incurred except with the prior approval or as per direction given by the Director. No expenditure from this fund or from surplus amount as provided under sub-section (1) of Section 38 shall be proposed in the budget referred to in sub-section (1)].

CHAPTER V.

²[The State Mandi Board Service]

²[26. Constitution of State Mandi Board Service.- (1) For the purpose of providing officers and employees to the Board and in the Market Committees there shall be constituted, A service by the Board to be called the State Mandi Board Service.

(2) The Board shall make regulations in respect of recruitment, qualification, appointment, promotion, scale of pay, leave, leave salary, acting allowance, loan, pension, gratuity, annuity, compassionate fund, provident fund, dismissal, removal, conduct, departmental enquiry punishment, appeal and other service conditions of the members of the State Mandi Board Service.

(3) The Salary, allowances, gratuity and other payments required to be made to the members of the State Mandi Board Service who are working under the control of the Market Committee shall be a charge on the Market Committee Fund.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

(4) किन्हीं भी नियमों या विनियमों के अधीन नियुक्त किये गये या आमेलित किये गये ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी, जो उपधारा (1) के अधीन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के गठन के अव्यवहित पूर्व राज्य विपणन सेवा, बोर्ड सेवा के सदस्य थे और मंडी समिति सेवा के नाकेदार (सहायक उपनिरीक्षक) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्य समझे जायेंगे।]

¹[27. सचिव और अन्य अधिकारी.—

(1) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जो राज्य मण्डी बोर्ड के सदस्य होंगे;

परन्तु एक से अधिक मण्डी समितियों के लिए किसी एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) सचिव, मण्डी समिति का प्रधान कार्यपालन अधिकारी होगा और उस मण्डी समिति में पदस्थ समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे।

(3) सचिव, मण्डी समिति के प्रति जबाबदार होगा और मण्डी समिति के नियंत्रण के अधीन होगा।

28. [*]**

29. ¹[*]**

30. कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति.—(1)

प्रत्येक मंडी समिति ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जो कि उसके कर्जव्यों की दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक तथा उचित हो:

(4) The officers and employees appointed or absorbed under any rules or regulations and belonging to the State Marketing Service, Board Service and the Nakedars (Assistant Sub-Inspector) of Market Committee Service immediately before the constitution of the State Mandi Board Service under sub-section (1) shall be treated as members of the State Mandi Board Service).

¹[27. Secretary and other Officers.— (1) There shall be a Secretary and other officers for every market committee who shall be members of State Mandi Board Service :

Provided that an officer may be appointed for more than one market committee.

(2) The Secretary shall be the Principal Executive Officer of the Market Committee and all officers and employees posted in the market committees shall be subordinate to him.

(3) The Secretary shall be accountable to the Market Committee and shall be under the administrative control of the Market Committee.]

28. [*]**

29. ¹[*]**

30. Appointment of staff.— (1) Every market committee may appoint such other officers and servants as may be necessary and proper for the efficient discharge of its duties:

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

परन्तु किसी भी पद का सृजन प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) मंडी समिति उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति, वेतन छुट्टी, छुट्टी भत्ते, पेंशन, उपदान भविष्य निधि में अभिदाय तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए तथा उनको शक्तियाँ, कर्जव्य एवं कृत्य प्रत्यायोजित करने के लिए उपलब्ध करने के हेतु उपविधियाँ बना सकेगी।

²[(3) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाने गये नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंध संचालक, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, किसी मण्डी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक को, जिसका अधिकतम वेतनमान छह सौ रुपये से अधिक हो, उस राजस्व संभाग की किसी अन्य मण्डी समिति में प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरित कर सकेगा और प्रबंध संचालक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण का आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित मण्डी समिति से या अधिकारी या सेवक से परामर्श करें।

(4) उपधारा (3) के अधीन स्थानान्तरित किया गया संबंधित अधिकारी या सेवक,—

- (क) मूल मंडी समिति में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा;
- (ख) ऐसे वेतन या भत्तों के संबंध में, जिनके कि लिए वह मूल मंडी समिति में बने रहने की दशा में हकदार होगा, अलाभकारी स्थिति में नहीं रखा जाएगा;

Provided that no post shall be created save with the prior sanction of the Director.

(2) The market committee may make bye-laws for regulating the appointment, pay, leave, leave allowances, pensions, gratuities, contribution to provident fund and other conditions of service of officers and servants appointed under sub-section (1) and for providing for the delegation of powers, duties and functions to them.

²[(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any rules or bye-laws made there under, the Director may, subject to the conditions specified in sub-section (4), transfer on deputation any officer or servant of any market committee carrying a maximum scale of pay exceeding rupees six hundred to any other market committee of the Revenue Division and it shall not be necessary for the Director to consult either the market committee or the officer or servant concerned before passing an order of transfer on deputation under this sub-section.

(4) The officer or servant concerned transferred under sub-section (3) shall,—

- (a) have his lien on the post held in the parent market committee;
- (b) not be put to disadvantageous position in respect of pay and allowances which he would have been entitled to, had he continued in the parent market committee;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) विलोपित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) अन्तःस्थापित।

- (ग) ऐसी दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा जैसी कि प्रबंध संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें; और
- (घ) ऐसे अन्य निबन्धनों और शर्तों द्वारा, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, शासित होगा जैसी कि प्रबंध संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।]
- (c) be entitled to deputation allowance at such rate as the Director may by general or special order, specify; and
- (d) be governed by such other terms and conditions including disciplinary control as the Director may, by general or special orders, specify.]

अध्याय 6.

व्यापार का विनियमन

31. मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों

का विनियमन.— कोई भी व्यक्ति, किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में मंडी क्षेत्र में आदृतिया, व्यापारी, ¹[दलाल,]¹ तुलैया, हज्माल, सर्वेक्षक, भाण्डागारिक प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग) के कारखानों के स्वामी या अधिभोगी ²[या किसान उत्पादक संगठन या निजी मंडी प्रांगण के संचालक या निजी उपमंडी प्रांगण के संचालक या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण या टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स के संचालक]² या ऐसे अन्य मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं।

32. पंजीयन मंजूर करने की शक्ति—

(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो, पंजीयन को मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए मंडी समिति को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाये, आवेदन करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ ऐसी फीस संलग्न की जायेगी जैसी कि प्रबंध संचालक, विहित की गई सीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें।

CHAPTER VI

Regulation of Trading

31. Regulation of persons operating in market area.— No person shall, in respect of any notified agricultural produce, operate in the market area as commission agent, trader, ¹[broker,]¹ weighman, hammad, surveyor, warehouse-man, owner or occupier of processing or pressing factories or ²[Farmer Producer Organization or operator of private market yard or operator of private sub market yard or operator of private farmer consumer yards or Terminal Market Complex]² or such other market functionary except in accordance with the provision of this Act and the rules and bye-laws made thereunder.

32. Power to grant registration.—

(1) Every person specified in section 31 who desires to operate in the market area shall apply to the market committee for grant of a registration or renewal thereof in such manner and within such period as may be prescribed by bye-laws.

(2) Every such application shall be accompanied by such fee as the Director may, subject to the limits prescribed, specify in this behalf.

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा विलोपित।

ख. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।

(3) मंडी समिति पंजीयन मंजूर कर सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंजीयन को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगी;

¹[परन्तु यदि कि मण्डी समिति, पंजीयन की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर पंजीयन मंजूर करने में या पंजीयन का नवीकरण करने में चूक करती है, तो यह समझा जायेगा कि पंजीयन यथास्थिति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है।]

²[परन्तु यह और भी यदि किसी आवेदक के विरुद्ध मण्डी समिति के शोध, जिनके अन्तर्गत छज्जिसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध भी आते हैं, बकाया हैं तो पंजीयन नवीकृत नहीं की जाएगी :

परन्तु यह भी कि कोई भी पंजीयन किसी अवयस्क को मंजूर नहीं की जाएगी।]

(4) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त पंजीयन इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अध्वधीन होंगी।

32- ³[**क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीयन** - (1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, पंजीयन की मंजूरी या उसके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कलावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी की नियमों में विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी पंजीयन मंजूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पंजीयन को मंजूर करने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(3) The market committee may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration:

¹[Provided that if the market committee fails to grant or renew a registration within a period of six weeks from the date of receipt of application therefor the registration shall be deemed to have been granted or renewed, as the case may be.]

²[Provided further that the registration shall not be renewed, if any Mandi committee dues including dues under the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktion Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 are outstanding against the applicant:

Provided also that no registration shall be granted to a minor].

(4) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws mademe thereunder.

“32-³[A Registration for more than on market area” (1) Every person specified in section 31 who desired to operate in more than one market areas, shall apply to such authority/ Officer notified by the State Government for agent of a registration or renewal thereof in such manner and within such period and on such condition as may be prescribed in the rules.

(2) The Authority/ Officer notified by the State Government may grant all renew the registration or for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the registration.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

3. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 से अन्तःस्थापित।

(3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीनीकरण की गई समस्त पंजीयन इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए होंगे।]³

¹[32 - ख. निजी मंडी प्रांगण/ निजी उप-मण्डी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजीयन—(1) ऐसा व्यक्ति/ संगठन/ किसान उत्पादक संगठन, जो मंडी क्षेत्र में निजी मंडी प्रांगण/ निजी उप-मण्डी प्रांगण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करना चाहता हो, पंजीयन या उसके नवीनीकरण के लिए बोर्ड को, ऐसी रीति में तथा कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि नियमों में विहित किये जायें, आवेदन करेगा।

(2) बोर्ड, पंजीयन स्वीकृत कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंजीयन को स्वीकृत करने से या उसके नवीकरण करने से, इंकार कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत किये गये समस्त पंजीयन, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के अध्वधीन होंगे।]¹

33. पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.—(1) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए मण्डी समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगी—

(क) यदि पंजीयन जानबूझकर दुर्व्यवदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि उस पंजीयन का धारक या कोई सेवक या उसकी (अनुज्ञप्ति धारक की) अभिव्यक्ति या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीयन के निबंधनों या शर्तों में से किसी भी निबंधन या शर्त का भंग करता है; या

(3) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye - laws made there under renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye- laws made there under.]³

¹[32- B. Registration for establishment of private market yard/ private sub- market yard and private farmer consumer yard.-

(1) Every person/ organization/ farmer producer organization, who desires to establish private market yard/ private sub- market yard/ private farmer consumer yard in the market area, shall apply to the Board of registration or renewal thereof in such manner and within such period and on such conditions as may be prescribed in the rules.

(2) Board may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration.

(3) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of the Act and the rules and bye-laws made there under.]¹

33. Power to cancel or suspend Registration.- (1) Subject to the provisions of sub-section (4) a market committee may, for reason to be recorded in writing, suspend or cancel a registration—

(a) if the registration has been obtained through willful misrepresentation or fraud; or

(b) if the holder of the registration or any servant or any one acting on his behalf with his express or implied permission, commits a breach of any of the terms or conditions of the registration; or

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।

3. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (ग) यदि पंजीयन का धारक अन्य पंजीयन-धारकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन को मण्डी प्रांगण/प्रांगणों में जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से मण्डी-क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी उपज का विपणन बाधित हो गया हो, निलंबित हो गया हो या रुक गया हो;
- (घ) यदि पंजीयन का धारक दिवालिया हो गया हो;
- (ङ) यदि पंजीयन का धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित की जाये, उपगत कर ले; या
- (च) यदि पंजीयन का धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाये।
- (2) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष, किसी पंजीयन को, किसी ऐसे कारण से, जिस कारण से कि कोई मण्डी समिति किसी पंजीयन को उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर सकती हो, एक मास से अनधिक कालावधि के लिए, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निलंबित कर सकेगा;
- परन्तु ऐसा आदेश उसके किये जाने की तारीख से सात दिन की कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा यदि ऐसे अवसान के पूर्व उस आदेश की पुष्टि मण्डी समिति द्वारा नहीं कर दी गई हो।
- (3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रबंध संचालक लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी पंजीयन को, जो कि मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई हो या नवीकृत की गई हो, आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकेगा :
- परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश मण्डी समिति को सूचना दिये बिना, नहीं किया जायेगा।
- (4) इस धारा के अधीन कोई पंजीयन तब तक निलंबित या रद्द नहीं की जायेगी, जब तक उसके धारक को ऐसे निलम्बन या रद्दकरण के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- (c) If the holder of the registration in combination with other registration holders commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce in the market yard/ yards and in consequence whereof the marketing of any produce has been obstructed, suspended or stopped.
- (d) if the holder of the registration haws become an insolvent;
- (e) if the holder of the registration incurs any disqualification as may be prescribed, or
- (f) If the holder of the registration is convicted of any offence under this Act.
- (2) Subject to the provisions of sub-section (4), the Chairman may, for reasons to be recorded in writing, suspend a registration for a period not exceeding one month for any reason for which a market committee may suspend a registration under sub-section (1):
- Provided that such order shall cease to have effect on expiry of a period of seven days from the date on which it is made, unless confirmed by the market committee before such expiration.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub- section (1) but subject to the provision of sub-section (4), the Director may, for reasons to be recorded in writing, by order suspend or cancel any registration granted or renewed by the market committee:
- Provided that no order under this sub-section shall be made without notice to the market committee.
- (4) No registration shall be suspended or cancelled under this section, without giving an opportunity to show cause against such suspension or cancellation.

¹[33- क. निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप-मण्डी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.-

(1) उप-धारा (3) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, बोर्ड, पंजीयन धारक को लिखित में कारणों को संसूचित करते हुए, पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगा—

(क) यदि पंजीयन जानबूझकर दुर्व्यवदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि पंजीयन धारक या कोई सेवक या उसकी (पंजीयन धारक) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, पंजीयन के निबंधनों या शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है; या

(ग) यदि पंजीयन धारक, अन्य पंजीयन धारकों के साथ सहयोजित होकर, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मण्डी प्रांगण/ उप-मण्डी प्रांगण/ विशेषवस्तु मण्डी प्रांगण/ किसान उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण में जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से, मण्डी क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना सामान्य करोबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलंबित हो गया हो या रूक गया हो; या

(घ) यदि पंजीयन धारक, दिवालिया हो गया हो; या

(ङ) यदि पंजीयन धारक, कोई ऐसी निरर्हता, जैसा कि विहित किया जाये, उपगत कर ले; या

(च) यदि पंजीयन धारक, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाए।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उप-धारा (3) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पंजीयन धारक को लिखित में ऐसे कारणों को संसूचित करते हुए, आदेश द्वारा, बोर्ड द्वारा स्वीकृत या नवीकृत किए गए पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन कोई पंजीयन, उसके धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा।¹

¹[33- A. Power to cancel or suspend registration for private market yard/ private sub- market yard and private farmer consumer yard.-

(1) Subject to the provision of sub-section (3), the board may for the reasons to be communicated to the registration holder in writing, suspend or cancel registration-

(a) If the registration has been obtained through willful misrepresentation or fraud; or

(b) If the holder of the registration or any servant or anyone acting on his behalf with his (registration holder's) expressed or implied permission, commits, a breach of any of the terms or conditions of registration; or

(c) If the holder of the registration in association with other registration holder, commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce in the market, yard/ sub- market yard/ special produce market yard/ farmer consumer sub- market yard and in consequence whereof the marketing of any notified agricultural produce has been obstructed, suspended, or stopped; or

(d) If the holder of the registration has become an insolvent; or

(e) If the holder of the registration incurs any disqualification, as may be prescribed; or

(2) Notwithstanding anything contained in sub- section (1), but subject to the provisions of sub- section (3), the State Government may for the reasons to be communicated in writing to the registration holder, by order suspend or cancel his/ its registration granted or renewed by the Board.

(3) No registration shall be suspended or cancelled under this section without giving a reasonable opportunity to its holder to show cause against such suspension or cancellation.]¹

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।

34. अपील.—(1) अध्यक्ष, मंडी समिति या प्रबंध संचालक के किसी आदेश द्वारा, जो कि ¹[यथास्थिति धारा 32 या 33] के अधीन पारित किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति,—

- (क) जहाँ ऐसा आदेश अध्यक्ष द्वारा पारित किया हो, वहाँ मंडी समिति को;
- (ख) जहाँ ऐसा आदेश मंडी समिति द्वारा पारित किया हो, वहाँ प्रबंध संचालक को; और
- (ग) जहाँ ऐसा आदेश प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया गया हो, वहाँ ²[राज्य सरकार] को; अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील,—

- (एक) जहाँ ऐसी अपील अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर; और
 - (दो) जहाँ ऐसी अपील मंडी समिति या प्रबंध संचालक के आदेश के विरुद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर,
- ऐसी रीति में, जैसी कि ³[***] विहित की जाय, की जायेगी।

(3) अपीली प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(4) अध्यक्ष, मंडी समिति तथा प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया गया आदेश इस धारा के अधीन अपील में दिये गये आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

¹[34. क. अपील एवं विवाद का निपटारा.—

(1) बोर्ड के आदेश, जो यथास्थिति, धारा 32-ख या 33-क के अधीन पारित हो, से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के चालीस दिवस के भीतर, राज्य शासन को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) अपीलीय अधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(3) राज्य शासन द्वारा पारित किया गया आदेश, इस धारा के अधीन अपील में दिए गए आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(4) निजी मंडी प्रांगण या निजी उप-मण्डी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण और मंडी समिति के बीच उद्भूत किसी विवाद को, प्रबंध संचालक, बोर्ड के अनुमोदन उपरांत, राज्य शासन को निर्दिष्ट करेगा। राज्य शासन उभयपक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत विवाद का निपटारा करेगा।

34. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the Chairman market committee or the Managing Director passed under ¹[Section 32 or section 33 as the case may be] prefer an appeal—

- (a) to the market committee, where such order is passed by the Chairman;
- (b) to the Director where such order is passed by the market committee; and
- (c) to the ²[State Government] where such order is passed by the Director.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be made

- (i) within seven days from the date of receipt of the order, where such appeal is against the order of the Chairman; and
- (ii) within thirty days from the date of receipt of the order where such appeal is against the order of the market committee or the Director;

in such manner as may be prescribed ³[***].

(3) The Appellate Authority may if it considers it necessary so to do, grant a stay of the order appealed against for such period as it may deem fit.

(4) The order passed by the Chairman, the market committee and the Director shall, subject to the order in appeal under this section be final and shall not be called in question in any court of law.

¹[34. -A. Appeal and Resolve of Dispute.-

(1) Any person aggrieved by an order of the Board passed under Section 32- B or 33-A, as the case may be, may prefer an appeal to the State Government, within forty days of receipt of the order.

(2) The Appellate Authority if it considers it necessary, may stay the order appealed against for such period as it may deem fit.

(3) The order passed by the State Government, shall subject to the order in the appeal under this section, be final and shall not be called in question in any court of law.

(4) Any dispute between the private market yard or private sub- market yard or private farmer consumer yard and Market Committee shall be referred to the State Government after the approval of the Board, by the Managing Director; the State Government shall resolve the Dispute after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

(5) उपर्युक्त उप-धारा (4) अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।¹

35. इस अधिनियम के अधीन विहित की गई व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध—(1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन विहित की गई छूट से भिन्न कोई भी व्यापारिक छूट अधिसूचित कृषि-उपज के संबंध में किसी भी संव्यवहार में किसी भी मंडी-क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो दी जायेगी अथवा न वसूल की जायेगी और कोई भी सिविल न्यायालय किसी ऐसे संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी ऐसी व्यापारिक छूट पर, जो कि इस प्रकार विहित न की गई हो, ध्यान नहीं देगा।

(2) किसी पात्र के वजन का उसी प्रकार के पात्र से धड़ा किया जायेगा तथा पात्र के वजन का धड़ा करने के लिए किसी जी रूप में कोई भी कटौती नहीं करने दी जायेगी।

36. अधिसूचित कृषि उपज का मंडियों में विक्रय—²[(1) मूल मंडी में विक्रय के लिए लाई गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी उपज के लिए विनिर्दिष्ट किये गये मंडी प्रांगण/ प्रांगणों में या उपविधियों में यथा उपबंधित ऐसे अन्य स्थान पर बेची जाएगी।

परन्तु संविदा खेती के अधीन उत्पादित कि गई कृषि उपज को मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक नहीं होगा तथा उसे किसी भी अन्य स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रित किया जायेगा, जो करार के अधिन उसे क्रय करने के लिए सहमत है।]²

(2) ऐसी अधिसूचित कृषि-उपज, जो वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा मंडी-क्षेत्र के बाहर से क्रय की जाय, मंडी-क्षेत्र में कहीं भी उपविधियों से उपबंधों के अनुसार लाई तथा बेची जा सकेगी।

(3) मंडी प्रांगण में विक्रय के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि-उपज की कीमत ¹[इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली या खुली नीलामी या दोनों]¹ द्वारा तय की जायेगी तथा तय हुए मूल्य में किसी भी कारण से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(5) The order passed by the authority under the above sub-section (4) shall be final and shall not be called in question in any court of law.]¹

35. Prohibition of trade allowances other than those prescribed under this Act.- (1) No trade allowance, other than an allowance prescribed by or under this Act, shall be made or received by any person in any market area in any transaction in respect of the notified agricultural produce and no civil court, shall, in any suit or proceeding arising out of any such transaction, have regard to any trade allowance not so prescribed.

(2) The weight of a container shall be counter-balanced by the same type of container and no deduction in any form whatsoever shall be allowed for counter-balancing the weight of the container.

36. Sale of notified agricultural produce in markets.- ²[(1) All notified agricultural produce brought into the market proper for sale subject to the provisions of sub-section (2), be sold in the market yard/ specified for such produce or at such other place as provided in the bye-laws.

Provided that it shall not be necessary to bring agriculture produce, produced under contract farming, in the market yard and it shall be sold at any other place to the person agreed to purchase the same under agreement.]²

(2) Such notified agricultural produce be purchased by the licensed traders from outside the market area in the course of commercial transaction may be brought and sold any where in market area in accordance with the provisions of the bye-laws.

(3) The price of the notified agricultural produce brought into the market yard for sale shall be settled by ¹[electronic tender bid or open auction or both]¹ and no deduction shall be made from the agreed price on any account whatsoever:

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।

ख. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 द्वारा अन्तः स्थापित।

¹[परन्तु मण्डी-प्रांगण में ऐसी कृषि-उपज की, जिसके लिए कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है, ³[और जिसके क्रय के लिए शासन द्वारा एजेन्सी नियुक्त की गई हो,]³ कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी जो इस प्रकार घोषित की गई है, और मण्डी-प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जाएगी।]¹

¹[(4) इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि-उपज की तौल या माप अनुज्ञप्त तौलिया द्वारा और ऐसी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी जैसी कि उप विधियों में उपबंधित की जाए या उपमंडी प्रांगण या मंडी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य स्थान पर की जाएगी।

परन्तु केला, पपीता या किसी ऐसी अन्य विनिश्चर कृषि-उपज की, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति तौल, माप या गणना किसी अनुज्ञप्त तुलैया द्वारा ऐसे स्थान पर की जाएगी जहाँ ऐसी उपज उगाई गई हो।]

37. क्रय तथा विक्रय की शर्तें—(1) कोई भी व्यक्ति, जो अधिसूचित कृषि-उपज का मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में करार ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाये, निष्पादित करेगा। करार की एक प्रति क्रेता के द्वारा रखी जायेगी, एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी तथा शेष प्रति मंडी समिति के अभिलेख में रखी जायेगी।

²[(2) (क) मंडी-प्रांगण में क्रय की गई कृषि-उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मण्डी-प्रांगण में किया जाएगा;

(ख) यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन भुगतान नहीं करता है तो वह विक्रेता को देय कृषि-उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का दायी होगा;

¹[Provided that in the market yard the price of such notified agricultural produce of which support price has been declared by the State Government, ³[and for purchase of which agency has been appointed by the government]³ shall not be settled below the price so declared and no bid shall be permitted to start, in the market yard, below the rate so fixed.]¹

¹[(4) Weighment or measurement of all the notified agricultural produce so purchased shall be done by a licensed . weighman by and by such procedure as may be provided in the bye - laws or some market yard or any other place specified by the market committee for the purpose.

Provided that the weighment, measurement or counting as the case may be, of Plantain, Papaya or any other perishable agricultural produce as may be specified by the State Government, by notification, shall be done by a licensed weighman in the place where such produce has been grown.]

37. Conditions of buying and selling.-

(1) Any person who buys notified agricultural produce in the market area shall execute an agreement in triplicate in such form as may be prescribed, in favour of the seller. One copy of the agreement shall be kept by the buyer, one copy shall be supplied to the seller and the remaining copy shall be kept in the record of the market committee,

²[(2) (a) The price of the agricultural produce bought in the market yard shall be paid on the same day to the seller at the market yard;

(b) In the case purchaser does not make payment under clause (a), he shall be liable to make additional payment at the rate of one percent, per day of the total price of the agricultural produce payable to the seller within five days;

1. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

फ. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे क्रय के दिन से पाँच दिन के भीतर नहीं करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति छठवें दिन को रद्द कर दी गई समझी जाएगी और उसे या उसके नातेदार को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, “नातेदार” से अभिप्रेत है ऐसा नातेदार जैसा कि धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट है।

(3) अधिसूचित कृषि-उपज के उत्पादकों के साथ अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा ऐसी उपज का कोई भी थोक संव्यवहार मंडी प्रांगण ¹[या उपविधियों में उपबंधित ऐसे अन्य स्थान]¹ के सिवाय, सीधे नहीं किया जायेगा।

(4) आदृतिया केवल अपने नियोजता से ही ऐसी दरों से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायें, अपना कमीशन वसूल कर सकेगा जिस कमीशन के अन्तर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो उपज के भंडारकरण के संबंध में तथा उसके द्वारा की गई अन्य सेवाओं के संबंध में उसके द्वारा उपगत किये जायें।

(5) प्रत्येक अभिकर्ता इस बात के लिए दायी होगा कि वह:—

- (क) अपने को देय कमीशन से भिन्न किसी प्रभार के बिना अपने नियोजता का माल सुरक्षित अभिरक्षा में रखे; और
- (ख) ज्योंही माल बिक जाय, उसकी कीमत का भुगतान अपने नियोजता को कर दे चाहे उसने ऐसे माल के क्रेता से कीमत प्राप्त की हो या न प्राप्त की हो।

(c) in case the purchaser does not make payment with additional payment to the seller under clause (a) and (b) above within five days from the day of such purchase, his licence shall be deemed to have been cancelled on the sixth day and he or his relative shall not be granted any licence under this Act for a period of one year from the date of such cancellation.

Explanation.—for the purpose of this clause "relative" means the relative as specified in the explanation in clause (a) of sub-section (1) of Section 11.]

(3) No wholesale transaction of notified agricultural produce shall be entered into directly by licensed traders with producers of such produce except in ¹[the market yards or such other place]¹ as provided in the bye - laws.

(4) The Commission agent shall recover his commission only from his principal at such rates as may be specified in the bye-laws including all such expenses as may be incurred by him in storage of the produce and other services rendered by him.

(5) Every commission agent shall be liable—

- (a) to keep the goods of his principal in safe custody without any charge other than the commission payable to him;
- (b) and to pay the principal, as soon as the goods are sold, the price thereof, irrespective of whether he has or has not received the price from the buyer of such goods.

1. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹[फसल-क संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन - (क) संविदा खेती, संविदा खेती के उपज के उत्पादक या ²[किसान उत्पादक संगठन]² और क्रेता के बीच लिखित करार (अनुसूची-क में दर्शित आदर्श प्रारूप में) के अधीन ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी की उप-विधियों द्वारा विहित की जाए, की जाएगी।

(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिये मंडी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा मंडी समिति, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए रजिस्टर करेगी।

(3) यदि करार के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, मंडी समिति का अध्यक्ष सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

¹[37-A. Rmegration of marketing of notified agricultural produce under contract farming -

(1) The contract farming shall be performed under a written agreement (in model form shown in Schedule-A) between producer and buyer of ²[Produce of contract farming]² in such manner and in accordance with such procedure as may be prescribed the bye- laws.

Explanation- For the purpose of this section "Producer and buyer" means the person who respectively produce and buy agricultural produce under a written agreement of contract farming.

(2) The buyer shall submit an application for registration of the written agreement contract farming to the market committee. The Market Committee shall register in such manner and on such Terms and conditions as may be prescribed by the bye- laws.

(3) If any dispute arise between the parties in respect of provisions of the agreement the either party may submit an application to the Chairman of Market Committee to arbitrate upon the dispute. The Chairman of the Market Committee shall resolve the dispute after the parties a reasonable opportunity if being hears.

(4) The party aggrieved by the decision of the Chairman of the Market Committee under sub- section (3) may prefer an appeal to the managing Director or the officer authorized by him in this behalf within thirty days from the date of decision. The Managing Director or the officer authorized by him shall dispose of the apper after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and the decision of the Managing Director or the officer authorized by him shall be final.

1. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 द्वारा अन्तःस्थापित।

ख छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को विक्रित की जाएगी जैसा कि उप-विधियों द्वारा विहित किया जाए। ऐसा कृषि उपज के क्रेता द्वारा मंडी फीस धारा 19 के अधीन विहित की गई दरों पर ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए।¹

अध्याय 7.

मण्डी समिति निधि

38. मंडी समिति निधि—(1) मंडी समिति द्वारा प्राप्त हुए समस्त धन एक निधि में जो “मंडी समिति निधि” कहलायेगी, संदृज किये जायेंगे और मंडी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के लिए उपगत किये गये समस्त व्यय की पूर्ति किये जाने के पश्चात् मंडी समिति के पास बचा हुआ कोई अधिशेष ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाय, विनिहित किया जायेगा :

परन्तु समस्त ऐसी धनराशियाँ, जो प्रतिभूति निक्षेप, भविष्य निधि के प्रति किये गये अभिदायों के रूप में या किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में भुगतान के लिये या तुलैया, हज्माल तथा अन्यकृत्यकारियों को देय प्रभारों के लिए मंडी-समिति द्वारा प्राप्त की गई हों, मंडी समिति निधि का भाग नहीं होंगी किन्तु उनका लेखांकन अलग से किया जायेगा।

²[(2) मंडी समिति निधि में प्राप्त समस्त धन और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई अन्य राशियाँ किसी सरकारी बैंक में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा (11)1 के प्रावधानों का पालन कर रही है अथवा डाकघर में अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे पात्र बैंको में से किसी में जमा किया जायेगा।

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-2-2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

ख छ.ग. अधिनियम क्र. 4 सन् 2007, दिनांक 10-5-2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

(5) The agricultural produced under contract farming shall be sold to the buyer or out the market yard as may be prescribed by the bye- laws. The market fees shall payable by the buyer of agricultural produce at the rates prescribed under section 19 in such manner as may be prescribed by bye- laws.]¹

CHAPTER VII

Market Committee Fund

38. Market committee fund.- (1)

All moneys received by a market committee shall be paid into a fund to be called, "The Market Committee Fund" and all expenditure incurred by the market committee under or for the purposes of this Act shall be defrayed out of the said fund. Any surplus remaining with the market committee after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed:

Provided that all such sums of money received by the market committee as security deposit, contributions to Provident Fund or for payment. in respect of any notified agricultural produce, or charges payable to weighman, hammal and other functionaries shall not form part of market committee fund but shall be accounted for separately.

²[(2) All moneys in the market committee fund and other sums specified in sub-section (1) shall be deposited in a Co-operative Bank which fulfils the condition of section (11)1 of Banking Regulation Act, 1949 or in post office or in any of such eligible Banks as specified by the State Government.

39. मंडी समिति निधि का उपयोग—

धारा 38 के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, मंडी समिति निधि केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए व्यय की जा सकेगी, अर्थात्—

- (एक) मंडी प्रांगणों के लिए स्थान या स्थानों का अर्जन;
- (दो) मंडी प्रांगणों का अनुरक्षण एवं सुधार;
- (तीन) मंडी के प्रयोजनों के लिए तथा मण्डी प्रांगण का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत;
- (चार) मानक बांटों तथा मापों को बनाये रखना;
- (पाँच) स्थापना संबंधी प्रभारों की पूर्ति जिनके अंतर्गत उन अधिकारियों तथा सेवकों के, जो कि मंडी-समिति द्वारा नियोजित किये गये हों, भविष्य-निधि, पेंशन तथा उपदान लेखे किये जाने वाले भुगतान तथा अभिदाय भी आते हैं;
- (छः) उन उधारों पर, जो कि मंडी के प्रयोजन के हेतु लिये जायें, ज़्याज का भुगतान तथा ऐसे उधारों के संबंध में निक्षेप-निधि की व्यवस्था;
- (सात) फसल संबंधी आंकड़ों तथा कृषि-उपज के विपणन की जानकारी का संग्रहीत किया जाना तथा प्रसारित किया जाना;
- (आठ) (क) मंडी-समिति के लेखाओं की संपरीक्षा करने में उपगत किये गये व्यय;
- (ख) अध्यक्ष को मानदेय, मंडी-समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं सज़्मिलन में हाज़िर होने के लिए सदस्य को देय बैठक फीस का भुगतान;

39. Application of market committee fund.- Subject to the provisions of section 38, the market committee fund may be expended for the following purposes only, namely:

- (i) the acquisition of a site or sites for the market yards;
- (ii) the maintenance and improvement of the market yards;
- (iii) the construction and repairs of buildings necessary for the purposes of the market and for convenience or safety of the persons using the market yard;
- (iv) the maintenance of standard weights and measures;
- (v) the meeting of establishment charges including payments and contributions towards provident fund, pension and gratuity of the officers and servants employed by a market committee;
- (vi) the payment of interest on the loans that may be raised for the purpose of the market and provisions of sinking fund in respect of such loans;
- (vii) the collection and dissemination or information relating to crops statistics and marketing of agricultural produce;
- (viii)(a) the expenses incurred in auditing the accounts of the market committee;
- (b) payment of honorarium to Chairman, travelling allowance of Chairman, Vice-Chairman and other members of the market committee and sitting fees payable to member for attending the meeting;

(ग) राज्य विपणन विकास निधि के प्रति अभिदाय;	(c) contribution to State marketing development fund;
(घ) राज्य सरकार के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए तथा किसी अन्य अधिनियम के अधीन मंडी समिति को न्यस्त किये गये किसी अन्य कार्य के लिए किसी व्यय की पूर्ति;	(d) meeting any expenditure for carrying out order of the State Government and any other work entrusted to market committee under any other Act;
(ङ) कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा वैज्ञानिक भंडारकरण के लिए किसी स्कीम के प्रति अभिदाय;	(e) contribution to any scheme for increasing agricultural production and scientific storage;
(च) विहित रीति में मण्डी क्षेत्र के विकास के लिए;]	¹ [(f) for development of market area in the manner prescribed];
(छ) प्रबंध संचालक की पूर्व अनुमति से उत्पादन की वृद्धि के लिए लोगों को शिक्षित करने या उसके प्रोन्नयन के लिए तथा कृषि साधनों (एग्रीकल्चरल इनपुट्स) के विक्रय का कार्य हाथ में लेना;]	¹ [(g) to educate or promote and undertake sale of agricultural inputs, for increasing production, with the prior sanction of the Managing director;
² [(छछ) कृषि उपज के विपणन के लिए हाट बाजारों के विकास का कार्य हाथ में लेना;]	² [(gg) to undertake development of Hat Bazars for marketing of agricultural produce;
³ [(ज) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर व्ययों का भुगतान;]	³ [(h) payment of expenses on elections under this Act;]
(नौ) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन रहते हुए, कोई अन्य प्रयोजन, जिस पर मंडी समिति निधि में से किया जाना वाला व्यय लोक हित में हो।	(ix) any other purpose whereon the expenditure of the market committee fund is in the public interest, subject to the prior sanction of the State Government.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

अध्याय 8.**छज़ीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड****40. छज़ीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड—**

(1) ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे, छज़ीसगढ़ राज्य के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जो छज़ीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहलायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उज्जराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा तथा उचित नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और वह किसी भी सज़पज़ि को अर्जित करने तथा धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने के लिए तथा संविदा करने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिए सक्षम होगा।

¹[40 क. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, बोर्ड तथा मंडी समितियों को निदेश दे सकेगी।

(2) बोर्ड तथा मंडी समितियाँ, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगी।]

²[41. बोर्ड गठन.—(1) राज्य सरकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

क-पदेन सदस्य

- (क) मंत्री, जो कृषि विभाग, छज़ीसगढ़, का भारसाधक हो;
- (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, छज़ीसगढ़ शासन, कृषि विभाग व उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी के न हो ;

CHAPTER VIII**Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board**

40. Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board.- (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established for the State of Chhattisgarh a Board called the Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board.

(2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall be competent to acquire and hold, lease, sell or otherwise transfer any property and to contract and to do all other things necessary for the purposes of this Act.

¹[40-A. Power of State Government to give direction.- (1) The State Government may give directions to the Board and Mandi Committees.

(2) The Board and the Mandi Committees shall be bound to comply with directions issued by the State Government under sub-section (1).

²[41. Constitution of Board.- (1) The State Government shall constitute the Board which shall consist of the President and the following members, namely-

A. Ex-Officio Members

- (a) Minister having the charge of Agriculture, Chhattisgarh;
- (b) Principal Secretary/Secretary Government of Chhattisgarh, Agriculture Department or his nominated representative, not below the rank of Deputy Secretary;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

- (ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो ;
- (घ) संचालक, कृषि छत्तीसगढ़ या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो ;;

(ङ) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक;

⁴[(ङङ) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विज्ञ विभाग या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न न हो;]⁴

ख—राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य

- ³[(च) छत्तीसगढ़ विधान सभा के तीन सदस्य, जिसमें से कम से कम एक महिला हो जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नाम-निर्दिष्ट किये गये हो
- (छ) मण्डी समितियों के तीन अध्यक्ष जिनमें से कम से कम एक महिला हो”]³
- (ज) राज्य के भीतर की किसी भी मण्डी समिति में अनुज्ञति धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;
- (झ) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ या छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु व्यापार निगम का अध्यक्ष का प्रबन्ध निदेशक;

¹[(ज) कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र में के दो विशेषज्ञ।]

(2) मंत्री, जो कृषि विभाग, छत्तीसगढ़, का भारसाधक हो बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

¹[(3) यदि अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो राज्य सरकार उसके लिए अन्तरिम व्यवस्था करेगी।]

²[42. उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि— (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके

- (c) Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh or his nominated representative not below the rank of Joint Director;
- (d) Director of Agriculture, Chhattisgarh or his nominated representative not below the rank of Joint Director;;
- (e) Managing Director appointed under clause (f) of sub-section (1) of section 2.

⁴[(ee) Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department or his representative not below the rank of Deputy Secretary.]⁴

B.-Members Nominated by the State Government

- ³[(f) Three members of the Chhattisgarh Legislative Assembly out of which one shall be woman, nominated in consultation with the Speaker of the Legislative Assembly ;
- (g) Three Chairmen of market Committee, out of which one shall be woman.”]³
- (h) Two representatives of traders holding licence in any market committee within the State;

(i) Chairman or Managing Director of the Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation of the Chhattisgarh State Commodities Trading Corporation;

¹[(j) Two experts in the field of marketing of agricultural produce.]

(2) The Minister having the charge of Agriculture, Chhattisgarh shall be the President of the Board and Vice-President thereof shall be nominated by the State Government from the members other than ex-officio members referred to in sub-section (1)]

¹[(3) If any casual vacancy occurs in the office of the President the State Government shall make interim arrangement.]

²[42. Term of Office of Vice-President and Members.-(1) Save as

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

3. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 द्वारा अन्तःस्थापित।

4. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधीन अन्यथा उपबन्धि के सिवाय, बोर्ड का उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(1) ¹[विलोपित***]¹

(2) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि जैसे ही वह उस पद पर न रह जाये जिसके कि आधार पर वह नामनिर्देशित किया गया हो, समाप्त हो जायेगी।

(3) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि का अवसान होने के पूर्व हटा सकेगी किन्तु ऐसा करने के पूर्व वह हटाये जाने के विरुद्ध उसे कारण दर्शाने का युक्तिगत अवसर देगी।

42-क. उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पदत्याग— (1) उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सचिव छज्जीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, को लिखित में सज्जबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और उसका पद, ऐसे त्याग-पत्र की तारीख से पूरे पन्द्रह दिन का अवसान होने पर उस दशा में रिक्त हो जायेगा, जब कि वह उक्त पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपना त्याग-पत्र लिखित में वापस न ले लें।

(2) बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके निरर्हित हो जाने या उसको हटा दिये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन कर के भरी जायेगी। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ऐसे पद को अपने पूर्वाधिकारी की अनवासित अवधि तक के लिए धारण करेगा।

otherwise provided by or under this Act, the Vice-President or a member of Board other than ex-officio member, shall hold office for a term three years from the date of his nomination;

(1) ¹[Omitted***]¹

(2) The term of office of a member of the Board shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.

(3) The State Government may if it thinks fit, remove any member of the Board before the expiry of his term of office, after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

42-A. Resignation by Vice President or Member.- (1) A person holding office of the Vice-President or member may resign his office at any time in writing addressed to the Secretary to the Government of Chhattisgarh Agricultural Department, and his office shall become vacant on the expiry of fifteen clear days from the date of such resignation, unless within the said period of fifteen days he withdraws his resignation in writing.

(2) In the event of death or resignation or disqualification or removal of Vice-President or any member of the Board before the expiry of his term of office a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as may be, by nomination by the State Government. The person so nominated shall hold such office for the un-expired term of his predecessor.

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा विलोपित।

42-ख. बोर्ड के सदस्यों को भत्ते.—बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि से उसके (बोर्ड के) सज़्मिलनों में हाज़िर होने के लिए या किसी अन्य कार्य को करने के लिए ऐसी बैठक फीस तथा भत्तों का भुगतान किया जायेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये जायें।

42-ग. बोर्ड के सदस्य की निरर्हता.—कोई भी ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा:—
 (क) जो न्याय निर्णीत दिवालिया है या किसी भी समय न्याय निर्णीत दिवालिया रहा है; या
 (ख) जो किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमज़ा अन्तर्वलित है; या
 (ग) जो विकृत चिज़ का है तथा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा होना घोषित किया गया है; या
 (घ) जो किसी ऐसी कज़्पनी या फर्म का प्रबंध संचालक या सचिव प्रबंधक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है जिसकी बोर्ड या किसी मण्डी समिति के साथ कोई संविदा है; या
 (ङ) जो धारा 58 के अधीन दोषी है या किसी भी समय दोषी पाया गया है; या
 (च) जिसने सदस्य की हैसियत से अपने पद का राज्य सरकार की राय में इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि जिससे बोर्ड में उसका बना रहना जन साधारण के हितों के लिए अपायकर हो जाता है।]

¹[42-घ. प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की

42-B. Allowances to members of the Board.- The members of the Board other than ex-officio member shall be paid from the Chhattisgarh State Marketing Development Fund such sitting fees and allowances for attending its meetings and for attending to any other work as may be fixed by the State Government from time to time.

42-C. Disqualification of member of the Board.- No person shall be a member of the Board who,—

- (a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or
- (b) is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by the competent court; or
- (d) is a director or a Secretary, Manager or other salaried officer or employee of any company or firm having any contract with the Board or a Market committee; or
- (e) is, or at any time been, found guilty under section 58; or
- (f) has so abused, in the opinion of the State Government, his position as a member, as to render his continuance on the Board detrimental to the interest of the general public.

¹[42-D. Appointment of Managing Director and other officers and employees at the Board.-(1) The Board

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

नियुक्ति.—(1) बोर्ड का एक प्रबंध संचालक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक बोर्ड के पदेन सचिव के रूप में भी कृत्य करेगा;

(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्जव्यों तथा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो;

(4) बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण, प्रबंध संचालक में निहित होगा।

42-ड. उप समितियों की नियुक्ति.—

बोर्ड, अपने कर्जव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्जव्य या कृत्य के पालन के लिए या उससे आनुषंगिक किसी विषय पर सलाह देने के लिए उपसमितियाँ नियुक्त कर सकेगा जिसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबंध संचालक को सम्मिलित करते हुए उसके तीन या तीन से अधिक सदस्य होंगे और इन उप समितियों में से किसी भी उप समिति को अपने कर्जव्यों या कृत्यों या कृत्यों में से कोई भी कर्जव्य या कृत्य, जो कि आवश्यक समझा जाये, प्रत्यायोजित कर सकेगा।]

43. राज्य विपणन विकास निधि.—(1)

प्रत्येक मण्डी समिति, बोर्ड को अपनी सकल प्राप्तियों के, जिसमें पंजीयन फीस तथा मण्डी फीस समाविष्ट है, पचास प्रतिशत से अनधिक इतने प्रतिशत का, जो कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर घोषित करे, प्रति तीन मास में भुगतान करेगी। इस प्रकार भुगतान की गई तथा संग्रह की गई रकम 'छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि' कहलाएगी।

(2) वे समस्त व्यय, जो कि बोर्ड ने अपने द्वारा मंजूर किये गये बजट के अनुसार उपगत किये हों, उक्त निधि में से चुकाये जायेंगे।

shall have a Managing Director who shall be appointed by the State Government.

(2) The Managing Director appointed under sub-section (1) shall also function as the ex-officio Secretary of the Board.

(3) The Board may appoint other officers and employees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions under the Act.

(4) The superintendence and control over all the officers and employees of the Board shall vest in the Managing Director.

42-E. Appointment of Sub-Committees- The Board may appoint sub-committees consisting of three or more of its members which shall include President or Vice-President and the Managing Director, for the performance of any of its duties or functions or for giving advice on any matter incidental thereto and may delegate to such sub-committee any of its duties or functions as may be deemed necessary.]

43. State marketing development fund.—(1) Every market committee shall pay every three months to the Board such percentage, not exceeding fifty percent of its gross receipts comprising of licence fees and market fees as the State Government may, by notification, declare, from time to time. The amount so paid and collected shall be called "Chhattisgarh State Marketing Development Fund."

(2) All expenditures incurred by the Board, according to the budget sanctioned by it, shall be defrayed out of the said fund.

¹[(3) बोर्ड के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र ²[प्रबंध संचालक] द्वारा तैयार किये जायेंगे और बोर्ड को किसी भी स्रोत से प्रोद्भूत होने वाले या उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त धन तथा संवितरित या संदत्त की गई समस्त रकमें लेखाओं में दर्ज जायेंगी।

(4) बोर्ड के लेखाओं की सज़परीक्षा प्रबंध संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा की जायेगी।

(5) ²[प्रबंध संचालक] संपरीक्षा के समय, समस्त लेखाओं, रजिस्ट्रों दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य सुसंगत कागज-पत्रों को, जो कि संपरीक्षा अधिकारी द्वारा संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए मंगवायें जायें, पेश करवायेगा। किसी फर्क को दूर करने के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा माँगा गया स्पष्टीकरण उसे तुरन्त दिया जायेगा।

(6) लेखे, जब कि उनकी संपरीक्षा कर ली जाय, मुद्रित किये जायेंगे, लेखाओं तथा संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियाँ, उस पर की गई टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी। संपरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

³[(7) छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन किसी सहकारी बैंक में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) के प्रावधानों का पालन कर रही है अथवा डाकघर में अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे पात्र बैंको में से किसी में जमा किया जायेगा।] ³

44. प्रयोजन, जिनके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जायेगी.—
छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि बोर्ड द्वारा

¹[(3) The annual accounts and balance sheet of the Board shall be prepared by the ²[Managing Director] and all moneys accruing to or received by the Board from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(4) The accounts of the Board shall be audited by the Managing Director Local Fund Audit, Chhattisgarh.

(5) At the time of audit the ²[Managing Director] shall cause to be produced all accounts, registers, documents and other relevant papers which may be called for by the audit officer for the purposes of the audit. Any explanation called for by such officer for the removal of any discrepancy shall be immediately furnished to him.

(6) The accounts when audited shall be printed. The copies of accounts and audit report with comments thereon shall be placed before the Board. The audit report with comments of the Board shall be submitted to the State Government.

³[(7) "All moneys received by the Chhattisgarh State Marketing Development Fund shall be deposited in a co-operative Bank, Which fulfils the condition of section 11 of (1) of Banking regulation Act. 1949 or in Post Office or in any of such eligible Banks as specified by the State Government."] ³

44. Purposes for which Chhattisgarh State marketing development fund shall be expended.—
The Chhattisgarh State Marketing devel-

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

3. छ.ग. अधिनियम क्र. 4 सन् 2007, दिनांक 10-5-2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जायेगी, अर्थात्— (एक) मण्डी सर्वेक्षण तथा गवेषणा, कृषि उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण तथा अन्य सञ्चालन विषय; (दो) कृषि उपजों की क्रय तथा विक्रय की शर्तों के सामान्य सुधार संबंधी विषयों के बारे में प्रचार तथा प्रकाशन एवं विस्तार सेवायें; (तीन) ¹[(क) ऐसी न्यूनतम आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसी कि प्रथम बार स्थापित किए गये मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में बोर्ड द्वारा विहित की जाए, का सन्निर्माण करना और स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए दो लाख रुपये तक का अनुदान देना;]¹ (ख) राज्य ²[***]² की विज्ञीय रूप से कमजोर मण्डी समितियों को उधारों और/या अनुदानों के रूप में सहायता देना; (ग) किसी मण्डी समिति को, मण्डी-प्रांगण और/या उपमण्डी-प्रांगण के विकास के लिए शीतागार गोदाम या भाण्डागार के सन्निर्माण के लिए, पौध संरक्षण उपस्करों के वितरण के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो वांछनीय समझे जाएँ, उधार। ³[(चार) बोर्ड के कर्जव्यों का पालन करने के लिए भवनों या भूमि का अर्जन करना या निर्माण करना या भवनों या भूमि को पट्टे द्वारा या अन्यथा भाड़े पर लेना;]³ (पाँच) बोर्ड द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों तथा सेवकों को वेतन छुट्टी-भत्ते, उपदान, अन्य भत्तों, उधारों तथा अग्रिम एवं भविष्य	opment fund shall be utilised by the Board for the following purposes, namely: (i) market survey and Research, grading and standardization of agricultural produce and other allied subjects; (ii) propaganda and publicity and extension services on the matters relating to general improvement of conditions of buying and selling of agricultural produces; (iii) ¹[(a) construction of minimum infrastructure as prescribed by the Board in the market yard or sub market yard established for the first time and for giving grant to the extent of two lakh rupees to defray the establishment expenses]¹ (b) Giving aid to financially weak market committees ²[***]² the State in the form of loans and or grants; (c) loans to any market committee for development of market yard and/or sub-market yard, construction of cold storage, godown or warehouses, distribution of plant protection equipments and other purpose as may be considered desirable;] ³[(iv) acquisition or constructions or hiring by lease or otherwise of buildings or land for performing the duties of the Board;]³ (v) payment of salary, leave allowance, gratuity other allowances, loans and advances and provident fund to the officers and servants employed by the" Board and pension and other
---	--

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) विलोपित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

निधि का और ⁴ [प्रतिनियुक्ति पर के सरकारी सेवकों] ⁴ के लिए पेंशन तथा अन्य अभिदाय का भुगतान;]	contribution to the ⁴ [Government servants on deputation;] ⁴
(छ:) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा तथा अन्य भत्ते;	(vi) travelling and other allowances to the members of the Board;
(सात) मण्डी समिति का अधिक अच्छा नियंत्रण;	(vii) better control of market committees;
(आठ) बोर्ड द्वारा उपगत किये गये किन्हीं विधिक व्ययों की पूर्ति करना;	(viii) meeting any legal expenses incurred by the Board;
(नौ) कृषि उपज के नियमित वितरण में शिक्षण प्रदान करना;	(ix) imparting education in regulated marketing of agricultural produce;
¹ [(दस) कृषकों, मंडी समितियों के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृंद को प्रशिक्षण देना;]	¹ [(x) training the agriculturists, officers and staff of the market committee].
² [(दस-क) मंडी प्रांगण के विकास के लिए सन्निर्माण के स्थल-रेखांक (साइट-प्लान्स) तथा प्राक्कलन तैयार करने हेतु परियोजना रिपोर्ट या मास्टर प्लान तैयार करने हेतु मण्डी समितियों के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था;	² [(x-a) provision of technical assistance to the market committees in the preparation of site plans and estimates of construction and in the preparation of project reports or master plans for development of _ market yard;
(दस-ख) बोर्ड तथा मंडी समितियों की आन्तरिक संपरीक्षा;	(x-b) internal audit of the Board and the market committees;]
(दस-ग) कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए कृषि आधानों (एग्रीकल्चरल इनपुट्स) का मंडी क्षेत्रों में विपणन तथा विक्रय;	(x-c) marketing the sale of agricultural inputs for increasing agricultural production in the market areas;
(दस-घ) कृषि उपज के विपणन के लिए हाट बाजारों का विकास तथा मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के आवक-जावक को सुकर बनाने के लिए आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का सन्निर्माण;	(x-d) development of Haat Bazaars for marketing of agricultural produce and construction of infrastructure for facilitating the flow of notified agricultural produce in the market area;
(दस-ङ) आर्थिक रूप से कमजोर मंडी समितियों के इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय का भुगतान करना;]	(x-e) payment of expenses of election of Financially weak market committees under this Act;]
³ [(दस-ङङ) छत्तीसगढ़ गौ- सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रं 23 सन् 2004) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ गौ- सेवा आयोग को, गो-शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल के लिए निधि से ⁴ [10 %] ⁴ के अनुदान प्रदाय हेतु।	³ [(x-ee) Giving aid of ⁴ [10%] ⁴ from the fund, to Chhattisgarh Go-Seva Ayog constituted under the Chhattisgarh Go- Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004) for maintenance Goshalas and old Cattles;”

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

3. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[(दस-च) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से सहकारी सेक्टर की उन कंपनियों की अंशपूँजी में अतिशेष निधि का विनिधान, जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग में लगी हुई है, तथा परिसिद्ध तकनीक का उपयोग करती हैं तथा जिनकी परियोजनाओं को अधिकोषकीय और आर्थिक रूप से जीवनक्षम दर्शाया गया है;]

(ग्यारह) ³[राज्य सरकार की पूर्वानुमति से या निर्देश पर, कृषि उपज के उत्पादन या विपणन के सामान्य हित के किसी अन्य प्रयोजन के लिए।]³

²[(बारह) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से या निर्देश पर बोर्ड भिन्न - जिन्न कृषक कल्याणोन्मुखी गतिविधियों (कृषक हित) के लिए अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम ³[पन्द्रह प्रतिशत]³ तक राशि उपयोग कर सकेगा।]²

45. उधार लेने की बोर्ड की शक्ति.—

बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार से धन उधार ले सकेगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से—

- (एक) किसी अन्य अधिकरण से धन उधार ले सकेगा; या
- (दो) उसमें निहित किसी सज्पजि के प्राधिकार पर या इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे प्रोद्भूत होने वाली उसकी भावी आय के किसी भाग की प्रतिभूति पर डिबेंचर जारी कर सकेगा।

46. बोर्ड के कर्जव्यों तथा कृत्य.—बोर्ड—

- (क) धारा 44 में विनिर्दिष्ट किये गये कृत्यों को, जिन पर बोर्ड की निधि व्यय की जा सकेगी, यथा संभव कार्यान्वित करेगा;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये समस्त विषयों पर सलाह देगा;
- (ग) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का, जो बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाये, प्रयोग करेगा;
- (घ) राज्य सरकार को समय-समय पर स्वेच्छा से निम्नलिखित विषयों पर सलाह देगा—

¹[(x-f) investment of surplus funds in the share capital of companies in the co-operative sector which are engaged in Agricultural processing industries and use proven technology and whose projects are shown to be bankable and economically viable, with the prior sanction of the State Government;]

(xi) ³[With the prior sanction or direction of the State Government, for any other purpose of general interest of agricultural production or marketing;]³

²[(xii) The Board may utilize a maximum of ³[fifteen percent]³ of its annual gross income for various farmer welfare oriented activities with the prior sanction of/or instruction from the State Government.]²

45. Power of Board to borrow.— The Board may, for carrying out the provisions of this Act, borrow money from the State Government or may with the previous approval of the State Government,

- (i) from any other agency; or
- (ii) issue debentures on the authority of any property vested in it or on the security of a part of its future income accruing to it under this Act, or the rules made thereunder.

46. Duties and functions of Board.— The Board shall,—

- (a) as far as possible carry out the functions specified in section 45 on which the fund of the Board may be expended;
- (b) advise on all matters referred to it by the State Government;
- (c) exercise such powers of the State Government under this Act and rules made thereunder as may be delegated to the Board;
- (d) advise the State Government from time to time of its own accord on the following matters:

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1998 द्वारा (दिनांक 9-6-1998 से) अन्तःस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

फ. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (एक) कृषि उपज की कीमत नियत करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त,
- (दो) मंडियों का दक्षतापूर्वक प्रबंध करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही,
- (तीन) वह रीति जिसमें कृषि उपज की आमद के आंकड़े तथा कृषि उपज के प्रेषणों संबंधी आंकड़े संकलित किये जाने चाहिए तथा बनाये रखे जाने चाहिए और प्रसारित किये जाने चाहिए,
- (चार) इन अधिनियम में तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में संशोधन,
- (पाँच) कोई ऐसा विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।
- (ङ) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों को कार्यान्वित करवाएगा;
- (च) कृषि मंडी समितियों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा।
- (i) principles to be followed in fixation of price of agricultural produce;
- (ii) steps to be taken for managing the markets efficiently;
- (iii) manner in which the data relating to arrivals and dispatches of agricultural produce should be compiled and maintained and disseminated;
- (iv) amendment in this Act, and the rules made thereunder;
- (v) in any matter necessary for implementing the provisions of this Act.
- ¹[(e) Cause to be implemented the provisions of this Act and the rules and bye-laws framed thereunder; and
- (f) exercise supervision and control over the agriculture Market Committee.]

47. बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ.—इस बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसी कि विहित की जायें।

अध्याय 9. शास्ति

48. धारा 6 या धारा 31 के उल्लंघन के लिए शास्ति.—जो कोई धारा 6 के खण्ड (ख)²[या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2)] के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो ²[पाँच हजार]रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और चालू रहने

47. Powers of President, Vice President of Board.— The President and Vice-President of the Board shall exercise such powers as may be prescribed.

CHAPTER IX Penalty

48. Penalty for contravention of section 6 or section 30.— Whoever contravenes the provisions of clause (b) of section 6 ²[or section 31, sub-section (2) of section 37] shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to ²[five

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रुपये तक का धारा 6 के खण्ड (ख) के उल्लंघन के मामले में तथा पचास रुपये तक का ¹[धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन] के मामले में हो सकेगा :

परन्तु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों में वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दण्ड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।

49. अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिए शास्ति.—(1) जो कोई धारा 35 के उपबन्धों के उल्लंघन में, कोई अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देगा या लेगा, वह दोष सिद्धि पर, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो ²[दो हजार] रुपये तक हो या दोनों से दण्डित किया जायेगा तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो ²[पांच हजार] रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई पंजीयन की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ²[पांच हजार] रुपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई किसी अधिकारी को, लेखाओं का निरीक्षण करने में या मण्डी समिति के कार्यकलापों की जाँच करने में बाधा पहुँचायेगा का धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके कि दौरान अपराध चालू रहे, ¹[दो हजार] रुपये तक का हो सकेगा।

thousand] rupees, or with both; and in the case of a continuing contravention, with a further fine which may in case of contravention of clause (b) of section 6 extend to one hundred rupees and in the case of ¹[contravention of section 31 or sub-section (2) of section 37] to fifty rupees per day during which the contravention is continued after the first conviction:

Provided that in absence of special and adequate reasons to the contrary mentioned in the judgment of the court the punishment for the second or any subsequent offence shall not be less than imprisonment for a term of three months and a fine of five thousand rupees.

49. Penalty for contravention of other sections.—(1) Whoever in contravention of the provisions of section 35 makes or recovers any unauthorised trade allowance shall on conviction, be punished with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to ²[two thousand] rupees or with both and in case of subsequent contravention with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to ²[five thousand] rupees with both.

(2) Whoever contravenes any condition of a licence granted by a market committee shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ²[five thousand] rupees.

(3) Whoever obstructs any officer in carrying out the inspection of accounts or holding an enquiry into affairs of a market committee or fails to obey any order issued under clause (d) of sub-section (1) of section 54 shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ¹[two thousand] rupees for every day during which the offence continues.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) यदि मण्डी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जब कि वह मण्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाय—

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इन्कार करेगा; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा;

तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ¹[पांच हजार] रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(5) जो कोई धारा 54 की उपधारा (3) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी प्राधिकृत व्यक्तियों को मण्डी समिति की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों या सज्पत्रि का अभिग्रहण करने या कब्जा लेने में बाधा पहुँचायेगा या ऐसे व्यक्त को उसका परिदान देने में चूक करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ¹[दो हजार] रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन मण्डी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हज्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन करेगा या अपने नियोजन के लिए पारिश्रमिक की मांग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अनुसार न माँगकर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह, दोषसिद्धि पर,

(4) If any officer, servant or member of a market committee, when required to furnish information in regard to the affairs or proceedings of a market committee under clause (a) of sub-section (1) of section 54—

(a) wilfully neglects or refuses to furnish any information: or

(b) wilfully furnishes false information, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ¹[five thousand] Rupees.

(5) Whoever in contravention of the provisions of sub-section (3) of section 54 obstructs any authorised persons in seizing or taking possession of any books, records, funds or property of the market committee or fails to give delivery thereof to such person, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ¹[two thousand] rupees.

(6) Any person who fraudulently evades the payment of any fee or other sum due to the market committee under the provisions of this Act or the rules or bye-laws made thereunder or evades the payment due towards remuneration to any weighman or hammal, or demands remuneration without authority of the seller or buyer for his employment or demands remuneration otherwise than in accordance with the provisions of the rules and bye-laws made under this Act, shall, on conviction, be punished with

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

जुर्माने से, जो ²[पाँच हजार] रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो उसके लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके कि दौरान ऐसा अपराध चालू रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(ख) जो कोई एक अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह, यदि उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो, जुर्माने से, जो ²[दो हजार] रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

50. मण्डी समिति तथा अध्यक्ष की, शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्ति — (1) मण्डी समिति तथा उसका अध्यक्ष किसी अनुज्ञापित मण्डी कृत्यकारी या विक्रेता पर, किसी उपविधि के उल्लंघन के लिए परिनिन्दा की या जुर्माने की शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु मण्डी समिति ²[दो हजार] रुपये से अधिक जुर्माने अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगी तथा अध्यक्ष ²[पाँच सौ] रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तिगत अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, प्रबंध संचालक को कर सकेगा और उस पर प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा।

¹[51. मण्डी शोध्यों की वसूली — जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाय, तब मजिस्ट्रेट,

fine which may extend to ²[five thousand] rupees and in case of continuing offence with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such offence is continued after conviction therefor.

(7) Whoever contravenes any provision of this Act or any rules or bye-laws made thereunder shall, if no other penalty is provided for the offence, be punished with fine which may extend to ²[two thousand] rupees.

50. Powers of market committee and Chairman to impose penalties.-

(1) A market committee and the Chairman thereof may impose the penalties of censure or of fine on any licensed market functionary or seller for contravention of any bye-law :

Provided that the market committee shall not be competent to impose fine exceeding ²[two thousand] rupees and the Chairman shall not be competent to impose fine exceeding ²[five hundred] rupees.

Provided further that no penalty shall be imposed under this section without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(2) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) may prefer an appeal against such order to the Managing Director within fifteen days from the date of receipt of order by such person and the decision of the Managing Director thereon shall be final.

¹[51. Recovery of market dues.-

Whenever any person is convicted of any offence punishable under this Act the

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित

किसी ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, जो कि अधिरोपित किया जाय, फीस की रकम या कोई अन्य रकम, जो कि उस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन उससे शोध्य हो, वसूल करेगा और मण्डी समिति को उसका भुगतान कर देगा तथा स्वविवेकानुसार, अभियोजन के खर्चों को भी वसूल करेगा तथा मण्डी समिति को उनका भुगतान कर देगा।]

52. अपराधों का संज्ञान — (1) द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

¹[(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किसी उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का कलेक्टर द्वारा या मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा किये गये या मण्डी समिति द्वारा इस संबंध में सत्यरूप से प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद पर ही संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं।]

53. अपराधों का प्रशमन समझौता — (1) मण्डी समिति या उसकी उप-समिति किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि संबंध में यह अधिकथित हो कि उसने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन दण्डनीय अपराध किया है इस, प्रकार वसूली योग्य फीस या अन्य रकम के अतिरिक्त, ऐसे अपराध के प्रशमन के मद्दे ²[पाँच हजार] रुपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन होने पर, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी कार्यवाही न तो की जायेगी और न चालू रखी जायेगी और यदि उस अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में पहले

Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover and pay over to the market committee the amount of fees or any other amount due from him under this Act or rules or byelaws made thereunder and may, in his discretion, also recover and pay over to the market committee costs of the prosecution.]

52. Cognizance of offences. (1) No court inferior, to that of a Magistrate of the second class shall try any offence under this Act or any rules or bye-laws made thereunder.

¹[(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rule or any byelaws made thereunder except on the complaint made by the Collector or the Chairman, Vice-Chairman or Secretary of the market committee or of any person duly authorised by the market committee in this behalf]

53. Composition of offence. - (1) A market committee or its sub - committee may accept from any person who is alleged to have committed an offence punishable under this Act or Rules or Byelaws made thereunder in addition to the fees or other amount so recoverable, a sum of money not exceeding rupees ²[five thousand] by way of composition for such offence.

(2) On composition of any offence under sub- section (1), no proceedings shall be taken or continued against the person concerned in respect of such offence and if any proceedings if in respect of the offence have already been instituted against him in any

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. छ. ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

ही संस्थित कर दी गई हो तो ऐसे प्रशमन का प्रभाव यह होगा कि वह उससे दोषमुक्त हो जायेगा।

अध्याय 10

नियंत्रण

54. ¹[मंडियों को निर्देश देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति एवं मंडी समिति के कार्यकलापों की जाँच] ¹— (1) प्रबंध संचालक —

(क) किसी मण्डी समिति के लेखाओं तथा कार्यकलापों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा।

¹[(कक) प्रबंध संचालक, मंडी समितियों को निर्देश दे सकेगा तथा मंडी समितियाँ ऐसे निर्देश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।]¹

(ख) किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जाँच कर सकेगा।

(ग) किसी मंडी समिति से ऐसी विवरणी, विवरण लेखे या रिपोर्ट, जिसके कि देने की, ऐसी समिति से अपेक्षा करना वह उचित समझे, मंगा सकेगा।

(घ) किसी मण्डी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह —

(एक) किसी भी ऐसी आपज़ि पर, जिसका कि उसे किसी ऐसी बात के किये जाने में, जो कि ऐसी समिति द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली हो या की जा रही हो, विद्यमान होना प्रतीत होता है, अवैधता, असमीचीनता या अनौचित्य के आधार पर विचार कर ले; या

(दो) किसी ऐसी जानकारी पर विचार कर ले जो कि वह (प्रबंध संचालक) दे सकता हो और जिसके कि संबंध में उसे (प्रबंध संचालक को) यह प्रतीत हो कि उससे किसी बात का ऐसी समिति द्वारा किया जाना आवश्यक हो जायेगा;

(ड) यह निदेश दे सकेगा कि कोई ऐसी बात, जो की जाने वाली हो या जो की जा रही है, उज़र पर

Court the composition shall have the effect of his acquittal.]

CHAPTER X.

Control

54. ¹[Power to give instruction and inspection of markets and inquiry in to affairs of market committee.] ¹— (1) The Managing Director may —

(a) inspect or cause to be inspected the accounts and offices of the market committee ;

¹[(aa) the Managing Director may give Direction to the market committees and the market committee shall be bound to comply with such direction.]¹

(b) hold inquiry into the affairs of a market committee;

(c) call for from a market committee return, statement, accounts or reports which he may think fit to require such committee to furnish ;

(d) require a market committee to take into consideration-

(i) any objection on the ground of illegality, inexpediency or impropriety which appears to him to exist to the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of such committee ; or

(ii) any information he is able to furnish and which appears to him to necessitate the doing of a certain thing by such committee.

(e) direct that anything which is about to be done or is being done should not be

1. छ. ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

विचार के लज्जित रहने तक, नहीं की जाना चाहिए और ऐसी बात, जो की जानी चाहिये किन्तु नहीं की जा रही है, ऐसे समय के भीतर, जिसके कि संबंध में वह निदेश दे, की जानी चाहिए।

(2) जब किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों का इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाय या किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा धारा 59 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जाय, तब ऐसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक एवं सदस्य मण्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाही के बारे में अपने कर्ज्जे में की ऐसी जानकारी देंगे जो कि यथास्थिति राज्य सरकार, प्रबंध संचालक या प्राधिकृत किये गये अधिकारी को अपेक्षित हो।

(3) किसी ऐसे अधिकारी को, जो उपधारा, (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों का अन्वेषण कर रहा हो, या राज्य सरकार को, जो धारा 59 के अधीन किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा कर रही हो, यह शर्तित प्राप्त होगी कि वह मण्डी समिति के अधिकारियों या सदस्यों को, उन्हीं उपायों से तथा यथासंभव उसी रीति में, जैसी कि किसी सिविल न्यायालय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा उपबंधित है, समन करे तथा हाजिर कराये तथा साक्ष्य देने एवं दस्तावेज पेश करने के लिए उन्हें विवश करें।

(4) जहाँ प्रबंध संचालक को यह विश्वास करने का कारण हो कि मण्डी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों में गड़बड़ कर दी जाना या उन्हें नष्ट कर दिया जाना संभाव्य है या किसी मण्डी समिति की निधियों या सज्पजि का दुर्विनियोग या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहाँ प्रबंध संचालक, अपने द्वारा लिखित में सज्पक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह निदेश देते हुए, आदेश जारी कर सकेगा कि वह

done, pending consideration of the reply, and anything which should be done but is not being done should be done within such time as he may direct

(2) When the affairs of a market committee are investigated under this section or the proceeding of any market committee are examined by the State Government under section 59, the Chairman, Vice-Chairman, Secretary and all other officers, and servants and members of such committee shall furnish such information in their possession in regard to the affairs or proceeding of the market committee as the State Government, the Managing Director, or the officer authorised, as the case may be, may require.

(3) An officer investigating the affairs of a market committee Under sub-section (1) or the State Government examining the proceeding of any market committee under section 59 shall have the power to summon and enforce the attendance of officers or members of the market committee and to compel them to give evidence and to produce documents by the same means and as far as possible in the same manner as is provided in the case of a civil court by the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).

(4) Where the Managing Director has reason to believe that the books and records of a market committee are likely to be tampered with or destroyed or the funds or property of a market committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Managing Director may issue orders directing a person duly authorised by him in writing to seize and take possession of such books and

मण्डी समिति की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों तथा सज्पजि का अभिग्रहण कर लें एवं उनका कज्जा प्राप्त कर लें और मण्डी समिति का ऐसा अधिकारी या उसके ऐसे अधिकारीगण, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा सज्पजि की अभिरक्षा के लिए उजरदायी हो उनका परिदान इस प्रकार प्राधिकृत किये गये व्यक्त को करेंगे / करेगा।

३५. मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना— ¹[(1) प्रबंध संचालक, स्वप्रेरणा से या तत्समय मण्डी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किये गये संकल्प पर मण्डी समिति के किसी भी सदस्य को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण हटा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर उसे इस प्रकार हटाये जाने की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिए मण्डी समिति के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित या पुनः नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार हटाये जाने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे सदस्य को यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाय।

(ख) प्रबंध संचालक किसी मण्डी समिति के किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण या उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार असावधान रहने के कारण उसके पद से हटा सकेगा और इस प्रकार हटा दिये जाने पर यथास्थिति अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष, मण्डी समिति के सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के शेष भाग के दौरान, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा :

records, funds and property of the market committee and the officer or officers of the market committee responsible for the custody of such books, records, funds and property, shall give delivery thereof to the person so authorised.

55. Removal of member, Chairman and Vice-Chairman of market committee-¹[(1)

The Managing Director may on his own motion or on a resolution passed by a majority of two- third of the members constituting the market committee for the time being remove any member of the market committee for misconduct or neglect of or incapacity to perform his duty and on such removal he shall not be re-elected or re-nominated as a member of the market committee for a period of six years from the date of such removal :

Provided that no order of such removal shall be passed unless such member has been given a reasonable opportunity of showing cause why such order should not be passed.]

(2) The Managing Director may remove any Chairman or Vice-Chairman of a market committee from his office, for misconduct, or neglect of or incapacity to perform his duty or for being persistently remiss in the discharge of his duties and on such removal the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, shall not be eligible for re-election as Chairman or Vice-Chairman during the remainder of his term of office as member of market committee :

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाये।

¹[(3) राज्य सरकार किसी मण्डी समिति के किसी ऐसे सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जिस पर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील कर दी गई हों और जिसके विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हों या जो ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् अनियमितताएँ करता है, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से या अनियमितताओं के प्रबंध संचालक की जानकारी में आने की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगी, जब तक कि उसके मामले में अन्तिम विनिश्चय नहीं कर लिया जाता है।]

56. मंडी समिति का अतिष्ठान — ²[(1) यदि प्रबंध संचालक की राय में, कोई मण्डी समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो प्रबंध संचालक, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी समिति को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए अतिष्ठित कर सकेगा और अतिष्ठान की कालावधि के प्रथम छह मास का अवसान हो जाने पर, मण्डी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी तथा अतिष्ठान की कालावधि के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसका अवसान इस प्रकार गठित की गई मण्डी समिति के प्रथम साधारण सत्रिमेलन की तारीख को हो गया है :

Provided that no order of removal shall be passed unless the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of showing cause why such order should not be passed.

¹(3) The State Government may suspend any member or Chairman or Vice-Chairman of a market committee, who has been served with the notice under sub-section (1) or sub-section (2) as the case may be, and against whom any complaints have been received or who commits irregularities after the service of such notice, for period from the date of receipt of complaint or the date of noticing of irregularities by the Managing Director till the final decision is taken in his case.]

56. Supersession of Market Committee.- ²[(1) If in the opinion of the Managing Director, a Market Committee is not competent to perform or persistently makes default in performing the duties imposed on it by or under this Act or abuses its power the Managing Director may, by an order in writing supersede such Committee for a period not exceeding one year and on expiry of first six months of the period of supersession, action to hold the elections for the constitution of Market Committee shall be started and the period of supersession shall be deemed to expire on the date of first general meeting of the Market Committee so constituted :

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 27-7-1986 से) अन्तःस्थापित।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 12-6-1985 से) प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-7-1997 से) प्रतिस्थापित।
4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

परन्तु इस उपधारा के अधीन अतिष्ठान का आदेश पारित करने के पूर्व, प्रबंध संचालक प्रस्ताव के विरुद्ध कारण दर्शाने के लिए मण्डी समिति को युक्तिपूर्ण अवसर देगा और मण्डी समिति के स्पष्टीकरणों तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा :

परन्तु यह और भी कि जहाँ नई मण्डी समिति का गठन उसके अतिष्ठान के एक वर्ष के भीतर नहीं किया जा सका हो, वहाँ राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, अतिष्ठान की कालावधि को बढ़ा सकेगी जो किसी दशा में मण्डी समिति की अवधि से, जो ¹[धारा 13 की उपधारा (2)] में विनिर्दिष्ट है, अधिक नहीं होगी।]

²[(2) उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति को अतिष्ठित करने वाले आदेश के पारित होने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से यह समझा जायेगा कि उन्होंने अपने पद रिक्त कर दिये हैं;

(ख) मण्डी समिति में निहित समस्त आस्तियाँ उसके समस्त दायित्वों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी।

¹[(3) जहाँ कोई मण्डी समिति अतिष्ठित कर दी गयी है, तो प्रबंध संचालक मण्डी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा और प्रबंध संचालक अतिष्ठित की गई मण्डी समिति की ऐसी आस्तियाँ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अन्तरण की तारीख को हों, भारसाधक अधिकारी को अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति

Provided that before passing an order of supersession under this sub-section the Managing Director shall give a reasonable opportunity to the Market Committee for showing cause against the proposal and shall consider the explanations and objections, if any, of the Market Committee :

Provided further that where the new Market Committee could not be constituted within one year of its supersession, the State Government may, in special circumstances, extend the period of supersession which shall not, in any case, exceed beyond the term of the Market Committee specified in ¹[sub-section (2) of section 13].

²[(2) Upon the passing of an order under sub-section (1) superseding a Market Committee, the following consequences shall ensue namely :-

(a) All the members as well as the Chairman and Vice Chairman of the Market Committee shall, as from the date of such order, be deemed to have vacated their offices;

(b) All the assets vested in the Market Committee shall, subject to all the liabilities, vest in the State Government.]

¹[(3) When a Market Committee has been superseded the Managing Director may, by an order, appoint a person to be called the Officer-in-Charge, to carry out the functions and exercise the powers of the Market Committee and transfer to such Officer-in-Charge the assets and liabilities of the superseded Market Committee as on the date of such transfer :

Provided that in the event of death or resignation or leave or suspension of the Officer-in-Charge, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled in, as soon as

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 8 सन् 1994 द्वारा (दिनांक 18-1-1994 से) प्रतिस्थापित।

प्रबंध संचालक द्वारा यथाशक्य शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा जिसे उसके स्थान किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किये जाएँ, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(6) अतिष्ठान की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार धारा 11 के अधीन नवीन समिति का गठन कर सकेगी तथा अतिष्ठित की गई समिति की वे आस्तियाँ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अन्तरण की तारीख को हों, उसे अन्तरित कर सकेगी।

¹[(7) यथा पुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सञ्मेलन के लिए नियत की गयी तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा।]

¹[57. धारा ²[13] के अधीन विघटन के परिणाम — (1) जहाँ कोई मण्डी समिति धारा ²[13 की उपधारा (2) के परन्तुक] के अधीन विघटित हो जाती है, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उपधारा के अधीन ऐसी मण्डी समिति का विघटन हो जाने की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है;

maybe, by appointment of a person thereto by the Managing Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as Officer-in-Charge.

(4) Any Officer-in-Charge appointed under sub- section (3) may at any time be removed by the Managing Director, who shall have power to appoint another person in his place.

(5) Any person appointed Officer-in-Charge under sub-section (3) shall receive from the Market Committee fund for his services such pay and allowances as may be fixed by the Managing Director.]

(6) At any time before the expiry of the period of supersession, the State Government may constitute a new committee under S. 11 and transfer thereto the assets and liabilities of the superseded committee as on the date of such transfer.

¹[(7) The Officer-in-Charge shall cease to hold office on the date appointed for the first meeting of the Market Committee as re-constituted.]

¹[57. Consequences of dissolution under Section ²[13].- (1) Where a Market Committee stands dissolved under ²[proviso to sub- section (2) of Section 13], the following consequences shall ensue, namely ;—

(a) all the members as well as the Chairman and Vice-Chairman of the Market Committee shall, as from the date of dissolution of such Market Committee under the said sub-section, be deemed to have vacated their offices;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 8 सन् 1994 द्वारा (दिनांक 18-1-1994 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

(ख) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके समस्त कर्जव्यों का पालन प्रबंध संचालक के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे प्रबंध संचालक, आदेश द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करे और जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा —

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति प्रबंध संचालक द्वारा यथाशक्य शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर नाम नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा :

(ग) मण्डी समिति में निहित समस्त संप्रति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारसाधक अधिकारी में न्यासतः निहित होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय, प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किए जाएँ, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) यथा पुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सत्रिमेलन के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा।

(b) all powers and duties of the Market Committee under this Act, shall, subject to the control of the Managing Director, be exercised and performed by a person to be called the Officer-in-Charge as the Managing Director may, by order appoint in that behalf :

Provided that in the event of death, resignation, leave or suspension of the Officer-in-Charge a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled in as soon as may be, by appointment of a person thereto by the Managing Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as Officer-in-Charge;

(c) All property vested in the Market Committee shall vest in the Officer-in-Charge in trust for the purposes of this Act.

(2) Any Officer-in-Charge appointed under sub- section (1) may at any time be removed by the Managing Director who shall have power to appoint another person.

(3) Any person appointed Officer-in-Charge under sub-section (1) shall receive from the Market Committee Fund for his services such pay and allowances as may be fixed by the director.

(4) The Officer-in-Charge shall cease to hold office on the date appointed for the first general meeting of the Market Committee as reconstituted]

¹[57. - क. निर्वाचनों को मुलतवी करने की राज्य सरकार की शक्ति - ²[(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को एक समय में एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मुलतवी कर सकेगी परन्तु सङ्गपूर्ण कालावधि कुल मिलाकर ³[तीन वर्ष छः मास] से अधिक नहीं होगी।]

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी कर दिये जाने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् -

(क) कोई भी निर्वाचन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के दौरान नहीं किया जायेगा;

(ख) निर्वाचन कार्यवाहियाँ, चाहे वे किसी भी प्रक्रम पर हों, निराकृत हो जायेगी; और

(ग) सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अङ्ग्यर्थियों द्वारा किये गये निक्षेप उन्हें वापस कर दिये जायेंगे।

⁴[स्पष्टीकरण. - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “निर्वाचन कार्यवाहियाँ” से अभिप्रेत है वह प्रक्रिया जो उस तारीख से प्रारम्भ होती हो जिसको कि निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन करने के लिए अपेक्षा की गई हो तथा तब समाप्त होती हो जबकि निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दी जाये।]

58. हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का

¹[57-A. Power of State Government to postpone elections. - ²[(1) If the State Government is of the opinion that circumstances exist which render it necessary, so to do, the State Government may, notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, by notification, for reasons to be specified therein, postpone from time to time, the election of members of a Market Committee under sub-section (1) of section 11, for such period not exceeding one year at a time as may be specified in such notification provided that the total period shall not exceed ³[three years and six months] in the aggregate.]

(2) On issue of the notification under sub-section (1), following consequences shall ensue, namely :-

(a) no election shall be held during the period specified in the notification;

(b) the election proceedings at whatever stage they may be shall stand abrogated; and

(c) the deposits made by the candidates for the election as member shall be refunded to them.]

⁴[Explanation.- For the purposes of this sub-section “election proceedings” means the process commencing from the date calling, upon the constituencies to elect and ending with the declaration of the result of the election]

58. Liability of Chairman, Vice-Chairman, members and employees for loss, waste

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 39 सन् 1974 द्वारा (दिनांक 12-5-1974 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 43 सन् 1976 द्वारा (दिनांक 12-5-1974 से) प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1977 द्वारा (दिनांक 12-5-1974 से) प्रतिस्थापित।

4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 26 सन् 1975 द्वारा (दिनांक 12-5-1974 से) अन्तःस्थापित।

5. छ.ग. अधिनियम क्र. 1 सन् 2011 द्वारा (दिनांक 07-1-2011) प्रतिस्थापित।

दायित्व. - (1) यदि, धारा 54 के अधीन की गई जाँच या किये गये निरीक्षण के अनुक्रम में या इस अधिनियम के अधीन की गई संपरीक्षा के अनुक्रम में यह पाया जाय कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे किसी मण्डी समिति का प्रबंध सौंपा गया है या सौंपा गया था या ¹[मण्डी समिति के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, भारसाधक अधिकारी, मण्डी समिति के सचिव या उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी] ने ऐसी समिति के या उसके नियंत्रणाधीन किसी धन या अन्य संपत्ति का संदाय या उपयोजन किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल हो, किया हो या उसके करने का, उससे संबंधित किसी सकारात्मक मत या कार्यवाही में अनुमति देकर या सहमति देकर या उसमें भाग लेकर, निदेश दिया हो या घोर उपेक्षा या अवचार के द्वारा कोई कमी या हानि कारित की हो या मण्डी समिति के किसी भी धन का या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग किया हो या उसे कपटपूर्वक प्रतिधारित किया हो, तो प्रबंध संचालक, स्वप्रेरणा से या मण्डी समिति का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति के आचरण के संबंध में ¹[उस तारीख से, जिसको कि यथास्थिति संपरीक्षा, जाँच या निरीक्षण की रिपोर्ट की गई हो, दो वर्ष के भीतर] स्वयं जांच कर सकेगा या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अपने द्वारा सज्जक् रूप से प्राधिकृत किये गये अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को उस जांच के करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गई जांच हो जाने पर प्रबंध संचालक का यह समाधान हो जाय कि इस उपधारा के अधीन आदेश देने के लिए अच्छे आधार हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति से या मृत व्यक्ति के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि से जिसको उसकी संपदा

or misapplication etc.- (1) If in the course of inquiry or inspection under section 54 or in the course of audit under this Act it is found that any person who is or was entrusted with the management of a market committee or ¹[any deceased, past or present Chairman, Vice-Chairman, member, Officer-in-Charge of market committee, Secretary or any other officer or employee, of market committee or an officer of the State Government] has made or directed by assenting or concurring or participating in any affirmative vote or proceeding related thereto, any payment or application of any money or other property belonging to or under the control of, such committee to any purpose contrary to the provisions of this Act or rule or bye-laws made thereunder or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to the Market Committee, the Managing Director may, on his own motion or on the application of the Market Committee, enquire himself or direct any officer subordinate to him duly authorised by him by an order in writing in this behalf to enquire into the conduct of such person ¹[within two years of the date of report of audit, enquiry or inspection, as the case may be].

(2) If on enquiry made under sub-section (1) the Managing Director is satisfied that there are good grounds for an order under this sub-section, he may make an order requiring such person, or, in the case of a deceased person, his legal representative in-

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

विरासत में मिली हो, यह अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा कि वह उस धन या उस संपत्ति का या उसके किसी भी भाग का ऐसी दर से ज़्यादा सहित प्रतिसंदाय या वापसी करे या अभिदाय तथा खर्चे या प्रतिकर का ऐसी सीमा तक संदाय करे जिसे कि प्रबंध संचालक न्यायसंगत एवं साझ्यापूर्ण समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और भी कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस संपत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विरासत में प्राप्त हुई हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ¹[उस तारीख से जिसको कि उसे आदेश संसूचित किया गया हो, तीस दिन के भीतर] राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार के आदेश के अधधीन रहते हुए प्रबंध संचालक का आदेश अंतिम एवं निश्चायक होगा :

²[परन्तु परिसीमा काल की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जो कि उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।]

(4) उपधारा 2 या उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी भी विधि-न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई भी आदेश प्रबंध संचालक का आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा मानों कि वह ऐसे न्यायालय की डिक्री हो, या कोई भी ऐसी रकम, जिनके कि संबंध में ऐसे आदेश द्वारा यह

herits his estate, to repay or restore the money or property and any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution to such extent as the Managing Director may consider just and equitable :

Provided that no order Under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter :

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which inherited by such legal representative.

(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) may, ¹[with in thirty days from the date of communication of the order to him] appeal to the State Government and subject to the order of the State Government the order of the Managing Director shall be final and conclusive :

²[Provided that in computing the period of limitation, the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded]

(4) No order passed under sub-section (2) or sub-section (3) shall be called in question in any court of law.

(5) Any order made under sub-section (2) or sub-section (3) shall, on the application of the Managing Director, be enforced by any Civil Court having local jurisdiction in the same manner as if it were a decree of such court, or any sum directed to be paid

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

निर्देशित किया गया हो कि उसका भुगतान किया जाय, भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

¹[(6) यदि शपथ - पत्र के आधार पर, जांच करने पर या अन्यथा, प्रबंध संचालक का यह समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेश के, जो कि इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध पारित किया जा सकता है, प्रवर्तन में विलम्ब करने या उसमें बाधा डालने के आशय से -

(क) अपनी संपूर्ण संपत्ति का या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है; या

(ख) अपनी संपूर्ण संपत्ति को या उसके किसी भाग को राज्य से हटाने वाला है,

तो वह (प्रबंध संचालक), यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी गई हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उक्त संपत्ति की या उसके किसी ऐसे भाग की, जिसे कि वह आवश्यक समझे, सशर्त-कुर्की कर ली जाय तथा ऐसी कुर्की का वही प्रभाव होगा मानों कि वह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गई हो।

²[59 मण्डी समिति के कार्यवाहियों को मँगाने की शक्ति - (1) प्रबंध संचालक, स्वप्रेरणा से, या उसे किये गये आवेदन पर, किसी भी मण्डी समिति की कार्यवाहियों को तथा राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से, या उसे किये गये आवेदन पर, प्रबंध संचालक की कार्यवाहियों को, जैसी भी कि दशा हो, किये गये किसी भी विनिश्चय की या पारित किये गये किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में तथा यथास्थिति समिति या प्रबंध संचालक की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए मँगा सकेगी / सकेगा तथा उनकी परीक्षा कर सकेगी / सकेगा। यदि किसी भी मामले में प्रबंध संचालक या राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे विनिश्चय या आदेश या इस प्रकार मंगाई गई कार्यवाही को उपांतरित किया जाना चाहिए, बातिल किया जाना

by such order may be recovered as an arrear of land revenue.

¹[(6) If the Managing Director is satisfied on a affidavit, enquiry or otherwise that any person with intent to delay or obstruct the enforcement of any order that may be passed against him under this section.-

(a) is about to dispose of the whole or any part of his property; or

(b) is about to remove the whole or any part of his property from the State, he may, unless adequate security is furnished, direct the conditional attachment of the said property or such part thereof as he thinks necessary and such attachment shall have the same effect as if made by a competent civil Court.]

²[59. Power to call for proceedings of market committee. - (I) The Managing Director may, on his own motion, or on an application made to him, call for and examine the proceeding of any market committee and the State Government may of its own motion or on an application made to it, call for and examine the proceedings of the Managing Director, for the purpose of satisfying himself or it self, as the case may be, as to the legality or propriety of any decision taken or order passed and as to the regularity of the proceedings of the committee or the, Managing Director, as the case may be. If in any case, it appears to the Managing Director or the State Government that any such decision or order or proceeding so called for should be modified, annulled, reversed, or

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

चाहिए, उलट दिया जाना चाहिए, या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी / सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु प्रत्येक ऐसा आवेदन, जो कि प्रबंध संचालक या राज्य सरकार को इस हेतु से किया जाना हो कि वह इस धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करे, उस तारीख से साठ दिन के भीतर किया जायेगा जिसको कि वह विनिश्चय या आदेश, जिससे कि ऐसा आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था :

परन्तु यह और भी कि उपधारा (1) के अधीन कोई भी ऐसा आदेश, उससे (आदेश से) प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) मण्डी समिति द्वारा किये गये विनिश्चय या पारित किये गये आदेश के निष्पादन को यथास्थिति प्रबंध संचालक या राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर्यन्त निलंबित कर सकेगी / सकेगा।

remitted for reconsideration he or it may pass such order thereon as he or it may deem fit :

Provided that every application to the Managing Director or the State Government for the exercise of the powers under this section shall be preferred within sixty days from the date on which the decision or order to which the application relates was communicated to the applicant :

Provided further that no such order shall be passed under sub-section (1) without giving a reasonable opportunity of being heard to the parties affected thereby.

(2) The [Managing Director or the State Government, as the case maybe, may suspend the execution] of the decision taken or order passed by the market committee, pending the exercise of his or its powers under sub-section (1).]

अध्याय 11

प्रकीर्ण

60. अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति - राज्य सरकार, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि - उपज की मदों में से किसी भी मद में, अधिसूचना द्वारा परिवर्द्धन या संशोधन कर सकेगी या उसे निकाल सकेगी और तदुपरांत अनुसूची तदनुसार संशोधित हुई समझी जाएगी :

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राज्य सरकार के ऐसी अधिसूचना जारी करने के आशय की कम से कम छः सप्ताह की, जैसा कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, पूर्व सूचना राजपत्र में दिये बिना जारी नहीं की जायेगी।

¹[61. राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली - (1) कोई भी ऐसी राशि, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अनुबंधों के अधीन किसी प्रभार, लागत, व्यय, फीस, भाटक या किसी अन्य लेखे किसी मण्डी समिति या बोर्ड ²[या कृषि उपज के किसी विक्रेता] को शोध्य हो, उस रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें कि भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

(2) कोई भी ऐसी राशि, जो यथास्थिति बोर्ड या राज्य सरकार को किसी मण्डी समिति से शोध्य हो, उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें कि भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है :

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन की गई कार्यवाहियों से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे सूचना दी जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्रबंध संचालक को अपील कर सकेगा जिसका उस पर आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

CHAPTER XI

Miscellaneous

60. Power of State Government to amend Schedule.- The State Government may, by notification add to amend or delete any of the items of agricultural produce specified in the Schedule and thereupon the Schedule shall be deemed to be amended accordingly :

Provided that no notification shall be issued under this section without giving in the Gazette previous notice of not less than six weeks as the State Government may consider reasonable of its intention to issue such notification.

¹[61. Recovery of sums as an arrear of Land Revenue. - (1) Any sum due to a market committee or the Board [or to a seller of agricultural produce] on account of any charge, costs, expenses, fees, rent or any other account under the provisions of this Act or any rule or bye law made, thereunder shall be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue.

(2) Any sums due from a market committee to the Board or to the State Government, as the case may be, shall be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue :

(3) Any person aggrieved by the proceedings made under sub-sections (1) and (2) may, within thirty days from the date of communication of notice to him appeal to the Managing Director whose order thereon shall be final and shall not be called in question in any court of law.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।

(4) प्रबंध संचालक, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उन कार्यवाहियों को, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी कालावधि के लिए रोक सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।]

62. पुलिस अधिकारी के कर्जव्य - प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्जव्य होगा कि वह कोई भी ऐसी जानकारी, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध करने के किसी प्रयत्न के या ऐसे किसी अपराध के किये जाने के बारे में उसे प्राप्त हो, यथाशक्य शीघ्र मण्डी समिति को संसूचित करे तथा मण्डी समिति के सचिव या किसी अधिकारी या सेवक की, जो कि अपने विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में उसकी (पुलिस अधिकारी) सहायता मांगे, सहायता करे।

63. हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टेखाते डालने की शक्ति - जब कभी यह पाया जाय कि किसी मण्डी समिति को शोध्य कोई रकम वसूल न होने योग्य है या यह पाया जाय कि उसका परिहार कर दिया जाना चाहिए या जब कभी किसी समिति के धन या सामान या अन्य संपत्ति की कोई हानि किसी व्यक्ति के कपट या उपेक्षा के कारण या किसी अन्य कारण से हुई हो और यह पाया जाय कि वह संपत्ति या धन वसूल न होने योग्य है, तब ¹[एक हजार]¹ रुपये से अनधिक राशि होने की दशा में अध्यक्ष और इससे अधिक राशि होने की दशा में मण्डी समिति यह आदेश दे सकेगी कि उन सबको यह दर्शा कर बट्टेखाते डाल दिया जाय कि वे खो गये हैं खो गई हैं, वसूल न होने योग्य हैं या कि उनका परिहार कर दिया गया है, जैसी भी कि दशा हो :

(4) The Managing Director may if he considers it necessary so to do, grant a stay of the proceedings appealed against, for such period as he may deem fit]

62. Duties of Police Officers. - It shall be the duty of every police officer to communicate, as soon as may be, to the market committee any information which he receives regarding any attempt to commit or the commission of any offence against this Act or any rule or bye-law made thereunder and to assist the Secretary or any officer or servant of the market committee demanding his aid in the exercise of his lawful authority.

63. Power to write off loss, shortage and irrecoverable fees. - Whenever it is found that any amount due to a Market Committee is irrecoverable or should be remitted or whenever any loss of a committee's money or stores or other property occurs through the fraud or negligence of any person or for any other cause and the property or money is found to be irrecoverable, the Chairman shall in the case of sum not exceeding ¹[one thousand]¹ rupees and in the case of sum more than this the Market Committee may order to write-off as lost, irrecoverable or remitted, as the case may be :

परंतु यदि किसी मामले में रकम ⁴[पाँच हजार] रुपये से अधिक हो, तो ऐसा आदेश प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा।

64. मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि लोकसेवक होंगे - मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी तथा सेवक और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे।

65. शर्तियों का प्रत्यायोजन - ²[(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसकी प्रदत्त शर्तियों में से कोई भी शर्त धारा 79 के अधीन नियम बनाने की शर्त को छोड़कर, राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो प्रबंध संचालक के पद से निज्ज पद का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगी।]

³[(2) प्रबंध संचालक, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शर्तियों में से कोई भी शर्त राज्य मंडी बोर्ड सेवा के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।]

¹[(3) प्रबंध संचालक या इस धारा के अधीन सशर्त किये गये किसी अधिकारी को, जबकि वह किसी मण्डी समिति और किसी व्यक्त के बीच या किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिए उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न के बारे में जांच करने या उसे विनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन की शर्तियों का प्रयोग कर रहा हो, न्यायालय समझा जाएगा।]

66. सिविल वाद का वर्जन - किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, प्रबंध संचालक के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के विरुद्ध या बोर्ड या किसी

Provided that if in any case the amount is in excess of ⁴[five thousand] rupees such order shall not take effect without the prior approval of the Managing Director.

64. Chairman, Vice-Chairman, members, officers and servants of market committee or President, Vice-President etc. of Board to be public servants.- The Chairman, the Vice-Chairman, Members, Secretary, other officers and servants of a market committee and the President, Vice-president, the members, the officers and other servants of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

65. Delegation of powers.- ²[(1) The State Government may delegate to any officer of the State Government not below the rank of Managing Director any of the powers conferred on it by or under this Act other than powers to make rules under Section 79]

³[(2) The Managing Director may delegate to any officer of the State Mandi Board Service any of the powers conferred on him by or under this Act].

¹[(3) The Managing Director or the Officer empowered under this section, while exercising powers under this Act or the rules made thereunder to enquire into or to decide any question arising for determination between the market committee and any person or between parties to any proceedings, shall be deemed to be a court.)

66. Bar to Civil suit.- No suit in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act or rules or bye-laws made thereunder, shall lie against the Managing Director or any officer of the State Government or against the Board or any market committee, or against any officer or servant of the Board or any market commit-

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

4. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

मण्डी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो कि प्रबंध संचालक, ऐसे अधिकारी या ऐसी समिति के निदेशों के अधीन तथा अनुसार कार्य कर रहा हो, विरुद्ध कोई भी वाद नहीं होगा।

²[66 - क. निर्वाचन याचिका - (1) इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन को केवल,³[राज्य सरकार] को विहित रीति में प्रस्तुत याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा।

(2) ऐसी कोई याचिका तब तक ग्रहण नहीं कि जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको कि प्रश्नगत निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न कर दी जाए।

(3) ऐसी याचिका की जांच या उसका निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए।]

67. सूचना न दिए जाने की दशा में वाद का वर्जन - बोर्ड या किसी मण्डी समिति के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना के, जिसमें कि वाद-हेतुक, इच्छुक वादी का नाम तथा निवास स्थान तथा वह अनुतोष, जिसका कि वह दावा करता हो, कथित हो, उसे परिदृष्ट कर दिए जाने या उसके कार्यालय में छोड़ दिये जाने के ठीक पश्चात् दो मास का अवसान न हो गया हो। ऐसा प्रत्येक वाद खारिज कर दिया जाएगा यदि वह अभिकथित-वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने की तारीख से 6 माह के भीतर संस्थित न किया गया हो।

68. कार्यवाहियाँ रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी - बोर्ड या किसी मण्डी समिति या उसकी उप-समितियों में से किसी भी उप-समिति का कोई भी कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि —

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में त्रुटि है;

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती।

tee or against any person acting under and in accordance with the directions of the Managing Director, such officer, or such committee.

²[66-A. Election petition- (1) An election under this Act shall be called in question only by a petition presented in the prescribed manner to the ³[State Government.]

(2) No such petition or shall be admitted unless it is presented within thirty days from the date on which the election in question was notified.

(3) Such petition shall be enquired into or disposed of according to such procedures as may be prescribed]

67. Bar of suit in absence of notice. - No suit shall be instituted against the Board or any market committee, until the expiration of two months next after notice in writing stating the cause of action, name and place of abode of the intending plaintiff and the relief which he claims has been delivered or left at its office, Every such suit shall be dismissed unless it is instituted within six months from the date of the accrual of the alleged cause of action.

68. Vacancy not to invalidate proceedings : No act of the Board or a market committee or any of its sub-committees shall be in valid merely by reason of —

(a) any vacancy in, or defect in the constitution thereof; or

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-7-1986 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 14 सन् 1999 द्वारा (दिनांक 6-5-1999 से) प्रतिस्थापित।

3. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 6 सन् 2004) द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 अप्रैल, 2004, पृष्ठ 164(2) - 164 (4) में प्रकाशित।

अध्याय 12

मण्डी की सीमाओं में परिवर्तन

¹[69. मण्डी फीस से छूट देने की शक्ति- (1)

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, अधधीन रहते हुए, किसी ऐसी कृषि-उपज को, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये मण्डी-क्षेत्र में विक्रय के हेतु लाई गई हो या क्रय की गई हो या बेची गई हो, ऐसी कालावधि के लिए, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को उस कालावधि का, जिसके की लिए उसे प्रवृज्ज बने रहना था, अवसान होने के पूर्व विखण्डित किया जा सकेगा और ऐसा विखण्डन हो जाने पर ऐसी अधिसूचना प्रवृज्ज नहीं रह जायेगी।

70. मण्डी - क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समामेलित करने या उनको विपाटित करने के आशय की अधिसूचना - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा —

(एक) मण्डी - क्षेत्र में, उसके समीपवर्ती किसी अन्य क्षेत्र को सज्जिमलित करके या उसमें से किसी ऐसे क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट हो, अपवर्जित करके मण्डी-क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के; या

(दो) दो या अधिक मण्डी-क्षेत्रों को समामेलित करने के तथा उनके लिए एक मण्डी समिति गठित करने के; या

CHAPTER XII

Alteration of Limits of Market

¹[69. Power to grant exemption from market fee. - (1) The State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified therein exempt in whole or in part any agricultural produce brought for sale or brought or sold in the market area specified in such notification from the payment of market fees for such period as may be specified therein.

(2) Any notification issued under this section may be rescinded before the expiry of the period for which it was to have remained in force and on such rescission such notification shall cease to be in force]

70. Notification of intention to alter limits of or to amalgamate or to split up market areas.- (1) The State Government may, by notification, signify its intention —

(i) to alter the limits of a market area by including within it any other area in the vicinity thereof or by excluding therefrom any area comprised therein; or

(ii) to amalgamate two or more market areas and constitute one market committee therefor; or

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 6 सन् 1987 द्वारा (दिनांक 17-10-1986 से) प्रतिस्थापित।

(तीन) किसी मण्डी-क्षेत्र को विपाटित करने के तथा उसके लिए दो या अधिक मण्डी समितियां गठित करने के; या

(चार) किसी मण्डी को बंद करने के अपने आशय को संज्ञापित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में यथास्थिति उस क्षेत्र की, जिसे कि किसी मण्डी-क्षेत्र में सन्मिलित किया जाना या जिसे किसी मण्डी-क्षेत्र में से अपवर्जित किया जाना आशयित हो, या उन मण्डी-क्षेत्रों की, जिनको कि समामेलित करके एक मण्डी-क्षेत्र बनाया जाना आशयित हो, या किसी विद्यमान मण्डी-क्षेत्र को विपाटित करने के पश्चात् गठित की जाने के लिए आशयित मण्डियों में से प्रत्येक मण्डी के क्षेत्र की या उस मण्डी के, जिसका कि बंद किया जाना आशयित हो, क्षेत्र की सीमायें परिनिश्चित की जायेंगी और उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना में छः सप्ताह से कम न होने वाली वह कालावधि भी विनिर्दिष्ट की जायगी जिसके की भीतर आपञ्जियां, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जायेंगी।

71. धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात् की प्रक्रिया - (1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से प्रभावित मण्डी-क्षेत्र या मण्डी-क्षेत्रों का कोई भी निवासी, यदि उसे उस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में आपञ्जि हो, अपनी लिखित आपञ्जियां राज्य सरकार को, ऐसी कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा, जो कि उक्त अधिसूचना में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई हों।

(2) जब उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो गया हो, और जब राज्य सरकार ने उन आपञ्जियों पर, जो कि उक्त कालावधि के भीतर उसको प्रस्तुत की गई हों, विचार कर लिया हो तथा आदेश पारित कर दिये हों, तब राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा —

(क) उस क्षेत्र को या उसके किसी भाग को मण्डी-क्षेत्र में सन्मिलित कर सकेगी या उसमें से उसे अपवर्जित कर सकेगी; या

(iii) to split up a market area and to constitute two or more market committees therefor; or

(iv) to disestablish a market.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the limits of the area which is intended to be included in or excluded from a market area, or of the market area intended to be amalgamated into one, or of the area of each of the markets intended to be constituted after splitting up an existing market area or of the area of the market intended to be disestablished, as the case may be, and shall also specify the period which shall not be less than six weeks within which objections, if any, shall be received by the State Government,

71. Procedure subsequent to notification under section 71.- (1) Any inhabitant of the market area or of the areas affected by the notification issued under sub-section (1) of section 70 may, if he objects to anything contained therein, submit his objections in writing to the State Government within the period specified for this purpose in the said notification.

(2) When the period specified in the said notification has expired and the State Government has considered and passed orders on such objection as may have been submitted to it within the said period, the State Government may, by notification, -

(a) include the area or any part thereof in the market area or exclude in therefrom; or

(ख) समामेलित किये गये मण्डी क्षेत्रों के लिए नवीन मण्डी समिति का गठन कर सकेंगी; या

(ग) किसी विद्यमान मण्डी-क्षेत्र को विपाटित कर सकेगी और ऐसे क्षेत्रों के लिए यथास्थिति दो या अधिक मण्डी समितियों का गठन कर सकेगी; या

(घ) मण्डी को बंद कर सकेगी।

72. सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में पारिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति — (1) जहाँ धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, वहाँ राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में ऐसे पारिणामिक आदेश दे सकेगी जैसे कि वह उचित समझे —

(क) परिवर्तित क्षेत्र के लिए मण्डी समिति का गठन जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र किसी मण्डी-क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो या उसमें से अपवर्जित किया गया है;

(ख) उन विद्यमान मण्डी समितियों का, जो कि समामेलित की गई हों, विघटन और तत्पश्चात्, समामेलित मण्डी समिति का गठन जबकि दो या अधिक मण्डी समितियाँ समामेलित की गई हों;

(ग) विपाटित की गई मण्डी समिति का विघटन और तत्पश्चात्, उसके स्थान पर स्थापित की गई मंडी समितियों का गठन तथा उससे आनुषंगिक बातें।

(2) धारा 10 के उपबंध उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के गठन को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे प्रथम बार स्थापित की गई किसी मंडी के लिए मण्डी समिति के गठन को लागू होते हैं।

(b) constitute a new market committee for the market area amalgamated; or

(c) split up an existing market area and constitute two or more market committees for such areas, as the case may be; or

(d) disestablish the market.

72. Powers of State Government to issue consequential order with respect to constitution, etc. of market committees on alteration of limits, amalgamation or splitting up.- (1) Where a notification under section 71 has been issued the State Government may such consequential orders as it may deem fit in respect of —

(a) the constitution of the market committee for the altered area where a local area has been included or excluded from market area;

(b) the dissolution of the existing market committees which have been amalgamated and the constitution of the amalgamated market committee thereafter where two or more market committees are amalgamated;

(c) the dissolution of the market committee split up and the constitution of the market committees established in its place there after and matters ancillary there to.

(2) The provisions of section 10 shall apply to the constitution of a market committee under sub-section (1) as they apply to constitution of a market committee for a market established for the first time.

73. सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम - जहाँ मण्डी-क्षेत्र में से कोई क्षेत्र अपवर्जित करते हुए तथा किसी क्षेत्र को किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में सञ्मिलित करते हुए, धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, वहाँ राज्य सरकार, मण्डी समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह अवधारित करने के लिए स्कीम बनायेगी कि एक मण्डी समिति में निहित आस्तियों तथा अन्य संपत्तियों का कौन-सा भाग अन्य मण्डी समिति में निहित होगा और मण्डी समितियों के दायित्वों को उन दो मण्डी समितियों के बीच किसी रीति में प्रभाजित किया जायेगा और ऐसी स्कीम राजपत्र में प्रकाशित की जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

74. समामेलन का परिणाम - समामेलित मण्डी-क्षेत्रों के लिए नवीन मण्डी समिति का गठन करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —

(क) धारा 71 के अधीन समामेलन की तारीख के ठीक पूर्व किसी मण्डी समिति के नियंत्रणाधीन समस्त संपत्ति जिसमें निधियाँ भी सञ्मिलित हैं नवीन मण्डी समिति की संपत्ति तथा निधि हो जायेंगी;

(ख) समामेलित मण्डी-क्षेत्रों की मण्डी समितियों के कर्मचारी, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय, सेवा में बनाये रखे जायेंगे और नवीन मण्डी समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारी समझे जायेंगे;

(ग) ऐसे समस्त नियम, उपविधियाँ, आदेश तथा अधिसूचनायें, जो धारा 71 के अधीन समामेलन की तारीख से ठीक पूर्व समामेलित मण्डी समितियों के

73. Effect of alteration of limits. - where a notification under section 71 has been issued excluding any area from the market area and including any such area in any other market area the State Government shall after consulting the market committee frame a scheme to determine what portion of the assets and other properties vested in one market committee shall vest in the other market committee and in what manner the liabilities of the market committees shall be apportioned between the two market committees and such scheme shall come into force on the date of publication in the Gazette.

74. Effect of amalgamation : On the issue of a notification under section 71 constituting a new market committee for the market areas amalgamated the following consequences shall ensue, namely :

(a) all the property under the control of a market committee immediately before the date of amalgamation under section 71 including funds shall be property and fund of the new market committee;

(b) the staff of the market committees of the amalgamated market areas shall until otherwise ordered by the Collector in accordance with the provisions of this Act, be continued and deemed to be the staff appointed by the new market committee;

(c) all rules, bye-laws, orders and notifications in force in the area of the market committees amalgamated immediately before the

क्षेत्र में प्रवृज हों, ऐसे विषयों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, संबंधित नियमों, उपविधियों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं को छोड़कर, निरस्त हो जायेंगी और उसमें विनिर्दिष्ट किये गये विषयों से संबंधित नियम, उपविधियाँ आदेश तथा अधिसूचनायें नवीन मण्डी समिति के क्षेत्र में सर्वत्र तब तक प्रवर्तित रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या रद्द न कर दिया जाय :

परन्तु ऐसा निरसन, की गई समस्त कार्यवाहियों तथा बातों के संबंध में छत्तीसगढ़ जनरल ालाजेज एक्ट, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 10 के उपबंधों द्वारा शासित होगा; और

(घ) कोई भी ऐसा अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो कि धारा 71 के अधीन समामेलित मण्डी समितियों द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो, नवीन मण्डी समिति द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व समझा जाएगा।

75. विपाटन का परिणाम - (1) किसी मण्डी-क्षेत्र को दो या अधिक मण्डी-क्षेत्र में विपाटित करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना के जारी होने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —

(क) ऐसे समस्त नियम, उपविधियाँ तथा आदेश, जो धारा 71 के अधीन ऐसी मण्डी समिति के मण्डी-क्षेत्र का विपाटन किया जाने के ठीक पूर्व मूल मण्डी समिति के क्षेत्र में प्रवृज थे, नवीन मण्डी समितियों में समाविष्ट क्षेत्रों में तब तक प्रवृज रहेंगे जब तक उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या रद्द न कर दिया जाय;

date of amalgamation under section 71 shall, except the rules, bye-laws, orders and notifications in respect of such matters, as may be specified by the State Government by notification issued in that behalf] stand repealed and the rules, bye-laws, order and notification in respect of matters specified therein shall operate throughout the area of new market committee until altered, amended or cancelled in accordance with the provisions of this Act :

Provided that such repeal shall be governed by the provisions of section 10 of the Chhattisgarh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958), in respect of all actions taken and things done; and

(d) any right, privilege, obligation or liability acquired accrued or incurred by the market committees amalgamated under section 71 shall be deemed to be the right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred by the new market committee.

75. Effect or splitting up.- (1) On the issue of a notification under section 71 splitting up a market area into two or more market areas the following consequences shall ensue, namely :

(a) all rules, bye-laws and orders in force in the area of the original market committee immediately before the market; area of such market committee is splitted up under Section 71 shall continue until altered, amended or cancelled in accordance with the provisions of this Act;

(ख) ऐसी समस्त शक्तियों तथा कर्जव्यों का, जिनका कि इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाना हो या पालन किया जाना हो, जब तक कि नवीन मण्डी-क्षेत्रों में से प्रत्येक मण्डी-क्षेत्र के लिए मण्डी समिति का गठन न हो जाय, प्रयोग तथा पालन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसके कि बारे में राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे, किया जायेगा;

(ग) मूल मण्डी समिति में निहित समस्त संपत्ति, राज्य सरकार के किन्हीं भी आदेशों के अध्वधीन रहते हुए, नवीनतः गठित मण्डी समिति के क्षेत्रों के प्रयोजन के लिए, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा धारण की जायेगी तथा व्यय की जायगी; और

(घ) जब तक कि मंडी समितियों का गठन न हो जाय, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को, मूल मंडी समिति द्वारा वाद चलाये जाने या उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे लंबितवादों या कार्यवाहियों को जो कि उक्त मूल मण्डी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखे जाने के लिए मूल मंडी समिति का प्रतिनिधि समझा जायगा।

(2) उस दिन, जिसको कि नवीन मंडी क्षेत्रों में मंडी समितियों का गठन हो जाय, कलेक्टर ऐसे प्रत्येक मंडी-क्षेत्र की मंडी समिति को, उसकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के संबंध में प्रशासन सौंप देगा।

76. विपाटित मंडी समिति की आस्तियाँ तथा दायित्वों का प्रभाजन — (1) मूल मंडी-क्षेत्र की किसी मंडी समिति की आस्तियाँ तथा दायित्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, नवीनतः गठित किये गये नवीन मंडी-क्षेत्रों की विभिन्न मंडी समितियों में प्रभाजित कर दिये जायेगे।

(b) all powers and duties which are under this Act to be exercised or performed by the several authorities shall, until a market committee constituted for each of the new market areas be exercised and performed by the Collector or such other officer as the State Government may, by notification direct;

(c) all property vested in the original market committee shall subject to any orders of the State Government be held and expended by the Collector or such other officer for the purposes of the areas of the newly constituted market committee; and

(d) until the market committees are constituted the Collector or such other officer shall be deemed to be the representative of the original market committee for the purposes of suing or being used by or for continuing pending suit or proceedings by or against the original market committee.

(2) On the day on which the market committees are constituted in the new market areas, Collector shall hand over the administration to the market committee of each such market area in respect of area under its jurisdiction.

76. Apportionment of assets and liabilities of market committee split up. - (1) The assets and liabilities of a market committee of the original market area shall in accordance with the provisions of this Act be apportioned to the several market committees of the new market areas newly constituted.

(2) डिप्टी कलेक्टर से अनिज्ञ पद का ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे, निम्नलिखित विषयों के संबंध में कलेक्टर को रिपोर्ट देगा, अर्थात् —

(क) मूल मंडी-क्षेत्र को मंडी समिति की आस्तियाँ तथा दायित्व;

(ख) नवीन मंडी-क्षेत्र की मंडी समितियों के बीच आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन;

(ग) वह रीति, जिसमें मूल मंडी-क्षेत्रों की मंडी समिति के विद्यमान अधिकारी, सेवक तथा अन्य स्थायी कर्मचारी नवीन मंडी-क्षेत्रों की मंडी समितियाँ द्वारा संविलीन किये जाने चाहिए;

(घ) साधारणतः नवीन मंडी-क्षेत्रों की मंडी समितियों के गठन से आनुषंगिक, अनुपूरक तथा परिणामिक समस्त विषयों के संबंध में।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट की गई रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी जावेगी जो कि उसे ऐसी रीति में प्रकाशित करेगी, जैसी कि विहित की जाय।

(4) हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, रिपोर्ट में किये गये प्रस्तावों के विरुद्ध उसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को लिखित अज्ञावेदन कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी की रिपोर्ट पर तथा प्राप्त हुए अज्ञावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार कर सकेगी और उनके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसे कि वह उचित समझे।

(6) समस्त ऐसी बातों पर दिये गये राज्य सरकार के आदेश अंतिम होंगे और किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे।

(2) Such officer not below the rank of a Deputy Collector as the State Government may be order appoint in this behalf shall report to the Collector on the following matters, namely :

(a) the assets and liabilities of the market committee of the original market area;

(b) the apportionment of the assets and liabilities - between the market committees of the new market areas;

(c) the manner in which the existing of ficers, servants and other permanent employees of the market committee of the original market area should be absorbed by the market committees of the new market areas;

(d) generally on all matters incidental, supplemental and consequential to the constitution of the market committees of the new market areas.

(3) The report referred to in sub-section (2) shall be submitted to the State Government which shall publish it in such manner as may be prescribed.

(4) Any person interested may make a representation to the State Government in writing against the proposals made in the report within one month from the date of its publication.

(5) On the expiration of the period specified in sub-section (4) the State Government may take into consideration the report of the officer appointed under sub-section (2) and the representations received, if any, and pass such orders in respect thereof as it deems fit.

(6) The orders of the State Government on all such points shall be final and shall not be questioned in any court of law.

77. नवीन मण्डी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद— (1) ऐसे विषयों के संबंध में, जो कि धारा 76 के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अंतर्गत आते हों, नवीन मण्डी-क्षेत्र की मण्डी-समितियां, पृथक्-पृथक् मूल मण्डी-क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने तथा उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मण्डी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखा जाने के लिए मूल मण्डी समिति की प्रतिनिधि समझी जाएगी।

(2) ऐसे विषयों के संबंध में, जो कि धारा 76 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अंतर्गत न आते हों, नवीन मण्डी-क्षेत्रों की मण्डी समितियाँ, संयुक्त रूप से, मूल मण्डी-क्षेत्रों की मण्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने तथा उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मण्डी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखे जाने के लिए मूल मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति की प्रतिनिधि समझी जायेंगी।

(3) यदि नवीन मण्डी-क्षेत्रों की मण्डी समितियों के बीच, किसी डिक्ली या आदेश के अधीन उनके अपने-अपने दायित्व या दावे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो मामला राज्य सरकार को निदेशित किया जाएगा जिसका कि विनिश्चय अंतिम होगा।

78. समामेलित या विपाटित मंडी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति — जब धारा 71 के अधीन दो या अधिक मण्डी समितियों के समामेलन द्वारा एक नवीन मण्डी समिति गठित की जाय या जहाँ किसी विद्यमान मण्डी समिति को विपाटित करके दो या अधिक मण्डी समितियां गठित की जायें, वहाँ समामेलित या विपाटित मण्डी समिति या समितियों के समस्त स्थायी अधिकारियों तथा सेवकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, पेंशन तथा निवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, वे ही वेतन तथा भत्ते,

77. Suits by or against new market committee.- (1) On matters covered by the decision of the State Government under section 76, the market committees of the new market areas shall severally be deemed to be the representative of the original market committees for the purposes of suing and being sued or for continuing pending suits or proceedings by or against the market committee of the original market area.

(2) In respect of matters not covered by the decision of the State Government under the provisions of section 76, the market committees of new market areas shall jointly be deemed to be the representative of the market committees of the original market area for the purposes of suing or being sued or for continuing pending suits or proceedings by or against the market committee of the original market area.

(3) If any dispute arises between the market committees of the new market areas as regards their respective liability or claim under a decree or order the matter shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

78. Savings as to existing employer of market committee or committees amalgamated or split up.- When Under section 71, a new market committee is constituted by amalgamation of two or more market committees or where two or more new market committees are constituted by splitting up of an existing market committee, the pay and allowances, pension and retirement benefits, if any, of all permanent officers and servants or other employees of the market committee

पेंशन तथा निवृत्ति लाभ होंगे जो कि यथास्थिति समामेलन या विपाटन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे।

अध्याय 13

नियम तथा उपविधियाँ

79. नियम बनाने की शक्ति — (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे —

(एक) ¹[***]

²[(एक-क)] धारा 3(1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अन्य रीतियाँ;

(दो) (क) अर्हताएँ जो कृषकों के प्रतिनिधियों में धारा 11(1) ³[(ख)] के अधीन होंगी;

(ख) अर्हताएँ जो व्यापारियों के प्रतिनिधियों में धारा 11 (1) ³[ग] के अधीन होंगी;

(ग) धारा 11 (3) के अधीन प्राधिकारी जो निर्वाचनों का संचालन करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण, मतदाताओं की सूची तैयार करना तथा उसे बनाये रखना, सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने संबंधी निरर्हताएँ, मत देने का अधिकार, निक्षेप का भुगतान तथा उसका समपहरण, निर्वाचन-अपराध, निर्वाचन संबंधी विवादों का अवधारण तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषय;

or committees amalgamated or spitted up shall be the pay and allowances, pension and retirement benefits as in force immediately before the date of amalgamation or splitting up as the case may be.

CHAPTER XIII

Rules and Bye-laws

79. Power to make rules.— (1) The State Government may, after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for —

(i) ¹[***]

²[(i-a)] other manners of publication of notification under section 3(1);

(ii) (a) qualifications which the representatives of agriculturists shall possess under section 11 (1) ³[(b)];

(b) qualifications which the representatives of traders shall possess under section 11 (1) ³[(c)];

(c) authority which shall conduct elections, determination of constituencies, preparation and maintenance of list of voters, disqualifications for being chosen as, or for being, a member, the right to vote, the payment of deposit and its forfeiture, the election affidances, the determination of election disputes and all matters ancillary thereto under section 11 (3);

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-6-1986 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) पुनर्क्रमांकित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

(तीन) मंडी समिति एवं उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जानी वाली शक्तियाँ तथा पालन किये जाने वाले कर्जव्य;

(चार) मंडी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन;

¹[(चार-क)] धारा 15 के अधीन मण्डी समिति के सञ्मलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति;]

(चार-ख) वह प्ररूप जिसमें धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन घोषणा की जाएगी;

(पाँच) मंडी का प्रबंध, मंडी-फीस की वसूली के लिए प्रक्रिया, मंडी-फीस के अपवंचन के लिए जुर्माना तथा विवरणियाँ देने में व्यतिक्रम होने की दशा में मंडी-फीस के निर्धारण की रीति;

(छः) अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के लिए मंडी कृत्यकारियों का वर्गीकरण, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों का विनियमन, वे व्यक्त जो पंजीयन लेने के लिए अपेक्षित हैं, वे प्ररूप जिनमें तथा वे निबंधन तथा शर्तें जिनके अध्यक्षीन रहते हुए अनुज्ञप्तियाँ जारी की जायेंगी या नवीकृत की जायेंगी;

(सात) ऐसे व्यक्तियों के लिए उपबंध जिनके द्वारा तथा प्ररूप जिनमें दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ तथा मंडी समिति की पुस्तकों में की प्रविष्टियाँ प्रमाणित की जा सकेंगी और ऐसी प्रतिलिपियों के प्रदाय के लिए उद्गृहीत किये जाने वाले प्रभार;

(आठ) उन बांटों तथा मापों एवं तौलने तथा मापने के उपकरणों का प्रकार तथा विवरण जो मंडी-प्रांगण में, अधिसूचित कृषि-उपज के संव्यवहारों में उपयोग में लाये जायेंगे;

(नौ) मंडी प्रांगण में उपयोग में लाये जा रहे समस्त बांटों तथा मापों का और तौलने तथा मापने के उपकरणों का नियतकालिक निरीक्षण;

(iii) the powers to be -exercised and the duties to be performed by the market committee and its Chairman and Vice- Chairman;

(iv) the election of Chairman and Vice Chairman of the market committee;

¹(iv-a) the procedure and quorum at a meeting of market committee under section 15;]

(iv-b) the form in which declaration shall be furnished under sub-section (3) of section 19;

(v) the management of market, the procedure for recovery of market fees, fine for evasion of market fees and manner for assessment of market fees in default of furnishing returns.

(vi) classification of market functionaries for grant of licences, regulation of licences under this Act, the persons required to take out licence, the forms in which and terms and conditions subject to which such licences shall be issued or renewed;

(vii) the provisions for the persons by whom and the forms in which copies of documents and entries in the books of the market committee may be certified and the charges to be levied for the supply of such copies;

(viii) the kind and description of weights and measures and the weighing and measuring instruments which shall be used in the transactions in the notified agricultural produce in a market yard;

(ix) the periodical inspection of all weights and measures and the weighing and measuring instruments in use in a market yard;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

(दस) व्यापारिक छूट, जो मंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि-उपज के किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी या प्राप्त की जा सकेगी;

(ग्यारह) अधिसूचित कृषि-उपज के किसी क्रेता तथा विक्रेता या उनके अभिकर्त्ताओं के बीच होने वाले किसी विवाद के, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गणना या तौल, बेचे गये माल की कीमत के बारे में किये गये भुगतान तथा वेष्टकों, पात्रों, कचरे या अशुद्धताओं के लिए दी गई छूटों या किसी भी कारण से की गई कटौतियों से संबंधित विवाद आते हैं, मध्यस्थता द्वारा माध्यस्थता द्वारा या अन्यथा परिनिर्धारण के लिए सुविधाएँ;

(बारह) मंडी में लाई गई किसी कृषि-उपज का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था;

(तेरह) अंशतः या पूर्णतः मंडी समिति के व्यय से निर्मित किये जाने के लिए प्रस्तावित निर्माण-कार्यों के रेखांकों तथा प्राकल्पनों का तैयार किया जाना और ऐसे रेखांकों तथा प्राकल्पनों के लिए मंजूरी दी जाना;

(चौदह) वह प्ररूप जिसमें मंडी समिति के लेखे रखे जायेंगे, संपरीक्षा तथा ऐसी संपरीक्षा का प्रकाशन और लेखाओं के संपरीक्षा ज्ञापनों का निरीक्षण और ऐसे ज्ञापनों का प्रदाय;

(पन्द्रह) वार्षिक बजट का तैयार किया जाना और उसे मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना तथा मंडी समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट तथा विवरणियाँ;

¹[(पन्द्रह-क) वह प्ररूप जिसमें मंडी समिति द्वारा 25-क की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय तथा व्यय का बजट तैयार करेंगी;]

(x) the trade allowance which may be made or received by any person in any transaction in the notified agricultural produce in a market yard;

(xi) facilities for the settlement of any dispute between a buyer and seller of notified agricultural produce or their agents including disputes regarding the quality or weight of the articles, payment in respect of the price of goods sold and the allowances for wrappings, containers, dirt or impurities or deductions for any cause by mediation, arbitration or otherwise;

(xii) the provisions of accommodation for storing any agricultural produce brought into the market;

(xiii) the preparation of plans and estimates for works proposed to be constructed partly or wholly at the expense of the market committee, and the grant of sanction to such plans and estimates;

(xiv) the form in which the accounts of a market committee shall be kept, the audit and publication of such audit and the inspection of audit, memoranda of the account and supply of such memoranda;

(xv) the preparation and submission for sanction of the annual budget and the report and returns to be furnished by a market committee;

¹[(xv-a) the form in which the market committee shall prepare budget of its income and expenditure under sub-section (1) of section 25-A;]

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

(सोलह) समय, जिसके दौरान तथा वह रीति जिसमें कोई व्यापारी या दलाल या आढ़तिया मंडी समिति को ऐसी विवरणियाँ, जैसी कि उसके द्वारा अपेक्षित की जायें, देगा;

(सत्रह) दलालों या आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दिये गये अग्रिमों का, यदि कोई हो, विनियमन;

(अठारह) कृषि-उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण;

(उन्नीस) कृषि-उपज की आमद तथा उसके औसत मूल्यों का अभिलेख रखना;

(बीस) रीति, जिसमें कृषि-उपज का मंडी में नीलाम संचालित किया जायगा और बोली लगाई जायगी तथा प्रतिग्रहित की जायगी;

(इक्कीस) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय फीस की वसूली तथा उसका व्ययन;

(बाईस) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन अपराधों का शमन किया जाना तथा उसके लिए प्रतिकर का नियत किया जाना;

¹[(तेइस) विलोपित***]

(चौबीस) विलोपित***]¹

(पच्चीस) उस व्यय की, जो विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में उपगत किया जा सकेगा, सीमा;

(छत्तीस) अध्यक्ष के मानदेय, सदस्यों के यात्रा-भत्तों तथा सज़्मलिनों में हाज़िर होने के लिए सदस्यों को देय बैठक फीस की सीमाएँ;

(सत्ताईस)¹[मंडी समिति-निधि तथा छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि] में के अधिशेष के विनिधान की रीति;

(अठ्ठाईस) उपविधियाँ विरचित करने, उनमें संशोधन करने या उन्हें रद्द करने के लिए और उनके पूर्व एवं अंतिम प्रकाशन के लिए प्रक्रिया;

(उनतीस) इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए मंडी समितियों का वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण;

(xvi) the time during which and the manner in which a trader or broker or commission agent shall furnish such returns to a market committee as may be required by it;

(xvii) the regulation of advances, if any, given to agriculturists by brokers or commission agents or traders;

(xviii) the grading and standardization of the agricultural produce;

(xix) the keeping of a record of arrivals and average prices of agricultural produce;

(xx) the manner in which auctions of agricultural produce shall be conducted and bids made and accepted in a market;

(xxi) the recovery and disposal of fees leviable by or under this Act;

(xxii) compounding of offences and fixing compensation therefor under this Act or rules or bye-laws made thereunder;

¹[(xxiii) Omitted***]

(xxiv) Omitted***]¹

(xxv) limit of expenditure which may be incurred in reception of distinguished guests;

(xxvi) limits of honorarium to Chairman, travelling allowances to members and sitting fees payable to members for attending the meetings;

(xxvii) manner of investment of the surplus in the ¹[market committee fund and the Chhattisgarh State Marketing Development Fund];

(xxviii) procedure for framing of bye-laws, their amendments or cancellation and for their previous and final publication;

(xxix) classification of market committees on the basis of annual income for all or any of the purposes of this Act;

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10-10-2011 द्वारा विलोपित।

(तीस) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि;

(इकतीस) बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियाँ;

(बत्तीस) वे समस्त बातें जिनका कि इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो;

²[(बत्तीस-क) इस अधिनियम के अधीन सूचना की तामील की रीति;]

(तैंतीस) साधारणतः मण्डी समिति के मार्गदर्शन के लिए;

(3) किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जायगा।

(xxx) term of office of the President, Vice-President and member of the Board;

(xxxi) the powers to be exercised by the President and Vice-President of the Board;

(xxxii) all matters required to be prescribed by rules under this Act;

²[(xxxii-a) mode of service of notice under this Act;]

(xxxiii) generally for the guidance of market committees.

(3) In making any rule the State Government may direct that breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

(4) Every rule made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

80. उपविधियाँ बनाने की शक्ति — (1) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए मंडी समिति अपने प्रबंधाधीन मंडी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित के लिए उपविधियाँ बना सकेगी —

- (एक) उसके कारबार का विनियमन;
- (दो) मंडी में व्यापार करने की शर्तें;

(तीन) अधिकारियों तथा सेवकों को शक्तियों, कर्जव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन, उनकी नियुक्ति, वेतन, दण्ड, पेंशन, उपदान, छुट्टी, छुट्टी-भत्ते, उनके द्वारा किसी भविष्य-निधि के प्रति, जो ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की जाय, अभिदाय तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(चार) किसी उप समिति को, यदि कोई हो, शक्तियों, कर्जव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन;

(पाँच) ऐसे मण्डी कृत्यकारी जो अनुज्ञापति लेने के लिए अपेक्षित किये जायेंगे;

(छः) कोई अन्य विषय जिसके कि लिए इस अधिनियम के अधीन उपविधियाँ बनाई जानी हों या जिनके कि संबंध में यह आवश्यक हों कि मण्डी-क्षेत्र में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपविधियाँ विरचित की जायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई भी उपविधि तक तब प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसकी पुष्टि प्रबंध संचालक द्वारा न कर दी गई हो।

(3) किसी उपविधि को बनाने में मण्डी समिति यह निदेश दे सकेगी कि उसका (उपविधि का) भंग जुर्माने से, जो ¹[एक सौ रुपये] तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा जहाँ भंग चालू रहने वाला भंग हो, वहाँ ऐसे और जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके कि दौरान भंग चालू रहना साबित हो जाय, पाँच रुपये तक का हो सकेगा।

80. Power to make bye-laws.— (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a market committee may, in respect of a market area under its management, make bye laws for

- (i) the regulation of its business;
- (ii) the conditions of trading in a market;

(iii) delegation of powers, duties and functions to the officers and servants, appointment, pay, punishment, pensions, gratuities, leave, leave allowances, contributions by them to any provident fund which may be established for the benefit of such officers and servants and other conditions of service;

(iv) the delegation of powers, duties and functions, to a subcommittee, if any;

(v) market functionaries who shall be required to take licence;

(vi) any other matter for which bye-laws are to be made under this Act or it may be necessary to frame bye-laws for effectively implementing the provisions of this Act and the rules made thereunder in the market area.

(2) No bye-law made under sub-section (1) shall take effect until it has been confirmed by the Managing Director.

(3) In making any bye-law the market committee may direct that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to ¹[one hundred rupees] and where the breach is a continuing one with further fine which may extend to five rupees for every day after first during which the breach is proved to have been persisted in.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

81. उपविधियाँ बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए निदेश देने की प्रबंध संचालक की शक्ति— (1) यदि प्रबंध संचालक को यह प्रतीत हो कि किसी मण्डी समिति के हित में कोई उपविधि बनाना या किसी उपविधि को संशोधित करना आवश्यक या वांछनीय है तो वह, आदेश द्वारा संबंधित मण्डी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह (मण्डी समिति) ऐसे समय के भीतर, जैसा कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उपविधि बनाये या उपविधि को संशोधित करें।

(2) यदि मण्डी समिति विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर ऐसी उपविधि बनाने में या उपविधि को इस प्रकार संशोधित करने में असफल रहे, तो प्रबंध संचालक, मण्डी समिति को सुनवाई का युक्तिगत अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसी उपविधि बना सकेगा या उपविधि को इस प्रकार संशोधित कर सकेगा और तदुपरि उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अध्वधीन रहते हुए, ऐसी उपविधि, या उपविधि का ऐसा संशोधन, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा बनाई गई संशोधित की गई समझी जायगी और तदुपरि ऐसी उपविधि या संशोधन मण्डी समिति पर आबद्धकर होगा / होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रबंध संचालक के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को होगी और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

¹[81 - क. विनियमन बनाने की बोर्ड की शक्ति — इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, बोर्ड —

81. Power of director to direct making or amendment of bye-laws. - (I) If it appears to the Managing Director that it is necessary or desirable in the interests of a market or market committee to make any bye-law or to amend any bye-law, he may, by order, require the market committee concerned to make the bye-laws or the amendment of the bye-law within such time as he may specify in such order.

(2) If the market committee fails to make such bye-laws or such amendment of the bye-laws within the time specified, the opportunity of being heard by an order make such bye-law or such amendment of the bye-law and thereupon subject to any order under sub-section (3), such bye-law or such amendment of the bye-law shall be deemed to have been made or amended by the market committee in accordance with the provision of this Act or the rules made thereunder and thereupon such bye-law or amendment shall be binding on the market committee.

(3) An appeal shall lie to the State Government from any order of the Managing Director under sub-section (2) within thirty days from the date of such order and the order of the State Government on such appeal shall be final.

¹[81 - A. Power of the Board to make regulations.- “Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Board may make regulations for,-

(एक) अपने कारबार को करने के लिए;
 (दो) अधिकारियों तथा सेवकों को शांतिपूर्ण, कर्जव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन करने के लिए और उनकी सेवा से संबंधित विषयों के लिए;
 (तीन) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर्जव्यों तथा उच्चरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु किसी अन्य विषय के लिए; विनियम बना सकेगा।]

अध्याय 14

निरसन तथा व्यावृत्तियाँ

82. निरसन तथा व्यावृत्तियाँ — (1) छज़ीसगढ़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960), छज़ीसगढ़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (वैलीडेशन) एक्ट, 1962 (क्रमांक 12 सन् 1962), छज़ीसगढ़ कृषि-उपज मंडी समिति (निर्वाचन स्थगन) निरसन अधिनियम, 1967 (क्रमांक 24 सन् 1967), छज़ीसगढ़ कृषि-उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 1968 (क्रमांक 17 सन् 1968), छज़ीसगढ़ कृषि-उपज मण्डी (संशोधन तथा विधि मान्यताकरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 2 सन् 1970), छज़ीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन तथा विधि मान्यताकरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 23 सन् 1970), छज़ीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन तथा विधि मान्यताकरण) अधिनियम, 1971 (क्रमांक 22 सन् 1971) तथा छज़ीसगढ़ कृषि-उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 30 सन् 1972) एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी —

(एक) उक्त अधिनियमों या उनके द्वारा निरस्त हुई किसी अधिनियममिति के अधीन गठित या नियुक्त की गई समस्त मण्डी समितियाँ, नियुक्त किया गया

(i) the transaction of its business;
 (ii) delegation of powers duties and functions to the officers and servants, and matters relating to their service;
 (iii) any other matter, for discharging the duties and responsibilities of the Board under this Act and the rules made thereunder.]

CHAPTER XIV

Repeal and Savings

82. Repeal and savings: (1) The Chhattisgarh Agricultural Produce Markets Act, 1960 (No. 19 of 1960), the Chhattisgarh Agricultural Produce Markets (Validation) Act, 1962 (No. 12 of 1962), the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Samiti (Nirvachan Sthagan) Nirasan Adhiniyam, 1967 (No. 24 of 1967), the Chhattisgarh Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 1968 (No. 17 of 1968), the Chhattisgarh Agricultural Produce Markets (Amendment and Validation) Act, 1970 (No. 2 of 1970), the Chhattisgarh Agricultural Produce Markets (Amendment and Validation) Act, 1970 (No. 23 of 1970), the Chhattisgarh Agricultural Produce Markets (Amendment and Validation) Act, 1971 (No. 22 of 1971). and the Chhattisgarh Agricultural Produce Markets (Amendment) Act 1972 (No. 30 of 1972) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal-

(i) all market committees constituted or appointed, officer in charge or Committee in charge appointed, markets established, mar-

भारसाधक पदाधिकारी या नियुक्त की गई भारसाधक समिति स्थापित की गई मण्डियाँ, घोषित किये गये मण्डी-क्षेत्र, अधिसूचित की गई कृषि-उपज, बनाये गये नियम या बनाई गई उपविधियाँ, जारी की गई अधिसूचना, उद्गृहीत की गई फीस, की गई संविदाएँ, मंजूर की गई अनुज्ञापत्रियाँ, संस्थित किये गये वाद तथा की गई कार्यवाहियाँ या की गई कोई अन्य बातें या किये गये कार्य, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः गठित की गई, नियुक्त की गई, नियुक्त किया गया / नियुक्त की गई स्थापित की गई, घोषित किये गये, अधिसूचित की गई, बनाये गये / बनाई गई, जारी की गई, उद्गृहीत की गई, मंजूर की गई, संस्थित किये गये, की गई या किये गये समझे जायेंगे / जायेंगी जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किये गये किसी कार्य द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें या अतिष्ठित न कर दी जायें।

(दो) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेशित न करे, खण्ड (1) में निर्दिष्ट की गई मण्डी समितियाँ तथा उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य निरसित अधिनियम के अधीन अपनी अवधि/पदावधि का अवसान न होने तक या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति के गठित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर बने रहेंगे / बनी रहेंगी।

(3) उपधारा (2) खण्ड (दो) के अधीन निदेश जारी किये जाने पर धारा 57 के उपबंध ऐसी तारीख से, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, इस प्रकार लागू होने मानों कि मंडी समिति उस तारीख को विघटित थी।

ket areas declared, agricultural produce notified, rules or bye-laws made, notification issued, fees levied, contracts entered into, licences granted, suits instituted and proceedings undertaken or any other things done or actions taken under the said Acts or any enactment thereby repealed shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, shall be deemed to have been respectively constituted, appointed established, declared, notified, made, issued, levied, entered into, granted, instituted, undertaken, done or taken under this Act, until superseded anything done or any action taken under this Act.

(ii) unless the State Government otherwise directs, the market committees referred to in clause (i) and the Chairman, Vice-Chairman and members thereof shall continue until the expiry of their term under the repealed Act or till a market committee is constituted in accordance with the provisions of this Act, whichever is earlier.

(3) On issue of a direction under clause (ii) of sub-section (2), the provisions of section 57 shall apply as from the date specified in the direction as if the market committee stood dissolved on that date.

अनुसूची (धारा 2(1) (क) देखिये)	SCHEDULE [See Section 2(1) (a)]
एक-तंतु ⁵ [विलोपित] ⁵	I- Fibres ⁵ [Omitted] ⁵
दो - धान्य ¹ [1. धान] 2. गेहूँ 3. जौ 4. ज्वार 5. मक्का, भुट्टा 6. बाजरा 7. कोदो 8. सावा / समा 9. कुटकी 10. राला 11. रागी 12. राजगिरा 13. ³ [***]	II - Cereals ¹ [1. Paddy], 2. Wheat, 3. Barley, 4. Jowar, 5. Maize, Bhutta. 6. Bajra, 7. Codon, 8. Sanwa/ Sama, 9. Kutki, 10. Rala, 11. Ragi, 12. Rajgira, 13. ³ [***]
¹ तीन - दलहन 1. तुअर / अरहर 2. चना 3. मटर 4. मसूर या मसूरी 5. लाख / तिवड़ा 6. मूंग 7. उड़द / उरदा 8. कुलथी 9. लोबिया या मोठ 10. चवली या बरबटी 11. सेम या सेमी]	¹ [III Pulses 1. Tur, 2. Gram, 3. Peas, 4. Masoor or Lentil, 5. Lakh/Teora, 6. Mung. 7. Urid/Urad, 8. Kulthi. 9. Kidney Bean or Moth, 10. Cow Pea or Barbati, 11. Val or Popat.]
चार - ¹ [तिलहन] 1. तिल्ली या तिल 2. अलसी 3. ² [मूंगफली (छिलका रहित तथा छिलका सहित)] 4. राई 5. सोयाबीन 6. सरसों 7. अरण्डी 8. कुसुम 9. रमतिल्ली 10. बिनौला 11. महुआ 12. सोंहा 13. लाहा 14. ⁴ [***] 15. सूरजमुखी।	IV- ¹ [Oilseeds] 1. Sesamum or til-seed, 2. Linseed, 3. ² [Ground nut (husked and unhusked)], 4. Mustard, 5. Soyabeen, 6. Rape seed or sarson, 7. Cas-torseed, 8. Safflower, 9. Niger seed, 10. Cotton Seed, 11.. Mohua, 12. Soha, 13. Laha, 14. ⁴ [***], 15. Sunflower.
पाँच-स्वापक 1. तज्बाकू 2. पान ¹ [3. अफीम के डोंडे (पापी केपसूल)]	V- Narcotics 1. Tobacco, 2. Betel, ¹ [3 Poppy capsule.]
² छः - गन्ना 1. गन्ना	² [VI- Sugarcane 1. Sugarcane]
सात-फल 1. संतरा 2. नींबू 3. मीठा नींबू 4. चकोतरा 5. आम 6. केला 7. अमरूद 8. अंगूर 9. सीताफल 10. रामफल 11. पपीता 12. सेव 13. जामुन 14. बेर 15. चीकू 16. खिरनी 17. अनार 18. तरबूज 19. खरबूज	VII- Fruits 1. Orange, 2. Lime sour, 3. Sweet lime, 4. Grape fruit/Chakotra, 5. Mango, 6. Plantain, 7. Guava, 8. Grapes, 9. Custard-apple, 10. Ramphal, 11. Papaya, 12. Seva, 13. Jamun, 14. Ber, 15. Chikoo, 16. Khimi, 17. Megrante/ Anar, 18. Water melon/Tarbuj, 19. Kharbuj. 20. Pear/Naspatl, 21. Musambi, 22. Cucum- ber/Kakadi.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 8-2-1990 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) विलोपित।

4. अधिसूचना दिनांक क्र. 20 सन् 1989 द्वारा विलोपित।

5. छ. ग. राजपत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2011 द्वारा विलोपित।

20. नासपाती 21. मोसज्जी 22. ककड़ी।

आठ-सज्जियाँ

1. सेम या सेमी 2. लौबिया 3. भारतीय सेम 4. सेम बरबटी 5. गंवार फली 6. बैंगन 7. पज्जा गोभी 8. फूल गोभी 9. चौलाई साग 10. चवली (लाल) 11. खट्टा पालक 12. तुरई 13. करेला 14. लौकी 15. कुज्झड़ा 16. कुंदरू 17. परवल 18. गांठ गोभी 19. मैथी 20. पालक भाजी 21. घोल भाजी 22. भिण्डी 23. टमाटर 24. मटर 25. कटहल 26. अरबी 27. चुकंदर 28. गाजर 29. प्याज 30. आलू 31. शकरकंद 32. मूली 33. सलगम 34. टिण्डा 35. सुरन 36. अन्य हरी एवं ताजी सज्जियाँ।

³[नौ - ***]

दस-चटनी, मसाले अन्य वस्तुएं

1. मिर्ची (गीली तथा सूखी) 2. धनिया 3. हल्दी 4. लहसुन (गीला तथा सूखा) 5. अदरक (गीला तथा सूखा) 6. मैथी दाना 7. अजवायन 8. इमली 9. सौंफ 10. जीरा 11. राई 12. असगन्ध 13. पोस्त तथा खसखस।

¹[ग्यारह - ***]

बारह - वन उपज

1. 2. 3. आंवला 4. बहेड़ा 5. चिरोंजी 6. 7. शहद 8. मोम 9. करेली 10. महुए के फूल 11. बांस।

तेरह-अन्य वस्तुएँ

1. सन बीज 2. गुवार 3. सिंघाड़ा

VIII - Vegetable

1. Common bear or broad bean, 2. Kidney bean, 3. Indian bean, 4. Sem barbato, 5. Cluster bean/Gawrfalli, 6. Brinjal, 7. Cabbage, 8. Cauliflower, 9. Chowli pag or bagi/ Chowlai sag, 10. Chowli (Red), 11. Chukta/ khatta palak, 12. Sponge gourd/Turai, 13. Bitter gourd/Karela, 14. Bottle gourd/Laoki, 15. Pumpkin/Kumda, 16. Kundroo, 17. Padval, 18. Knol-Khol, 19. Methi, 20. Spin-ach/Palak bhaji, 21. Purslane orghole leaves Bhol bhaji, 22. Lady finger/Bhin-di, 23. Tomato, 24. Garden peas/Matar, 25. Jack 26. Ghuiane Arv, 27. Beet root / chukandar, 28. carrot / gajar, 29. On-ion. 30- Potatoes. 31. Sweet potato, 32. Raddish, 33. Turnip / Sal-gum 34. Tinda, 35. Sum 36. Other green and fresh vegetables.

3[IX - ***]

X- Condiments, spices and others

1. Chillies (Wet and dry). 2. Coriander seed, 3. Turmaric, Curcuma, 4. Garlic (Wet and dry), 5. Ginger (Wet and dry), 6. Methi dana, 7. Aniseed, 8. Tamarind, 9. Sonf, 10. Cumi seed/Jira, 11. Rai, 12. Asgandh, 13. Poppy seed and Poppy husk.

¹[XI - ***]

XII- Forest produce

1. Lac, 2. Harra, 3. Aola, 4. Beheda, 5. Chironji; 6., 7. Honey. 8. Wax, 9. Kareli. 10. Mahua flower. 11. Bamboo.

XIII-Other Articles

1. Hemp seed, 2. Gowar, 3. Water nut.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) अन्तःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 8-2-1990 से) प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) विलोपित।

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2006 — माघ 21, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक 1126/21-अ/प्रावृण /06. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-02-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलो सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005

विषय-सूची

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. धारा 2 का संशोधन
3. धारा 32-क का अन्तःस्थापन
4. धारा 36 का संशोधन
5. धारा 37 का संशोधन
6. धारा 37-क का अन्तःस्थापन
7. धारा 41 का संशोधन
8. धारा 44 का संशोधन

अनुसूची - " क "

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को संशोधित करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2 की उपधारा (1) में खण्ड (ड ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाए, अर्थात् :- धारा 2 का संशोधन.
 - (ड ड ड) "संविदा खेती " से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी ;
 - (ड ड ड ड) "संविदा खेती करार" से अभिप्रेत है, संविदा खेती हेतु संविदा खेती क्रेता एवं संविदा खेती उत्पादक के मध्य हुआ करार ;
 - (ड ड ड ड ड) "संविदा खेती उत्पादक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूमि पर किसी संविदा खेती के लिखित करार के अधीन कृषि उपज उत्पादित करता है ;
 - (ड ड ड ड ड ड) "संविदा खेती क्रेता " से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, कम्पनी या भागीदारी फर्म जो संविदा खेती के किसी लिखित करार के अधीन कृषि उपज को संविदा खेती उत्पादक से क्रय करता है.
3. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :- नई धारा 32-क का जोड़ा जाना.
 - 32-क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए अनुज्ञप्ति.
 - (1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी की नियमों में विहित किया जाए, आवेदन करेगा.
 - (2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा.
 - (3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीनीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए होंगी.
4. (1) मूल अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :- धारा 36 का संशोधन.
 - " (1) मूल मंडी में विक्रय के लिये लाई गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज उपधारा (2) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, ऐसी उपज के लिये विनिर्दिष्ट किये गये मंडी प्रांगण/प्रांगणों में या उपविधियों में यथा उपबंधित ऐसे अन्य स्थान पर बेची जाएगी.

परंतु संविदा खेती के अधीन उत्पादित की गई कृषि-उपज को मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक नहीं होगा तथा उसे किसी भी अन्य स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रित किया जाएगा, जो करार के अधीन उसे क्रय करने के लिए सहमत है."

(2) धारा-36 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(4) इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्त तौलैया द्वारा और ऐसी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी जैसी की उप विधियों में उपबंधित की जाए या उपमंडी प्रांगण या मंडी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य स्थान पर की जाएगी.

परन्तु केला, पपीता या किसी ऐसी अन्य विनिश्चर, कृषि उपज की जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति तौल, माप या गणना किसी अनुज्ञप्त तौलैया द्वारा ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहां ऐसी उपज उगाई गई हो."

धारा 37 का संशोधन.

5.

मूल अधिनियम की धारा-37 की उपधारा (3) में शब्द "मंडी प्रांगण" के पश्चात् शब्द "या उपविधियों में उपबंधित ऐसे अन्य स्थान" जोड़ा जाए.

नई धारा 37-क का जोड़ा जाना.

6.

मूल अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-

"37-क संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन."

(1) संविदा खेती, संविदा खेती के उपज के उत्पादक और क्रेता के बीच लिखित करार (अनुसूची-क में दर्शित आदर्श प्रारूप में) के अधीन ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी की उप-विधियों में विहित की जाए, की जाएगी.

(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिये मंडी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा. मंडी समिति, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए, रजिस्टर करेगी.

(3) यदि करार के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिये मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, मंडी समिति का अध्यक्ष सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा.

(4) उपधारा (3) के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को विक्रित की जाएगी जैसा कि उप-विधियों द्वारा विहित किया जाए. ऐसा कृषि उपज के क्रेता द्वारा मंडी फीस धारा 19 के अधीन विहित की गई दरों पर ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए.

धारा 41 का संशोधन.

7.

मूल अधिनियम की धारा-41 की उपधारा (1) खण्ड (च) एवं खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाए, अर्थात् :-

"(च) छत्तीसगढ़ विधान सभा के तीन सदस्य, जिसमें से कम से कम एक महिला हो जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नाम-निर्दिष्ट किये गये हों ;

(छ) मंडी समितियों के तीन अध्यक्ष जिनमें से कम से कम एक महिला हो."

धारा 44 का संशोधन.

8.

मूल अधिनियम की धारा-44 के खण्ड (दस-ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(दस- ड ड) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग की गोशालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल के लिए कुल वार्षिक प्राप्ति का 5% की दर से वार्षिक अनुदान प्रदाय हेतु.

अनुसूची-क

[धारा 37 - क (1) देखिए]

संविदा कृषि के लिये आदर्श अनुबंध

(अनुबंध के सभी खण्ड आदर्श संविदा कृषि अनुबंध की विषयवस्तु के अधीन दी गई संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अधीन है)

यह अनुबंध में माह के दिन (वर्ष) में (नाम/पद) आधु निवासी जिसे/जिन्हें इसके बाद प्रथम भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ और उसके अर्थ से असंगत न हो, उसका अभिप्राय वही होगा एवं उसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी सम्मिलित होंगे) एक पक्ष और मैं/ एक निजी/सार्वजनिक मर्यादित कंपनी/जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निर्गमित है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय में है, जिसको इसके बाद द्वितीय भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ एवं उसके अर्थ से असंगत न हो उसका अभिप्राय वही होगा और उसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी सम्मिलित होंगे) दूसरा भाग, के बीच सम्पन्न किया गया है और प्रवेश किया गया है।

जबकि प्रथम भाग का पक्षकार, निम्नांकित नम्बरों वाली कृषि भूमि का स्वामी/कृषक है :

ग्राम	मानांक	हेक्टर में क्षेत्रफल	तहसील एवं जिला	राज्य

और जबकि द्वितीय भाग का पक्षकार कृषि उपज में व्यापार कर रहा है और भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और ऐसी ही समान मुद्दों पर तकनीकी समझ भी दे रहा है।

और जबकि द्वितीय भाग के पक्षकार की रुचि, कृषि उपज की वस्तुओं में, विशेषकर जो इसके साथ अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लिखित है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार के अनुरोध पर, प्रथम भाग का पक्षकार खेती करने और इसके साथ अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लिखित कृषि उपज की वस्तुएं पैदा करने के लिये सहमत हो गया है।

और जबकि इससे संबद्ध पक्षकाराण एतद् पश्चात् प्रगट होने वाले तरीके से निबंधनों एवं शर्तों को लेखबद्ध करने के लिए सहमत हो गये हैं।

अब ये साक्ष्य हो तथा एतद्द्वारा और पक्षकारों के बीच यह इस प्रकार निम्नानुसार सहमति हुई है :-

खण्ड -1

प्रथम भाग के पक्षकार द्वितीय भाग के पक्षकार के लिये खेती करने और उपज प्रदाय करने के लिये सहमत है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार से कृषि उपज की वस्तुएं, जिनकी विशिष्टियां, गुणवत्ता, मात्रा और वस्तुओं का मूल्य विशेषकर एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित है, क्रय करने के लिए सहमत है।

खण्ड -2

वह कृषि उपज जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित है इसके बाद की तारीख से माह/वर्षों की अवधि के अन्दर प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा द्वितीय भाग के पक्षकार को प्रदाय की जायेगी।

या

एतद् पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति हुई है कि यह अनुबंध उस कृषि उपज के लिये है जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में वर्णित है तथा माह/वर्षों की अवधि के लिए है तथा कथित अवधि के अवसान हो जाने के बाद, यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

खण्ड -3

प्रथम भाग का पक्षकार द्वितीय भाग के पक्षकार को एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लिखित खेती करने, उपजाने और मात्रा, प्रदाय के लिए सहमत है।

खण्ड -4

प्रथम भाग का पक्षकार अनुबद्ध प्रपत्र "क" में गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुसार संविदा की गई मात्रा प्रदाय करने के लिए सहमत है। यदि सहमत गुणवत्ता मानक के अनुसार कृषि उपज नहीं है, तो द्वितीय भाग का पक्षकार इसी कारण पर कृषि उपज का परिदान लेने से मना करने का हकदार होगा, तब-

- (क) प्रथम भाग का पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार को आपस में किए गए सौदागत मूल्य पर उपज बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा।

या

- (ख) खुली मण्डी में (थोक क्रेता अर्थात् निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता/निर्माता आदि को) और यदि वह संविदा की गई उपज से कम मूल्य पाता है तो वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके निवेश के लिये यथा-अनुपात कम का भुगतान करेगा।

या

- (ग) मण्डी प्रांगण में और यदि उसके द्वारा प्राप्त मूल्य संविदा किए गए मूल्य से कम है, तब द्वितीय निवेश के पक्षकार के लिये यथा अनुपात कम लौटायेगा।

द्वितीय भाग का पक्षकार अपने स्वयं के कारणों से संविदा की गई उपज का परिदान लेने से मना करता है/ में असफल रहता है, जब प्रथम भाग का पक्षकार उपज खुली मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि प्राप्त किया गया मूल्य संविदा मूल्य से नीचे है, तो अंतर द्वितीय भाग के पक्षकार के खाते पर होगा, द्वितीय भाग का पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार को कथित अन्तर विनिश्चित करने से.....दिवस की अवधि के अंदर अंतर का भुगतान करेगा।

खण्ड -5

द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा समय-समय पर सुझाये अनुसार प्रथम भाग का पक्षकार भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और किन्हीं अन्य निर्देशों/प्राणलियों को अपनाने और एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित विनिर्दिष्टियों के अनुसार खेती करने और वस्तुएं उत्पादित करने के सहमत है।

खण्ड -6

पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि खरीदी निम्नलिखित निबन्धनों के अनुसार होगी और क्रय के तुरन्त बाद खरीद पर्चियां जारी की जावेंगी।

दिनांक	परिदान बिन्दु	परिदान का मूल्य
--------	---------------	-----------------

यह और सहमति है कि सहमत परिदान बिन्दु पर परिदान अर्पित करने के बाद द्वितीय भाग के पक्षकार का संविदागत उपज का आधिपत्य लेने का उत्तरदायित्व होगा तथा यदि.....अवधि के अन्दर वह परिदान लेने में असफल होता है तब प्रथम भाग का पक्षकार संविदागत कृषि उपज को निम्नानुसार बेचने के लिए स्वतंत्र होगा :

- (क) खुली मण्डी में (थोक क्रेता, अर्थात् निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता/निर्माता आदि को) और यदि वह संविदागत मूल्य से कम पाता है, तो वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके निवेश के लिये यथा अनुपात कम भुगतान करेगा।
- (ख) मण्डी प्रांगण में, और यदि प्राप्त मूल्य से संविदागत मूल्य से कम है, तब वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके विनियोग के लिये यथा अनुपात कम लौटायेगा।

यह और सहमति है कि मार्ग में गुणवत्ता रख-रखाव, द्वितीय भाग के पक्षकार का उत्तरदायित्व होगा और प्रथम भाग का पक्षकार उसके लिये उत्तरदायी या दायी नहीं होगा।

खण्ड - 7

जब फसल काट ली जाए और द्वितीय भाग के पक्षकार को परिदान कर दी जाए, प्रथम भाग के पक्षकार को द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा दिये गये अवशेष अग्रिमों को घटाकर, द्वितीय भाग का पक्षकार अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित मूल्य/भाव, प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान करेगा, भुगतान के लिए निम्नांकित अनुसूची अपनाई जावेगी :-

दिनांक	भुगतान की रीति	भुगतान का स्थल
--------	----------------	----------------

खण्ड - 8

एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित संविदा की गई उपज का एतद् पक्षकारण.....अवधि के लिए विनिर्दिष्ट सम्पदा के ईश्वरीय कृत्य से विनाश, ऋण व्यतिक्रम और उत्पादन तथा आय हानि और पक्षकारण के नियंत्रण के बाहर के अन्य समस्त कृत्य या घटनाएं जैसे कि बीमारी के गंभीर प्रादुर्भाव, महामारी या असामान्य मौसम की स्थिति, बाढ़, सूखे ओले, चक्रवात, भूकम्प, आग या अन्य विपत्तियों, युद्ध द्वारा कारित बहुत कम उत्पादन, शासन के कृत्य विद्यमान या इस अनुबंध के प्रभावी होने की तारीख के बाद जो पूर्णतया या आंशिक रूप से कृषक की बाध्यता पूर्ति रोकते हैं, के विरुद्ध बीमा करायेगी. अनुरोध करने पर, प्रथम भाग का पक्षकार ऐसी कृतियों को अवलम्ब लेकर अन्य (दूसरे) पक्ष को विद्यमान तथ्यों की अभिपुष्टि प्रदान करेगा. ऐसा प्रमाण उपयुक्त शासकीय विभाग के प्रमाण-पत्र के विवरण के रूप में होगा. यदि ऐसे प्रमाण-पत्र का विवरण युक्तियुक्त रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कृत्य के बदले में दावा करने वाला प्रथम भाग का पक्षकार दावाकृत तथ्यों को विस्तार से वर्णन करते हुए और कारणों का कि ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की अभिपुष्टि का प्रमाण-पत्र या विवरण का एक लेख्य-विवरण देगा. विकल्प के रूप में दोनों पक्षकारों के बीच आपसी अनुबंध के अध्यक्षीन, प्रथम भाग का पक्षकार अपने उत्पादन का कोटा अन्य स्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकता है और उससे उसके द्वारा भुगती गई मूल्य अंतर की हानि बीमा कम्पनी से वसूल की गई राशि विचार में लेने के बाद पक्षकारों के बीच समान रूप से बांटी जायेगी. बीमा की प्रब्याजि (प्रीमियम) दोनों पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा की (बांटी) जायेगी.

खण्ड - 9

द्वितीय भाग का पक्षकार एतद्वारा प्रथम भाग के पक्षकार को खेती और फसल कटाई के प्रबंधन की अवधि में निम्नांकित सेवाएं प्रदाय करने के लिये सहमत है, जिन सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

खण्ड - 10

द्वितीय भाग का पक्षकार प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा स्थापित/नामित कृषकों के मंच के साथ संविदा अवधि में नियमित पारस्परिक आदान-प्रदान करते रहने के लिये सहमत है.

खण्ड - 11

द्वितीय भाग का पक्षकार अपने स्वयं के व्यय पर समय-समय पर अपनाई गई कृषि प्रणालियों और उपज की गुणवत्ता का अनुश्रवण करने हेतु प्रथम भाग के पक्षकार की परिसर/प्रक्षेत्रों में प्रवेश करने के हकदार होगा.

खण्ड - 12

द्वितीय भाग का पक्षकार यह अभिपुष्ट करता है कि उसने अपने आप को पंजीयन प्राधिकारी.....के पास.....को पंजीकृत कर लिया है और वह इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार उस पंजीयन प्राधिकारी को शुल्क का भुगतान कर देगा, जिसे वर्णित भूमि.....पर की गई कृषि की कृषि उपज के विपणन का क्षेत्राधिकार प्राप्त है:

या

द्वितीय भाग के पक्षकार ने राज्य द्वारा इस संबंध में विहित पंजीकरण प्राधिकारी के पास अपने आपको एकास्थानीय पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कर लिया है. संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत शुल्क द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा ही अनन्य रूप से वहन किया जायेगा और जिसमें कुछ भी किसी रीति में प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान की गई राशि से नहीं काटा जायेगा.

खण्ड - 13

द्वितीय भाग का पक्षकार का प्रथम भाग के पक्षकार की भूमि/सम्पत्ति के स्वत्व, स्वामित्व, अधिपत्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा और न तो वह प्रथम भाग के पक्षकार को, खासकर भूमि सम्पत्ति से किसी प्रकार से अन्य संक्रामित पर हस्तांतरित करेगा, न ही प्रथम पक्षकार की भूमि सम्पत्ति को, इस अनुबंध के प्रवर्तन पर्यन्त किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बंधक, पट्टे, उप पट्टे पर देगा या अन्तरण करेगा.

खण्ड - 14

द्वितीय भाग का पक्षकार, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुबंध की सत्यप्रति उसके निष्पादन के 15 दिवस के भीतर, जैसा कि कृषि उपज विपणन विनियम (कृषि उपज मण्डी अधिनियम) में अपेक्षित है, मण्डी समिति/पंजीकरण प्राधिकारी...../इस उद्देश्य के लिये विहित अन्य पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

खण्ड - 15

संविदा का विच्छेद, अवसान/ निरस्तीकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होगा। ऐसा विच्छेद या अवसान/ निरस्तीकरण विलेख, ऐसे विच्छेद, अवसान/निरस्तीकरण के 15 दिवसों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को संसूचित किया जायेगा।

खण्ड - 16

इस अनुबंध के अधीन, एतद्वारा सम्बद्ध दोनों पक्षकारों के बीच हक और दायित्वों के संबंध में या एक पक्षकार का दूसरे के विरुद्ध आर्थिक अथवा अन्यथा दावे के संबंध में या इस अनुबंध के किसी निबंधनों के प्रभाव और शर्तों के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होने की स्थिति में, ऐसा विवाद या मतभेद, इस उद्देश्य से गठित माध्यस्थता प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

खण्ड - 17

किसी पक्षकार के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, यह दूसरे पक्षकार को तथा पंजीकरण प्राधिकारी को भी संसूचित किया जाना चाहिये।

खण्ड - 18

इस अनुबंध के अधीन, एतद्वारा सम्बद्ध प्रत्येक पक्षकार दूसरे के साथ अपने दायित्वों का पालन करने में तत्परता और ईमानदारी से स्वस्थ विश्वास में कार्य करेगा और दूसरे के हितों को संकट में डालने का कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

इसकी साक्ष्य में पक्षकारों ने यह अनुबंध पहले ऊपर उल्लेखित..... माह के..... दिन और..... वर्ष पर हस्ताक्षरित किया है।

नाम के अधीन "प्रथम भाग के पक्षकार"

द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित

मुद्रांकित और प्रदत्त किया -

1.....

2.....

नाम के अधीन "द्वितीय भाग के पक्षकार"

द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित

मुद्रांकित और प्रदत्त किया -

1.....

2.....

प्रपत्र "क"

श्रेणी, निर्दिष्ट, मात्रा और मूल्य सारणी

श्रेणी	निर्दिष्ट	मात्रा	मूल्य/भाव
श्रेणी-प्रथम या "क"	आकार, रंग, सुरभि (सुगंध) आदि		
श्रेणी-द्वितीय या "ख"			

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक 1126/21-अ/प्रारूपण/06.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 9 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM

(No. 9 of 2006)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2005

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short Title and Commencement
2. Amendment of Section 2
3. Insertion of Section 32- 'A'
4. Amendment of Section 36
5. Amendment of Section 37
6. Insertion of Section 37- 'A'
7. Amendment of Section 41
8. Amendment of Section 44

CHHATTISGARH ADHINIYAM

(No. 9 of 2006)

**THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT)
ADHINIYAM, 2005**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972
(No. 24 of 1973)**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of the India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Amendment) Act, 2005.

Short title and
Commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. In sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), -

Amendment of
Section 2.

(i) After clause (ee) the following clause shall be inserted namely :-

(eee) "Contract farming" means farming of agriculture produce on contract basis by a person on his land under a written agreement with another person to the effect that his farm produce should be purchased at a rate specified in the agreement ;

(eeee) "Contract farming agreement" means the agreement made for contract farming between contract farming buyer and contract farming producer ;

(eeeee) "Contract farming Producer" means a person obtaining agricultural produce on his land under a written agreement of contract farming ;

(eeeeee) "Contract farming buyer" means a person, company or partnership firm who purchases agricultural produces from contract farming producer under a written agreement of contract farming.

3. After Section 32 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :-

Insertion of new
Section 32-A.

**" 32-A. Licence
for more than
one market area"**

(1) Every person specified in section 31 who desired to operate in more than one market areas, shall apply to such authority/officer notified by the State Government for grant of a licence or renewal thereof in such manner and within such period and on such conditions as may be prescribed in the rules.

(2) The authority/officer notified by the State Government may grant or renew the licence or for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the licence.

(3) All licence granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made there under.

Amendment of
Section 36.

4. (1) For sub-section (1) of section 36, of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(1) All notified agricultural produce brought into the market proper for sale shall, subject to the provisions of sub-section (2), be sold in the market yard/yards specified for such produce or at such other place as provided in the bye-laws."

Provided that it shall not be necessary to bring agricultural produce, Produced under contract farming, in the market yard and it shall be sold at any other place to the person agreed to purchase the same under agreement."

- (2) For sub-Section (4) of section 36, the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(4) Weighment or measurement of all the notified agricultural produce so purchased shall be done by such licensee weighman by and by such procedure as may be provided in the bye-laws or some market yard or any other place specified by the market committee for the purpose."

" Provided that the weighment, measurement or counting as the case may be, of plantain, Papaya or any other perishable agricultural produce as may be specified by the State Government, by notification shall be done by a licensed weighman in the place where such produce has been grown."

Amendment of
Section 37.

5. In sub-section (3) of Section 37 of the Principle Act, after the words "market yard" the words " or such other place as provided in the bye-laws" shall be added.

Insertion of
New Section 37-A.

6. After Section 37 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :-

**" 37-A. Regulation
of marketing of
notified agricultural
produce under
contract farming"**

- (1) The contract farming shall be performed under a written agreement (in model form shown in Schedule-A) between Producer and Buyer of Produce of contract farming in such manner and in accordance with such procedure as may be prescribed in the bye-laws.

Explanation - For the purpose of this Section "Producer and Buyer" means the person who respectively produce and buy agricultural produce under a written agreement of contract farming.

- (2) The buyer shall submit an application for registration of the written agreement of contract farming to the market committee. The Market Committee shall register it in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by the bye-laws.
- (3) If any dispute arises between the parties in respect of provisions of the agreement the either party may submit an application to the Chairman of Market Committee to arbitrate upon the disputes. The Chairman of the Market Committee shall resolve the dispute after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
- (4) The Party aggrieved by the decision of the Chairman of the Market Committee under sub-section (3) may prefer an appeal to the Managing Director or the officer authorized by him in this behalf within thirty days from the date of decision. The Managing Director or the officer authorized by him shall dispose of the appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and the decision of the Managing Director or the officer authorized by him shall be final.
- (5) The agricultural produced under contract farming shall be sold to the buyer out of the market yard as may be prescribed by the bye-laws. The market fees shall be payable by the buyer of agricultural produce at the rates prescribed under section 19 in such manner as may be prescribed by bye-laws.

7. For clause (f) and clause (g) of sub-section (1) of Section 41 of the principal Act, the following clauses shall be substituted, namely :- Amendment of Section 41.

" (f) Two members of the Chhattisgarh Legislative Assembly, out of which one shall be woman, nominated in consultation with the Speaker of the Legislative Assembly ;

(g) Three Chairmen of market Committees, out of which one shall be woman."

8. After clause (x-e) of the Section 44 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely :- Amendment of Section 44.

"(x-ee) with the Prior sanction of the State Government to give grant to "Chhattisgarh Go-Seva Ayog" for maintenance of Goshalas and old Cattles".

Model Agreement for Contract Farming

(All clauses of the agreement are subject to the respective explanatory notes given under "contents of a model contract farming agreement")

This Agreement is made and entered into at on the day of 20..... between age residing at herein after called the party of the First part (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof mean and include his heirs, executors, administrators and assigns) of the one part and M/s a Pvt./ Public Limited Co. incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 and having its registered office at hereinafter called the party of the Second part (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof mean and include its successors and assigns) of the other part.

WHEREAS the party of the First part is the owner/cultivator of the agricultural land bearing the following particulars.

Village	Gut No.	Area in Hectare	Tehsil & Dist.	State

AND WHEREAS the party of the Second part is trading in agricultural produce and also providing technical know-how in respect of land preparation nursery, fertilization, pest management, irrigation, harvesting and alike things.

AND WHEREAS the party of the Second party is interested in the items of the agricultural produce more particularly mentioned in Schedule-I hereto annexed and at the request of the party of the Second part, party of the First part has agreed to cultivate and produce the items of agricultural produce mentioned in the schedule-I hereto annexed.

AND WHEREAS the parties hereto have agreed to reduce in writing the terms and condition in the manner hereinafter appearing.

NOW, these presence witness and it is hereby agreed by and between the parties as follows :-

Clause-1

The party of the First part agrees to cultivate and produce and deliver to the party of the Second part and the party of the Second part agrees to buy from the party of the first part the items of the agricultural produces particulars of the items quality, quantity and price of the items are more particularly mentioned in the schedule I hereto annexed.

Clause-2

The agricultural produce particulars of which are mentioned in the schedule-I hereto will be supplied by the party of the First part to the party of the Second part within the period of months/years from the date hereof.

OR

It is expressly agreed between the parties hereto that this agreement is for agricultural produce particulars of which are described in schedule-I hereto and for a period of months/years and after the expiration of said period this agreement will automatically come to an end.

Clause-3

The party of the First part agrees to cultivate produce and supply quantity mentioned in the schedule-I hereto annexed to the party of the Second part.

Clause-4

The party of the First part agrees to supply the quantity contracted according to the quality specifications stipulated in Schedule-I. If the agricultural produce is not as per the agreed quality standards, the party of the Second part will be entitled to refuse to take the delivery of the agricultural produce only on this count, Then-

- (a) The party of the First part shall be free to sell the produce to the party of the Second part at a mutually renegotiated price.

OR

- (b) In open market (to bulk Buyer viz. exporter/processor/ manufacturer etc.) and if he gets a price less than the price contracted he will pay to the party of the Second part for his investment proportionately less.

OR

- (c) In the Market yard and if the price obtained by him is less than contracted price then he will return proportionately less for the party of the Second investment.

In the event the party of the Second part refuses/fails to take the delivery of the contracted produce for his own reasons then the party of the First part will be free to sell the produce in the open market and if the price received is lower than the contracted price the difference will be on account of the party of the Second part and the party of the second part shall pay the said difference to the party of the First part within a period ofdays from asserting the said difference.

Clause-5

The party of the First part agrees to adopt instructions/ practices in respect of Land preparation, nursery, fertilization, pest management, irrigation, harvesting and any other, as suggested by the party of the second part from time to time and cultivate and produce the items as per specifications mentioned in the schedule-I hereto.

Clause-6

It is expressly agreed by and between the parties hereto that buying will be as per the following terms and buying slips will be issued immediately after the purchase.

Date	Delivery Point	Cost of Delivery

It is further agreed that it will be the responsibility of the party of the Second part to take into possession of the contracted produce at the delivery point agreed after it is offered for delivery and if he fails to take delivery within.....period then the party of the First part will be free to sell the agriculture produce contracted as under :

- (a) In open market (bulk buyer viz. exporter/processor/ manufacturer etc.) and if he gets a price less than the price contracted he will pay to the party of the Second part for his investment proportionately less.
- (b) In the market yard and if the price obtained by him is less than contracted price then he will return proportionately less to the party of the Second part for his investment.

It is further agreed that the quality maintenance in transit will be the responsibility of the party of the Second part and the party of the First part shall not be responsible or liable for the same.

Clause-7

The party of the second part shall pay to the party of the First part the price/ rate mentioned in Scheduled-I when his crop has been harvested and delivered to the party of the Second part after deducting all outstanding advances given to the party of the First part by the party of the Second part. The following schedule shall be followed for the payment.

Date	Mode of Payment	Place of Payment

Clause-8

The parties hereto shall insure the contracted produce mentioned in Schedule-I hereto, for the period of.....against the risk of losses due to acts of Gods destruction of specified assets. loan default and production and income loss and all other acts or events beyond the control of the parties. such as very low production caused by the serious outbreak of a disease, epidemic or by abnormal weather condition, floods, drought, hailstorm, cyclones, earthquakes, fire or other catastrophes war, acts of Government, action existing on or after the effective date of this agreement which prevent totally or partially the fulfilment of the obligation of the farmer Upon request, the party of the First part invoking such acts shall provide to the other party confirmation of the existence of facts. Such evidence shall consist of a statement of certificate of the appropriate Governmental Department. If such a statement or certificate cannot reasonably be obtained the party of the First part claiming such acts may as substitute, thereof, make a notarial statement describing in details the facts claimed and the reasons why such a certificate or statement confirming the existence of such facts. Alternatively subject to the mutual agreement between the two parties the party of the First part may fill his quota of the produce through other sources and the loss suffered by him thereby due to price difference shall be shared equally between the parties, after taking into account the amount recovered from the insurance company. The insurance premium shall be shared equally by both the parties.

Clause-9

The party of the Second part hereby agrees to provide following services to the party of the First part during the period of cultivation and post harvest management particulars of which services are as follows.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Clause-10

The party of the Second part agrees to have regular interactions with the farmers forum set up/named by the party of the First part during the period of contract.

Clause-11

The party of the Second part at their costs shall have the right to enter the premises/fields of the party of the First part to monitor farming practices adopted and the quality of the produce from time to time.

Clause-12

The party of the Second part confirms that he has registered himself with the Registering Authority.....on.....and shall pay the fees in accordance with the law prevailing in this regard to the Registered authority which has jurisdiction to regulate the marketing of agriculture produce which is cultivated on the land described.....

OR

The party of the Second part has registered himself on.....with a single point registration Authority namely.....prescribed by the State in this regard. The fees levied by the respective Registering Authority shall be borne by the party of the Second part exclusively and will not be deducted in any manner whatsoever from the amounts paid to the party of the First part.

Clause-13

The party of the Second part will have no rights whatsoever as to the Title Ownership, Possession of the land/ property of the party of the First part nor will it in any way alienate the party of the First part from the land property particularly nor mortgage, lease, sublease or transfer the land property of the First party in any way to any other person/ institution during the continues of the agreement.

Clause-14

The party of the Second part shall submit true copy of this agreement signed by both the parties within a period of 15 days from the date of execution thereof with the.....market committee/registering authority as required by the APMR Act/ any other registering authority prescribed for the purpose.

Clause-15

Dissolution, Termination/Cancellation of the contract will be with consent of both the parties. Such dissolution, termination/cancellation deed will be communicated to the registering authority within 15 days of such dissolution termination/cancellation.

Clause-16

In the event of any dispute or difference arising between the parties hereto or as to the rights and obligations under this agreement or as to any claim monetary or otherwise of one party against the other or as to the interpretation and effect of any terms and conditions of this agreement such dispute or difference shall be referred to arbitration authority constituted for the purpose of Authority declared by State Government in this regard.

Clause-17

In case of change of address of any party to this agreement it should be intimated to the other party and also to the Registering Authority.

Clause-18

Each party hereto will act in good faith diligently and honestly with the other in the performance of their responsibilities under this agreement and nothing will be done to jeopardize the interest of the other.

In witness whereof the parties have signed this agreement on the.....day.....month and.....year first above mentioned.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED by the
withinnamed "PARTY OF THE FIRST PART"
in the presence of.....

1.....

2.....

SIGNED, SEALED AND DELIVERED by the
withinnamed "PARTY OF THE SECOND PART"
in the presence of.....

1.....

2.....

SCHEDULE—I

Grade, Specification, Quantity and Price Chart

Grade	Specification	Quantity	Price/Chart
Grade 1 or A	Size, colour, Aroma etc.		
Grade 2 or B			

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59-अ 1

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2006—माघ 21, शक 1927

वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (6).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/392/2001/वाक/पांच (70), दिनांक 12-11-2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

- (i) अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4) (क) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए.
- (ii) अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए.
- (iii) अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए.

2. उक्त संशोधन 01-04-2005 से प्रभावशील माने जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (6), दिनांक 10-02-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2006

NOTIFICATION

No. F-10/16/2006/CT/V (6).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12-11-2001 :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification :—

- (i) In column (4) (a) against serial No. 1, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.
- (ii) In column (2) against serial No. 2, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.
- (iii) In column (2) against serial No. 3, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 01-04-2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (7).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000-विक-पांच (33) दिनांक 13-04-2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (4) में शब्दों, "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" जहां भी वे पाये जाएं, को विलोपित किया जाए.

2. उक्त संशोधन 01-04-2005 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (7), दिनांक 10-02-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2006

NOTIFICATION

No. F-10/16/2006/CT/V (7):— In exercise of the powers conferred by Section 10 of Sthaniya-Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-3-28-2000-ST-V (33) dated 13-04-2000:—

AMENDMENT

In the said Notification in column (4) against serial No. 3, the words "other than rounds or rods in coil form" wherever they occur, shall be omitted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01-04-2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (8).—केन्द्रीय विस्फोटक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/392/2001/वाक/पांच (71), दिनांक 12-11-2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए.

(ii) अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए.

(iii) अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए.

2. उक्त संशोधन 01-04-2005 से प्रभावी माने जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/16/2006/वाक/पांच (8), दिनांक 10-02-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2006

NOTIFICATION

No. F-10/16/2006/CT/V (8).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (71), dated 12-11-2001, namely,—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification —

- (i) In column (2) against serial No. 1, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.
- (ii) In column (2) against serial No. 2, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.
- (iii) In column (2) against serial No. 3, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 01-04-2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

“विज्ञापन पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के बगैर भुगतान, (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 रि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ शासन"
तक. 114-003/2003/20-01-07.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 मई 2007—वैशाख 20, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, नंदरु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक 4137/90/21-अ/प्रारूपण/07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-04-2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2007

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अन्तर्गत वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2007 है.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 38 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 38 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“मंडी समिति निधि में प्राप्त समस्त धन तथा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य राशियां किसी सहकारी बैंक में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) के प्रावधानों का पालन कर रही है अथवा डाक घर में अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे पात्र बैंकों में से किसी में जमा किया जायेगा.”

धारा 43 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन किसी सहकारी बैंक में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) के प्रावधानों का पालन कर रही है अथवा डाक घर में अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे पात्र बैंकों में से किसी में जमा किया जायेगा.”

रायपुर, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक 4137/90/21-अ/प्रारूपण/07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्र. 4 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2007)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT) ACT, 2007

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Fifty-Eighth year of the Republic of India as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|-------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007. | Short title and Commencement. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | For sub-section (2) of Section 38 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as Principal Act), the following shall be substituted, namely :—

“All money received in the market committee fund and other sums specified in sub-section (1) shall be deposited in a Cooperative Bank, which fulfils the conditions of section 11 (1) of Banking Regulation Act, 1949 or in Post Office or in any of such eligible Banks as specified by the State Government.” | Amendment of Section 38. |
| 3. | | For sub-section (7) of Section 43 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

“All money received by the Chhattisgarh State Marketing Development Fund, shall be deposited in a Cooperative Bank, which fulfils the conditions of section 11 (1) of Banking Regulation Act, 1949 or in Post Office or in any of such eligible Banks as specified by the State Government.” | Amendment of Section 43. |

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-01."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2008—श्रावण 17, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक 7839/डी. 228/21-अ/प्र./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2-08-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|--------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2008 है. |
| | | (दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 66-क (1) में प्रतिस्थापन. | 2. | छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 66-क की उपधारा (1) में शब्द "राज्य शासन" के स्थान पर शब्द "संभाग के आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. |

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक 7839/डी. 228/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2008)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ACT, 2008

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by Chhattisgarh Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

- | | | |
|--------------------------------|----|--|
| Short title and Commencement. | 1. | (i) This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008. |
| | | (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. |
| Amendment of Section 66-A (1). | 2. | In sub-section (1) of section 66-A of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the words "State Government" the words "Commissioner of Division" shall be substituted. |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2011—पौष 17, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 128/3/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-12-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | | |
|----------------------------|----|--|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा. |
| | | (2) | इसे 24 मार्च, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा. |
| धारा 57-क का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष तथा छः माह" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए. | |

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 128/3/21-अ/प्रा./छ. ग./11.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 01 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 1 of 2011)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|
| Short title and Commencement. | 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. |
| | | (2) | It shall be deemed to have come into force on the 24th day of March, 2009. |
| Amendment of Section 57-A. | 2. | In sub-section (1) of Section 57-A of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the words "three years and six months", the words "five years" shall be substituted. | |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2011—आश्विन 18, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7178/195/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणो, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | | |
|----------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा. |
| | | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 2 का संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,— |
| | | (1) | मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "व्यक्ति" के पश्चात् शब्द "एवं उसका परिवार" जोड़ा जाये. |
| | | (2) | मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(खख) “परिवार” से अभिप्रेत है, व्यक्ति तथा उसका/उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, एवं उसके बच्चे, पिता, माता, बहन एवं भाई, जो उस पर आश्रित हों तथा उसके साथ निवास कर रहे हों.” |
| | | (3) | मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में शब्द “आदतिया” के स्थान पर शब्द “अभिकर्ता” प्रतिस्थापित किया जाये तथा जहां कहीं शब्द “व्यापारी” आया हो, को विलोपित किया जाये. |
| | | (4) | मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(ठ) “मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप-मंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उप-मंडी प्रांगण” से किसी मंडी क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है, कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान, जिसे धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप-मंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उप-मंडी प्रांगण घोषित किया गया हो.” |
| | | (5) | मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डडड) में, शब्द “पॉलिश करना”, को विलोपित किया जाये. |
| | | (6) | मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डडडडड) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—
“(डडडडडड) “विनिर्माण” से अभिप्रेत है, कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण को उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किसी दूसरी वस्तु में बदलना जिससे उसे नया एवं भिन्न स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण या संयोजन/सम्मिश्रण प्राप्त होता है.
(डडडडडडड) “विनिर्माता” से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कृषि उपज से विनिर्माण शारीरिक या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो.” |

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(एक-क) विशेष वस्तु के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकेंगे.”
- (2) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उप-खण्ड (क) तथा (ख) में, शब्द “मंडी प्रांगण” तथा “उप-मंडी प्रांगण” के पश्चात् शब्द “या विशेष वस्तुतः मंडी प्रांगण” तथा “या किसान/उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण” अंतःस्थापित किये जाये.
4. (1) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“स्पष्टीकरण— इस खंड में अभिव्यक्ति “कृषकों के प्रतिनिधि” के अंतर्गत मंडी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नहीं आयेगा, यदि उसका कोई नातेदार अर्थात् पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र तथा पुत्री, जो कि उसके साथ निवास कर रहे हों तथा उस पर आश्रित हों, राज्य में किसी भी मंडी समिति से व्यापारी के रूप में पंजीयन धारण करते हों.”
- (2) मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(क) जिसका नाम राजस्व/वन ग्राम के भू अभिलेखों में भूमि स्वामी पट्टा/पट्टेदार के रूप में प्रविष्ट हो और जो कम से कम आधा एकड़ भूमि में कृषि कार्य करता हो.”
- (3) मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“स्पष्टीकरण— शब्द “भूमि स्वामी” का वही अर्थ होगा, जो कि, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिये समनुदेशित है तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के साथ उक्त के अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन स्वत्व धारक सम्मिलित है.”
5. मूल अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“परंतु यदि, मंडी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर, नई मंडी समिति का गठन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मंडी समिति की अवधि में वृद्धि, ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, 06 माह की कालावधि के लिए दो बार में अर्थात् अधिकतम 01 वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी और यदि नई मंडी समिति का गठन इस बड़ाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा, कि यह विघटित हो गई है, और ऐसी दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे.”
6. (1) मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड का प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(तीन) मंडी कृत्यकारियों का पंजीयन मंजूर करेगी या मंजूर करने से इंकार करेगी और ऐसे पंजीयन को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी.”
- (2) मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (तेरह) के उप-खण्ड (ख) को विलोपित किया जाये.
7. (1) मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो), में शब्द “प्रसंस्करण” के पश्चात् शब्द “तथा विनिर्माण” जोड़ा जाये.

- (2) मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाये, अर्थात् :—
- “(8) मंडी समिति, मंडी प्रांगण, तथा विशेष वस्तु मंडी प्रांगण तथा उप-मंडी प्रांगण में वाहन के लिये प्रवेश शुल्क एवं विभिन्न सेवाएं जैसे-सुरक्षा, प्रकाश, प्रांगण में स्वच्छता तथा रख रखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए, ऐसी दर से, जैसा कि उप-विधि में विनिर्दिष्ट किया जाये, उप-मंडी प्रांगण के किसान/उपभोक्ता से शुल्क का उद्ग्रहण (लेवी) तथा संग्रहण कर सकेगी.”
- धारा 27 का संशोधन.** 8. मूल अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
- “(3) सचिव, मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा और प्रबंध संचालक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा.”
- धारा 32 का संशोधन.** 9. (1) मूल अधिनियम की धारा 32 में, जहां कहीं शब्द “अनुज्ञप्ति” आया हो, उसके स्थान पर शब्द “पंजीयन” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) विलोपित की जाये.
- धारा 32-क का संशोधन.** 10. (1) मूल अधिनियम की धारा 32-क के शीर्षक में, शब्द “अनुज्ञप्ति” के स्थान पर शब्द “पंजीयन” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 32-क में जहां कहीं शब्द “अनुज्ञप्ति” आया हो, उसके स्थान पर, शब्द “पंजीयन” प्रतिस्थापित किया जाए.
- धारा 33 का संशोधन.** 11. (1) मूल अधिनियम की धारा 33 के शीर्षक में, शब्द “अनुज्ञप्तियां” के स्थान पर शब्द “पंजीयन” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 33 में जहां कहीं शब्द “अनुज्ञप्ति” आया हो, उसके स्थान पर, शब्द “पंजीयन” प्रतिस्थापित किया जाए.
- धारा 37 का संशोधन.** 12. (1) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में शब्द “आर्द्रतया” के स्थान पर, शब्द “अधिकर्ता” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में शब्द “व्यापारी” विलोपित किया जाए.
- (3) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (5) में शब्द “आर्द्रतया” के स्थान पर, शब्द “अधिकर्ता” प्रतिस्थापित किया जाए.
- धारा 41 का संशोधन.** 13. (1) मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—
- “(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी के न हो;
- (ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छत्तीसगढ़ या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो;
- (घ) संचालक, कृषि छत्तीसगढ़ या उनके नामित प्रतिनिधि जो कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो.”

- (2) मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, अर्थात् :—
“(ड ड) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न के न हो.”
14. मूल अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (1) का “परन्तुक” विलोपित किया जाये. धारा 42 का संशोधन.
15. मूल अधिनियम की धारा 44 के खण्ड (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—
“(बारह). राज्य सरकार की पूर्वानुमति से/या निर्देश पर बोर्ड भिन्न-भिन्न कृषक कल्याणोन्मुखी गतिविधियों (कृषक हित) के लिये अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम दस प्रतिशत तक राशि उपयोग कर सकेगा.” धारा 44 का संशोधन.
16. मूल अधिनियम की धारा 48 में, जहां कहीं शब्द “पांच सौ रुपये” आया है, उसके स्थान पर शब्द “पांच हजार रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 48 का संशोधन.
17. मूल अधिनियम की धारा 49 में, जहां कहीं शब्द “दो सौ रुपये” एवं “पांच सौ रुपये” आया है, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द “दो हजार रुपये” एवं “पांच हजार रुपये” प्रतिस्थापित किए जायें. धारा 49 का संशोधन.
18. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में शब्द “एक सौ रुपये” तथा “बीस रुपए” के स्थान पर शब्द “दो हजार रुपये” तथा “पांच सौ रुपये” प्रतिस्थापित किए जायें. धारा 50 का संशोधन.
19. मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) में शब्द “पांच सौ रुपये से अनधिक” के स्थान पर शब्द “पांच हजार रुपये से अनधिक” प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 53 का संशोधन.
20. (1) मूल अधिनियम की धारा 54 के शीर्षक में, शब्द “मंडियों का निरीक्षण तथा मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच” के स्थान पर शब्द “मंडियों को निर्देश देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति एवं मण्डी समिति के कार्य कलापों की जांच” प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 54 का संशोधन.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(कक) प्रबंध संचालक, मंडी समितियों को निर्देश दे सकेंगे तथा मंडी समितियां ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी.”
21. (1) मूल अधिनियम की धारा 63 में शब्द “एक सा रुपए” के स्थान पर शब्द “एक हजार रुपए” प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 63 का संशोधन.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 63 के परन्तुक में, शब्द “पांच सौ रुपए” के स्थान पर शब्द “पांच हजार रुपए” प्रतिस्थापित किया जाए.
22. मूल अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (तेईस) एवं (चौबीस) को विलोपित किया जाये. धारा 79 का संशोधन.
23. अनुसूची-एक में “तन्तुआ” से संबंधित समस्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये. अनुसूची-एक का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7178/195/21-अ/प्रा./छ. ग./11.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव।

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2011)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.	1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Amendment) Adhiniyam, 2011. (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
Amendment of Section 2.	2. In Section 2 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act),— (1) In clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, after the words “a person” the words “and his family” shall be added. (2) After clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely :— “(bb) “Family” means a person and his/her, wife or husband, as the case may be, and his/her children, father, mother, sister and brothers, dependent on and residing with him.” (3) In clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, for the words “Commission Agent” the word “Agent” shall be substituted and the word “trader” wherever it occur shall be omitted (4) For clause (1) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :— “(1) “market yard or special produce market yard, or sub market yard or farmers/consumers sub market yard” in relation to a market area means a specified place declared to be a market yard or special produce market yard or sub market yard or farmer/consumers sub market yard under clause (a) of sub-section (2) of Section 5.” (5) In clause (mmm) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, the word “Polishing” shall be omitted. (6) After clause (mmmm) of sub-section (1) of section 2 of the Principal Act, the following new clauses shall be added, namely :— “(mmmmmm) ‘Manufacture’ means conversion of original look, size, shape and the properties of the agricultural produce into

other product having new and different look, size, shape and the properties or mixture/combination thereof for the commercial purpose."

"(mmmmmm) 'Manufacturer' means a person who manufactures from a agricultural produce by manual or mechanical means."

- | | | | |
|----|-----|---|--------------------------------|
| 3. | (1) | After sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Principal Act, the following sub-clause shall be inserted, namely :—
“(i-a) there may be one or more yards for special produce.” | Amendment
of
Section 5. |
| | (2) | In sub-clause (a) and (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Principal Act, after the words “market yard” and “sub-market yard” the words “or special produce market yard” and “or farmer/consumer sub-market yard” shall be inserted. | |
| 4. | (1) | For Explanation of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, the following Explanation shall be substituted, namely :—
“ Explanation — The expression “representatives of agriculturist” in this clause shall not include an agriculturists of the market area, if any of his/her relatives e.g.; husband, wife, father, mother, brother, sister, son and daughter, who are residing with and dependent on him/her, holds a trader's registration from any of the market committee in the State.” | Amendment
of
Section 11. |
| | (2) | For clause (a) of sub-section (1) of Section 11-B of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—
“(a) Whose name is entered as Bhumiswami/Lease or Patta holder in the revenue/forest village land records and possesses at least half acre of land being used for agricultural activity.” | |
| | (3) | For Explanation of clause (d) of sub-section (1) of Section 11-B of the Principal Act, the following Explanation shall be substituted, namely :—
“ Explanation — The word “Bhumiswami” shall have the same meaning as assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and shall include title holder under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) along with Rules framed there under.” | |
| 5. | | For proviso of sub-section (2) of Section 13 of the Principal Act, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that, if on the expiry of the term of the market committee, a new market committee is not constituted, the State Government may, by notification, extend the term of the market committee for a period of six months twice, that is for a maximum period of one year from the date of expiry, with reasons for such extension being placed on record and if the new market committee is not constituted within this extended term, it shall be deemed to have been dissolved and in such event the provisions of Section 57 shall apply.” | Amendment
of
Section 13. |
| 6. | (1) | For clause (iii) of sub-section (2) of Section 17 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—
“(iii) grant or refuse registration to the market functionaries and renew, suspend or cancel such registrations.” | Amendment
of
Section 17. |
| | (2) | Sub-clause (b) of clause (xiii) of sub-section (2) of Section 17 of the Principal Act, shall be omitted. | |

Amendment Section 19.	of	7.	(1)	In clause (ii) of sub-section (1) of Section 19 of the Principal Act, after the words "processing" the word "and manufacturing" shall be added.
			(2)	After sub-section (7) of Section 19 of the Principal Act, the following sub-section shall be added, namely :— “(8) The market committee may levy and collect entrance fees for vehicle and services viz. security, electrification, sanitation and maintenance of yards and other facilities provided in the market yard and special produce market yard and sub-market yard, from farmers/consumers of sub-market yard at such rate as may be specified in the bye-laws.”
Amendment Section 27.	of	8.		For sub-section (3) of Section 27 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :— “(3) The Secretary shall be accountable to the Market Committee and shall be under the administrative control of the Managing Director.”
Amendment Section 32.	of	9.	(1)	In Section 32 of the Principal Act, for the word “licences” wherever they occur, the word “registration” shall be substituted.
			(2)	Sub-section (5) of Section 32 of the Principal Act shall be omitted.
Amendment Section 32-A	of	10.	(1)	In the heading of Section 32-A of the Principal Act, for the word “Licence” the word “Registration” shall be substituted.
			(2)	In Section 32-A of the Principal Act, for the word “licence” wherever they occur, the word “registration” shall be substituted.
Amendment Section 33.	of	11.	(1)	In the heading of Section 33 of the Principal Act, for the word “licences” the word “registration” shall be substituted.
			(2)	In Section 33 of the Principal Act, for the word “licence” wherever they occur, the word “registration” shall be substituted.
Amendment Section 37.	of	12.	(1)	In sub-section (4) of Section 37 of the Principal Act, for the words “Commission agent” the word “Agent” shall be substituted.
			(2)	In sub-section (4) of Section 37 of the Principal Act, the words “Trader” shall be omitted.
			(3)	In sub-section (5) of Section 37 of the Principal Act, for the words “Commission agent” the word “Agent” shall be substituted.
Amendment Section 41.	of	13.	(1)	For clause (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 41 of the Principal Act, the following clauses shall be substituted, namely :— “(b) Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Agricultural Department or his nominated representative, not below the rank of Deputy Secretary; (c) Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh or his nominated representative not below the rank of Joint Director; (d) Director of Agriculture, Chhattisgarh or his nominated representative not below the rank of Joint Director.”
			(2)	After clause (c) of sub-section (1) of Section 41 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely :— “(ee) Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department or his representative not below the rank of the Deputy Secretary.”

14.	Proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Principal Act shall be omitted.	Amendment Section 42.	of
15.	After clause (xi) of Section 44 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely :— “(xii) The Board may utilize a maximum of ten percent of its annual gross income for various farmer welfare oriented activities with the prior sanction of/or instructions from the State Government.”	Amendment Section 44.	of
16.	In Section 48 of the Principal Act, for the words “five hundred rupees” wherever they occur, the words “five thousand rupees” shall be substituted.	Amendment Section 48.	of
17.	In Section 49 of the Principal Act, for the words “two hundred rupees” and “five hundred rupees” wherever they occur the words “two thousand rupees” and “five thousand rupees” shall be substituted respectively.	Amendment Section 49.	of
18.	In first proviso to sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, for the words “one hundred rupees” and “twenty rupees” the words “two thousand rupees” and “five hundred rupees” shall be substituted.	Amendment Section 50.	of
19.	In sub-section (1) of Section 53 of the Principal Act, for the words “not exceeding rupees five hundred”, the words “not exceeding rupees five thousand” shall be substituted.	Amendment Section 53.	of
20.	(1) In the heading of Section 54 of the Principal Act, for the words “Inspection of markets and inquiry into affairs of market committee” the words “Power to give instruction and inspection of markets and inquiry in to affairs of market committee” shall be substituted. (2) After clause (a) of sub-section (1) of Section 54 of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely :— “(aa) the Managing Director may give direction to the market committees and the market committee shall be bound to comply with such direction.”	Amendment Section 54.	of
21.	(1) In Section 63 of the Principal Act, for the words “one hundred rupees” the words “one thousand rupees” shall be substituted. (2) In proviso to Section 63 of the Principal Act, for the words “five hundred rupees” the words “five thousand rupees” shall be substituted.	Amendment Section 63.	of
22.	Clause (xxiii) and (xxiv) of sub-section (2) of Section 79 of the Principal Act shall be omitted.	Amendment Section 79.	of
23.	In Schedule-I, all the entries relating to fibres be omitted.	Amendment Schedule-I.	of

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015 — वैशाख 18, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक 4334/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-04-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,-
- (एक) खण्ड (ड ड ड ड ड ड) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “(ड ड ड ड ड ड) “किसान उत्पादक संगठन” से अभिप्रेत है, ऐसा संगठन जिसका गठन शेयर धारक किसान उत्पादकों द्वारा कृषि गतिविधियों के लिये किया गया हो और जो कंपनी अधिनियम, 2013 (क्र. 18 सन् 2013) के अधीन पंजीकृत निगमित निकाय/कंपनी हो, तथा प्राथमिक पैदावार के कारोबार संबंधी गतिविधियों के लेनदेन में संलग्न हो एवं जो किसान उत्पादकों के लाभ के लिये कार्य करता हो तथा इसके लाभ का हिस्सा, किसान उत्पादकों के बीच बांटा जाता हो और शेष राशि, इसके शेयर पूंजी अथवा आरक्षित निधि में निवेश की जाती हो;”
- (दो) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-
- “(थ) “निजी मण्डी प्रांगण/निजी उपमण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण” से अभिप्रेत है मण्डी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रांगणों से भिन्न ऐसा स्थान, जहां अधोसंरचना का विकास ऐसे व्यक्ति/संगठन/किसान उत्पादक संगठन द्वारा किया गया हो, जिसे इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिये पंजीयन प्राप्त हो;
- (द) “पंजीकृत व्यक्ति/संस्था” से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति/संगठन, जो निजी मंडी प्रांगण/निजी उप मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना हेतु मण्डी बोर्ड में पंजीकृत हो;
- (ध) “टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स” से अभिप्रेत है उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु ऐसा परिसर (कॉम्प्लेक्स), जो कंपनी अधिनियम, 2013 (क्र. 18 सन् 2013) के अधीन पंजीकृत निजी उद्यम (इंटरप्राइजेस)/निगमित निकाय/कंपनी द्वारा विकसित एवं संचालित हो तथा जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में सम्यक् रूप से चयनित हो.”
- धारा 5 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “(तीन) व्यक्ति/संगठन/किसान उत्पादक संगठन, जो मण्डी बोर्ड/मण्डी समिति से पंजीकृत हो, के द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक निजी मंडी प्रांगण/निजी उप-मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण, मंडी क्षेत्र के लिए हो सकेंगे;
- (चार) एक या एक से अधिक टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स हो सकेंगे.”

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ख) के परन्तुक के पैरा (ख) में, शब्द एवं चिन्ह “किसी सहकारी सोसाइटी से कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी कृषि-उपज के उसे किये गये अन्तरण को लागू नहीं होगी:” के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द एवं चिन्ह प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
- “समर्थन मूल्य में कृषि उपज क्रय करने के लिये राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेन्सी को, विहित स्थानों से अथवा किसी सहकारी सोसाइटी से, कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, ऐसी कृषि उपज के उसे किये गये अन्तरण, को लागू नहीं होगी:”
- धारा 6 का संशोधन.
5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) में, शब्द “दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए” के स्थान पर, शब्द “पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए” प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 10 का संशोधन.
6. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
- “परन्तु यह भी कि व्यापारियों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, ऐसे पद को धारण करने के लिये निरर्हित हो जायेगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :
- परन्तु यह भी कि व्यापारियों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसकी पूर्व में एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव, 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या अधिक संतान का जन्म होता है, तो वह निरर्हित नहीं होगा:”
- धारा 11 का संशोधन.
7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
- “(दो-1) मण्डी प्रांगण/फल एवं सब्जी उप-मण्डी/विशेषवस्तु मण्डी/उप-मण्डी प्रांगण में, राज्य शासन द्वारा यथा अधिसूचित पी. पी. पी. रीति के अंतर्गत, कृषि उपज के विपणन के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगी:”
- धारा 17 का संशोधन.
8. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-
- (एक) उप-धारा (2) के तृतीय परन्तुक को विलोपित किया जाये;
- (दो) उप-धारा (6) में, शब्द “मण्डी क्षेत्र से बाहर हटाया जायेगा” के स्थान पर, शब्द “मण्डी प्रांगण, मूल मण्डी या मण्डी क्षेत्र से हटाया जायेगा” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (तीन) उप-धारा (8) में, शब्द “किसान/उपभोक्ता” के स्थान पर, शब्द “क्रेता/विक्रेता” प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 19 का संशोधन.
9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) में शब्द “सचिव द्वारा सत्यापित किया गया है” के पश्चात्, और शब्द “पुनः सत्यापित कर सकेगा” के पूर्व, शब्द “सत्यापन की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के भीतर” अंतःस्थापित किया जाये.
- धारा 21 का संशोधन.
10. मूल अधिनियम की धारा 31 में,
- (एक) शब्द एवं विराम चिन्ह “दलाल,” को विलोपित किया जाये.
- (दो) शब्द “प्रसंस्करण के या दवाने (प्रिसिंग) के कारखानों के स्वामी या अधिभोगी” के पश्चात्, तथा शब्द “या ऐसे अन्य मंडी कृत्यकारी के रूप में” के पूर्व, शब्द “या किसान उत्पादक संगठन या निजी मण्डी प्रांगण के संचालक या निजी उप मण्डी प्रांगण के संचालक या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण या टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स के संचालक” अंतःस्थापित किया जाए.
- धारा 31 का संशोधन.

नवीन धारा 32-ख का 11.
अंतःस्थापन.

मूल अधिनियम की धारा 32-क के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“32-ख. निजी मंडी प्रांगण/निजी उप-मंडी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजीयन.-

- (1) ऐसा व्यक्ति/संगठन/किसान उत्पादक संगठन, जो मंडी क्षेत्र में निजी मंडी प्रांगण/निजी उप-मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करना चाहता हो, पंजीयन या उसके नवीनीकरण के लिए बोर्ड को, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि नियमों में विहित किये जायें, आवेदन करेगा.
- (2) बोर्ड, पंजीयन स्वीकृत कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंजीयन को स्वीकृत करने से या उसके नवीकरण करने से, इंकार कर सकेगा.
- (3) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत किये गये समस्त पंजीयन, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के अध्वधीन होंगे.”

नवीन धारा 33-क का 12.
अंतःस्थापन.

मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“33-क. निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप-मण्डी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.-

- (1) उप-धारा (3) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, बोर्ड, पंजीयन धारक को लिखित में कारणों को संसूचित करते हुए, पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगा-
 - (क) यदि पंजीयन जानबूझकर दुर्व्यवहार या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या
 - (ख) यदि पंजीयन धारक या कोई सेवक या उसकी (पंजीयन धारक) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, पंजीयन के निबंधनों या शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है; या
 - (ग) यदि पंजीयन धारक, अन्य पंजीयन धारकों के साथ सहयोजित होकर, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मंडी प्रांगण/उप-मण्डी प्रांगण/विशेषवस्तु मण्डी प्रांगण/किसान उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण में जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से, मंडी क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना सामान्य कारोबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलंबित हो गया हो या रूक गया हो; या
 - (घ) यदि पंजीयन धारक, दिवालिया हो गया हो; या
 - (ङ) यदि पंजीयन धारक, कोई ऐसी निरर्हता, जैसा कि विहित किया जाये, उपगत कर ले; या
 - (च) यदि पंजीयन धारक, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाए.
- (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उप-धारा (3) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पंजीयन धारक को लिखित में ऐसे कारणों को संसूचित करते हुए, आदेश द्वारा, बोर्ड द्वारा स्वीकृत या नवीकृत किए गए पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगा.
- (3) इस धारा के अधीन कोई पंजीयन, उसके धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा.”

13. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

नवीन धारा 34-क का
अंतःस्थापन.

“34-क. अपील एवं विवाद का निपटारा.-

- (1) बोर्ड के आदेश, जो यथास्थिति, धारा 32-ख या 33-क के अधीन पारित हो, से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के चालीस दिवस के भीतर, राज्य शासन को अपील प्रस्तुत कर सकेगा.
- (2) अपीलीय अधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, रोक सकेगा.
- (3) राज्य शासन द्वारा पारित किया गया आदेश, इस धारा के अधीन अपील में दिए गए आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.
- (4) निजी मंडी प्रांगण या निजी उप-मण्डी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण और मंडी समिति के बीच उद्भूत किसी विवाद को, प्रबंध संचालक, बोर्ड के अनुमोदन उपरांत, राज्य शासन को निर्दिष्ट करेगा. राज्य शासन उभयपक्षों को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देने के उपरांत विवाद का निपटारा करेगा.
- (5) उपर्युक्त उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.”

14. मूल अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) में,-

धारा 36 का संशोधन.

- (एक) शब्द “निविदा बोली या खुले नीलामी पद्धति” के स्थान पर, शब्द “इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली या खुली नीलामी या दोनों,” प्रतिस्थापित किया जाए; तथा
- (दो) परन्तु में, शब्द “समर्थन कीमत घोषित की गई है” के पश्चात्, तथा शब्द “कीमत उस कीमत से कम निर्धारित” के पूर्व, शब्द “और जिसके क्रय के लिये शासन द्वारा एजेन्सी नियुक्त की गई हो” अंतःस्थापित किया जाए.

15. मूल अधिनियम की धारा 37-क की उप-धारा (1) में, शब्द “उत्पादक” के पश्चात्, तथा शब्द “और क्रेता के बीच लिखित करार” के पूर्व, शब्द “या किसान उत्पादक संगठन” अंतःस्थापित किया जाए.

धारा 37-क का
संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

धारा 44 का संशोधन.

- (एक) खण्ड (पांच) में, शब्द “प्रतिनियुक्ति पर के सरकारी सेवकों के लिए” को विलोपित किया जाये.
- (दो) खण्ड (दस-ड ड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “(दस-ड ड) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग को, गौ-शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल के लिए, निधि से 10% के अनुदान प्रदाय हेतु.”
- (तीन) खण्ड (ग्यारह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “(ग्यारह) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से या निर्देश पर, कृषि उपज के उत्पादन या विपणन के सामान्य हित के किसी अन्य प्रयोजन के लिये.”
- (चार) खण्ड (बारह) में, शब्द “दस प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “पन्द्रह प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक 4334/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./15 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8-5-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 19 of 2015)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972
(No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic
of India, as follows :-

- | | | |
|-------------------------------|----|--|
| Short title and commencement. | 1. | <p>(1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> |
| Amendment of Section 2. | 2. | <p>In Section 2 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act.), -</p> <p>(i) After clause (eeeeee), the following shall be inserted, namely :-</p> <p>“(eeeeeee) “Farmer Producer Organization” means an organization which is built up by the share holder farmer producers for the purpose of agricultural activities and is a body corporate/companies registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013), and engaged in trading related activities of the transaction of primary produce and works for the benefit of the farmer producer and part of its benefit be divided among the farmer producers and remaining amount be invested in its share capital or reserve fund;”</p> <p>(ii) After clause (p), the following shall be added, namely :-</p> <p>“(q) “Private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard” means such place other than the yards notified by the State Government in the market area, where infrastructure has been developed by a person/ organization/ farmer producer organization for marketing of notified agricultural produce holding a registration for this purpose under this Act;</p> <p>(r) “Registered Person/ Organization” means a person/organization, who is registered in Mandi Board for establishment of private market yard/private sub market yard/private farmer consumer yard;</p> <p>(s) “Terminal Market Complex” means a complex which is developed and operated by private enterprises/body corporate/companies registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) and duly selected by the State Government in a prescribed manner for the marketing of horticulture produces.”</p> |

- | | | | |
|-----|---|--------------------------|----|
| 3. | After sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- | Amendment
Section 5. | of |
| | “(iii) There may be one or more than one private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard for marked area, managed by a person/organization/farmer producer organization which registered with Mandi Board/Mandi Samiti; | | |
| | (iv) There may be one or more than one Terminal Market Complex.” | | |
| 4. | In para (b) of proviso to clause (b) of Section 6 of the Principal Act, for the words and punctuation “the transfer of such agricultural produce to a co-operative society for the purpose of securing an advance therefrom :”, the following words and punctuation shall be substituted, namely :- | Amendment
Section 6. | of |
| | “ the transfer of such agricultural produce to a agency authorized by the State Government for the purchase of agricultural produce in support price from prescribed places or a cooperative society for the purpose securing an advance therefrom :” | | |
| 5. | In sub-section (1) of Section 10 of the Principal Act, for the words “for a period not exceeding two years”, the words “for a period not exceeding five year” shall be substituted. | Amendment
Section 10. | of |
| 6. | After first proviso to clause (c) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- | Amendment
Section 11. | of |
| | “Provided also that any elected representative of trader shall become disqualified to hold such office if he is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter : | | |
| | Provided also that any elected representative of trader who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified :” | | |
| 7. | After clause (ii) of sub-section (2) of Section 17 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- | Amendment
Section 17. | of |
| | (ii-1) Provide necessary facilities for marketing of agricultural produce in the market yard/fruit and vegetable sub-yard/special produce market/sub-yard, under P.P.P. mode as notified by the State Government; | | |
| 8. | In Section 19 of the Principal Act, - | Amendment
Section 19. | of |
| | (i) Third proviso to sub-section (2) shall stand omitted; | | |
| | (ii) In sub-section (6), for the words “Market Area”, the words “market yard, market proper or the market area” shall be substituted. | | |
| | (iii) In sub-section (8), for the words and symbol “farmers/consumers”, the words and symbol “purchasers/sellers” shall be substituted. | | |
| 9. | In sub-section (3) of Section 21 of the Principal Act, after the words “verified by the Secretary” and before the words “and for this purpose”, the words “within four years from the date of verification” shall be inserted. | Amendment
Section 21. | of |
| 10. | In Section 31 of the Principal Act, - | Amendment
Section 31. | of |
| | (i) the word and punctuation “broker,” shall stand deleted; and | | |

- (ii) after the words “owner or occupier of processing or pressing factories” and before the words “or such other market functionary”, the words “or Farmer Producer Organisation or operator of private market yard or operator of private sub market yard or operator of private farmer consumer yards or Terminal Market Complex” shall be inserted.

Insertion of new 11.
Section 32-B.

After Section 32-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

“32-B. Registration for establishment of private market yard/private sub-market yard and private farmer consumer yard.-

- (1) Every person/organization/ farmer producer organization, who desires to establish private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard in the market area, shall apply to the Board for registration or renewal thereof in such manner and within such period and on such conditions as may be prescribed in the rules.
- (2) Board may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration.
- (3) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made there under.”

Insertion of new 12.
Section 33-A.

After Section 33 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

“33-A. Power to cancel or suspend registration for private market yard/private sub-market yard and private farmer consumer yard. -

- (1) Subject to the provision of sub-section (3), the Board may for the reasons to be communicated to the registration holder in writing, suspend or cancel registration -
 - (a) If the registration has been obtained through willful misrepresentation or fraud; or
 - (b) If the holder of the registration or any servant or anyone acting on his behalf with his (registration holder's) expressed or implied permission, commits a breach of any of the terms or conditions of registration; or
 - (c) If the holder of the registration in association with other registration holder, commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce in the market, yerd/sub-market yard/special produce market yard/farmer consumer sub-market yard and in consequence whereof the marketing of any notified agricultural produce has been obstructed, suspended or stopped; or
 - (d) If the holder of the registration has become an insolvent; or
 - (e) If the holder of the registration incurs any disqualification, as may be prescribed; or
 - (f) If the holder of the registration is convicted of any offence under this Act.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), but subject to the provisions of sub-section (3), the State Government may for the reasons to be communicated in writing to the registration holder, by order suspend or cancel his/its registration granted or renewed by the Board.

- (3) No registration shall be suspended or cancelled under this section without giving a reasonable opportunity to its holder to show cause against such suspension or cancellation."
13. After Section 34 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- Insertion of new Section 34-A.
- "34-A. Appeal and Resolve of Dispute.-**
- (1) Any person aggrieved by an order of the Board passed under Section 32-B or 33-A, as the case may be, may prefer an appeal to the State Government, within forty days of receipt of the order.
- (2) The Appellate Authority, if it considers it necessary, may stay the order appealed against for such period as it may deem fit.
- (3) The order passed by the State Government, shall, subject to the order in the appeal under this section, be final and shall not be called in question in any court of law.
- (4) Any dispute between the private market yard or private sub-market yard or private farmer consumer yard and Market Committee shall be referred to the State Government after the approval of the Board, by the Managing Director; the State Government shall resolve the dispute after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
- (5) The order passed by the authority under the above sub-section (4) shall be final and shall not be called in question in any court of law."
14. In sub-section (3) of Section 36 of the Principal Act,- Amendment of Section 36.
- (i) for the word "tender bid or open auction system", the words "electronic tender bid or open auction or both" shall be substituted; and
- (ii) In the proviso, after the words "support price has been declared by the State Government" and before the words "shall not be settled", the words "and for purchase of which agency has been appointed by the government" shall be inserted.
15. In sub-section (1) of section 37-A of the Principal Act, after the word "Producer" and before the words "and Buyer", the words "or farmer producer organization" shall be inserted. Amendment of Section 37-A.
16. In Section 44 of the Principal Act,- Amendment of Section 44.
- (i) In clause (v), the words "to the Government servants on deputation" shall stand omitted;
- (ii) For clause (x-ee), the following shall be substituted, namely :-
- "(x-ee) Giving aid of 10% from the Fund, to Chhattisgarh Go-Seva Ayog constituted under the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004) for maintenance Goshalas and old cattles."
- (iii) For clause (xi), the following shall be substituted, namely :-
- "(xi) With the prior sanction or direction of the State Government, for any other purpose of general interest of agricultural production or marketing."
- (iv) In clause (xii), for the words "ten percent", the words "fifteen percent" shall be substituted.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 मई 2016 — वैशाख 20, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 4629/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग. /16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|----------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा. |
| | | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 57-क का संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उप-धारा (1) में, शब्द “परन्तु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी” का लोप किया जाये. |

रायपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 4629/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 23 of 2016)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972
(No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|-------------------------------|----|-----|--|
| Short title and commencement. | 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016. |
| | | (2) | It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. |
| Amendment of Section 57-A. | 2. | | In sub-section (1) of Section 57-A of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the words “provided that the total period shall not exceed five years in the aggregate” shall be omitted. |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जनवरी 2018 — पौष 25, शक 1939

त्रिधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 539/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में, -
- (एक) खण्ड (ख) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता”, जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये;
- (दो) खण्ड (ज) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये; और
- (तीन) खण्ड (त) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 6 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6 में, -
- (एक) खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक में, पैरा (ख) में, विराम चिन्ह “:”, के स्थान पर, विराम चिन्ह “;” प्रतिस्थापित किया जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “(ग) अनुसूची के भाग सात तथा आठ में अधिसूचित कृषि उपज, जो अधिसूचित मंडी प्रांगण/विशेष वस्तु मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण/टर्मिनल मार्केट यार्ड के बाहर क्रय की गई हो अथवा बेची गई हो :”
- (दो) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी-क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी, जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के अधीन दी गई हो. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (ग) के संबंध में क्रय की गई अथवा बेची गई कृषि उपज के लिए भी छूट प्रत्याहृत कर सकेगी और निर्देश जारी कर सकेगी तथा इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना बंधनकारी होगा.”
- धारा 11 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 12 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप-धारा (8) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् तथा द्वितीय परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “परन्तु यह और कि यदि संविधान की पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की मंडी समितियों का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तो उपाध्यक्ष, अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किया जायेगा :”

6. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-

धारा 19 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, परन्तुक में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) में, चतुर्थ परन्तुक में,-

(क) शब्द “प्रसंस्करण के लिए” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण के लिए या विनिर्माण के लिए” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) उप-धारा (4) में,-

(क) शब्द “प्रसंस्कृत की गई है” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्कृत, विनिर्मित की गई है” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द “प्रसंस्कृत उपज” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्कृत या विनिर्मित उपज” प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार) उप-धारा (5) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(पांच) उप-धारा (6) में, परन्तुक में,-

(क) शब्द “प्रसंस्कृत” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्कृत या विनिर्मित” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये.

7. मूल अधिनियम की धारा 19-ख में, उप-धारा (1) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 19-ख का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (1) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 21 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 31 में, शब्द “प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग)” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण या दबाने (प्रेसिंग)” प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 31 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 37-क में, उप-धारा (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

धारा 37-क का संशोधन.

“(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा. प्राधिकृत अधिकारी, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि उप-विधियों में विहित की जाये, पंजी करेगा.

(3) यदि करार के उपबंध के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार, विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए कलेक्टर/अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

कलेक्टर/अपर कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का समाधान करेगा।

- (4) उप-धारा (3) के अधीन कलेक्टर/अपर कलेक्टर के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार, विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को बेची जायेगी तथा ऐसी कृषि उपज पर मंडी शुल्क देय नहीं होगा।”

धारा 39 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 39 में, खण्ड (आठ) में, उप-खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(झ) मंडी समिति निधि में मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का दो प्रतिशत, मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास या निर्माण कार्य हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित किया जायेगा।”

धारा 44 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

(एक) खण्ड (दस-ड्ड) में, अंक एवं चिन्ह “10%” के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह “20%” प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खण्ड (बारह) में, शब्द “पन्द्रह प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “बीस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 539/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2018)

**THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2017**

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1),- | Amendment of Section 2. |
| | (i) in clause (b), for the word "Processor", wherever it occurs, the words "processor, manufacturer" shall be substituted; | |
| | (ii) in clause (j), for the words "a processor", the words "a processor, a manufacturer" shall be substituted; and | |
| | (iii) in clause (p), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted. | |
| 3. | In Section 6 of the Principal Act,- | Amendment of Section 6. |
| | (i) in clause (b), in the first proviso, in para (b), for the punctuation ":", the punctuation ";" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely :- | |
| | <p>“(c) agricultural produce notified in Part VII and VIII of the Schedule, which is purchased or sold outside the notified market yard/special produce market yard/sub-market yard/farmer consumer sub-market yard/terminal market yard:”</p> | |
| | (ii) for the second proviso, the following shall be substituted, namely :- | |
| | <p>“Provided further that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, withdraw the exemption in respect of such market area as may be specified in the notification under sub-clause (ii) of clause (a) of the preceding proviso. The State Government by notification may also withdraw the exemption and issue directions for the agricultural produce purchased or sold with respect to clause (c) of the preceding proviso, and the compliance of the directions so issued will be binding.”</p> | |
| 4. | In Section 11 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted. | Amendment of Section 11. |
| 5. | In Section 12 of the Principal Act, in sub-section (8), after the first proviso and before the second proviso, the following shall be inserted, namely :- | Amendment of Section 12. |

“Provided further that if the Chairman of the market committee of the area of fifth Schedule to the Constitution, doesn't belong to Scheduled Tribes, the Vice-chairman shall be elected from amongst the elected members belonging to Scheduled Tribes:”

Amendment Section 19.	of	6.	In Section 19 of the Principal Act,-
		(i)	in sub-section (1), in the proviso, for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted;
		(ii)	in sub-section (2), in the fourth proviso,-
		(a)	for the words “for processing”, the words “for processing or manufacturing” shall be substituted; and
		(b)	for the word “processor”, wherever it occurs, the words “processor or manufacturer” shall be substituted;
		(iii)	in sub-section (4), -
		(a)	for the words “processed re-sold”, the words “processed, manufactured resold” shall be substituted; and
		(b)	for the word “processed produce”, the words “processed or manufactured produce” shall be substituted;
		(iv)	in sub-section (5), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted; and
		(v)	in sub-section (6), in the proviso,-
		(a)	for the word “processed”, the words “processed or manufactured” shall be substituted; and
		(b)	for the word “processor”, wherever it occurs, the words “processor or manufacturer” shall be substituted.
Amendment Section 19-B.	of	7.	In Section 19-B of the Principal Act, in sub-section (1), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted.
Amendment Section 21.	of	8.	In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), for the word “processor”, the words “processor, manufacturer” shall be substituted.
Amendment Section 31.	of	9.	In Section 31 of the Principal Act, for the words “processing or pressing”, the words “processing or manufacturing or pressing” shall be substituted.
Amendment Section 37-A.	of	10.	In Section 37-A of the Principal Act, for sub-section (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-
		“(2)	The buyer shall submit an application for registration of the written agreement of contract farming to the officer authorized by the Collector. The Authorised Officer shall register in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed in the bye-laws.
		(3)	If any dispute arise between the parties in respect of provisions of the agreement, either party may submit an application to the Collector/Additional Collector to arbitrate upon the dispute. The Collector/Additional Collector shall resolve the dispute after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

- (4) The party aggrieved by the decision of the Collector/Additional Collector under sub-section (3), may prefer an appeal to the Managing Director or the officer authorized by him in this behalf within thirty days from the date of decision. The Managing Director or the officer authorized by him shall dispose off the appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and the decision of the Managing Director or the officer authorized by him shall be final.
- (5) The agricultural product produced under contract farming shall be sold to the buyer outside the market yard and no market fees shall be payable on such agricultural produce.”
11. In Section 39 of the Principal Act, in clause (viii), after sub-clause (h), the following shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 39.**
- “(i) Two percent of the income received as Mandi fees in Market Committee Fund shall be transferred to the Department of Panchayat and Rural Development for the development or construction works of the Gram Panchayats of market area.”
12. In Section 44 of the Principal Act,- **Amendment of Section 44.**
- (i) in clause (x-ee), for the figure and symbol “10%”, the figure and symbol “20%” shall be substituted.
- (ii) in clause (xii), for the words “fifteen percent”, the words “twenty percent” shall be substituted.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302-अ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2018 — श्रावण 29, शक 1940

विधि और विधाची कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 8253/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-08-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 20 सन् 2018) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

- | | |
|---|---|
| <p>संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.</p> | <p>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</p> |
| <p>धारा 2 का संशोधन.</p> | <p>2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में,—</p> <p>(एक) खण्ड (खख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—</p> <p style="padding-left: 40px;">“(खख) “परख प्रयोगशाला” से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाना या किन्हीं अन्य मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित की गई प्रयोगशाला, जैसा कि नियम/उप-विधि/दिशा निर्देश/निर्देश में विहित किया जाये;”</p> <p>(दो) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—</p> |

“(गग) **“विनियम”** से अभिप्रेत है धारा 81-क के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम;”

(तीन) खंड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(घघघ) **“संचालक”** से अभिप्रेत है संचालक, कृषि विपणन या कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन संचालक, कृषि विपणन की ऐसी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन के लिये नियुक्त किया गया हो, जैसा कि अधिसूचना द्वारा विहित किया जाये;”

(चार) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:

“(चच) कृषि उपज के संबंध में **“प्रत्यक्ष विपणन”** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन मुख्य मंडी प्रागंण, उपमंडी प्रागंण, निजी मंडी प्रागंण के बाहर प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातकों, व्यापारियों द्वारा किसानों से कृषि उपज की थोक सीधी खरीदी;

(चचच) **“इलेक्ट्रॉनिक व्यापार”** से अभिप्रेत है पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उत्पाद का व्यापार, जिसमें पंजीयन, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध, बातचीत, सूचना का आदान-प्रदान, रिकॉर्ड रखने और अन्य जुड़ी गतिविधियां, कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती हैं;

(चचचच) **“निर्यात”** से अभिप्रेत है कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है, का भारत से बाहर भेजा जाना;”

(पांच) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये,
अर्थात्:-

“(झझ) कृषि उपज के संबंध में **“विपणन”** से अभिप्रेत है कृषि उपज के प्रवाह में समाहित समस्त गतिविधियां, जिसमें उत्पादन स्थल पर फसल कटाई के स्तर से प्रारंभ होकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचना शामिल हैं यथा श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण की प्रणालियां और इस प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी कार्य;

(झझझ) **“व्यक्ति”** में शामिल है व्यक्तिगत, एक सहकारी संस्था, हिंदू संयुक्त परिवार, एक कंपनी या फर्म या कोई संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं;”

(छ:) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये,
अर्थात्:-

“(तत) **“विक्रेता”** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को विक्रय करता है या विक्रय के लिए सहमत होता है;

(ततत) **“केता”** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं या किसी व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से मंडी में पशुधन सहित कृषि उपज क्रय करता है या क्रय करने हेतु सहमत होता है;

(तततत) **“थोक तदर्थ केता”** में शामिल है इस अधिनियम की धारा 33-ख के अन्तर्गत पंजीकृत केता;”

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के परन्तुक में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 7 का संशोधन.
4. मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:- धारा 11-ख का संशोधन.
- “(घ) उसने पिछले एक वर्ष में कम से कम एक बार या पिछले पांच वर्षों में कम से कम पांच बार अपनी कृषि उपज, मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल मंडी प्रागण या किसी एक उपमंडी प्रागण या एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में विक्रय की हो।”
5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 12 का संशोधन.
6. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, नवीन धारा 13-क, 13-ख, 13-ग का जोड़ा जाना.
- “13-क. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.--(1)
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उप-धारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाये गये सम्मिलन में लाया जा सकता है और यदि ऐसा प्रस्ताव, समिति के कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, मंडी समिति का सम्मिलन, विहित रीति में समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर बुलाया जायेगा। मंडी समिति का कोई भी पदेन सदस्य, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं देगा। पदेन सदस्य को लाये गये 'अविश्वास प्रस्ताव' पर वोट देने का शक्ति भी नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, किन्तु ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता, ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे कलेक्टर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। तथापि, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को बोलने एवं अन्यथा सम्मिलन की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होगा।

(4) यदि उपरोक्तानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसी सम्मिलन के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति तक उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करने वाली किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जायेगा।

13-ख. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अवकाश तथा अवकाश के बिना, अनुपस्थिति का परिणाम.— (1) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो संचालक से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से अध्यक्ष नहीं रह जाएगा।

- (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधधीन रहते हुए, प्रत्येक उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा।
- (3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन मंडी समिति की निरंतर छः बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कभी भी अत्यधिक आवश्यकता होने पर, विहित रूप में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसा अवकाश दिया जाता है तो मंडी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में दायित्वों और कार्यों के निर्वहन के लिये मण्डी समिति, ऐसे पात्र सदस्यों का चुनाव करेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

13-ग. नये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपने से इन्कार.

- (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, का चुनाव होने पर बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यालय में अपने उत्तराधिकारी को अपने पद का कार्यभार तत्काल सौंपना होगा।
- (2) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उप-धारा (1) के अधीन अपने पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है या इन्कार करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में आदेश द्वारा उसके पद का कार्यभार मण्डी समिति के समस्त अभिलेख,

कोष एवं संपत्ति सहित जो उसके कब्जे में हो, सौंपने का तत्काल निर्देश दे सकता है।

- (3) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिनको उप-धारा (2) के अधीन निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का पालन नहीं करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि डिक्री के निष्पादन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन व्यवहार न्यायालय में निहित है।”

धारा 17
का
संशोधन

7.

मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा
18-क का
जोड़ा
जाना.

8.

मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“18-क. मंडी समितियों द्वारा किया गया कार्य अविधिमान्य नहीं, -

मण्डी समिति या उसकी किसी उप समिति या उसके किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति के किसी कार्य को, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसी मंडी समिति, उप समिति, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के गठन या नियुक्ति में कुछ त्रुटि है अथवा इस आधार पर कि उन्हें या उनमें से किसी को ऐसे पद के लिए अयोग्य करार दिया गया था अथवा यह कि मंडी

समिति या उपसमिति की किसी बैठक के आशय की औपचारिक नोटिस सम्यक् रूप से न दिया गया हो अथवा इस कारण से कि ऐसा कृत्य ऐसी समिति या उपसमिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या सदस्य के पद में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किया गया है अथवा ऐसी अन्य किसी अनौपचारिकता के लिए, जो मामले के गुण दोष को प्रभावित न करती हो।”

9. मूल अधिनियम की धारा 19—ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, नवीन धारा 19—ग का जोड़ा जाना.
- अर्थात्:—

“19—ग. मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण.—

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डी समिति, पशुधन सहित कृषि उपज की उन वस्तुओं के व्यापार की भी अनुमति दे सकती है जो अधिनियम के अधीन विनियमन हेतु अधिसूचित नहीं है अथवा अधिनियम की अनुसूची में विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट नहीं है।

(2) मंडी समिति, उप-धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित उप-विधियों में विहित अनुसार, व्यापार की अनुमति देने के लिए उपयोग शुल्क संग्रहित कर सकती है जो अंतरित किए गए अनाशवान कृषि उपज की दशा में मूल्यानुसार दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा एवं नाशवान कृषि उपज तथा पशुधन की दशा में मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, धारा 20 का संशोधन.
- (1) उप-नियम (1) में, शब्द “राज्य सरकार या बोर्ड” के पश्चात्, शब्द “या संचालक” अन्तःस्थापित किया जाये।
- (2) उप-नियम (2) में, शब्द “बोर्ड” के पश्चात्, शब्द “या संचालक”

अन्तःस्थापित किया जाये।

- धारा 21 11.** मूल अधिनियम की धारा 21 में, —
का
संशोधन. (1) उप-धारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये, तथा
 (2) उप-धारा (5) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।
- धारा 23 12.** मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के खण्ड (एक) में, जहां कहीं भी शब्द "बोर्ड" आया हो के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।
- धारा 24 13.** मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 25-क का 14.** मूल अधिनियम की धारा 25-क में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- नवीन धारा 27-क का 15.** मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—
जोड़ा जाना. **27-क. सचिव की शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य.**— सचिव, इस अधिनियम, नियम या उप-विधि में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—
 (एक) मंडी समिति और उप-समिति, यदि कोई है, की बैठक बुलाना तथा उसकी कार्यवाही विवरण संधारित करना;
 (दो) मंडी समिति और प्रत्येक उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होना तथा चर्चा में भाग लेना, किन्तु वह ऐसी

किसी भी बैठक में कोई मत नहीं देगा;

(तीन) मंडी समिति और उप-समिति के प्रस्तावों को प्रभावशील करने के लिये कार्यवाही करना और ऐसे प्रस्तावों के अनुसरण में की गई सभी कार्यवाहियों के बारे में यथासंभव शीघ्र, समिति को रिपोर्ट करना;

(चार) बजट प्रस्ताव तैयार करना;

(पांच) मंडी समिति को ऐसी रिटर्न, कथन, अनुमानक, सांख्यिकी और रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जैसा कि मंडी समिति समय-समय पर अपेक्षा करे, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट सम्मिलित है,—

(क) किसी भी स्टाफ के सदस्यों और मंडी कृत्यकारियों एवं अन्य के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर उद्ग्रहित जुर्माने एवं दण्ड;

(ख) किसी व्यापारी द्वारा अत्यधिक कारोबार;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के प्रावधानों तथा स्थायी आदेशों के उल्लंघन;

(घ) अध्यक्ष या संचालक द्वारा लाइसेंस के निलम्बन या रद्दकरण; और

(ङ) मंडी समिति के प्रशासन और मुख्य मंडी प्रांगण, उप-मंडी प्रांगण में विपणन के विनियमन।

(छ:) जब कभी भी मंडी समिति द्वारा इस प्रकार मांग की जाए, ऐसे दस्तावेज, किताबें, पंजी और इस तरह के अन्य कागजात मंडी समिति के समक्ष रखना, जैसा कि

मंडी समिति और उप-समिति के कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक हो;

(सात) मंडी समिति के सभी अधिकारियों और सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनका नियंत्रण रखना;

(आठ) मंडी समिति को देय शुल्क/उपयोग शुल्क और उसके द्वारा उद्ग्रहणीय अन्य धनराशि को संग्रहित करना;

(नौ) मंडी समिति को प्राप्त या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशि के लिए जिम्मेदार होना;

(दस) मंडी समिति द्वारा वैधानिक रूप से देय सभी धनराशियों का वितरण करना;

(ग्यारह) मंडी समिति निधि या सम्पत्ति की धोखाधड़ी, गबन, चोरी या नुकसान के संबंध में यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष और संचालक को रिपोर्ट करना;

(बारह) मंडी समिति की ओर से प्रारंभ किये जाने वाले अभियोजन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत करना एवं मंडी समिति की ओर से सिविल या अपराधिक कार्यवाहियां संस्थित करना।

धारा 30 का संशोधन.	16.	मूल अधिनियम की धारा 30 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
धारा 32 का संशोधन.	17.	मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
धारा 33 का संशोधन.	18.	मूल अधिनियम की धारा 33 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
नवीन धारा 33-ख का	19.	मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये,

अर्थात्:-

जोड़ा
जाना.

“33-ख. थोक तदर्थ क्रेता का पंजीयन .-

(1) कोई भी व्यक्ति, जो मंडी प्रागण/उपमंडी प्रागण से अपने स्वयं के उपभोग के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर, वैधानिक लाइसेंस के बिना, थोक खरीददारी की इच्छा रखता है, संबंधित मंडी में, ऐसे प्ररूप में एवं ऐसी रीति में पंजीयन करा सकता है, जैसा कि विहित किया जाये,-

(क) ऐसा क्रेता, पंजीयन कराते समय अथवा बाद में किंतु क्रय से पूर्व, क्रय का मंडी प्रागण/उपमंडी प्रागण एवं दिवस बताएगा;

(ख) इस प्रकार क्रय किए जाने की दशा में, क्रेता, मंडी समिति को लागू दर पर मंडी शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी होगा :

परन्तु संबंधित मंडी प्रागण/उपमंडी प्रागण में इस तरह की थोक खरीदी, एक माह में तीन से अधिक बार नहीं की जा सकेगी।”

20. मूल अधिनियम की धारा 34 में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 34
का
संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 34-क को उप-धारा (4) में, शब्द “प्रबंध संचालक, बोर्ड के अनुमोदन उपरांत” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा
34-क का
संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 34-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

नवीन धारा
34-ख का
जोड़ा
जाना.

“34-ख. अन्तर्राज्यीय व्यापार के संव्यवहार के संबंध में विवादों का निपटारा.- ई-प्लेटफार्म या ऐसे किसी अन्य प्लेटफार्म पर अन्तर्राज्यीय व्यापार संव्यवहार में किसी विवाद के उत्पन्न की दशा में,

राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकरण की सदस्यता ले सकेगी, जो विद्यमान विधि या इस उद्देश्य से बनाये जाने वाली किसी विधि के अधीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित की जाए।”

- धारा 23.** मूल अधिनियम की धारा 37-क की उप-धारा (4) में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 39 का संशोधन.** 24. मूल अधिनियम की धारा 39 के खण्ड (आठ) के खण्ड (छ) में, शब्द “प्रबंध संचालक” के स्थान पर, शब्द “संचालक ” प्रतिस्थापित किया जाये।
- नवीन धारा 25.** मूल अधिनियम की धारा 42-ड के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
- 42-च, 42-छ का जोड़ा जाना.**
- “42-च. प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ.-** (एक) विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यपालक प्रशासन, संबंधित लेखों और रिकार्डों और कर्मचारियों की सेवा से संबंधित सभी प्रश्नों के निपटान के मामलों में, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करना;
- (दो) बोर्ड द्वारा विहित निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;
- (तीन) कार्य की स्वीकृत मदों पर विपणन विकास निधि से व्यय करना;
- (चार) आपातकालीन स्थिति में, किसी कार्य के निष्पादन या रोके जाने एवं ऐसे किसी कार्य को करने का निर्देश देना, जिसके लिए बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है;
- (पांच) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना;

- (छः) बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;
- (सात) बोर्ड की बैठकों के लिए व्यवस्था करना और विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों के रिकार्डों का अनुरक्षण करना;
- (आठ) बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे उपाय करना, जैसा कि आवश्यक समझे;
- (नौ) मंडी समिति द्वारा अपने स्वयं की निधि अथवा ऋण और/या बोर्ड अथवा अन्य किसी एजेंसी द्वारा प्रदत्त अनुदानों से किये गये निर्माण कार्य का निरीक्षण करना और सुधारात्मक उपाय करना;
- (दस) ऐसे उपाय करना, जो कि बोर्ड के कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए।

- 42-छ. बोर्ड के कार्यों का संचालन.**— (1) बोर्ड, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर अपने कार्य के निष्पादन के लिए बैठक करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।
- (2) उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय-4 के प्रावधान, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (3) बोर्ड की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित होंगी और बोर्ड द्वारा जारी अन्य सभी आदेश तथा अन्य दस्तावेज अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक अथवा बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अभिप्रमाणित होंगे।

(4) बोर्ड, नियम के अंतर्गत विहित रीति में कार्य संचालन करेगा।”

धारा 43
का
संशोधन.

26.

मूल अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) में, शब्द “पचास प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “चालीस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन
अध्याय
8-क का
जोड़ा
जाना.

27.

मूल अधिनियम के अध्याय-8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“अध्याय 8-क

47-क. संचालक, कृषि विपणन की नियुक्ति.- सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संचालक, कृषि विपणन की शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निष्पादन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

47-ख. संचालक, कृषि विपणन की शक्तियाँ और कार्य.- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्वधीन रहते हुए, संचालक, बोर्ड के प्रबंध संचालक के लिए विहित शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेगा, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

(2) विशिष्टतः एवं धारा 52 की उप-धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संचालक के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे -

(एक) निजी मंडी प्रागंण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रागंण, निजी उपमंडी प्रागंण, इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म तथा डायरेक्ट मार्केटिंग की स्थापना एवं/या संचालन के लिए व्यक्ति को दिये गये लाइसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण तथा निलंबन या निरस्तीकरण;

(दो) एकीकृत एकल ट्रेडिंग लाइसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण एवं निलंबन या निरस्तीकरण;

(तीन) मुख्य मंडी प्रागंण, उपमंडी प्रागंण में पशुधन सहित कृषि उपज के संव्यवहार के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडी समितियों पर पर्यवेक्षण;

(चार) मंडी समिति द्वारा इस अधिनियम और नियमों द्वारा निर्मित उप-विधि का अनुमोदन;

(पांच) मंडी समिति और बोर्ड के खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए व्यक्तियों या संगठन का चयन करना;

(छः) इस अधिनियम की धारा 25-क के अनुसार, मंडी समिति के बजट की स्वीकृति/अनुमोदन;

(सात) मंडी समिति के अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति;

(आठ) मंडी समिति का चुनाव समय-सीमा में एवं समुचित आयोजन के लिए और उससे जुड़ी

गतिविधियों के लिए उपाय करना;

(नौ) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के त्यागपत्र की स्वीकृति;

(दस) निजी मंडी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म एवं डायरेक्ट मार्केटिंग के अनुज्ञप्तिधारी और सिंगल युनिफाईड लायसेंस के धारक के लिए विवाद निपटान प्राधिकार के रूप में कार्य करना;

(ग्यारह) मंडी समिति के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(बारह) ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाये, मंडी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाना; तथा

(तेरह) आवश्यक होने पर मंडी समिति के लेखाओं और कार्यकलापों का निरीक्षण करना या करवाना ।

47—ग. चक्रीय विपणन विकास निधि. — (1) संचालक, पृथक से एक "चक्रीय विपणन विकास निधि" संधारित करेगा, जिसके खाते में निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण के अनुज्ञप्तिधारियों से अंशदान के रूप में एवं मंडी समितियों सहित ऐसे अन्य अंशदान से प्राप्त राशि होगी।

(2) प्रत्येक मंडी समिति, लाइसेंस शुल्क तथा मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 10 प्रतिशत से अनधिक राशि, जैसा कि विहित की जाये, संचालक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन

विकास निधि" में अंशदान करेगी।

(3) संचालक, उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार संधारित निधि को सामान्य विपणन अधोसंरचनाओं के विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान, बंधक वित्त पोषण एवं ऐसी अन्य गतिविधियों में व्यय करेगा, जो राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली बनाने में सहायक होगा।

(4) संचालक, कृषि विपणन के अधिकारियों एवं सेवकों के वेतन तथा अन्य परिलाभ का भुगतान चक्रीय विपणन विकास निधि से किया जायेगा।

47-घ. संचालक, कृषि विपणन का कार्यालय और कर्मचारी.-

संचालक, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन, जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन समनुदेशित हो, करने के लिए, ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।"

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 28. | मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। | धारा 50
का
संशोधन. |
| 29. | मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) में, शब्द "पाँच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये। | धारा 53
का
संशोधन. |
| 30. | मूल अधिनियम की धारा 54 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। | धारा 54
का
संशोधन. |

- धारा 55 का संशोधन. 31. मूल अधिनियम की धारा 55 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 56 का संशोधन. 32. मूल अधिनियम की धारा 56 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 57 का संशोधन. 33. मूल अधिनियम की धारा 57 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 58 का संशोधन. 34. मूल अधिनियम की धारा 58 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 59 का संशोधन. 35. मूल अधिनियम की धारा 59 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- नवीन धारा 59—क एवं 59—ख का जोड़ा जाना. 36. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—
- "59—क. मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव या आदेश के कियान्वयन या अग्रतर कियान्वयन को रोकने की संचालक की शक्ति.— (1) संचालक, स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्राप्त रिपोर्ट अथवा प्राप्त शिकायत पर, आदेश द्वारा, मंडी समिति अथवा उसके अध्यक्ष अथवा इसके किसी

अधिकारी या सेवकों द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के क्रियान्वयन अथवा अग्रतर क्रियान्वयन पर रोक लगा सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसा संकल्प अथवा आदेश जनहित के विरुद्ध है अथवा किसी मंडी प्रागण या उप-मंडी प्रागण में कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन में बाधक होना संभाव्य है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों या उप-विधियों के विरुद्ध है।

(2) जहां प्रस्ताव अथवा आदेश के क्रियान्वयन अथवा अग्रतर क्रियान्वयन पर, उप-धारा (1) के अधीन जारी आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा प्रतिबंध निरंतर जारी रहता है, तो संचालक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर, मंडी समिति का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी कार्यवाही करे, जैसा करने के लिए वह उस स्थिति में सक्षम होती, जब प्रस्ताव या आदेश कभी पारित नहीं किये गये अथवा नहीं दिये गये होते और जो कि अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को उस प्रस्ताव या आदेश के अंतर्गत किसी कार्य को करने या जारी रखने से रोके जाने हेतु आवश्यक है।

59-ख. सूचना और सहायता देने हेतु स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य.-

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी की सीमा के अंदर या बाहर अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन से संबंधित ऐसी सभी आवश्यक

जानकारी निशुल्क दे, जो मंडी समिति के अधिकारियों अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारियों के कब्जे में या नियंत्रण के अधीन हो।”

- धारा 61 37. मूल अधिनियम की धारा 61 में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” का संशोधन. आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 63 38. मूल अधिनियम की धारा 63 के परन्तुक में, शब्द “प्रबंध संचालक” के संशोधन. स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 64 39. मूल अधिनियम की धारा 64 में, शब्द “बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक” के पश्चात्, शब्द “एवं संचालक” संशोधन. अन्तःस्थापित किया जाये।
- धारा 65 40. मूल अधिनियम की धारा 65 में, —
 (1) उप-धारा (1) में, शब्द “प्रबंध संचालक” के पश्चात्, शब्द “या संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
 (2) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 “(2—क) संचालक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उनको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों को किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।”
 (3) उप-धारा (3) में, शब्द “प्रबंध संचालक” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 66 41. मूल अधिनियम की धारा 66 में,—
 (1) जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के पश्चात्, शब्द संशोधन. “या संचालक” अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) शब्द "या बोर्ड या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" के स्थान पर, शब्द "या बोर्ड या संचालक या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" प्रतिस्थापित किया जाए।

42. मूल अधिनियम की धारा 67 में, शब्द "बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये। धारा 67
का
संशोधन.
43. मूल अधिनियम की धारा 81 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 81
का
संशोधन.
44. मूल अधिनियम की धारा 82 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, नवीन धारा
82—क का
जोड़ा
जाना.
अर्थात्:—
- "82—क. कठिनाई दूर करने की शक्ति.—** यदि इस संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, ऐसे आदेश के द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा कार्य कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो।
- परन्तु यह कि कोई भी ऐसा आदेश, उस तिथि, जिस पर यह संशोधन अधिनियम प्रवर्तन में आएगा, से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 8253/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 20 of 2018)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018.

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth year of the Republic of India, as follows:-

**Short title,
extent and
commencement.**

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.
- (2) It shall extend to whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment
of Section 2.**

2. In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1),-

(i) after clause (bb), the following shall be inserted, namely:-

"(bbb) **"Assaying lab"** means a laboratory set up, as prescribed in the rules/Bye-laws/guidelines/ instructions, for testing of quality parameters as per the tradable parameters or grade-standards or any other parameters notified by the Competent Authority;"

(ii) after clause (c), the following shall be inserted, namely:-

"(cc) "**Regulation**" means regulation made by the Board under Section 81-A;"

(iii) after clause (dd), the following shall be inserted, namely :-

"(ddd) "**Director**" means Director of Agricultural Marketing or any other officer, appointed by the State Government to exercise or perform such powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act or the rules, as may be prescribed;"

(iv) after clause (f), the following shall be inserted, namely:-

"(ff) "**Direct marketing**" in relation to agricultural produce, means direct wholesale purchase of agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, traders, outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard under this Act;

(fff) "**Electronic trading**" means trading of notified agricultural produce including livestock in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, negotiating, information exchanging, record keeping and other connected

activities are done electronically on computer network/internet;

(ffff) "**Export**" means dispatch of agricultural produce including livestock outside India;

(v) after clause (i), the following shall be inserted, namely:-

"(ii) "**Marketing**" in relation to agriculture produce means all activities involved in the flow of agricultural produce from production point commencing at the stage of harvest till the same reaches the ultimate consumers viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;

(iii) "**Person**" includes an individual, a co-operative society, a Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or a body of individuals, whether incorporated or not;"

(vi) after clause (p), the following shall be inserted, namely :-

"(pp) "**Seller**" means a person who sells or agrees to sell agricultural produce including livestock for consideration of price;

(ppp) "**Buyer**" means a person, who himself or on behalf of any person or agent

buys or agrees to buy agricultural produce including livestock in the market;
(pppp) "**Wholesale Ad-hoc buyer**" includes a buyer registered under Section 33-B of this Act;"

3. In proviso of sub-section (2) of Section 7 of the Principal Act, for the words "Managing Director", the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 7.**

4. After clause (c) of sub-section (2) of Section 11-B of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 11-B.**

"(d) he has sold his agricultural produce at least once in preceding one year, or at least five times in preceding five years in the principal market yard or a sub-market yard or a primary agricultural co-operative society falling in the market area."

5. In Section 12 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 12.**

6. After Section 13 of the Principal Act, the following shall be added, namely : **Addition of new Sections 13-A, 13-B, 13-C**

"13-A.No confidence motion against Chairman and Vice- Chairman.-(1) A motion of no confidence may be moved against the Chairman or the Vice-Chairman at a meeting

pecially convened for the purpose under sub-section (2), and if the motion is passed by a majority not less than two-third of the Members present and voting, and majority of the total Members of the Committee, the Chairman or Vice-Chairman shall cease to be the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Market Committee shall be held in the prescribed manner within thirty days of the date of receipt of the notice of motion of no confidence which should have been signed by not less than one third of the total members of the committee. No *ex officio* Member of the Market Committee shall move the notice of no confidence. The ex-officio Member shall also not have power to vote on "no confidence motion" brought.

(3) The Chairman or Vice-Chairman shall not preside over the meeting, as the case may be, but such meeting shall be presided over by an Officer, which the Collector may, appoint for the purpose. However, the Chairman or Vice-Chairman as the case may be, shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.

(4) If the motion of no confidence is not accorded as aforesaid no notice of any

subsequent motion expressing no confidence in the same Chairman or Vice-Chairman shall be made until after the expiry of six months from the date of such scheduled meeting.

13-B. Leave of absence to Chairman and Vice-Chairman and consequences of absence without leave.-(1) Subject to the rules made

in this behalf, every Chairman and every Vice-Chairman officiating as Chairman, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Director, shall cease to be the Chairman from the date on which the such third meeting is held.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), every Vice- Chairman, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Chairman, shall cease to be the Vice-Chairman from the date on which the such third meeting is held.

(3) Leave under sub-section (1) or (2) shall not be granted for six consecutive meetings of the Market Committee. Whenever such leave in extreme exigencies as prescribed is granted to the Chairman or Vice-Chairman, the Market Committee shall elect such eligible members to discharge the duties and

functions as Chairman and Vice-Chairman of the Market Committee, as may be prescribed.

13-C. Refusal to hand over the charge to new Chairman or Vice-Chairman.- (1) On

election of the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, the outgoing Chairman or Vice-Chairman shall forth with hand over the charge of his office to the successor in office.

(2) If the outgoing Chairman or Vice-Chairman fails or refuses to hand over the charge of his office, under sub-section (1), the Director or any Officer authorized by him in this behalf may, by order in writing direct the outgoing Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, forthwith to hand over the charge of his office together with all records, funds and property of the Market Committee, if any, in his possession.

(3) If the outgoing Chairman or Vice-Chairman to whom a direction has been issued under sub-section (2) does not comply with such direction, the Director or any Officer authorized by him in this behalf shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), while executing a decree."

7. In sub-section (3) of Section 17 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 17.**
8. After Section 18 of the Principal Act, the following shall be added, namely :- **Addition of new Section 18-A.**
- "18-A. Act of Market Committee not to be invalidated.**- No act of Market Committee or of any sub-committee there of or of any person acting as a member, Chairman, Vice-Chairman, Presiding Authority or the Secretary shall be deemed to be invalid by reason only of some defect in the constitution or appointment of such Market Committee, sub-committee, Members, Chairman, Vice-Chairman, Presiding Authority or the Secretary or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold a meeting of the committee or of the sub-committee was not given duly or by reason of such act having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairman, Vice-Chairman or the Secretary or Member of such committee or sub-committee or for any other informality not affecting the merits of the case."
9. After Section 19-B of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Addition of new Section 19-C.**

"19-C. Levy of user charge by Market

Committee.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Market Committee may allow trade even in those item(s) of the agricultural produce including livestock which is/are not notified for regulation under the Act or are not specified in the Schedule to the Act for regulation.

(2) The Market Committee may collect user charge, as prescribed in Bye-laws, for allowing trade as provided under sub-section (1) at the rate not exceeding two percent *ad valorem* in case of non-perishable transacted agricultural produce and not exceeding one percent *ad valorem* in case of perishable agricultural produce and livestock."

**Amendment of 10.
Section 20.**

In Section 20 of the Principal Act,-

(1) in sub-section (1), after the words "the State Government or the Board", the words "or Director" shall be inserted.

(2) In sub-section (2), after the words "the Board", the words "or Director" shall be inserted.

**Amendment of 11.
Section 21.**

In Section 21 of the Principal Act, -

(1) in sub-section (3), after the words "State

Gorvernment or Board" the words "or Director" shall be inserted; and

(2) in sub-section (5), after the words "State Gorvernment or Board" the words "or Director " shall be inserted.

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| 12. | In clause (i) of sub-section (1) of Section 23 of the Principal Act, after the words "Board", wherever they occur the words "or Director" shall be inserted. | Amendment of Section 23. |
| 13. | In Section 24 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be subsituted. | Amendment of Section 24. |
| 14. | In Section 25-A of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. | Amendment of Section 25-A. |
| 15. | After Section 27 of the Principal Act, the following shall be added, namely : | Addition of new Section 27-A. |

"27-A. Powers, functions and duties of the

Secretary.- The Secretary shall exercise and perform the following functions and duties in addition to such other duties as may be specified in this Act, the rules or Bye-laws, namely:-

- (i) To convene the meetings of the Market Committee and of the sub-committees, if

any, and maintain minutes of the proceedings thereof;

- (ii) To attend the meetings of the Market Committee and of every sub-committee and take part in the discussions but shall not vote at any such meeting;
- (iii) To take action to give effect to the resolution of the committee and of the sub-committees, and report about all actions taken in pursuance of such resolution to the committee as soon as possible;
- (iv) To prepare the budget proposal;
- (v) To furnish to the Market Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Market Committee may from time to time, require including reports regarding,-
 - (a) fines and penalties levied on and any disciplinary action taken against the Members of the staff and the market functionaries and others;
 - (b) over-trading by any trader;
 - (c) contravention of the provisions of the Act, the rules, the Bye-laws or standing orders by any person;
 - (d) suspension or cancellation of licence by the Chairman or the Director;and

- (e) administration of the Market Committee and the regulation of the marketing in the principal market yard, sub-market yard(s).
- (vi) To produce before the Market Committee such documents, books, registers and the likes as may be necessary for the transaction of the business of the committee or the sub-committee, whenever called upon by the Market Committee to do so;
- (vii) To exercise supervision and control over the acts of all officers and servants of the Market Committee;
- (viii) To collect fees/user charge and other money leviable by or due to the Market Committee;
- (ix) To be responsible for all moneys credited to or received on behalf of the Market Committee;
- (x) To make disbursements of all moneys lawfully payable by the Market Committee;
- (xi) To report to the Chairman and the Director as soon as possible in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee Fund or property; and
- (xii) To prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Market Committee and conduct civil or criminal proceedings, on behalf of the Market Committee.

- Amendment of Section 30.** 16. In Section 30 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.
- Amendment of Section 32.** 17. In sub-section (2) of Section 32 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted.
- Amendment of Section 33.** 18. In Section 33 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.
- Addition of new Section 33-B.** 19. After Section 33-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:-
- "33-B. Registration of wholesale ad-hoc buyer.-**
- (1) Any person desirous of wholesale buying from the market-yard/sub-market yard on day to day basis for own consumption even without valid licence, may register with the concerned Market Committee, in the form and in the manner as may be prescribed,-
- (a) Such buyer will specify the market yard/sub-yard and day of purchase while making the registration; or afterward before purchase;
- (b) In case of such buying, the buyer shall be liable to pay Market fee at the applicable rate to the Market Committee:

Provided that such wholesale purchases cannot be made more than three times in a month in the concerned market yard/sub market yard."

20. In Section 34 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 34.**
21. In sub-section (4) of Section 34-A of the Principal Act, for the words "after the approval of the Board, by the Managing Director", the words "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 34-A.**
22. After Section 34-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Addition of new Section 34-B.**

"34-B. Dispute settlement with regard to Inter-State trade transaction.- In case of any dispute arising out of inter-State trade transaction on e-platform or any other such platform, the State Government can subscribe to become part of such Authority, which may be constituted by the Union Government or State Government under the existing law or any law to be framed thereupon."
23. In sub-section (4) of Section 37-A of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 37-A.**

**Amendment of 24.
Section 39.**

In sub-clause (g) of clause (viii) of Section 39 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted.

**Addition of new 25.
Sections 42-F
and 42-G.**

After Section 42-E of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"42-F.Functions and powers of the Managing

Director- (i) exercise supervision and control over officers and employees of the Board in matters of executive administration, concerning accounts and records and disposal of all questions relating to the service of the employees as per procedure prescribed;

(ii) appoint officers and employees of the Board as per direction and procedure prescribed by the Board;

(iii) incur expenditure from the Marketing Development Fund on the sanctioned items of work;

(iv) in case of emergency, direct the execution or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board;

(v) prepare annual budget of the Board;

(vi) arrange for internal audit of the Board;

(vii) arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board as per procedure prescribed;

- (viii) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;
- (ix) inspect the construction work under taken by the Market Committees either from their own funds or loans and /or grants provided by the Board or any other agencies and take corrective measures;
- (x) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.

42-G. Conduct of business of the Board- (1) The

Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such place and at such times as the Chairman may determine.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1) the provisions of Chapter-IV shall *mutatis mutandis* apply for the conduct of the business of the Board.

(3) All proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of the Chairman, Member-Secretary/Managing Director and all other orders and other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Chairman, Member-Secretary/ Managing Director or such other officer of the Board as may be authorized by the Board.

- (4) The Board shall conduct the business in a manner prescribed under the rules.

**Amendment of 26.
Section 43.**

In sub-section (1) of Section 43 of the Principal Act, for the words "fifty percent", the words "forty percent" shall be substituted.

**Addition of new 27.
Chapter VIII-A.**

After Chapter VIII of the Principal Act, the following shall be added namely:-

"CHAPTER VIII-A

47-A. Appointment of Director of Agricultural

Marketing.- The Government may, appoint any Officer to exercise or perform such powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

**47-B. Powers and functions of the Director of
Agricultural Marketing.-**

(1) Subject to the provisions of this Act, the Director may exercise such powers and perform such functions other than those prescribed for the Managing Director of the Board under this Act, which would enable proper execution of the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the sub-section (2) of Section 52, the functions of the Director may include-

- (i) grant/renewal and suspension or cancellation of licence granted to the person for establishing and/or operating private market yard, farmer-consumer market yard, private market sub- yard, electronic trading platform and direct marketing;
- (ii) grant/renewal and suspension or cancellation of unified single trading licence;
- (iii) supervision on the Market Committees for effective execution of provisions of the Act and Rules made thereunder relating to transaction of agricultural produce including livestock taking place in the principal market yards, sub-market yards;
- (iv) approval of the Bye-laws framed by the Market Committee under this Act and Rules;
- (v) identifying person(s) or organization for conducting the audit of accounts of the Market Committee and Board;
- (vi) sanction/ approval of the budget of the Market Committee, according to Section 25-A of this Act;
- (vii) accord sanction to the creation of posts of officers and staff of the Market Committee;

- (viii) taking steps for timely and proper conduct of the elections of the Market Committee and activities connected thereto;
- (ix) acceptance of resignation of the Chairman, Vice-Chairman and members of the Market Committee;
- (x) to act as dispute resolution authority for the licensee of private market yard, farmer-consumer market yard, private market yard, sub-market yard, electronic platform and direct marketing and holder of single unified licence;
- (xi) to act as appellate authority for any person aggrieved by order of the Market Committee;
- (xii) removal of Chairman/Vice-Chairman or member(s) of the Market Committee in the manner as may be prescribed; and
- (xiii) to inspect or cause to be inspected accounts and offices of the Market Committee, if so required.

47-C. Revolving Marketing Development

Fund.- (1) The Director shall maintain a separate "Revolving Marketing Development Fund" to account the receipts realized as contribution from licensees of private market yard, private market sub-yard and from such other contributions including Market Committee.

(2) Every Market Committee shall contribute not more than ten percent of its income derived from licence fees and market fees, as may be prescribed, to "Revolving Marketing Development Fund" maintained by Director.

(3) The Director will spend the fund, so maintained under sub-section (1), in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State.

(4) The salary and other emoluments to the officers and servants of Director of Agricultural Marketing, shall be paid from the Revolving Marketing Development Fund.

47-D. Offices and staff of the Director of

Agricultural Marketing.- The Director, to discharge such duties and perform such functions as assigned under this Act or Rules made thereunder, and he shall be provided with such officers and staff as may be prescribed."

- | | | |
|---------------------------------|------------|--|
| Amendment of Section 50. | 28. | In sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of Section 53. | 29. | In sub-section (1) of Section 53 of the Principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted. |
| Amendment of Section 54. | 30. | In Section 54 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of Section 55. | 31. | In Section 55 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of Section 56. | 32. | In Section 56 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of Section 57. | 33. | In Section 57 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |

34. In Section 58 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 58.**
35. In Section 59 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 59.**
36. After Section 59 of the Principal Act, the following shall be added, namely : **Addition of new Section 59-A and 59-B.**

"59-A.Power of the Director to prohibit execution or further execution of resolution passed or order made by the Market Committee.- (1) The Director may, on his own motion, or on report or complaints received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Market Committee or its Chairman or any of its Officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any market yards or sub-market yards or is against the provisions of this Act or Rules or Bye-laws made there under.

(2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section(1) and continuing in force, it shall be the duty of the market committee, if so required by the Director to take such action which the Market Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairman or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

59-B.Duty of Local Authority to give information and assistance.- It shall be the duty of every Local Authority to give all the necessary information in the possession of or under the control of its officers to the Market Committee or its officers authorized in that behalf, relating to the movement of notified agricultural produce into and out of the area of the local authority, free of any charges."

**Amendment of 37.
Section 61.**

In Section 61 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.

**Amendment of 38.
Section 63.**

In proviso of Section 63 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted.

- 39.** In Section 64 of the Principal Act, after the words "the President, Vice-president, the members, the officers and other servants of the Board", the words "and the Director" shall be inserted. **Amendment of Section 64.**
- 40.** In Section 65 of the Principal Act, - **Amendment of Section 65.**
- (1) in sub-section (1), after the words "Managing Director", the words "or Director" shall be inserted.
- (2) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:-
- "(2-a) The Director may delegate to any officer any of the powers conferred on him by or under this Act."
- (3) in sub-section (3), for the words "Managing Director", the word "Director" shall be substituted.
- 41.** In Section 66 of the Principal Act,- **Amendment of Section 66.**
- (1) after the words "Managing Director" wherever they occur, the words "or Director" shall be inserted.
- (2) for the words "or against any officer or servant of the Board or any market committee", the words "or against any officer or servant of the Board or Director or any market committee" shall be substituted.
- 42.** In Section 67 of the Principal Act, after the word "Board" the words "or Director" shall be inserted. **Amendment of Section 67.**

**Amendment of 43.
Section 81.**

In Section 81 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.

**Addition of new 44.
Section 82-A**

After Section 82 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"82-A. Power to remove difficulty.- If any difficulty arises in implementation of any provisions of this Act, as amended by this Sanshodhan Adhiniyam, the State Government may, as exigency requires, by order not inconsistent with the provisions of this Act, do anything which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date on which this Sanshodhan Adhiniyam comes into force."



The Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Amendment) Adhiniyam, 2005

Act 9 of 2006

Keyword(s):

Contract Farming, Market Area, Market Produce, Agricultural Produce

Amendments appended: 4 of 2007, 2 of 2018, 20 of 2018, 10 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

CHHATTISGARH ADHINIYAM

(No. 9 of 2006)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2005

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short Title and Commencement
2. Amendment of Section 2
3. Insertion of Section 32- 'A'
4. Amendment of Section 36
5. Amendment of Section 37
6. Insertion of Section 37- 'A'
7. Amendment of Section 41
8. Amendment of Section 44

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 9 of 2006)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT)
ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972
(No. 24 of 1973)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of the India as follows :-

- | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Amendment) Act, 2005. | Short title and Commencement. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the official gazette. | |
| 2. | | In sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), - | Amendment of Section 2. |
| | (i) | After clause (cc) the following clause shall be inserted namely :- | |
| | (ccc) | "Contract farming" means farming of agriculture produce on contract basis by a person on his land under a written agreement with another person to the effect that his farm produce should be purchased at a rate specified in the agreement ; | |
| | (cccc) | "Contract farming agreement" means the agreement made for contract farming between contract farming buyer and contract farming producer ; | |
| | (ccccc) | "Contract farming Producer" means a person obtaining agricultural produce on his land under a written agreement of contract farming ; | |
| | (cccecc) | "Contract farming buyer" means a person, company or partnership firm who purchases agricultural produces from contract farming producer under a written agreement of contract farming. | |
| 3. | | After Section 32 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :- | Insertion of new Section 32-A. |
| | " 32-A, Licence for more than one market area" | (1) Every person specified in section 31 who desired to operate in more than one market areas, shall apply to such authority/ officer notified by the State Government for grant of a licence or renewal thereof in such manner and within such period and on such conditions as may be prescribed in the rules. | |
| | | (2) The authority/officer notified by the State Government may grant or renew the licence or for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the licence. | |
| | | (3) All licence granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made there under. | |

**Amendment of
Section 36.**

4. (1) For sub-section (1) of section 36, of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :-

" (1) All notified agricultural produce brought into the market proper for sale shall, subject to the provisions of sub-section (2), be sold in the market yard/yards specified for such produce or at such other place as provided in the bye-laws."

Provided that it shall not be necessary to bring agricultural produce, Produced under contract farming, in the market yard and it shall be sold at any other place to the person agreed to purchase the same under agreement."

- (2) For sub-Section (4) of section 36, the following sub-section shall be substituted, namely :-

" (4) Weighment or measurement of all the notified agricultural produce so purchased shall be done by such licensee-weighman by and by such procedure as may be provided in the bye-laws or some market yard or any other place specified by the market committee for the purpose."

" Provided that the weighment, measurement or counting as the case may be, of plantain, Papaya or any other perishable agricultural produce as may be specified by the State Government, by notification shall be done by a licensed weighman in the place where such produce has been grown."

**Amendment of
Section 37.**

5. In sub-section (3) of Section 37 of the Principle Act, after the words "market yard" the words " or such other place as provided in the bye-laws" shall be added.

**Insertion of
New Section 37-A.**

6. After Section 37 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :-

**" 37-A: Regulation
of marketing of
notified agricultural
produce under
contract farming"**

- (1) The contract farming shall be performed under a written agreement (in model form shown in Schedule-A) between Producer and Buyer of Produce of contract farming in such manner and in accordance with such procedure as may be prescribed in the bye-laws.

Explanation - For the purpose of this Section "Producer and Buyer" means the person who respectively produce and buy agricultural produce under a written agreement of contract farming.

- (2) The buyer shall submit an application for registration of the written agreement of contract farming to the market committee. The Market Committee shall register it in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by the bye-laws.

- (3) If any dispute arises between the parties in respect of provisions of the agreement the either party may submit an application to the Chairman of Market Committee to arbitrate upon the disputes. The Chairman of the Market Committee shall resolve the dispute after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

- (4) The Party aggrieved by the decision of the Chairman of the Market Committee under sub-section (3) may prefer an appeal to the Managing Director or the officer authorized by him in this behalf within thirty days from the date of decision. The Managing Director or the officer authorized by him shall dispose of the appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and the decision of the Managing Director or the officer authorized by him shall be final.

- (5) The agricultural produced under contract farming shall be sold to the buyer out of the market yard as may be prescribed by the bye-laws. The market fees shall be payable by the buyer of agricultural produce at the rates prescribed under section 19 in such manner as may be prescribed by bye-laws.

7. For clause (f) and clause (g) of sub-section (1) of Section 41 of the principal Act, the following clauses shall be substituted, namely :- Amendment of Section 41.

" (f) Two members of the Chhattisgarh Legislative Assembly, out of which one shall be woman, nominated in consultation with the Speaker of the Legislative Assembly ;

(g) Three Chairmen of market Committees, out of which one shall be woman."

8. After clause (x-e) of the Section 44 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely :- Amendment of Section 44.

"(x-ee) with the Prior sanction of the State Government to give grant to "Chhattisgarh Go-Seva Ayog" for maintenance of Goshalas and old Cattles".

Model Agreement for Contract Farming

(All clauses of the agreement are subject to the respective explanatory notes given under "contents of a model contract farming agreement")

This Agreement is made and entered into at on the day of 20..... between age residing at herein after called the party of the First part (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof mean and include his heirs, executors, administrators and assigns) of the one part and M/s..... a Pvt./ Public Limited Co. incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 and having its registered office at hereinafter called the party of the Second part (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof mean and include its successors and assigns) of the other part.

WHEREAS the party of the First part is the owner/cultivator of the agricultural land bearing the following particulars.

Village	Gut No.	Area in Hectare	Tehsil & Dist.	State

AND WHEREAS the party of the Second part is trading in agricultural produce and also providing technical know-how in respect of land preparation nursery, fertilization, pest management, irrigation, harvesting and alike things.

AND WHEREAS the party of the Second part is interested in the items of the agricultural produce more particularly mentioned in Schedule-I hereto annexed and at the request of the party of the Second part, party of the First part has agreed to cultivate and produce the items of agricultural produce mentioned in the schedule-I hereto annexed.

AND WHEREAS the parties hereto have agreed to reduce in writing the terms and condition in the manner hereinafter appearing.

NOW, these presence witnesseth and it is hereby agreed by and between the parties as follows :-

Clause-1

The party of the First part agrees to cultivate and produce and deliver to the party of the Second part and the party of the Second part agrees to buy from the party of the first part the items of the agricultural produces particulars of the items quality, quantity and price of the items are more particularly mentioned in the schedule I hereto annexed.

Clause-2

The agricultural produce particulars of which are mentioned in the schedule-I hereto will be supplied by the party of the First part to the party of the Second part within the period of months/years from the date hereof.

OR

It is expressly agreed between the parties hereto that this agreement is for agricultural produce particulars of which are described in schedule-I hereto and for a period of months/years and after the expiration of said period this agreement will automatically come to an end.

Clause-3

The party of the First part agrees to cultivate produce and supply quantity mentioned in the schedule-I hereto annexed to the party of the Second part.

Clause-4

The party of the First part agrees to supply the quantity contracted according to the quality specifications stipulated in Schedule-I. If the agricultural produce is not as per the agreed quality standards, the party of the Second part will be entitled to refuse to take the delivery of the agricultural produce only on this count, Then-

- (a) The party of the First part shall be free to sell the produce to the party of the Second part at a mutually renegotiated price.

OR

- (b) In open market (to bulk Buyer viz. exporter/processor/ manufacturer etc.) and if he gets a price less than the price contracted he will pay to the party of the Second part for his investment proportionately less.

OR

- (c) In the Market yard and if the price obtained by him is less than contracted price then he will return proportionately less for the party of the Second investment.

In the event the party of the Second part refuses/fails to take the delivery of the contracted produce for his own reasons then the party of the First part will be free to sell the produce in the open market and if the price received is lower than the contracted price the difference will be on account of the party of the Second part and the party of the second part shall pay the said difference to the party of the First part within a period ofdays from asserting the said difference.

Clause-5

The party of the First part agrees to adopt instructions/ practices in respect of Land preparation, nursery, fertilization, pest management, irrigation, harvesting and any other, as suggested by the party of the second part from time to time and cultivate and produce the items as per specifications mentioned in the schedule-I hereto.

Clause-6

It is expressly agreed by and between the parties hereto that buying will be as per the following terms and buying slips will be issued immediately after the purchase.

Date	Delivery Point	Cost of Delivery

It is further agreed that it will be the responsibility of the party of the Second part to take into possession of the contracted produce at the delivery point agreed after it is offered for delivery and if he fails to take delivery withinperiod then the party of the First part will be free to sell the agriculture produce contracted as under :

- (a) In open market (bulk buyer viz. exporter/processor/ manufacturer etc.) and if he gets a price less than the price contracted he will pay to the party of the Second part for his investment proportionately less.

- (b) In the market yard and if the price obtained by him is less than contracted price then he will return proportionately less to the party of the Second part for his investment.

It is further agreed that the quality maintenance in transit will be the responsibility of the party of the Second part and the party of the First part shall not be responsible or liable for the same.

Clause-7

The party of the second part shall pay to the party of the First part the price/ rate mentioned in Scheduled-I when his crop has been harvested and delivered to the party of the Second part after deducting all outstanding advances given to the party of the First part by the party of the Second part. The following schedule shall be followed for the payment.

Date	Mode of Payment	Place of Payment

Clause-8

The parties hereto shall insure the contracted produce mentioned in Schedule-I hereto, for the period of..... against the risk of losses due to acts of Gods destruction of specified assets, loan default and production and income loss and all other acts or events beyond the control of the parties, such as very low production caused by the serious outbreak of a disease, epidemic or by abnormal weather condition, floods, drought, hailstorm, cyclones, earthquakes, fire or other catastrophes war, acts of Government, action existing on or after the effective date of this agreement which prevent totally or partially the fulfilment of the obligation of the farmer Upon request, the party of the First part invoking such acts shall provide to the other party confirmation of the existence of facts. Such evidence shall consist of a statement of certificate of the appropriate Governmental Department. If such a statement or certificate cannot reasonably be obtained the party of the First part claiming such acts may as substitute thereof, make a notarial statement describing in details the facts claimed and the reasons why such a certificate or statement confirming the existence of such facts. Alternatively subject to the mutual agreement between the two parties the party of the First part may fill his quota of the produce through other sources and the loss suffered by him thereby due to price difference shall be shared equally between the parties, after taking into account the amount recovered from the insurance company. The insurance premium shall be shared equally by both the parties.

Clause-9

The party of the Second part hereby agrees to provide following services to the party of the First part during the period of cultivation and post harvest management particulars of which services are as follows.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Clause-10

The party of the Second part agrees to have regular interactions with the farmers forum set up/named by the party of the First part during the period of contract.

Clause-11

The party of the Second part at their costs shall have the right to enter the premises/fields of the party of the First part to monitor farming practices adopted and the quality of the produce from time to time.

Clause-12

The party of the Second part confirms that he has registered himself with the Registering Authority.....on.....and shall pay the fees in accordance with the law prevailing in this regard to the Registered authority which has jurisdiction to regulate the marketing of agriculture produce which is cultivated on the land described.....

OR

The party of the Second part has registered himself on.....with a single point registration Authority namely.....prescribed by the State in this regard. The fees levied by the respective Registering Authority shall be borne by the party of the Second part exclusively and will not be deducted in any manner whatsoever from the amounts paid to the party of the First part.

Clause-13

The party of the Second part will have no rights whatsoever as to the Title Ownership, Possession of the land/ property of the party of the First part nor will it in any way alienate the party of the First part from the land property particularly nor mortgage, lease, sublease or transfer the land property of the First party in any way to any other person/ institution during the continues of the agreement.

Clause-14

The party of the Second part shall submit true copy of this agreement signed by both the parties within a period of 15 days from the date of execution thereof with the.....market committee/registering authority as required by the APMR Act/ any other registering authority prescribed for the purpose.

Clause-15

Dissolution, Termination/Cancellation of the contract will be with consent of both the parties. Such dissolution, termination/cancellation deed will be communicated to the registering authority within 15days of such dissolution termination/cancellation.

Clause-16

In the event of any dispute or difference arising between the parties hereto or as to the rights and obligations under this agreement or as to any claim monetary or otherwise of one party against the other of as to the interpretation and effect of any terms and conditions of this agreement such dispute or difference shall be referred to arbitration authority constituted for the purpose of Authority declared by State Government in this regard.

Clause-17

In case of change of address of any party to this agreement it should be intimated to the other party and also to the Registering Authority.

Clause-18

Each party hereto will act in good faith diligently and honestly with the other in the performance of their responsibilities under this agreement and nothing will be done to jeopardize the interest of the other.

In witness whereof the parties have signed this agreement on the.....day.....month and.....year first above mentioned.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED by the
withinnamed "PARTY OF THE FIRST PART"
in the presence of.....

1.....

2.....

SIGNED, SEALED AND DELIVERED by the
withinnamed "PARTY OF THE SECOND PART"
in the presence of.....

1.....

2.....

SCHEDULE—I

Grade, Specification, Quantity and Price Chart

Grade	Specification	Quantity	Price/Chart
Grade 1 or A	Size, colour, Aroma etc.		
Grade 2 or B			

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2007)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT) ACT, 2007

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Fifty-Eighth year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007. Short title and Commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. For sub-section (2) of Section 38 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as Principal Act), the following shall be substituted, namely :— Amendment of Section 38.

"All money received in the market committee fund and other sums specified in sub-section (1) shall be deposited in a Cooperative Bank, which fulfils the conditions of section 11 (1) of Banking Regulation Act, 1949 or in Post Office or in any of such eligible Banks as specified by the State Government."
3. For sub-section (7) of Section 43 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :— Amendment of Section 43.

"All money received by the Chhattisgarh State Marketing Development Fund, shall be deposited in a Cooperative Bank, which fulfils the conditions of section 11 (1) of Banking Regulation Act, 1949 or in Post Office or in any of such eligible Banks as specified by the State Government."

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जनवरी 2018 — पौष 25, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 539/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|-------------------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.</p> <p>(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.</p> |
| धारा 2 का संशोधन. | 2. | <p>छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में, -</p> <p>(एक) खण्ड (ख) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता”, जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये;</p> <p>(दो) खण्ड (ज) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये; और</p> <p>(तीन) खण्ड (त) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये.</p> |
| धारा 6 का संशोधन. | 3. | <p>मूल अधिनियम की धारा 6 में, -</p> <p>(एक) खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक में, पैरा (ख) में, विराम चिह्न “:”, के स्थान पर, विराम चिह्न “;” प्रतिस्थापित किया जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-</p> <p>“(ग) अनुसूची के भाग सात तथा आठ में अधिसूचित कृषि उपज, जो अधिसूचित मंडी प्रांगण/विशेष वस्तु मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण/टर्मिनल मार्केट यार्ड के बाहर क्रय की गई हो अथवा बेची गई हो :”</p> <p>(दो) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-</p> <p>“परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी-क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी, जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के अधीन दी गई हो. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (ग) के संबंध में क्रय की गई अथवा बेची गई कृषि उपज के लिए भी छूट प्रत्याहृत कर सकेगी और निर्देश जारी कर सकेगी तथा इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना बंधनकारी होगा.”</p> |
| धारा 11 का संशोधन. | 4. | <p>मूल अधिनियम की धारा 11 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये.</p> |
| धारा 12 का संशोधन. | 5. | <p>मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप-धारा (8) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् तथा द्वितीय परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-</p> <p>“परन्तु यह और कि यदि संविधान की पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की मंडी समितियों का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तो उपाध्यक्ष, अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किया जायेगा :”</p> |

6. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-

धारा 19 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, परन्तु में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) में, चतुर्थ परन्तु में,-

(क) शब्द “प्रसंस्करण के लिए” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण के लिए या विनिर्माण के लिए” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) उप-धारा (4) में,-

(क) शब्द “प्रसंस्कृत की गई है” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्कृत, विनिर्मित की गई है” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द “प्रसंस्कृत उपज” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्कृत या विनिर्मित उपज” प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार) उप-धारा (5) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(पांच) उप-धारा (6) में, परन्तु में,-

(क) शब्द “प्रसंस्कृत” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्कृत या विनिर्मित” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये.

7. मूल अधिनियम की धारा 19-ख में, उप-धारा (1) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 19-ख का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (1) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 21 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 31 में, शब्द “प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग)” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण या दबाने (प्रेसिंग)” प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 31 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 37-क में, उप-धारा (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

धारा 37-क का संशोधन.

“(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा. प्राधिकृत अधिकारी, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि उप-विधियों में विहित की जाये, पंजी करेगा.

(3) यदि करार के उपबंध के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार, विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए कलेक्टर/अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

कलेक्टर/अपर कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का समाधान करेगा.

- (4) उप-धारा (3) के अधीन कलेक्टर/अपर कलेक्टर के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार, विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.
- (5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को बेची जायेगी तथा ऐसी कृषि उपज पर मंडी शुल्क देय नहीं होगा.”

धारा 39 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 39 में, खण्ड (आठ) में, उप-खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(झ) मंडी समिति निधि में मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का दो प्रतिशत, मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास या निर्माण कार्य हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित किया जायेगा.”

धारा 44 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

(एक) खण्ड (वस-डड) में, अंक एवं चिन्ह “10%” के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह “20%” प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खण्ड (बारह) में, शब्द “पन्द्रह प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “बीस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 539/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2018)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1),- | Amendment of Section 2. |
| | (i) in clause (b), for the word "Processor", wherever it occurs, the words "processor, manufacturer" shall be substituted; | |
| | (ii) in clause (j), for the words "a processor", the words "a processor, a manufacturer" shall be substituted; and | |
| | (iii) in clause (p), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted. | |
| 3. | In Section 6 of the Principal Act,- | Amendment of Section 6. |
| | (i) in clause (b), in the first proviso, in para (b), for the punctuation ":", the punctuation ";" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely :- | |
| | <p>“(c) agricultural produce notified in Part VII and VIII of the Schedule, which is purchased or sold outside the notified market yard/special produce market yard/sub-market yard/farmer consumer sub-market yard/terminal market yard:”</p> | |
| | (ii) for the second proviso, the following shall be substituted, namely :- | |
| | <p>“Provided further that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, withdraw the exemption in respect of such market area as may be specified in the notification under sub-clause (ii) of clause (a) of the preceding proviso. The State Government by notification may also withdraw the exemption and issue directions for the agricultural produce purchased or sold with respect to clause (c) of the preceding proviso, and the compliance of the directions so issued will be binding.”</p> | |
| 4. | In Section 11 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted. | Amendment of Section 11. |
| 5. | In Section 12 of the Principal Act, in sub-section (8), after the first proviso and before the second proviso, the following shall be inserted, namely :- | Amendment of Section 12. |

“Provided further that if the Chairman of the market committee of the area of fifth Schedule to the Constitution, doesn't belong to Scheduled Tribes, the Vice-chairman shall be elected from amongst the elected members belonging to Scheduled Tribes.”

Amendment Section 19.	of	6.	In Section 19 of the Principal Act,-
		(i)	in sub-section (1), in the proviso, for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted;
		(ii)	in sub-section (2), in the fourth proviso,-
		(a)	for the words “for processing”, the words “for processing or manufacturing” shall be substituted; and
		(b)	for the word “processor”, wherever it occurs, the words “processor or manufacturer” shall be substituted;
		(iii)	in sub-section (4), -
		(a)	for the words “processed re-sold”, the words “processed, manufactured resold” shall be substituted; and
		(b)	for the word “processed produce”, the words “processed or manufactured produce” shall be substituted;
		(iv)	in sub-section (5), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted; and
		(v)	in sub-section (6), in the proviso,-
		(a)	for the word “processed”, the words “processed or manufactured” shall be substituted; and
		(b)	for the word “processor”, wherever it occurs, the words “processor or manufacturer” shall be substituted.
Amendment Section 19-B.	of	7.	In Section 19-B of the Principal Act, in sub-section (1), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted.
Amendment Section 21.	of	8.	In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), for the word “processor”, the words “processor, manufacturer” shall be substituted.
Amendment Section 31.	of	9.	In Section 31 of the Principal Act, for the words “processing or pressing”, the words “processing or manufacturing or pressing” shall be substituted.
Amendment Section 37-A.	of	10.	In Section 37-A of the Principal Act, for sub-section (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-
		“(2)	The buyer shall submit an application for registration of the written agreement of contract farming to the officer authorized by the Collector. The Authorised Officer shall register in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed in the bye-laws.
		(3)	If any dispute arise between the parties in respect of provisions of the agreement, either party may submit an application to the Collector/Additional Collector to arbitrate upon the dispute. The Collector/Additional Collector shall resolve the dispute after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

- (4) The party aggrieved by the decision of the Collector/Additional Collector under sub-section (3), may prefer an appeal to the Managing Director or the officer authorized by him in this behalf within thirty days from the date of decision. The Managing Director or the officer authorized by him shall dispose off the appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and the decision of the Managing Director or the officer authorized by him shall be final.
- (5) The agricultural product produced under contract farming shall be sold to the buyer outside the market yard and no market fees shall be payable on such agricultural produce.”

11. In Section 39 of the Principal Act, in clause (viii), after sub-clause (h), the following shall be inserted, namely:-

Amendment of Section 39.

- “(i) Two percent of the income received as Mandi fees in Market Committee Fund shall be transferred to the Department of Panchayat and Rural Development for the development or construction works of the Gram Panchayats of market area.”

12. In Section 44 of the Principal Act,-

Amendment of Section 44.

- (i) in clause (x-ee), for the figure and symbol “10%”, the figure and symbol “20%” shall be substituted.
- (ii) in clause (xii), for the words “fifteen percent”, the words “twenty percent” shall be substituted.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302-अ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2018 — श्रावण 29, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 8253/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-08-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 20 सन् 2018) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

संक्षिप्त
नाम,
विस्तार
तथा
प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का
संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में,—

(एक) खण्ड (खख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(खख) “परख प्रयोगशाला” से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाना या किन्हीं अन्य मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित की गई प्रयोगशाला, जैसा कि नियम/उप-विधि/दिशा निर्देश/निर्देश में विहित किया जाये;”

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(गग) **“विनियम”** से अभिप्रेत है धारा 81-क के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम;”

(तीन) खंड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(घघघ) **“संचालक”** से अभिप्रेत है संचालक, कृषि विपणन या कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन संचालक, कृषि विपणन की ऐसी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन के लिये नियुक्त किया गया हो, जैसा कि अधिसूचना द्वारा विहित किया जाये;”

(चार) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:

“(चच) कृषि उपज के संबंध में **“प्रत्यक्ष विपणन”** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन मुख्य मंडी प्रागण, उपमंडी प्रागण, निजी मंडी प्रागण के बाहर प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातकों, व्यापारियों द्वारा किसानों से कृषि उपज की थोक सीधी खरीदी;

(चचच) **“इलेक्ट्रॉनिक व्यापार”** से अभिप्रेत है पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उत्पाद का व्यापार, जिसमें पंजीयन, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध, बातचीत, सूचना का आदान-प्रदान, रिकॉर्ड रखने और अन्य जुड़ी गतिविधियां, कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती हैं;

(चचचच) **“निर्यात”** से अभिप्रेत है कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है, का भारत से बाहर भेजा जाना;”

(पांच) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये,
अर्थात्:-

“(झझ) कृषि उपज के संबंध में “विपणन” से अभिप्रेत है कृषि उपज के प्रवाह में समाहित समस्त गतिविधियां, जिसमें उत्पादन स्थल पर फसल कटाई के स्तर से प्रारंभ होकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचना शामिल हैं यथा श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण की प्रणालियां और इस प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी कार्य;

(झझझ) “व्यक्ति” में शामिल है व्यक्तिगत, एक सहकारी संस्था, हिंदू संयुक्त परिवार, एक कंपनी या फर्म या कोई संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं;”

(छः) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये,
अर्थात्:-

“(तत) “विक्रेता” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को विक्रय करता है या विक्रय के लिए सहमत होता है;

(ततत) “केता” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं या किसी व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से मंडी में पशुधन सहित कृषि उपज क्रय करता है या क्रय करने हेतु सहमत होता है;

(तततत) “थोक तदर्थ केता” में शामिल है इस अधिनियम की धारा 33-ख के अन्तर्गत पंजीकृत केता;”

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के परन्तुक में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 7 का संशोधन.
4. मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:- धारा 11-ख का संशोधन.
- “(घ) उसने पिछले एक वर्ष में कम से कम एक बार या पिछले पांच वर्षों में कम से कम पांच बार अपनी कृषि उपज, मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल मंडी प्रागण या किसी एक उपमंडी प्रागण या एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में विक्रय की हो।”
5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 12 का संशोधन.
6. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:- नवीन धारा 13-क, 13-ख, 13-ग का जोड़ा जाना.
- “13-क. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.--(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उप-धारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाये गये सम्मिलन में लाया जा सकता है और यदि ऐसा प्रस्ताव, समिति के कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, मंडी समिति का सम्मिलन, विहित रीति में समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर बुलाया जायेगा। मंडी समिति का कोई भी पदेन सदस्य, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं देगा। पदेन सदस्य को लाये गये 'अविश्वास प्रस्ताव' पर वोट देने का शक्ति भी नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, किन्तु ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता, ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे कलेक्टर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। तथापि, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को बोलने एवं अन्यथा सम्मिलन की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होगा।

(4) यदि उपरोक्तानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसी सम्मिलन के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति तक उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करने वाली किसी पश्चात्तवर्ती प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जायेगा।

13-ख. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अवकाश तथा अवकाश के बिना, अनुपस्थिति का परिणाम.— (1) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो संचालक से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से अध्यक्ष नहीं रह जाएगा।

- (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधधीन रहते हुए, प्रत्येक उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा।
- (3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन मंडी समिति की निरंतर छः बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कभी भी अत्यधिक आवश्यकता होने पर, विहित रूप में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसा अवकाश दिया जाता है तो मंडी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में दायित्वों और कार्यों के निर्वहन के लिये मण्डी समिति, ऐसे पात्र सदस्यों का चुनाव करेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

13-ग. नये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपने से इन्कार.

- (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, का चुनाव होने पर बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यालय में अपने उत्तराधिकारी को अपने पद का कार्यभार तत्काल सौंपना होगा।
- (2) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उप-धारा (1) के अधीन अपने पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है या इन्कार करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में आदेश द्वारा उसके पद का कार्यभार मण्डी समिति के समस्त अभिलेख,

कोष एवं संपत्ति सहित जो उसके कब्जे में हो, सौंपने का तत्काल निर्देश दे सकता है।

- (3) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिनको उप-धारा (2) के अधीन निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का पालन नहीं करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि डिक्री के निष्पादन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन व्यवहार न्यायालय में निहित है।”

धारा 17
का
संशोधन

7.

मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा
18-क का
जोड़ा
जाना.

8.

मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“18-क. मंडी समितियों द्वारा किया गया कार्य अविधिमान्य नहीं, -

मण्डी समिति या उसकी किसी उप समिति या उसके किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति के किसी कार्य को, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसी मंडी समिति, उप समिति, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के गठन या नियुक्ति में कुछ त्रुटि है अथवा इस आधार पर कि उन्हें या उनमें से किसी को ऐसे पद के लिए अयोग्य करार दिया गया था अथवा यह कि मंडी

समिति या उपसमिति की किसी बैठक के आशय की औपचारिक नोटिस सम्यक् रूप से न दिया गया हो अथवा इस कारण से कि ऐसा कृत्य ऐसी समिति या उपसमिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या सदस्य के पद में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किया गया है अथवा ऐसी अन्य किसी अनौपचारिकता के लिए, जो मामले के गुण दोष को प्रभावित न करती हो।”

9. मूल अधिनियम की धारा 19—ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, नवीन धारा 19—ग का जोड़ा जाना.
अर्थात्:—

“19—ग. मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण.—

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डी समिति, पशुधन सहित कृषि उपज की उन वस्तुओं के व्यापार की भी अनुमति दे सकती है जो अधिनियम के अधीन विनियमन हेतु अधिसूचित नहीं है अथवा अधिनियम की अनुसूची में विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट नहीं है।

(2) मंडी समिति, उप-धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित उप-विधियों में विहित अनुसार, व्यापार की अनुमति देने के लिए उपयोग शुल्क संग्रहित कर सकती है जो अंतरित किए गए अनाशवान कृषि उपज की दशा में मूल्यानुसार दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा एवं नाशवान कृषि उपज तथा पशुधन की दशा में मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, धारा 20 का संशोधन.
(1) उप-नियम (1) में, शब्द “राज्य सरकार या बोर्ड” के पश्चात्, शब्द “या संचालक” अन्तःस्थापित किया जाये।
(2) उप-नियम (2) में, शब्द “बोर्ड” के पश्चात्, शब्द “या संचालक”

अन्तःस्थापित किया जाये।

- धारा 21 11.** मूल अधिनियम की धारा 21 में, —
का
संशोधन. (1) उप-धारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये, तथा
 (2) उप-धारा (5) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।
- धारा 23 12.** मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के खण्ड (एक) में, जहां
का
संशोधन. कहीं भी शब्द "बोर्ड" आया हो के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।
- धारा 24 13.** मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर,
का
संशोधन. शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 14.** मूल अधिनियम की धारा 25-क में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध
25-क का
संशोधन. संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- नवीन धारा 15.** मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये,
27-क का
जोड़ा
जाना. अर्थात्:—
27-क. सचिव की शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य.— सचिव, इस अधिनियम, नियम या उप-विधि में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—
 (एक) मंडी समिति और उप-समिति, यदि कोई है, की बैठक बुलाना तथा उसकी कार्यवाही विवरण संधारित करना;
 (दो) मंडी समिति और प्रत्येक उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होना तथा चर्चा में भाग लेना, किन्तु वह ऐसी

किसी भी बैठक में कोई मत नहीं देगा;

(तीन) मंडी समिति और उप-समिति के प्रस्तावों को प्रभावशील करने के लिये कार्यवाही करना और ऐसे प्रस्तावों के अनुसरण में की गई सभी कार्यवाहियों के बारे में यथासंभव शीघ्र, समिति को रिपोर्ट करना;

(चार) बजट प्रस्ताव तैयार करना;

(पांच) मंडी समिति को ऐसी रिटर्न, कथन, अनुमानक, सांख्यिकी और रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जैसा कि मंडी समिति समय-समय पर अपेक्षा करे, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट सम्मिलित है,—

(क) किसी भी स्टाफ के सदस्यों और मंडी कृत्यकारियों एवं अन्य के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर उद्ग्रहित जुर्माने एवं दण्ड;

(ख) किसी व्यापारी द्वारा अत्यधिक कारोबार;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के प्रावधानों तथा स्थायी आदेशों के उल्लंघन;

(घ) अध्यक्ष या संचालक द्वारा लाइसेंस के निलम्बन या रद्दकरण; और

(ङ) मंडी समिति के प्रशासन और मुख्य मंडी प्रांगण, उप-मंडी प्रांगण में विपणन के विनियमन।

(छ:) जब कभी भी मंडी समिति द्वारा इस प्रकार मांग की जाए, ऐसे दस्तावेज, किताबें, पंजी और इस तरह के अन्य कागजात मंडी समिति के समक्ष रखना, जैसा कि

मंडी समिति और उप-समिति के कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक हो;

(सात) मंडी समिति के सभी अधिकारियों और सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनका नियंत्रण रखना;

(आठ) मंडी समिति को देय शुल्क/उपयोग शुल्क और उसके द्वारा उद्ग्रहणीय अन्य धनराशि को संग्रहित करना;

(नौ) मंडी समिति को प्राप्त या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशि के लिए जिम्मेदार होना;

(दस) मंडी समिति द्वारा वैधानिक रूप से देय सभी धनराशियों का वितरण करना;

(ग्यारह) मंडी समिति निधि या सम्पत्ति की धोखाधड़ी, गबन, चोरी या नुकसान के संबंध में यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष और संचालक को रिपोर्ट करना;

(बारह) मंडी समिति की ओर से प्रारंभ किये जाने वाले अभियोजन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत करना एवं मंडी समिति की ओर से सिविल या अपराधिक कार्यवाहियां संस्थित करना।

धारा 30 का संशोधन.	16.	मूल अधिनियम की धारा 30 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
धारा 32 का संशोधन.	17.	मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
धारा 33 का संशोधन.	18.	मूल अधिनियम की धारा 33 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
नवीन धारा 33-ख का	19.	मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये,

अर्थात्:-

जोड़ा
जाना.

“33-ख. थोक तदर्थ क्रेता का पंजीयन .-

(1) कोई भी व्यक्ति, जो मंडी प्रागण/उपमंडी प्रागण से अपने स्वयं के उपभोग के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर, वैधानिक लाइसेंस के बिना, थोक खरीददारी की इच्छा रखता है, संबंधित मंडी में, ऐसे प्ररूप में एवं ऐसी रीति में पंजीयन करा सकता है, जैसा कि विहित किया जाये,-

(क) ऐसा क्रेता, पंजीयन कराते समय अथवा बाद में किंतु क्रय से पूर्व, क्रय का मंडी प्रागण/उपमंडी प्रागण एवं दिवस बताएगा;

(ख) इस प्रकार क्रय किए जाने की दशा में, क्रेता, मंडी समिति को लागू दर पर मंडी शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी होगा :

परन्तु संबंधित मंडी प्रागण/उपमंडी प्रागण में इस तरह की थोक खरीदी, एक माह में तीन से अधिक बार नहीं की जा सकेगी।”

20. मूल अधिनियम की धारा 34 में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 34
का
संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 34-क को उप-धारा (4) में, शब्द “प्रबंध संचालक, बोर्ड के अनुमोदन उपरांत” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा
34-क का
संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 34-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

नवीन धारा
34-ख का
जोड़ा
जाना.

“34-ख. अन्तर्राज्यीय व्यापार के संव्यवहार के संबंध में विवादों का निपटारा.- ई-प्लेटफार्म या ऐसे किसी अन्य प्लेटफार्म पर अन्तर्राज्यीय व्यापार संव्यवहार में किसी विवाद के उत्पन्न की दशा में,

राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकरण की सदस्यता ले सकेगी, जो विद्यमान विधि या इस उद्देश्य से बनाये जाने वाली किसी विधि के अधीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित की जाए।”

- धारा 37-क का संशोधन.** 23. मूल अधिनियम की धारा 37-क की उप-धारा (4) में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 39 का संशोधन.** 24. मूल अधिनियम की धारा 39 के खण्ड (आठ) के खण्ड (छ) में, शब्द “प्रबंध संचालक” के स्थान पर, शब्द “संचालक ” प्रतिस्थापित किया जाये।
- नवीन धारा 42-च, 42-छ का जोड़ा जाना.** 25. मूल अधिनियम की धारा 42-ड के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
- “42-च. प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ.—** (एक) विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यपालक प्रशासन, संबंधित लेखों और रिकार्डों और कर्मचारियों की सेवा से संबंधित सभी प्रश्नों के निपटान के मामलों में, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करना;
- (दो) बोर्ड द्वारा विहित निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;
- (तीन) कार्य की स्वीकृत मदों पर विपणन विकास निधि से व्यय करना;
- (चार) आपातकालीन स्थिति में, किसी कार्य के निष्पादन या रोके जाने एवं ऐसे किसी कार्य को करने का निर्देश देना, जिसके लिए बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है;
- (पांच) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना;

- (छः) बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;
- (सात) बोर्ड की बैठकों के लिए व्यवस्था करना और विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों के रिकार्डों का अनुरक्षण करना;
- (आठ) बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे उपाय करना, जैसा कि आवश्यक समझे;
- (नौ) मंडी समिति द्वारा अपने स्वयं की निधि अथवा ऋण और/या बोर्ड अथवा अन्य किसी एजेंसी द्वारा प्रदत्त अनुदानों से किये गये निर्माण कार्य का निरीक्षण करना और सुधारात्मक उपाय करना;
- (दस) ऐसे उपाय करना, जो कि बोर्ड के कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए।

- 42-छ. बोर्ड के कार्यों का संचालन.**— (1) बोर्ड, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर अपने कार्य के निष्पादन के लिए बैठक करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।
- (2) उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय-4 के प्रावधान, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (3) बोर्ड की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित होंगी और बोर्ड द्वारा जारी अन्य सभी आदेश तथा अन्य दस्तावेज अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक अथवा बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अभिप्रमाणित होंगे।

(4) बोर्ड, नियम के अंतर्गत विहित रीति में कार्य संचालन करेगा।”

धारा 43
का
संशोधन.

26.

मूल अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) में, शब्द “पचास प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “चालीस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन
अध्याय
8-क का
जोड़ा
जाना.

27.

मूल अधिनियम के अध्याय-8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“अध्याय 8-क

47-क. संचालक, कृषि विपणन की नियुक्ति.— सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संचालक, कृषि विपणन की शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निष्पादन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

47-ख. संचालक, कृषि विपणन की शक्तियाँ और कार्य.— (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्वधीन रहते हुए, संचालक, बोर्ड के प्रबंध संचालक के लिए विहित शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेगा, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

(2) विशिष्टतः एवं धारा 52 की उप-धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संचालक के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे —

(एक) निजी मंडी प्रागण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रागण, निजी उपमंडी प्रागण, इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म तथा डायरेक्ट मार्केटिंग की स्थापना एवं/या संचालन के लिए व्यक्ति को दिये गये लाइसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण तथा निलंबन या निरस्तीकरण;

(दो) एकीकृत एकल ट्रेडिंग लायसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण एवं निलंबन या निरस्तीकरण;

(तीन) मुख्य मंडी प्रागण, उपमंडी प्रागण में पशुधन सहित कृषि उपज के संव्यवहार के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडी समितियों पर पर्यवेक्षण;

(चार) मंडी समिति द्वारा इस अधिनियम और नियमों द्वारा निर्मित उप-विधि का अनुमोदन;

(पांच) मंडी समिति और बोर्ड के खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए व्यक्तियों या संगठन का चयन करना;

(छः) इस अधिनियम की धारा 25-क के अनुसार, मंडी समिति के बजट की स्वीकृति/अनुमोदन;

(सात) मंडी समिति के अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति;

(आठ) मंडी समिति का चुनाव समय-सीमा में एवं समुचित आयोजन के लिए और उससे जुड़ी

गतिविधियों के लिए उपाय करना;

(नौ) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के त्यागपत्र की स्वीकृति;

(दस) निजी मंडी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म एवं डायरेक्ट मार्केटिंग के अनुज्ञप्तिधारी और सिंगल युनिफाईड लायसेंस के धारक के लिए विवाद निपटान प्राधिकार के रूप में कार्य करना;

(ग्यारह) मंडी समिति के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(बारह) ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाये, मंडी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाना; तथा

(तेरह) आवश्यक होने पर मंडी समिति के लेखाओं और कार्यकलापों का निरीक्षण करना या करवाना ।

47—ग. चक्रीय विपणन विकास निधि. — (1) संचालक, पृथक से एक "चक्रीय विपणन विकास निधि" संधारित करेगा, जिसके खाते में निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण के अनुज्ञप्तिधारियों से अंशदान के रूप में एवं मंडी समितियों सहित ऐसे अन्य अंशदान से प्राप्त राशि होगी।

(2) प्रत्येक मंडी समिति, लाइसेंस शुल्क तथा मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 10 प्रतिशत से अनधिक राशि, जैसा कि विहित की जाये, संचालक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन

विकास निधि" में अंशदान करेगी।

- (3) संचालक, उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार संधारित निधि को सामान्य विपणन अधोसंरचनाओं के विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान, बंधक वित्त पोषण एवं ऐसी अन्य गतिविधियों में व्यय करेगा, जो राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली बनाने में सहायक होगा।
- (4) संचालक, कृषि विपणन के अधिकारियों एवं सेवकों के वेतन तथा अन्य परिलाभ का भुगतान चक्रीय विपणन विकास निधि से किया जायेगा।

47-घ. संचालक, कृषि विपणन का कार्यालय और कर्मचारी.-

संचालक, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन, जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन समनुदेशित हो, करने के लिए, ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।"

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 28. | मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। | धारा 50
का
संशोधन. |
| 29. | मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) में, शब्द "पाँच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये। | धारा 53
का
संशोधन. |
| 30. | मूल अधिनियम की धारा 54 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। | धारा 54
का
संशोधन. |

- धारा 55 का संशोधन. 31. मूल अधिनियम की धारा 55 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 56 का संशोधन. 32. मूल अधिनियम की धारा 56 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 57 का संशोधन. 33. मूल अधिनियम की धारा 57 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 58 का संशोधन. 34. मूल अधिनियम की धारा 58 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 59 का संशोधन. 35. मूल अधिनियम की धारा 59 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
- नवीन धारा 59-क एवं 59-ख का जोड़ा जाना. 36. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
- "59-क. मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव या आदेश के कियान्वयन या अग्रतर कियान्वयन को रोकने की संचालक की शक्ति.- (1) संचालक, स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्राप्त रिपोर्ट अथवा प्राप्त शिकायत पर, आदेश द्वारा, मंडी समिति अथवा उसके अध्यक्ष अथवा इसके किसी

अधिकारी या सेवकों द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के क्रियान्वयन अथवा अग्रतर क्रियान्वयन पर रोक लगा सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसा संकल्प अथवा आदेश जनहित के विरुद्ध है अथवा किसी मंडी प्रागंण या उप-मंडी प्रागंण में कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन में बाधक होना संभाव्य है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों या उप-विधियों के विरुद्ध है।

(2) जहां प्रस्ताव अथवा आदेश के क्रियान्वयन अथवा अग्रतर क्रियान्वयन पर, उप-धारा (1) के अधीन जारी आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा प्रतिबंध निरंतर जारी रहता है, तो संचालक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर, मंडी समिति का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी कार्यवाही करे, जैसा करने के लिए वह उस स्थिति में सक्षम होती, जब प्रस्ताव या आदेश कभी पारित नहीं किये गये अथवा नहीं दिये गये होते और जो कि अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को उस प्रस्ताव या आदेश के अंतर्गत किसी कार्य को करने या जारी रखने से रोके जाने हेतु आवश्यक है।

59-ख. सूचना और सहायता देने हेतु स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य.-

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी की सीमा के अंदर या बाहर अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन से संबंधित ऐसी सभी आवश्यक

जानकारी निशुल्क दे, जो मंडी समिति के अधिकारियों अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारियों के कब्जे में या नियंत्रण के अधीन हो।”

- धारा 61 37. मूल अधिनियम की धारा 61 में, जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
का संशोधन.
- धारा 63 38. मूल अधिनियम की धारा 63 के परन्तुक में, शब्द “प्रबंध संचालक” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
का संशोधन.
- धारा 64 39. मूल अधिनियम की धारा 64 में, शब्द “बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक” के पश्चात्, शब्द “एवं संचालक” अन्तःस्थापित किया जाये।
का संशोधन.
- धारा 65 40. मूल अधिनियम की धारा 65 में, —
का संशोधन.
(1) उप-धारा (1) में, शब्द “प्रबंध संचालक” के पश्चात्, शब्द “या संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
(2) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
“(2—क) संचालक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उनको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों को किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।”
(3) उप-धारा (3) में, शब्द “प्रबंध संचालक” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 66 41. मूल अधिनियम की धारा 66 में,—
का संशोधन.
(1) जहां कहीं भी शब्द “प्रबंध संचालक” आया हो के पश्चात्, शब्द “या संचालक” अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) शब्द "या बोर्ड या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" के स्थान पर, शब्द "या बोर्ड या संचालक या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" प्रतिस्थापित किया जाए।

42. मूल अधिनियम की धारा 67 में, शब्द "बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये। धारा 67 का संशोधन.
43. मूल अधिनियम की धारा 81 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 81 का संशोधन.
44. मूल अधिनियम की धारा 82 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, नवीन धारा 82—क का जोड़ा जाना.

"82—क. कठिनाई दूर करने की शक्ति.— यदि इस संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, ऐसे आदेश के द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा कार्य कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा आदेश, उस तिथि, जिस पर यह संशोधन अधिनियम प्रवर्तन में आएगा, से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 8253/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 20 of 2018)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018.

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth year of the Republic of India, as follows:-

**Short title,
extent and
commencement.**

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.
- (2) It shall extend to whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment
of Section 2.**

2. In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1),-

- (i) after clause (bb), the following shall be inserted, namely:-

"(bbb) **"Assaying lab"** means a laboratory set up, as prescribed in the rules/Bye-laws/guidelines/ instructions, for testing of quality parameters as per the tradable parameters or grade-standards or any other parameters notified by the Competent Authority;"

- (ii) after clause (c), the following shall be inserted, namely:-

"(cc) **"Regulation"** means regulation made by the Board under Section 81-A;"

(iii) after clause (dd), the following shall be inserted, namely :-

"(ddd) **"Director"** means Director of Agricultural Marketing or any other officer, appointed by the State Government to exercise or perform such powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act or the rules, as may be prescribed;"

(iv) after clause (f), the following shall be inserted, namely:-

"(ff) **"Direct marketing"** in relation to agricultural produce, means direct wholesale purchase of agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, traders, outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard under this Act;

(fff) **"Electronic trading"** means trading of notified agricultural produce including livestock in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, negotiating, information exchanging, record keeping and other connected

activities are done electronically on computer network/internet;

(ffff) "**Export**" means dispatch of agricultural produce including livestock outside India;

(v) after clause (i), the following shall be inserted, namely:-

"(ii) "**Marketing**" in relation to agriculture produce means all activities involved in the flow of agricultural produce from production point commencing at the stage of harvest till the same reaches the ultimate consumers viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;

(iii) "**Person**" includes an individual, a co-operative society, a Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or a body of individuals, whether incorporated or not;"

(vi) after clause (p), the following shall be inserted, namely :-

"(pp) "**Seller**" means a person who sells or agrees to sell agricultural produce including livestock for consideration of price;

(ppp) "**Buyer**" means a person, who himself or on behalf of any person or agent

buys or agrees to buy agricultural produce including livestock in the market;
(pppp) "**Wholesale Ad-hoc buyer**" includes a buyer registered under Section 33-B of this Act;"

3. In proviso of sub-section (2) of Section 7 of the Principal Act, for the words "Managing Director", the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 7.**

4. After clause (c) of sub-section (2) of Section 11-B of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 11-B.**

"(d) he has sold his agricultural produce at least once in preceding one year, or at least five times in preceding five years in the principal market yard or a sub-market yard or a primary agricultural co-operative society falling in the market area."

5. In Section 12 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 12.**

6. After Section 13 of the Principal Act, the following shall be added, namely : **Addition of new Sections 13-A, 13-B, 13-C**

"13-A.No confidence motion against Chairman and Vice- Chairman.-(1) A motion of no confidence may be moved against the Chairman or the Vice-Chairman at a meeting

especially convened for the purpose under sub-section (2), and if the motion is passed by a majority not less than two-third of the Members present and voting, and majority of the total Members of the Committee, the Chairman or Vice-Chairman shall cease to be the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Market Committee shall be held in the prescribed manner within thirty days of the date of receipt of the notice of motion of no confidence which should have been signed by not less than one third of the total members of the committee. No *ex officio* Member of the Market Committee shall move the notice of no confidence. The ex-officio Member shall also not have power to vote on "no confidence motion" brought.

(3) The Chairman or Vice-Chairman shall not preside over the meeting, as the case may be, but such meeting shall be presided over by an Officer, which the Collector may, appoint for the purpose. However, the Chairman or Vice-Chairman as the case may be, shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.

(4) If the motion of no confidence is not accorded as aforesaid no notice of any

subsequent motion expressing no confidence in the same Chairman or Vice-Chairman shall be made until after the expiry of six months from the date of such scheduled meeting.

13-B. Leave of absence to Chairman and Vice-Chairman and consequences of absence without leave.

-(1) Subject to the rules made in this behalf, every Chairman and every Vice-Chairman officiating as Chairman, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Director, shall cease to be the Chairman from the date on which the such third meeting is held.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), every Vice- Chairman, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Chairman, shall cease to be the Vice-Chairman from the date on which the such third meeting is held.

(3) Leave under sub-section (1) or (2) shall not be granted for six consecutive meetings of the Market Committee. Whenever such leave in extreme exigencies as prescribed is granted to the Chairman or Vice-Chairman, the Market Committee shall elect such eligible members to discharge the duties and

functions as Chairman and Vice-Chairman of the Market Committee, as may be prescribed.

13-C. Refusal to hand over the charge to new Chairman or Vice-Chairman.-

(1) On election of the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, the outgoing Chairman or Vice-Chairman shall forthwith hand over the charge of his office to the successor in office.

(2) If the outgoing Chairman or Vice-Chairman fails or refuses to hand over the charge of his office, under sub-section (1), the Director or any Officer authorized by him in this behalf may, by order in writing direct the outgoing Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, forthwith to hand over the charge of his office together with all records, funds and property of the Market Committee, if any, in his possession.

(3) If the outgoing Chairman or Vice-Chairman to whom a direction has been issued under sub-section (2) does not comply with such direction, the Director or any Officer authorized by him in this behalf shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), while executing a decree."

7. In sub-section (3) of Section 17 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 17.**
8. After Section 18 of the Principal Act, the following shall be added, namely :- **Addition of new Section 18-A.**
- "18-A. Act of Market Committee not to be invalidated.-** No act of Market Committee or of any sub-committee there of or of any person acting as a member, Chairman, Vice-Chairman, Presiding Authority or the Secretary shall be deemed to be invalid by reason only of some defect in the constitution or appointment of such Market Committee, sub-committee, Members, Chairman, Vice-Chairman, Presiding Authority or the Secretary or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold a meeting of the committee or of the sub-committee was not given duly or by reason of such act having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairman, Vice-Chairman or the Secretary or Member of such committee or sub-committee or for any other informality not affecting the merits of the case."
9. After Section 19-B of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Addition of new Section 19-C.**

"19-C. Levy of user charge by Market

Committee.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Market Committee may allow trade even in those item(s) of the agricultural produce including livestock which is/are not notified for regulation under the Act or are not specified in the Schedule to the Act for regulation.

(2) The Market Committee may collect user charge, as prescribed in Bye-laws, for allowing trade as provided under sub-section (1) at the rate not exceeding two percent *ad valorem* in case of non-perishable transacted agricultural produce and not exceeding one percent *ad valorem* in case of perishable agricultural produce and livestock."

**Amendment of 10.
Section 20.**

In Section 20 of the Principal Act,-

(1) in sub-section (1), after the words "the State Government or the Board", the words "or Director" shall be inserted.

(2) In sub-section (2), after the words "the Board", the words "or Director" shall be inserted.

**Amendment of 11.
Section 21.**

In Section 21 of the Principal Act, -

(1) in sub-section (3), after the words "State

Gorvernment or Board" the words "or Director" shall be inserted; and

(2) in sub-section (5), after the words "State Gorvernment or Board" the words "or Director " shall be inserted.

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| 12. | In clause (i) of sub-section (1) of Section 23 of the Principal Act, after the words "Board", wherever they occur the words "or Director" shall be inserted. | Amendment of Section 23. |
| 13. | In Section 24 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be subsituted. | Amendment of Section 24. |
| 14. | In Section 25-A of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. | Amendment of Section 25-A. |
| 15. | After Section 27 of the Principal Act, the following shall be added, namely : | Addition of new Section 27-A. |
- "27-A. Powers, functions and duties of the Secretary.-** The Secretary shall exercise and perform the following functions and duties in addition to such other duties as may be specified in this Act, the rules or Bye-laws, namely:-
- (i) To convene the meetings of the Market Committee and of the sub-committees, if

any, and maintain minutes of the proceedings thereof;

- (ii) To attend the meetings of the Market Committee and of every sub-committee and take part in the discussions but shall not vote at any such meeting;
- (iii) To take action to give effect to the resolution of the committee and of the sub-committees, and report about all actions taken in pursuance of such resolution to the committee as soon as possible;
- (iv) To prepare the budget proposal;
- (v) To furnish to the Market Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Market Committee may from time to time, require including reports regarding,-
 - (a) fines and penalties levied on and any disciplinary action taken against the Members of the staff and the market functionaries and others;
 - (b) over-trading by any trader;
 - (c) contravention of the provisions of the Act, the rules, the Bye-laws or standing orders by any person;
 - (d) suspension or cancellation of licence by the Chairman or the Director;and

- (e) administration of the Market Committee and the regulation of the marketing in the principal market yard, sub-market yard(s).
- (vi) To produce before the Market Committee such documents, books, registers and the likes as may be necessary for the transaction of the business of the committee or the sub-committee, whenever called upon by the Market Committee to do so;
- (vii) To exercise supervision and control over the acts of all officers and servants of the Market Committee;
- (viii) To collect fees/user charge and other money leviable by or due to the Market Committee;
- (ix) To be responsible for all moneys credited to or received on behalf of the Market Committee;
- (x) To make disbursements of all moneys lawfully payable by the Market Committee;
- (xi) To report to the Chairman and the Director as soon as possible in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee Fund or property; and
- (xii) To prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Market Committee and conduct civil or criminal proceedings, on behalf of the Market Committee.

- Amendment of Section 30.** 16. In Section 30 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.
- Amendment of Section 32.** 17. In sub-section (2) of Section 32 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted.
- Amendment of Section 33.** 18. In Section 33 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.
- Addition of new Section 33-B.** 19. After Section 33-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:-
"33-B. Registration of wholesale ad-hoc buyer.-
(1) Any person desirous of wholesale buying from the market-yard/sub-market yard on day to day basis for own consumption even without valid licence, may register with the concerned Market Committee, in the form and in the manner as may be prescribed,-
(a) Such buyer will specify the market yard/sub-yard and day of purchase while making the registration; or afterward before purchase;
(b) In case of such buying, the buyer shall be liable to pay Market fee at the applicable rate to the Market Committee:

Provided that such wholesale purchases cannot be made more than three times in a month in the concerned market yard/sub market yard."

- 20.** In Section 34 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 34.**
- 21.** In sub-section (4) of Section 34-A of the Principal Act, for the words "after the approval of the Board, by the Managing Director", the words "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 34-A.**
- 22.** After Section 34-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Addition of new Section 34-B.**
- "34-B. Dispute settlement with regard to Inter-State trade transaction.-** In case of any dispute arising out of inter-State trade transaction on e-platform or any other such platform, the State Government can subscribe to become part of such Authority, which may be constituted by the Union Government or State Government under the existing law or any law to be framed thereupon."
- 23.** In sub-section (4) of Section 37-A of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 37-A.**

**Amendment of 24.
Section 39.**

In sub-clause (g) of clause (viii) of Section 39 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted.

**Addition of new 25.
Sections 42-F
and 42-G.**

After Section 42-E of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"42-F.Functions and powers of the Managing

Director- (i) exercise supervision and control over officers and employees of the Board in matters of executive administration, concerning accounts and records and disposal of all questions relating to the service of the employees as per procedure prescribed;

(ii) appoint officers and employees of the Board as per direction and procedure prescribed by the Board;

(iii) incur expenditure from the Marketing Development Fund on the sanctioned items of work;

(iv) in case of emergency, direct the execution or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board;

(v) prepare annual budget of the Board;

(vi) arrange for internal audit of the Board;

(vii) arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board as per procedure prescribed;

- (viii) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;
- (ix) inspect the construction work under taken by the Market Committees either from their own funds or loans and /or grants provided by the Board or any other agencies and take corrective measures;
- (x) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.

42-G. Conduct of business of the Board- (1) The

Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such place and at such times as the Chairman may determine.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1) the provisions of Chapter-IV shall *mutatis mutandis* apply for the conduct of the business of the Board.

(3) All proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of the Chairman, Member-Secretary/Managing Director and all other orders and other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Chairman, Member-Secretary/ Managing Director or such other officer of the Board as may be authorized by the Board.

- (4) The Board shall conduct the business in a manner prescribed under the rules.

**Amendment of 26.
Section 43.**

In sub-section (1) of Section 43 of the Principal Act, for the words "fifty percent", the words "forty percent" shall be substituted.

**Addition of new 27.
Chapter VIII-A.**

After Chapter VIII of the Principal Act, the following shall be added namely:-

"CHAPTER VIII-A

47-A. Appointment of Director of Agricultural

Marketing.- The Government may, appoint any Officer to exercise or perform such powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

47-B. Powers and functions of the Director of Agricultural Marketing.-

(1) Subject to the provisions of this Act, the Director may exercise such powers and perform such functions other than those prescribed for the Managing Director of the Board under this Act, which would enable proper execution of the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the sub-section (2) of Section 52, the functions of the Director may include-

- (i) grant/renewal and suspension or cancellation of licence granted to the person for establishing and/or operating private market yard, farmer-consumer market yard, private market sub- yard, electronic trading platform and direct marketing;
- (ii) grant/renewal and suspension or cancellation of unified single trading licence;
- (iii) supervision on the Market Committees for effective execution of provisions of the Act and Rules made thereunder relating to transaction of agricultural produce including livestock taking place in the principal market yards, sub-market yards;
- (iv) approval of the Bye-laws framed by the Market Committee under this Act and Rules;
- (v) identifying person(s) or organization for conducting the audit of accounts of the Market Committee and Board;
- (vi) sanction/ approval of the budget of the Market Committee, according to Section 25-A of this Act;
- (vii) accord sanction to the creation of posts of officers and staff of the Market Committee;

- (viii) taking steps for timely and proper conduct of the elections of the Market Committee and activities connected thereto;
- (ix) acceptance of resignation of the Chairman, Vice-Chairman and members of the Market Committee;
- (x) to act as dispute resolution authority for the licensee of private market yard, farmer-consumer market yard, private market yard, sub-market yard, electronic platform and direct marketing and holder of single unified licence;
- (xi) to act as appellate authority for any person aggrieved by order of the Market Committee;
- (xii) removal of Chairman/Vice-Chairman or member(s) of the Market Committee in the manner as may be prescribed; and
- (xiii) to inspect or cause to be inspected accounts and offices of the Market Committee, if so required.

47-C.Revolving Marketing Development

Fund.- (1) The Director shall maintain a separate "Revolving Marketing Development Fund" to account the receipts realized as contribution from licensees of private market yard, private market sub-yard and from such other contributions including Market Committee.

(2) Every Market Committee shall contribute not more than ten percent of its income derived from licence fees and market fees, as may be prescribed, to "Revolving Marketing Development Fund" maintained by Director.

(3) The Director will spend the fund, so maintained under sub-section (1), in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State.

(4) The salary and other emoluments to the officers and servants of Director of Agricultural Marketing, shall be paid from the Revolving Marketing Development Fund.

47-D. Offices and staff of the Director of Agricultural Marketing.- The Director, to discharge such duties and perform such functions as assigned under this Act or Rules made thereunder, and he shall be provided with such officers and staff as may be prescribed."

- | | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Amendment of
Section 50. | 28. | In sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of
Section 53. | 29. | In sub-section (1) of Section 53 of the Principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted. |
| Amendment of
Section 54. | 30. | In Section 54 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of
Section 55. | 31. | In Section 55 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of
Section 56. | 32. | In Section 56 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |
| Amendment of
Section 57. | 33. | In Section 57 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted. |

34. In Section 58 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 58.**
35. In Section 59 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 59.**
36. After Section 59 of the Principal Act, the following shall be added, namely : **Addition of new Section 59-A and 59-B.**

"59-A.Power of the Director to prohibit execution or further execution of resolution passed or order made by the Market Committee.- (1) The Director may, on his own motion, or on report or complaints received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Market Committee or its Chairman or any of its Officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any market yards or sub-market yards or is against the provisions of this Act or Rules or Bye-laws made there under.

(2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section(1) and continuing in force, it shall be the duty of the market committee, if so required by the Director to take such action which the Market Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairman or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

59-B.Duty of Local Authority to give information and assistance.- It shall be the duty of every Local Authority to give all the necessary information in the possession of or under the control of its officers to the Market Committee or its officers authorized in that behalf, relating to the movement of notified agricultural produce into and out of the area of the local authority, free of any charges."

**Amendment of 37.
Section 61.**

In Section 61 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.

**Amendment of 38.
Section 63.**

In proviso of Section 63 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be substituted.

- 39.** In Section 64 of the Principal Act, after the words "the President, Vice-president, the members, the officers and other servants of the Board", the words "and the Director" shall be inserted. **Amendment of Section 64.**
- 40.** In Section 65 of the Principal Act, - **Amendment of Section 65.**
- (1) in sub-section (1), after the words "Managing Director", the words "or Director" shall be inserted.
- (2) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:-
- "(2-a) The Director may delegate to any officer any of the powers conferred on him by or under this Act."
- (3) in sub-section (3), for the words "Managing Director", the word "Director" shall be substituted.
- 41.** In Section 66 of the Principal Act,- **Amendment of Section 66.**
- (1) after the words "Managing Director" wherever they occur, the words "or Director" shall be inserted.
- (2) for the words "or against any officer or servant of the Board or any market committee", the words "or against any officer or servant of the Board or Director or any market committee" shall be substituted.
- 42.** In Section 67 of the Principal Act, after the word "Board" the words "or Director" shall be inserted. **Amendment of Section 67.**

**Amendment of 43.
Section 81.**

In Section 81 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted.

**Addition of new 44.
Section 82-A**

After Section 82 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"82-A. Power to remove difficulty.- If any difficulty arises in implementation of any provisions of this Act, as amended by this Sanshodhan Adhiniyam, the State Government may, as exigency requires, by order not inconsistent with the provisions of this Act, do anything which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date on which this Sanshodhan Adhiniyam comes into force."

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जून 2020 — ज्येष्ठ 11, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4232/डी.94/21-अ/प्रारू./छ. ग. /20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का
संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क. 24 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं), धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (डड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(डड) “छोटा व्यापारी” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी एक समय पर स्टोक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि उपज बीस क्विंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि उपज दस क्विंटल से अधिक न रखता हो :

परन्तु वह किसी भी एक दिन में दस क्विंटल धान्य से या तिलहन, दाल तथा तन्तु फसलों को मिलाकर पौंच क्विंटल से अधिक का कय नहीं करेगा।”

3. मूल अधिनियम में, धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

धारा 10 का संशोधन.

“10. प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक के लिए भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति-

- (1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मण्डी प्रथम बार स्थापित की जाती है तो संचालक, आदेश द्वारा,-
- (क) किसी व्यक्ति को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा,

या

- (ख) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली भारसाधक समिति को, पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये नियुक्त करेगा। भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति संचालक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा/करेगी तथा समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी:

परन्तु यह कि संचालक, किसी भी समय भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी तथा भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, जैसी भी स्थिति हो, अपने पूर्वाधिकारी को उपलब्ध शेष कालावधि तक पद धारण करेगा/करेगी:

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति संचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद को किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक, कलेक्टर द्वारा

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि मण्डी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि के अवसान होने के पूर्व हो जाता है तो ऐसा भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा/रहेगी।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक समिति में नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति या समस्त व्यक्ति को, किसी भी समय, संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य मण्डी समिति निधि से ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यों को भत्ते देय हों।
- (4) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, उस उप-धारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पदधारण किए रहेगा, जिस पर नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन नियत की गई है।”

4. मूल अधिनियम में, धारा 17 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (उन्नीस) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

धारा 17 का संशोधन.

“(उन्नीस) मण्डी-प्रागण में किये गये संव्यवहारों के संबंध में माल के तौलने तथा उसके परिवहन के लिए तुलैयों तथा हम्मालों का बारी-बारी से नियोजन करने की व्यवस्था तथा उनके पारिश्रमिक के निर्धारण की व्यवस्था करेगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस उप-धारा के अंतर्गत तौल तथा अन्य कार्य हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक दर अधिसूचित कर सकेगी, जिसका अनुपालन करने हेतु मण्डी समितियाँ आबद्ध होंगी:

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई भी बात उन हम्मालों के नियोजित किये जाने के लिए लागू नहीं होगी, जो कि व्यापारियों द्वारा मण्डी प्रागण से अपने गोदामों तक अपने माल के परिवहन के लिए नियोजित किये जायें।”

5. मूल अधिनियम में, धारा 56 में, उप-धारा (3), (4) एवं (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

धारा 56 का संशोधन.

“(3) जहां कोई मण्डी समिति अतिष्ठित कर दी गई हो, तो संचालक, आदेश द्वारा, मण्डी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए-

- (क) किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जायेगा, या
- (ख) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, जो भारसाधक समिति के नाम से जानी जायेगी,

और अतिष्ठित की गई मण्डी समिति की ऐसी आस्तियों तथा दायित्व, जो कि ऐसे अंतरण की तारीख को हो, ऐसे भारसाधक अधिकारी या ऐसी भारसाधक समिति को अंतरित कर सकेगा:

परन्तु यह कि संचालक, किसी भी समय भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी और भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, उसके छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति, संचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(4) किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक समिति में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या समस्त व्यक्तियों को, किसी भी समय संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(5) उप-धारा (3) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य, मण्डी समिति निधि से ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यों को भत्ते देय हों।”

धारा 57 का 6. मूल अधिनियम में, धारा 57 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित संशोधन.

“57. धारा 13 के अधीन विघटन के परिणाम.—(1) जहां कोई मण्डी समिति धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन विघटित हो जाती है, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उप-धारा के अधीन ऐसी मण्डी समिति के विघटित होने की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये हैं;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यों का निर्वहन, संचालक के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए—

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जायेगा और जिसे संचालक, आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे;

या

(दो) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो भारसाधक समिति के नाम से जानी जायेगी और जिसे संचालक, आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे:

परन्तु यह कि संचालक, किसी भी समय, भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी और भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति, संचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, तब

तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति,
भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(ग) मण्डी समिति में निहित समस्त संपत्ति, इस
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारसाधक अधिकारी
या भारसाधक समिति में न्यासतः निहित हो जाएगी।

(2) किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) के अधीन भारसाधक
समिति में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या समस्त
व्यक्तियों को किसी भी समय संचालक द्वारा हटाया जा
सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य
व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की
शक्ति होगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में
नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के
लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया
जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक
समिति का प्रत्येक सदस्य, मण्डी समिति निधि से ऐसे
दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से
मण्डी समिति के सदस्यों को भत्ते देय हों।

(4) यथा पुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन
के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी
या भारसाधक समिति अपने पद पर नहीं रहेगा/रहेगी।”

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4232/डी.94/21-अ/प्रारू./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक
अधिनियम दिनांक 01-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2020)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|--|
| 1. | (1) | This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) | It shall extend to whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) | It shall come into force with retrospective effect from the date of 1 st December, 2019. | |
| 2. | | In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1), for clause (mm), the following shall be substituted, namely : - | Amendment of Section 2. |
| | | <p>"(mm) "Petty trader" means a person who does not hold more than twenty quintals of various kinds of notified agricultural produce or ten quintals of any single notified agricultural produce in stock at a time :</p> <p>Provided that he shall not purchase more than ten quintals of</p> | |

cereals or five quintals including of oilseeds, pulses and fibre crops, in a day;"

**Amendment of 3.
Section 10.**

In the Principal Act, for Section 10, the following shall be substituted, namely:-

"10. Appointment of officer-in-charge or in-charge Committee pending constitution of first Market Committee.-

(1) When a market is established for the first time under this Act, the Director shall, by an order,-

(a) appoint a person to be the officer-in-charge,

or

(b) appoint a in-charge committee not exceeding seven person, for a period of not exceeding five years. The officer-in-charge or in-charge committee shall exercise all the powers and perform all the duties of the Market Committee under this Act, subject to the control of the Director:

Provided that the Director may at any time appoint an officer-in-charge in place of in-charge committee and in-charge committee in place of the Officer

in-charge and the in-charge officer or in-charge committee so appointed, as the case may be, shall hold office for the remaining period available to his predecessor:

Provided further that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as possible by appointment of a person thereto, by the Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as an officer-in-charge:

Provided further also that, if the Market Committee is constituted before the expiration of the aforesaid period the officer-in-charge or the in-charge committee shall cease to hold office from the date of appointment for the first general meeting of the newly constituted Market Committee.

- (2) Any officer-in-charge appointed under sub-section (1) or any person or all

person appointed to in-charge committee under clause (b) of sub-section (1), may at any time be removed by the Director, who shall have power to appoint another person or another persons in his place, as the case may be.

(3) Any person appointed as officer-in-charge under sub-section (1) shall receive from the Market Committee Fund for his services such Honorarium as may be fixed by the Government, and each member of the in-charge committee shall be entitled to receive allowances from the market committee fund at such rate as the allowances payable to the members of the Mandi Committee.

(4) The officer-in-charge or the in-charge committee appointed under sub-section (1) shall, notwithstanding the expiration of his term thereunder, continue to hold office till the date appointed for the first general meeting under sub-section (1) of Section 13 of the newly constituted Market Committee."

**Amendment of
Section 17.**

4.

In the Principal Act, in Section 17, in sub-section (2), for clause (xix), the following shall be substituted, namely:-

"(xix) make arrangements for employing by rotation, weighmen and hammals for weighing and transporting of goods in respect of transaction held in the market yard and make arrangements for fixing their wages:

Provided that the State Government may, under this sub-section notify minimum wages for weighment and other works, which the Mandi Committees shall be bound to comply:

Provided further that nothing in this clause shall apply for employing hammals by traders for transporting their goods from the market yard to their godowns."

5. In Principal Act, in Section 56, for sub-section (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

**Amendment of
Section 56.**

"(3) When a Market Committee has been superseded, the Director may by an order-

- (a) appoint a person to be called the officer-in-charge, or
- (b) appoint a committee consisting of not more than seven persons to be called the in-charge committee,

To carry out the functions and exercise

the power of the Market Committee and transfer to such officer-in-charge or in-charge committee the assets and liabilities of the superseded Market Committee as on the date of such transfer:

Provided that the Director may at any time appoint an officer-in-charge in place of in-charge committee and in-charge committee in place of the officer-in-charge:

Provided further that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as possible by appointment of a person thereto, by the Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as an officer-in-charge.

- (4) Any officer-in-charge or any person or all person appointed to in-charge committee under clause (b) of sub-section (3) may at any time be removed by the Director, who shall have power to appoint another person or another persons in his place, as the case may be.

(5) Any person appointed as officer-in-charge under sub-section (3) shall receive from the Market Committee Fund for his services such Honorarium as may be fixed by the Government, and each member of the in-charge committee shall be entitled to receive allowances from the market committee fund at such rate as the allowances payable to the members of the Mandi Committee."

6. In the Principal Act, for Section 57, the following shall be substituted, namely:-

**Amendment of
Section 57.**

"57. Consequences of dissolution under Section 13. - (1) Where a Market committee stands dissolved under sub-section (2) of Section 13, the following consequences shall ensue namely :-

- (a) all the members as well as the Chairman and Vice-Chairman of the Market Committee shall, as from the date of dissolution of such Market Committee under the said sub-section, be deemed to have vacated their offices;
- (b) all powers and duties of the Market Committee under this Act, shall be exercised and performed subject to the control of the Director,-

- (i) by a person to be called the officer-in-charge as the Director may, by order appoint in that behalf,
- (ii) by a committee consisting of not more than seven persons to be called the in-charge committee as the Director may, by order appoint in that behalf:

Provided that the Director may at any time appoint an officer-in-charge in place of in-charge committee and in-charge committee in place of the officer-in-charge:

Provided further that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as possible by appointment of a person thereto by the Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as an officer-in-charge;

- (c) all property vested in the Market Committee shall vest in the officer-in-charge or the in-charge Committee in trust for the purposes of this Act.

- (2) Any officer-in-charge or any person or all persons appointed to in-charge committee under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) may at any time be removed by the Director who shall have power to appoint another person or another persons as the case may be.
- (3) Any person appointed as officer-in-charge under sub-section (1) shall receive from the Market Committee Fund for his services such Honorarium as may be fixed by the Government, and each member of the in-charge committee shall be entitled to receive allowances from the market committee fund at such rate as the allowances payable to the members of the Mandi Committee.
- (4) The officer-in-charge or the in-charge committee shall cease to hold office on the date appointed for the first general meeting of the Market Committee as reconstituted."

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2021 — श्रावण 6, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2021

क्रमांक 7596/डी. 75/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-07-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार
तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01-12-2020 से प्रवृत्त होगा.

धारा 19 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(दो) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो और प्रसंस्करण तथा विनिर्माण में उपयोग के लिए लाये जाने के पश्चात् प्रसंस्कृत तथा विनिर्मित उत्पाद के विक्रय किये जाने पर;

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम पचास पैसे की दर के और अधिकतम तीन रुपये की दर के अध्यक्षीन रहते हुए, नियत की जाए, विहित रीति में मण्डी फीस का उद्ग्रहण करेगी; इसके अतिरिक्त,

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम पचास पैसे की दर के और अधिकतम दो रुपये की दर के अध्यक्षीन रहते हुए, नियत की जाए, विहित रीति में कृषक कल्याण शुल्क का उद्ग्रहण करेगी :

परन्तु उस मण्डी समिति को छोड़कर, जिसके मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज, यथास्थिति, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या प्रसंस्करण तथा विनिर्माण हेतु लाई गई हो, कोई मण्डी समिति ऐसी मण्डी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क का उद्ग्रहण नहीं करेगी.”

धारा 79 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“(पांच-क) कृषक कल्याण शुल्क की वसूली के लिए प्रक्रिया, कृषक कल्याण शुल्क के अपवंचन के लिए जुर्माना, विवरणियां देने में व्यतिक्रम होने की दशा में कृषक कल्याण शुल्क की निर्धारण की रीति तथा कृषक कल्याण शुल्क की उपयोजन की प्रक्रिया;”

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2021

क्रमांक 7596/डी. 75/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2021)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972
(No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force with retrospective effect from the date of 1st December, 2020. | |
| 2. | For clause (ii) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :- | Amendment of Section 19. |
| | <p>“(ii) On the notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into the market area and used for processing and manufacturing and thereafter sale of processed and manufactured items.</p> <p>At such rates as may be fixed by the State Government, from time to time, subject to a minimum rate of fifty paise and a maximum of three rupees for every one hundred rupees of the price in the manner prescribed; in addition,</p> <p>Farmer Welfare Fees, at such rates as may be fixed by the State Government, from time to time, subject to a minimum rate of fifty paise and a maximum of two rupees for every one hundred rupees of the price in the manner prescribed :</p> <p>Provided that no Market Committee other than the one in whose market area the notified agricultural produce is brought for sale or processing and manufacturing by an agriculturist or trader, as the case may be, for the first time shall levy such market fees and Farmer Welfare Fees.”</p> | |
| 3. | After clause (v) of sub-section (2) of Section 79 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- | Amendment of Section 79. |
| | “(v-a) The procedure for recovery of Farmer Welfare Fees, fine for evasion of Farmer Welfare Fees, manner for assessment of Farmer welfare fees in default of furnishing returns and procedure of use of Farmer welfare fees;” | |